ncrtc

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

गति से प्रगति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम)

ncrtc

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट
2021 - 22

लक्ष्य

जन–मानस के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु साम्यिक, तीव्र, विश्वस्नीय, सुरक्षित, सुखद, दक्ष एवं सतत् गतिशीलता समाधान प्रदान कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आर्थिक विकास को गति देना

वार्षिक रिपोर्ट
2021 - 22

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएटस्
चार्टड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

सचिवीय लेखाकार
मैसर्स मनोज पुर्बे एंड एसोसिएटस्
कम्पनी सचिवीय, नई दिल्ली

आंतरिक लेखाकार
मैसर्स मनोज मोहन एंड एसोसिएटस्
चार्टड एकाउंटेंट्स, नोएडा

कंपनी सचिव
श्री विजय कुमार

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालयः
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए, नई दिल्ली–110023
फोनः +91 11 24666700, फैक्सः +91 11 24666723
CIN: U60200DL2013GOI256716
ई-मेलः contactus@ncrtc.in

गति से प्रगति

अनुक्रमणिका

1	निदेशक मंडल	4
2	अध्यक्ष का भाषण	5
3	बोर्ड की रिपोर्ट	7
4	सचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	24
5	एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	43
6	एकल वित्तीय विवरण	52
7	एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	112
8	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	116
9	समेकित आर्थिक विवरण	123
10	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	185
11	सहायक कंपनी– एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	191

निदेशक मंडल

(31 अगस्त, 2022 को)

श्री मनोज जोशी
अध्यक्ष, एनसीआरटीसी
सचिव,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएनः 02103601

श्रीमती अर्चना अग्रवाल
निदेशक
सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी
डीआईएनः 02105906

श्री कामरान रिज़वी
निदेशक
अपर सचिव, आवासन और
शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएनः 01653503

श्रीमती वीनू गुप्ता
निदेशक
अपर मुख्य सचिव, उद्योग और
डीएमआईसी, राजस्थान सरकार
डीआईएनः 02170999

श्री नितिन रमेश गोकर्ण
निदेशक
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी
नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
डीआईएनः 07619691

श्री अरुण कुमार गुप्ता
निदेशक
प्रमुख सचिव, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग
एवं शहरी संपदा विभाग, हरियाणा
सरकार
डीआईएनः 05265538

श्री आशीष कुंद्रा
निदेशक
प्रमुख सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
डीआईएनः 06966214

श्री बृजेश कुमार
निदेशक
अपर सदस्य/कार्य,
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय
डीआईएनः 09520955

श्री विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

श्री अनिल कुमार श्रंगार्या
निदेशक/परियोजनाए
डीआईएनः 08507367

श्री महेंद्र कुमार
निदेशक/ई एंड आरएस
डीआईएनः 07093637

श्री नवनीत कौशिक
निदेशक/सिस्टम और संचालन
डीआईएनः 08624052

श्रीमती नमिता मेहरोत्रा
निदेशक/वित्त और सीएफओ
डीआईएनः 07916304

अध्यक्ष महोदय का संबोधन

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से मुझे आज आपकी कम्पनी की 9वीं वार्षिक आम सभा में आपका स्वागत करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। आज इस अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए, मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (एकल एवं समेकित) और उसके संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आप सभी को भेजी जा चुकी है और अब मैं, आपकी अनुमति से, यह मानकर आगे बढ़ता हूं कि आप सभी ने इसका पठन कर लिया है।

केन्द्रीय बजट 2022–23 से अगले 25 वर्षों में भारत के संवहनीय विकास की आधारशिला स्थापित हुई है तथा इससे आधुनिक अवसंरचना के निर्माण की दिशा में सार्वजनिक निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति भी हुई है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपकी कम्पनी क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) जैसी रचनात्मक तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन करके नए भारत की संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वर्ष के दौरान, हमारी कम्पनी ने देश की प्रथम आरआरटीएस का कार्यान्वयन समय पर होने का सुनिश्चय करने के लिए अनेकों नव प्रयास किए हैं। आरआरटीएस की परियोजना, माननीय प्रधानमंत्री की 'गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना' में भी शामिल है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, माल, एवं सेवाओं की आवाजाही हेतु एकीकृत एवं निर्बाध क्नेक्टिविटी प्रदान करने की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा जहां कहीं संभव हो सका है वहां हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों तथा बस डिपो के साथ आरआरटीएस का मल्टी–माडल–एकीकरण करने की पहल की गई है। ऐसा करने से सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में यात्रियों की निर्बाध आवाजाही का सुनिश्चय हो सकेगा तथा लोग अपने निजी वाहनों के उपयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।

वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड की दूसरी लहर ने भारत को बड़ा झटका दिया है जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की कमी, सामग्रियों की कमी एवं औद्योगिक ऑक्सिजन की कमी जैसी सप्लाई चेन बाधाएं, लॉकडाउन की स्थिति में कामगारों एवं सामग्रियों की मूवमेंट प्रतिबंधित होने, निर्माण कार्य एवं परिवहन में देरियां होने जैसी स्थितियां झेलनी पड़ी हैं। आपकी कम्पनी ने सरकार द्वारा निर्धारित कोविड प्रोटोकोल के अनुपालन के साथ अग्रसक्रिय होकर, अपने कर्मचारियों एवं हमारे निर्माण भागीदारों के कामगारों को, इस बीमारी के प्रसार से बचाव के साथ-साथ यह भी सुनिश्चय किया था कि सभी निर्माण कार्य मुख्यतः निर्धारित अनुसूची के अनुसार जारी रखे जाएं। अपनी स्थापना के समय से ही एनसीआरटीसी एक प्रौद्योगिकी चालित संगठन है तथा समय-समय पर नवयुग के प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाकर वैश्विक महामारी के काल के भी परियोजना को चलायमान रखने में हमें सफलता हासिल हुई है।

आपकी कम्पनी ने पूर्व निर्मित ट्रेक स्लेब तकनीक का उपयोग करके दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के 17 किलोमीटर के प्राथमिकता प्राप्त भाग में न्यून रखरखाव वाले आधुनिक ब्लास्टलैस ट्रेक बिछाने के कार्य की शुरूआत की है। भारत में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के लिए उपयुक्त इस तकनीक का उपयोग पहली बार हुआ है तथा निर्माण समय कम होगा और साथ ही निर्माण कार्य के दौरान जनता को असुविधा भी कम होगी। दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए सुरंग बिछाने के कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। ये कार्य पूरे होने के पश्चात आनन्द विहार तथा सराय काले खान के बीच 3 किलोमीटर लम्बी सुरंग, देश की किसी भी मेट्रो प्रणाली की तुलना में दो स्टेशनों के बीच की सबसे लम्बी सुरंग होगी।

भारत सरकार की मेट्रो नीति 2017 का अनुसरण करके आपकी कम्पनी ने दिनांक 1 जुलाई, 2022 को मैसर्स डायचे बान इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीबी इंडिया) के साथ दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए 12 वर्ष की अवधि का व्यापक परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध किया है। इससे प्रबंधकीय कौशल स्थापित होगा तथा लागतों के दीर्घकालिक पूर्वानुमान आंकने के साथ साथ सेवा डिलीवरी के क्षेत्र में निजी सेक्टर का उद्यमिता भाव भी स्थापित हो सकेगा। डीबी भारत में स्थानीय जनशक्ति की सेवाएं प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों एवं विशेषज्ञता ट्रांसफर करेगी जिससे देशीय क्षमता को सबल किया जा सकेगा। यह पहल समग्र मेट्रो एवं रेल सेक्टर के लिए बेंचमार्क स्थापित कर सकती है।

भारत में निर्मित आरआरटीएस का पहला ट्रेनसेट भी एनसीआरटीसी को 7 मई, 2022 को सौंप दिया गया है। इस आधुनिक ट्रेनसेट का निर्माण मैसर्स एल्सटॉम द्वारा सावली, गुजरात में स्थित निर्माण केन्द्र में किया जा रहा है तथा इसका डिजाइन उनके हैदराबाद स्थित केन्द्र में तैयार किया गया था जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना में योगदान दिया जा सका है। रोलिंग स्टॉक के अनुबंध में 15 वर्ष की अवधि के लिए ट्रेनसेटों की आपूर्ति एवं व्यापक अनुरक्षण शामिल है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने आरआरटीएस की परियोजना की सभी रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं के लिए कम्प्यूटर–आधार को प्रधानता दी है। हमारी टीमों ने आधुनिक आरआरटीएस ट्रेनसेटों के मामले में भी इसका सुनिश्चय किया है तथा उच्च गति की क्षेत्रीय यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के ढेरों फीचर्स एवं कार्यात्मकता उपलब्ध होगी।

अब मैं, आपके सम्मुख, आरआरटीएस के तीन प्राथमिकता प्राप्त कॉरीडोरों अर्थात दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ, दिल्ली–पानीपत तथा दिल्ली–गुरूग्राम–एसएनबी–अलवर की वर्तमान स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं।

i. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर

भारत सरकार ने इस कॉरीडोर को मार्च, 2019 में स्वीकृति दी थी तथा इसके निर्माण कार्य जून, 2019 में प्रारंभ हो गए थे। 82.15 किलोमीटर के समग्र विस्तार क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण प्रवाह के साथ किए जा रहे हैं। अनुसूची के अनुसार इसका प्राथमिकता प्राप्त भाग (17 किलोमीटर)

जून, 2023 में चालू किए जाने की योजना है तथा सम्पूर्ण कॉरीडोर (लगभग 82.15 किलोमीटर) जून, 2025 तक प्रारंभ हो सकेगा।

प्राथमिकता प्राप्त भाग में साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई एवं दुहाई डिपो नामक पांच स्टेशन है जिनका निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। सिग्नलिंग उपकरण की स्थापना के पश्चात यह भाग आरआरटीएस की गाड़ियों के ट्रॉयल रन के लिए तैयार हो जाएगा।

ii. दिल्ली–गुरूग्राम–एसएनबी–अलवर आरआरटीएस कॉरीडोर

क. चरण 1: दिल्ली–गुरूग्राम–एसएनबी कॉरीडोर – 107 किलोमीटर लम्बे इस कॉरीडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित कर दी गई है तथा यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सम्मुख भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्ति के लिए विचाराधीन है। यह परियोजना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में तथा भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होते हुए निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ किए जा सकते हैं।

ख. चरण 2: एसएनबी–सोतानाला कॉरीडोर आरआरटीएस कॉरीडोर – परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा यह राजस्थान राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

iii. दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरीडोर – Delhi & Panipat RRTS Corridor – परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया गया है। हरियाणा राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दी है जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षित है।

आभारोक्ति

मैं, इस अवसर पर, अपने निदेशक मंडल के माननीय सदस्यों को अपना नेतृत्व प्रदान करने एवं कम्पनी एवं कम्पनी के कर्मचारियों को अपना अविचल समर्थन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं, अपने शेयरधारकों, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों द्वारा अपने अनवरत एवं प्रचुर सहयोग की प्रशंसा को भी यहां हृदय से रिकार्डबद्ध करना चाहता हूं। वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार के अन्य विभागों एवं एजेंसियों तथा अन्य विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों के प्रति भी उनसे प्राप्त आवश्यक इनपुट के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिससे वर्ष के दौरान कम्पनी के हितों एवं विकास प्रक्रियाओं को बल प्राप्त हुआ है।

मैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक से परियोजना के लिए प्राप्त समर्थन को भी यहां रिकार्डबद्ध करना चाहूंगा।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, वित्तीय संस्थानों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी साझेदारों, मूल्य संवर्धित सेवा साझेदारों, बैंकों एवं अन्य व्यापार सहयोगियों से अनवरत प्राप्त सहायता एवं सहकार्यता के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

वैश्विक महामारी की अनेकों लहरों का सामना करने और उसके पश्चात आपकी कम्पनी के कर्मचारियों ने हमारे स्थलों पर अबाधित निर्माण के निरंतर सुनिश्चय के लिए अत्यधिक मेहनत की है। परीक्षा के काल के दौरान कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं उनका साहस अतुलनीय है तथा परियोजना एवं कम्पनी के लिए समर्पित अपनी सेवाओं के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

धन्यवाद,

हस्ता/–

(मनोज जोशी, आई ए एस)
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 26.09.2022

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में
शेयरधारक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड,
नई दिल्ली

महोदय,
आपकी कंपनी के निदेशक मंडल 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल और समेकित), सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (09वीं) प्रस्तुत करते हुए प्रसन्ता हो रही है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हैं:– (₹ लाख में)

विवरण	एकल		समेकित	
	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21
कुल आय (मुख्यतः सावधि जमा/फ्लेक्सी जमा से प्राप्त ब्याज आय)	89,46.88	73,77.72	89,51.47	73,79.92
व्यय (कर्मचारी हितलाभ व्यय, वित्त लागत, मूल्यह्रास एवं अन्य व्यय)	27,58.91	17,30.11	27,61.69	17,37.46
कर पूर्व लाभ	**61,87.97**	**56,47.61**	**61,89.78**	**56,42.46**
कर व्यय	14,84.13	13,06.20	14,85.12	13,04.91
कर के उपरान्त लाभ	**47,03.84**	**43,41.41**	**47,04.66**	**43,37.55**
वर्ष के अंत में निवल संपत्ति	18,29,49.67	14,90,30.78	18,29,46.63	14,90,26.92
वर्ष के अंत में संचयी पूंजीगत व्यय	84,00,81.58	36,85,76.64	84,00,80.12	36,85,76.64

2. पूंजीगत संरचना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी एवं चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह ₹100.00 करोड़ है। संपूर्ण भुगतान की गयी शेयर पूंजी भारत सरकार और भाग लेने वाली राज्य सरकारों के पास है जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	₹ लाख में	प्रतिशत
1	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	22,50.00	22.50
2	रेल मंत्रालय	22,50.00	22.50
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड	5,00.00	5.00
4	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार	12,50.00	12.50
5	हरियाणा सरकार	12,50.00	12.50
6	राजस्थान सरकार	12,50.00	12.50
7	उत्तर प्रदेश सरकार	12,50.00	12.50
	योग	**1,00,00.00**	**100**

3. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की 'एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड' (नेत्र) के नाम से स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है जिसके उद्देश्य प्रचालनों की योजनाएं बनाना, डिजाइनिंग, वित्तीयन तथा कार्यान्वयन करना एवं ट्रांजिट प्रणालियों का अनुरक्षण करना है। आपकी कंपनी की कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

4. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों तथा भारतीय लेखांकन मानकों (IndAS) से अनुरूपता के साथ कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण किया है जिसमें कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यथा एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जिनकी प्रस्तुति कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की आगामी 9वीं वार्षिक आम सभा में भी की जाएगी। पिछले वर्ष से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण एवं कंपनी की सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे कंपनी की वेबसाइट www.ncrtc.in और साथ ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध हैं जिनकी जांच सभी शेयरधारक कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा, ये दस्तावेज किसी भी सदस्य द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जांच के लिए भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कंपनी के किसी सदस्य से इनकी ईमेल से प्राप्ति का अनुरोध प्राप्त होने पर कंपनी इनकी एक प्रति उपलब्ध करवा सकती है।

5. सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के परंतुक के अंतर्गत 'सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं' से संबंधित सूचना के विवरण कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 का अनुसरण करके फार्म एओसी–1 में संलग्न किए गए हैं।

6. लाभांश

आपकी कंपनी के दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के वाणिज्यिक प्रचालन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं तथा वर्ष के दौरान लाभ केवल 'अन्य आय' से है जिसमें मुख्यत सावधि जमा/फ्लेक्सी जमा पर प्राप्त ब्याज शामिल है। अतः समीक्षागत वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गयी है।

7. सामान्य रिजर्व का विनियोजन

कर पश्चात निवल को धारित आय माना गया है तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए सामान्य रिजर्व में अंतरण हेतु किसी राशि की अनुशंसा नहीं की गई है।

8. पंजीकृत कार्यालय का स्थान परिवर्तित पता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपना पंजीकृत पता '7/6, ए.एम.डी.ए भवन, सिरीफोर्ट, इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110049 से दिनांक 01.09.2021 से स्थान परिवर्तित करके 'गतिशक्ति भवन, आई एन ए, नई दिल्ली – 110023 किया गया है।

9. भविष्य के प्रति दृष्टिकोण एवं परियोजना की स्थिति

केंद्रीय बजट 2022–23 से अगले 25 वर्षों के लिए भारत में विकास की आधारशिला स्थापित हुई है और इससे आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई है। हमें आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी परिवर्तनकारी क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आर आर टी एस) परियोजनाओं का कार्यान्वयन करके इस संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरआरटीएस परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक नई पहलें की हैं।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में कोविड की दूसरी लहर का प्रहार काफी घातक हुआ था जिसके परिणामस्वरूप श्रम की कमी, सामग्री की न्यूनता और सप्लाई चेन में व्यवधान जैसे औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी, श्रमिकों और सामग्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंध, लॉकडाउन की स्थिति में निर्माण और परिवहन में देरी की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। आपकी कंपनी ने अपने निर्माण भागीदारों के तैनात कर्मचारियों और श्रमिकों की सुरक्षा करके कोविड –19 के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए थे और यह सुनिश्चित किया था कि निर्माण कार्य अनुसूची के अनुसार जारी रह सके।

आपकी कंपनी जून 2023 तक साहिबाबाद से दुहाई के बीच कॉरीडोर के प्राथमिकता प्राप्त खंड और जून 2025 तक पूरे दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर को अनुसूची के अनुसार चालू करना चाहती है।

आपकी कंपनी ने प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब तकनीक का उपयोग करके प्राथमिकता प्राप्त खंड के 17 कि.मी. भाग पर आधुनिक एवं कम अनुरक्षण की अपेक्षा वाले ट्रैक बिछाने शुरू कर दिए हैं। इस तकनीक का उपयोग 180 कि.मी. प्रति घंटा गति के लिए भारत में पहली बार किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप निर्माण में लगने वाला समय कम होगा और निर्माण के दौरान सार्वजनिक असुविधा में कमी आएगी। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए सुरंगें बिछाने का काम भी शुरू हो गया है जो पूरा होने के पश्चात, आनंद विहार और सराय काले खान के बीच 3 कि.मी. सुरंग देश में किसी भी मेट्रो प्रणाली के लिए सबसे लंबी होगी।

एनसीआरटीसी ने 1 जुलाई, 2022 को डॉयचे बान इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीबी इंडिया) के साथ अपनी तरह का पहला समझौता करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो जर्मनी की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी डॉयचे बान एजी की सहायक कंपनी है। जिसे 12 साल की अवधि के लिए

82 किलोमीटर लंबे दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के व्यापक संचालन और रखरखाव का कार्य सोपा गया है।

भारत में रेल–आधारित ट्रांजिट सिस्टम सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा तथा कभी–कभी कुछ गतिविधियों को निजी ठेकेदारों को आउटसोर्स करके चलाए जाते हैं, इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी रही है और अब तक यह दायरा आम तौर पर सुविधा प्रबंधन और सहायक सेवाओं के प्रावधान तक ही सीमित रहा है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी मेट्रो रेल नीति, अन्य बातों के साथ–साथ क्षेत्रीय रेल और मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता की वकालत करती है। एनसीआरटीसी ओ एंड एम गतिविधियों की व्यापक आउटसोर्सिंग को शामिल करने वाले दीर्घकालिक निजी भागीदारी मॉडल को अपनाकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रमुख पहल एव मेट्रो रेल नीति 2017 के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कदम उठाए है।

यह पहल निस्संदेह ज्ञान, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और प्रबंधकीय सेवाओं के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त करेगी जो भारतीय मेट्रो और रेल ओ एंड एम उद्योग के लिए दुनिया भर में उपलब्ध हैं। स्थानीय इंजीनियरों का रोज़गार अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर मौजूदा कौशल सेट को बढ़ाने में भी सक्षम होगा।

डीबी के काम के दायरे में रोलिंग स्टॉक, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन (एएफसी) और सिविल स्ट्रक्चर के रखरखाव को छोड़कर आरआरटीएस सिस्टम का ओ एंड एम शामिल है। रोलिंग स्टॉक और एएफसी का रखरखाव रोलिंग स्टॉक और एएफसी के आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रमशः 15 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

पहला आरआरटीएस ट्रेनसेट 7 मई 2022 को एक औपचारिक समारोह में प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी को सौंपा गया था, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एनसीआरटीसी और माननीय सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने की थी। गुजरात के सावली में मैसर्स एल्सटॉम सुविधा में ट्रेनसेट का निर्माण किया जा रहा है और हैदराबाद में उनकी सुविधा पर डिजाइन किया गया है।

पहला आरआरटीएस ट्रेनसेट 13 जून 2022 को दुहाई डिपो में आ गया है और उतार दिया गया है। ट्रेनसेट को आईबीएल–3 में रखा गया है और स्थिर कमीशनिंग परीक्षण प्रगति पर हैं। अन्य ट्रेनसेट सावली, वडोदरा, गुजरात में निर्माणधीन हैं।

कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की संकल्पना के अनुरूप, आपकी कंपनी ने जून 2021 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एस ई सी आई) के साथ अक्षय ऊर्जा के सम्मिश्रण के माध्यम से ऊर्जा मिश्रण को इष्टतम करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। कंपनी आवाजाही के स्वच्छ और हरित विद्युत/परिवर्तनकारी समाधानों के संवर्धन के लिए संभावित अवसर ज्ञात करना चाहती है।

'आजादी का अमृत महोत्सव' का आयोजन वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित करने, मौखिक प्रचार के लिए स्कूलों का दौरा किया गया और विभिन्न स्थानों पर ऑडियो और वीडियो प्रसार करके किया गया है। इन गतिविधियों का प्रचार आगे यूट्यूब और लिंकेडिन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया है।

आर आर टी एस चरण–I के तीन प्राथमिकता प्राप्त कॉरीडोरों के कार्यान्वयन की विस्तृत स्थिति नीचे दी गई है:

क. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर

- अनुबंध प्रदान कर दिए गए हैं तथा यह पूर्णता के अग्रिम चरणों में है।
- 70 किमी लंबाई में पाइलिंग, 50 किमी लंबाई में पाइल–कैप, 45 किमी में पियर–कैप, 38 किमी में पियर–कैप और 27 किमी लंबाई में सुपरस्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है।
- गाज़ियाबाद स्टेशन के निकट डीएमआरसी क्रॉसिंग पर स्टील स्पेशल स्पैन (46+65+39.93मी) के निर्माण और दुहाई के निकट ईपीई क्रॉसिंग पर स्टील स्पेशल स्पैन (73मी) को प्रारंभ करने के कार्य पूरे हो गए हैं।
- साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर और परतापुर स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्लैब की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
- दिल्ली क्षेत्र में यमुना नदी पर पुल के लिए कुएं की नींव का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- दुहाई डिपो में प्रशासनिक भवन, कार्यशाला, स्टैबलिंग लाइन, इंस्पेक्शन लाइन एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण के कार्य निर्धारित समय के अनुसार प्रगति पर हैं।
- दिल्ली खंड में, आनंद विहार में तीन टनल बोरिंग मशीनों (सुदर्शन) के साथ सुरंग बनाने का कार्य प्रगति पर है और चौथा टीबीएम पारगमन में है। आनंद विहार में कॉनकोर्स स्लैब की ढलाई का काम पूरा हो गया है और बेस स्लैब की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
- मेरठ खंड में, भैसाली स्टेशन पर पहले टीबीएम के साथ सुरंग बनाने की गतिविधियां प्रगति पर है और दूसरे टीबीएम और तीसरे टीबीएम को चालू करने का कार्य अग्रिम चरण में है। भैसाली, मेरठ सेंट्रल और बेगमपुल स्टेशनों पर रूफ स्लैब की ढलाई का कार्य प्रगति कर रहा है। मेरठ सेंट्रल स्टेशन के चरण–II की डी–वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भैसाली में कॉनकोर्स स्लैब और बेगमपुल में मेजेनाइन स्लैब की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
- मेन लाइन और दुहाई डिपो पर ओएचई मास्ट लगाने का कार्य किया जा रहा है। दुहाई डिपो में सहायक सब–स्टेशन (एएसएस) एवं फीडिंग पोस्ट में इलेक्ट्रिकल उपकरण स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मोर्टी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) से गाज़ियाबाद रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) तक अतिरिक्त हाई वोल्टेज केबल (ईएचवी) बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। गाज़ियाबाद आरएसएस भवन का निर्माण और ट्रेक्शन पावर के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरणों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

- गुलधर–दुहाई खंड में मुख्य लाइन पर ट्रैक की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। 24 किमी लंबाई के लिए प्रीकास्ट स्लैब का निर्माण किया गया है और 12 किमी लंबाई के लिए ट्रैक स्थापित कर लिया गया है। दुहाई डिपो में स्टेब्लिंग लाइनों और टर्नआउट के लिए बैलेस्टेड ट्रैक की स्थापना प्रगति पर है और इंस्पेक्शन बे लाइन (आईबीएल) और कार्यशाला लाइन के लिए ट्रैक बिछाने के कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
- दुहाई डिपो, साहिबाबाद, गुलधर और दुहाई डिपो स्टेशन में सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है। दुहाई डिपो में आउटर केबल बिछाने और उपकरणों का बेल परीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है।
- भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के मध्य 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण अनुबंध पर 10 मार्च 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। एआईआईबी एडीबी के साथ संयुक्त सह–वित्तपोषण व्यवस्था में दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस परियोजना के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। ऋण समझौते के साथ–साथ, एनसीआरटीसी और एआईआईबी के मध्य एक परियोजना समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऋण शीघ्र ही प्रभावी घोषित होना संभावित है।
- एडीबी की सुरक्षा टीम ने दिनांक 23–24 मई 2022 को दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ परियोजना के संबंध में एडीबी की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की नीति के अनुपालन की समीक्षा के लिए को एक वैयक्तिक मिशन का आयोजन किया था। टीम ने जंगपुरा और दुहाई में निर्माण स्थलों का दौरा किया और प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट निपटान, सुरक्षा, श्रम स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिकायत निवारण आदि के संबंध में किए गए सुरक्षा उपायों को संतोषजनक पाया।
- एडीबी ने एनसीआरटीसी द्वारा परियोजना योजना और कार्यान्वयन के लिए अंगीकार किए गए उत्तम व्यवहारों पर 24 मई 2022 को एक वेबिनार का आयोजन किया। एनसीआरटीसी द्वारा दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन के दौरान आंतरिक रूप से विकसित वेब–आधारित परियोजना निगरानी प्लेटफार्म 'स्पीड – परियोजना के कुशल वितरण के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम मूल्यांकन' और इनके प्रति एनसीआरटीसी के अनुभवों को साझा किया गया। एनसीआरटीसी ने प्रतिभागियों को भारत से बाहर की परियोजनाओं सहित अन्य स्थलों पर एडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में इस प्रकार के उत्तम व्यवहारों की प्रस्तुतियों के प्रति अपनी रुचि से अवगत करवाया गया।

ख. दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर

i. दिल्ली–एसएनबी कॉरीडोर (दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरीडोर का चरण–I)

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिसम्बर 2018 में परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। राज्य सरकार यथा हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी स्टेकधारकों ने इसके प्रति अपना अनुमोदन क्रमशः फरवरी, 2019, जून, 2019 एवं अगस्त, 2019 में प्रदान कर दिया था। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सम्मुख विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार से परियोजना स्वीकृति के लिए समीक्षाधीन है।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा** भू–तकनीकी जांच कार्य, प्रारंभिक स्तम्भ भार परीक्षण, सर्वेक्षण एवं संरेखन का अंतिमकरण करने जैसे निर्माण पूर्व क्रियाकलाप पूरे कर लिए गए हैं। पानी की पाइपलाइनों, नालों का स्थान परिवर्तित करने एवं सड़कों को चौड़ा करने के काफी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों एवं ईएचटी ट्रांसमिशन लाइनों (21 लाइनें) का स्थान परिवर्तित करने के कार्य अग्रिम चरण में हैं। पंचगांव के निकट एक 400 केवी पावरग्रिड ईएचटी लाइन का दिनांक 22.4.2022 को स्थान परिवर्तित कर दिया गया है।
- **दिल्ली–एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर के कार्यान्वयन के लिए समर्थक कार्य प्रगति पर हैं** आरआरटीएस संरचना का निर्माणाधीन फ्लाईओवर एवं अतुल कटारिया चौक पर स्थित अंडरपास से एकीकृत किए जाने के समर्थक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। विस्तृत डिजाइन कार्य प्रगति पर है। प्रभावित होने वाली संरचनाओं के संबंध में भवन स्थिति सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। गुरूग्राम क्षेत्र में आईडीपीएल से राजीव चौक खंड के लिए यूटिलिटी पथ परिवर्तन एवं सड़क को चौड़ा करने का कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। आईडीपीएल से राजीव चौक खंड की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के स्थान परिवर्तन/सुधार कार्य पूरे कर लिए गए तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। विश्व बैंक तथा एडीबी द्वारा परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा घटकों के साथ साथ परियोजना की तैयारी की स्थिति के मूल्यांकन के लिए संयुक्त संज्ञान/परामर्श मिशन आयोजित किए गए हैं।
- एडीबी तथा विश्व बैंक द्वारा दिनांक 1 से 4 मार्च, 2022 के दौरान संयुक्त परामर्श मिशन आयोजित किया गया था। इस मिशन में दिल्ली–एसएनबी परियोजना से संबंधित निर्माण पूर्व गतिविधियों, विभिन्न एजेंसियों इत्यादि से अनुमोदन एवं क्लीयरेंस इत्यादि जैसे विभिन्न घटकों पर विस्तृत विचार हुआ था तथा सरकार से स्वीकृति की प्राप्ति से पूर्व परियोजना के संबंध में की जा रही तैयारी के स्तर के प्रति संतोष व्यक्त किया गया था।

ii. एसएनबी–सोतानाला कॉरीडोर (दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरीडोर का चरण–II)

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के संबंध में राजस्थान सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षित है।

ग. दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरीडोर

- संबंधित राज्य सरकारों (हरियाणा सरकार तथा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार) को अप्रैल 2020 में तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को जून, 2020 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा दिसम्बर, 2020 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुमोदन अभी प्रतीक्षित है।

10. जमा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 एवं 74 के अंतर्गत जनता से किसी प्रकार के जमा प्राप्त नहीं किए हैं।

11. कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन

क. कर्मचारी कल्याण एवं विशिष्ट पहल

- आजादी का अमृत महोत्सव, एनसीआरटीसी वैल्यूज, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हिन्दी पखवाड़ा, हार्टफुलनैस अध्यात्म सत्रों के अंतर्गत कर्मचारी भागीदारी के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ये सभी आयोजन कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रण के साथ किए गए थे जो परियोजना के संबंध में उनके उत्साह एवं प्रतिबद्धता को बनाए रखने में सहायक हुए हैं। महिला दिवस का आयोजन भी किया गया था जिसमें महिला कर्मचारियों ने अत्यंत उत्साह के साथ प्रतिभागिता की थी। कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की थी तथा विजेताओं को उचित पुरस्कार प्रदान किए गए थे।
- आपकी कंपनी ने एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल के माध्यम से अधिवार्षित सम्बद्ध परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में योगदान जारी रखे हैं जो कर्मचारियों के लिए स्वस्थकर सेवानिवृति निधि के निर्माण में सहायक हुआ है। समूह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी का नवीकरण एनसीआरटीसी ने वर्ष के दौरान करवा लिया था जिसमें कार्य के निर्वाह के दौरान घटित होने वाली दुर्घटना से मृत्यु होने अथवा घायल होने की स्थितियों को कवर किया गया है। इसके अलावा, कार्मिक नीतियों एवं कल्याण योजनाओं में संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार उचित संशोधन किए गए हैं। कार्यालय तथा/अथवा परियोजना स्थलों पर कर्मचारियों के अनुकरणीय निष्पादन को प्रबंधन द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक दिवस के अवसर पर कर्मचारियों के उत्कृष्ट निष्पादन को सम्मानित करते हुए पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

ख. औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन ने श्रम घंटों के नष्ट न होने का सुनिश्चय किया था तथा कर्मचारियों ने व्यवसाय अपेक्षाओं की पूर्ति संगठन की इष्टतम अपेक्षाओं के अनुसार की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की सभी यूनिटों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं समन्वय पूर्ण रहे हैं।

ग. श्रमशक्ति एवं रोज़गार

नियमित रोल पर एनसीआरटीसी की जनशक्ति निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पदों का स्तर	श्रमशक्ति बल (संख्या में)	
		31.03.2022 को स्थिति	31.03.2021 को स्थिति
1	विभाग प्रमुख (ई9–ई8)	10	8
2	उप विभाग प्रमुख (ई7–ई4)	77	57
3	कार्यकारी (ई3–ई0)	161	145
4	गैर–कार्यकारी	83	80
	योग	**331**	**290**

घ. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत श्रमशक्ति

कंपनी द्वारा अनुसूचित जातियों (अ.जा.)/अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) की भर्ती एवं पदोन्नति योजनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों एवं दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लगभग 114 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

ङ कंपनी में महिला कर्मचारियों की सांख्यिकी

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 42 थी।

च. प्रशिक्षण एवं विकास

- प्रशिक्षण एवं विकास किसी प्रगतिशील संगठन की सफलता के प्रमुख आधार हैं। प्रशिक्षण से कर्मचारियों को नव कौशल प्राप्त होता है, उनके विद्यमान कौशल में निखार आता है जिससे वे बेहतर निष्पादन उत्पादकता में संवर्धन और बेहतर नेतृत्व कर पाते हैं। संगठन एक प्रकार से कर्मचारियों द्वारा वैयक्तिक रूप से हासिल की गई उपलब्धियों का समुच्चय होता है अंतरू संगठनों को भी अपनी शक्ति अनुसार इस सुनिश्चय के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जिससे कर्मचारी उत्कृष्ट निष्पादन कर सकें। एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, कर्मचारी विकास के मूल सिद्धांतों के प्रति संवेदनशील है और ज्ञान प्राप्ति के पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी ऊपर उल्लिखित विचारधारा को अपना मार्गदर्शी सिद्धांत बनाकर, एनसीआरटीसी ने कर्मचारी अनुभव, सहकार्यता की संस्कृति के निर्माण एवं प्रमुख कौशलों एवं दक्षताओं के अवसर प्रदान करके प्रशिक्षण एवं विकास की अवधारणा की है।
- कोविड की स्थिति के बावजूद भी समीक्षाधीन वर्ष एनसीआरटीसी में कर्मचारी ज्ञान, प्रशिक्षण और संगठनात्मक विकास गतिविधियों के संदर्भ में एक व्यस्त वर्ष था। जहां एक ओर कोविड से पूरे देश में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुए थे, दैनिक जीवन और कार्यालय के सामान्य कामकाज प्रभावित हुए थे वहीं एनसीआरटीसी ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए ज्ञान की निरंतरता को जारी रखा था। स्थिति सामान्य होने के पश्चात वैयक्तिक कार्यक्रम फिर से बहाल कर दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल प्रशिक्षण श्रम–दिवस 2686 थे। आयोजित किए गए कुल प्रशिक्षणों में से, 75.9% प्रशिक्षण तकनीकी डोमेन में थे, 16.7% व्यवहार संबंधी पहलुओं पर केंद्रित थे, और 7.4% प्रवेश पाठ्यक्रम थे। प्रशिक्षण की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, कर्मचारियों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम और ऑन–बोर्डिंग पहल पर विशेष ध्यान दिया गया था। वर्ष में कुल 4 प्रवेश पाठ्यक्रम कार्यक्रम आयोजित करके 100 नए कर्मचारियों का स्वागत किया गया था। बाह्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अलावा, एनसीआरटीसी के भीतर क्षमता निर्माण के लिए आंतरिक संकाय द्वारा ज्ञान अंतरण सत्र आयोजित करने के प्रयास किए गए थे। टीमों के मध्य परस्पर सहकार्यता को बढ़ावा देने के लिए ''समूह कार्य एवं सहकार्यता'' पर ध्यान केन्द्रित अनेक आउटबाउंड प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए थे। उपरोक्त मध्यवर्तनों से क्रियाकलापों और परियोजना कार्यालयों में कर्मचारियों में समर्थन एवं प्रतिभागिता का भाव स्पष्ट प्रकट हुआ था।
- संगठनात्मक विकास प्रयासों के अंतर्गत एनसीआरटीसी के मूल्य स्पष्ट उजागर हुए है और मूल्यों के प्रति कर्मचारी जागरूकता की उत्पति के लिए अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। एनसीआरटीसी के जो प्रमुख मूल्य उजागर हुए हैं वे 'सत्यनिष्ठा',

'सहकार्यता', 'स्वामित्व', 'ग्राहक केन्द्रण' और 'सतत ज्ञान प्राप्ति' हैं। कार्यशालाओं के आयोजन के साथ साथ मूल्यों के संबंध में स्लोगन लेखन, पोस्टर निर्माण इत्यादि के अभियान भी एनसीआरटीसी के मूल्यों के प्रसार के लिए आयोजित किए गए हैं। ऐसे अभियानों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभागिता देखने में आई है, तथा व्यापक प्रसार के लिए कार्यालय परिसर डिस्प्ले स्क्रीन पर मूल्य संवर्धन के पोस्टरों के डिजिटल संस्करण प्रदर्शित किए गए थे।

- वर्ष के दौरान साइकोमेट्रिक मूल्यांकन की सम्बद्धता व्यक्तित्व मूल्यांकन एवं विकास के उपकरण के रूप में एक प्रायोगिक परियोजना भी प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के प्रतिभागी विकास योजना के मध्य व्याप्त अंतर की पूर्ति के साथ साथ साइकोमेट्रिक मूल्यांकन के लैंस से अपनी शक्तियों एवं अवसरों के क्षेत्रों का बोध कर पाए थे।

छ. कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(i) के उपबंधों के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। निदेशक (वित्त) आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी हैं। अन्य सदस्यों में एनजीओ से एक महिला सदस्य तथा एनसीआरटीसी से 2 कर्मचारी (1 महिला एवं 1 पुरूष) इसके सदस्य हैं। आंतरिक शिकायत समिति के सम्मुख लैंगिक उत्पीड़न का कोई मामला प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा वर्तमान तिथि के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के सम्मुख कोई मामला लंबित नहीं है।

12. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

एनसीआरटीसी, सम्पूर्ण संगठन के अपने सभी क्रियाकलापों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता से हमारे अपने कर्मचारियों के साथ परियोजना के लिए कार्य कर रहे सभी कामगार भी सम्बद्ध हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य के घटकों के संबंध में, परियोजना स्थल (स्थलों) पर लागू/सुनिश्चित किए गए अनेक प्रमुख पहल/उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

क) एनसीआरटीसी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किए हैं जिनका कार्यान्वयन ठेकेदार को परियोजना का निष्पादन करते समय करना होता है। एनसीआरटीसी यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ठेकेदार के पास अपने संबंधित पैकेजों के लिए आईएसओ प्रमाणन होना चाहिए और उसके अनुपालन में, सभी ठेकेदारों का प्रमाणन आईएसओ 45001 के साथ होना चाहिए। हाल ही में फिनिशिंग एवं सिस्टम ठेकेदारों से प्राप्त की गई सेवाओं के लिए प्रणामन की यह प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी।

ख) एनसीआरटीसी ने 04 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 04 से 10 मार्च 2022 के दौरान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया था जिसमें व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शपथ ग्रहण करने, सुरक्षा स्लोगन प्रतियोगिता, सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं, इंटर सीपीएम पावर प्वाइंट प्रस्तुति जैसी सुरक्षा जागरूकता से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गईं थी। एनसीआरटीसी के साथ साथ स्थल कर्मियों के मध्य जन जागरूकता की उत्पति के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रचार गतिविधियां भी आयोजित की गई थी।

ग) एनसीआरटीसी ने परियोजना स्थलों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित डेटा की प्राप्ति एवं ट्रैकिंग के लिए इन–हाउस स्पीड पोर्टल पर एक वेब प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है।

घ) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के घटकों के संबंध में अनवरत ज्ञान प्राप्ति और कौशल विकास के सुनिश्चय के लिए स्थल (स्थलों) पर कर्मियों को साप्ताहिक आधार पर प्रभावी और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ङ) इसके अलावा, सड़कों के निकट स्थलों पर कार्य किए जाने के दौरान सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक है। सड़क यात्रियों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी काम करने वाले कर्मियों की। एनसीआरटीसी द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए परियोजना स्थल (स्थलों) पर उपयोग में लाए जा रहे कुछ प्रमुख उपायों में प्रभाव संरक्षण वाहन, डमी की भूमिका निभाने वाले पुतले, कंक्रीट क्रैश बैरियर, रेट्रो रिफ्लेक्टिंग प्लास्टिक ड्रम/कॉन्स, रोप लाइट, ब्लिंकर्स, फोकस लाइट, फ्लड लाइट, चमकने वाले डाइवर्जन संकेत, रब्बल स्ट्रिप्स (फिक्स किए गए एवं अस्थाई दोनों)/सौर स्ट्डस जैसे वाहनों की गति कम करने करने वाले उपाय शामिल हैं।

च) एनसीआरटीसी व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों एवं नवोपायों का संज्ञान करने एवं अंगीकार करने के निरंतर प्रयास कर रहा है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना का सन्दर्भ लेते हुए कंपनी (प्रबंधक कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा अपने स्वयं एवं अपनी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित विवरण।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसके विचार से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) एवं सम्बद्ध नियमावली के प्रावधान लागू नहीं हैं।

15. सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार

सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के विवरणों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए फार्म एओसी–2 में अपेक्षित प्रकटीकरण **अनुलग्नक–I** में प्रस्तुत है।

16. ऋणों, गारंटियों एवं निवेशों के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई ऋण, गारंटियां अथवा निवेश नहीं किए गए हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हों। तथापि, पिछले वर्ष (यथा 2020–21) में आपकी कंपनी ने एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (एनसीआरटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में एक करोड़ रुपए का निवेश किया था।

17. अधीनस्थ ऋण

भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए ₹ 39,70,00.00 लाख का अप्रतिभूत ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण 31 मार्च 2022 तक प्राप्त हुआ है।

18. सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के अंत एवं इस रिपोर्ट की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं।

19. लागत रिकार्ड का अनुरक्षण

केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत की गई निर्दिष्टि के अनुसार कंपनी से लागत रिकार्डों का अनुरक्षण किए जाने की अपेक्षा नहीं है।

20. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मैसर्स एन.के.एस चौहान एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। सांविधिक लेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों (एकल एवं समेकित) से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं दी है।

21. वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए उक्त एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए.जी) की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उनके संबंध में प्रबंधन के उत्तर, यदि कोई हों, को अलग से इसमें परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।

22. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स मनोज पूर्बे एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव की सेवाएं प्राप्त की हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–II** में प्रस्तुत है ।

कंपनी के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सदस्यों के विचारार्थ एवं सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट का अंग है। रिपोर्ट और इसकी सामग्री स्व–व्याख्यात्मक है और इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी अर्हता/प्रेक्षण नहीं है तथा इस विचार से, प्रबंधन द्वारा इनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

23. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुसरण करते हुए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति और निदेशक मंडल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल के 2% औसत यथा ₹ 58.71 लाख की राशि का सीएसआर बजट निर्धारित किया गया है जो मार्च, 2024 तक सम्पन्न किए जाने वाले 'आधुनिक कृषि व्यवहारों में कौशल विकासध्प्रशिक्षण कार्यक्रम' के जारी कार्यक्रम के लिए है। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 26.04.2022 को एक अलग बैंक खाते में व्यय न की गई ₹ 58.71 की राशि जमा की है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 में किए गए निर्धारण के अंतर्गत इससे संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट में **अनुबंध–III** में प्रस्तुत किए गए हैं।

24. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा अनुसंधान और विकास पर व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित सूचना निम्नलिखित हैः–

क. ऊर्जा संरक्षणः

क) किए गए उपाय अथवा ऊर्जा संरक्षण का प्रभावः

आपकी कंपनी ने ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के सुनिश्चय के उद्देश्य से विभिन्न प्रणालियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करने के साथ डिजाइन चरण में ही विभिन्न संरक्षण उपायों का समावेश किया करके किया है। तदनुसार, ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिक्स्चर्स, एयर कंडीशनिंग की आउटडोर और इनडोर यूनिटों को विभिन्न स्थानों यथा स्टेशनों, यार्डों, रिसीविंग सबस्टेशन, सहायक सबस्टेशन, डिपो आदि पर व्यवस्थापन किया जाता है। ऊर्जा की बचत के लिए रोलिंग स्टॉक, एस्केलेटरों और लिफ्टों को पुनर्निवेशी ब्रेकिंग सुविधा से सुसज्जित किया जा रहा है।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए किए गए उपायः

i. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर में इन–हाउस सौर प्रणाली की स्थापनाः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा आरआरटीएस/एमआरटीएस स्टेशनों, डिपो एवं अन्य पूरक भवनों की छतों के विशालतम क्षेत्र को ध्यान में रखकर छत पर स्थापित किए जाने वाले लगभग 11 MWp वाले सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 3.7 MWp के लिए पीपीए का निष्पादन दिनांक 01.02.2022 को कर लिया गया है। 11 MWp के सौर संयंत्र से प्रतिवर्ष 10 मिलियन यूनिट की सौर ऊर्जा की उत्पति होगी जिससे CO_2 उत्सर्जन स्तर में प्रतिवर्ष लगभग 9,250 टन की कमी आएगी।

ii. मिश्रित अक्षय ऊर्जा का प्रापण: आपकी कंपनी मिश्रित अक्षय ऊर्जा की 200 मिलियन यूनिट के क्रय की योजना बना रही है। इससे CO_2 के उत्सर्जन में लगभग 185,000 टन की वार्षिक कमी लाई जा सकेगी। दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ दिनांक 15 जून, 2021 को मिश्रित अक्षय ऊर्जा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरण में पूंजी निवेष:

कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं किया गया है।

घ) प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवोपाय:

i. आपकी कंपनी असंतुलित बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए गैस इंसुलेटेडस्विचगियर (जीआईएस), रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम (आरओसीएस), स्प्रिंग टाइप ऑटो टेंशनिंग डिवाइस (एटीडी), मॉड्यूलर कैंटिलीवर असेंबली, एक्टिव पावर फिल्टर तथा यात्रियों की सुविधा के लिए विंड स्पीड सेंसरों, भूकंप सेंसरों, शीतल संयंत्र प्रबंधन के प्रावधान करने, रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली इत्यादि जैसी उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है।

ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन परिवहन निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मार्ट शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं जलवायु परिवर्तन को लोचक बनाने में सक्षम प्रौद्योगिकी मध्यवर्तन का अंवेषण के लिए एडीबी से अनुदान की प्राप्ति हुई है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने भवन सूचना प्रबंधन प्रयोगशाला के विकास से संबंधित परियोजनाएं प्रारंभ की हैं जो परियोजना का बेहतर खाका और योजना निर्माण, सिस्टम में दोष के संभावित स्थलों की पहचान के लिए वितरित ध्वनिक सेंसिंग सिस्टम के कार्यान्वयन और वायाडक्ट के निष्पादन के मूल्यांकन के संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के लिए सहायक हैं। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, आपकी कंपनी ने डिपो में सोलर डेलाइट ट्यूबों का कार्यान्वयन किया है तथा कम्प्यूटर सुरक्षा में सुधार के लिए सम्पर्क मुक्त यात्री फ्रिस्किंग से संबंधित समाधान ज्ञात किए जा रहे हैं।

iii. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर की प्रक्रियाएं भवन सूचना मॉडलिंग (बीआईएम) के अनुसार की जा रही हैं, जिससे समन्वय में लगने वाला समय कम हुआ है तथा बेहतर इंटरफेस और विजुअलाइजेशन के माध्यम से ड्राइंग की गुणवत्ता में सुधार आया है। बेहतर समन्वित डिजाइन से स्थल पर कार्यों का दोहराव समाप्त हो जाता है जिससे अप्रत्यक्ष बचत होती है। बीआईएम की सभी प्रस्तुतियां कॉमन डेटा एनवायरनमेंट (सीडीई) प्लेटफॉर्म पर की जाती हैं जो एक पेपरलेस प्रक्रिया है तथा इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है।

iv. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर की सभी परिसम्पतियां बीआईएम मॉडल पर हैं पूर्णतरू समन्वित ड्राइंगों की बीआईएम मॉडल से की गई प्राप्ति उपलब्ध हैं। निर्माण कार्य इन्हीं ड्राइंगों के आधार पर की जा रही है। बीआईएम मॉडल में अब अपेक्षित अतिरिक्त डेटा की पूर्ति संबंधित ठेकेदारों द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए की जा रही है। इन मॉडलों का ओ एंड एम के लिए हैंडओवर परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत करके किया जाएगा।

ङ) आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 5 वर्षो के दौरान आयातित) के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना:

- देश में पहली बार 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड बालास्ट मुक्त ट्रैक निर्मित किया जा रहा है। उच्चतर गति वाले बालास्ट मुक्त ट्रैक की स्थापना का सफल अनुभव न तो भारतीय रेलवे और न ही मेट्रो को ही प्राप्त है। आपकी कंपनी ने आरआरटीएस के लिए "**ऑस्ट्रियन स्लैब ट्रैक सिस्टम**" का निर्धारण किया है, जो उच्च प्रीकास्टिड घटकों के साथ उच्च गति पर इसकी प्रमाणिकता पर आधारित है।

क.	आयातित प्रौद्योगिकी	एक(01)
ख.	आयात का वर्ष	2020
ग.	क्या प्रौद्योगिकी का पूर्ण आमेलन किया गया है	प्रक्रियाधीन
घ.	यदि पूर्ण आमेलन नहीं किया है तो उन क्षेत्रों का उल्लेख तथा ऐसा न किए जाने के कारण तथा भावी कार्रवाई योजना के बारे में बताएं जहां ऐसा नहीं किया गया।	ट्रैक कार्य प्रगति पर है

च) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स (पीएसडी) से यात्रियों का प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर दुर्घटनावश गिरने से बचाव होता है। आरआरटीएस और मेट्रो की गाड़ियां कम समय अंतराल के साथ चलती हैं और इस गिरने से लोगों की जान जाती है। पीएसडी से ऐसी घटनाओं की रोकथाम करके सुरक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में पीएसडी का आयात विदेशी पार्टियों, मुख्यतः चीन, से हो रहा है।

एनसीआरटीसी द्वारा पीएसडी का स्वदेशीकरण करके 'मेक इन इंडिया' मिशन में योगदान की दिशा सक्रिय रूप से किया गया प्रथम प्रयास।

एनसीआरटीसी के इंजीनियरों को पीएसडी का व्यापक अनुभव प्राप्त है तथा इस प्रकार एनसीआरटीसी ने स्थानीय स्तर पर पीएसडी का विकास करने के लिए भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीईएल) के साथ गठबंधन किया है। एनसीआरटीसी ने पीएसडी के प्रोटोटाइप के विकास के लिए लगभग ₹ 65.02 लाख खर्च का व्यय किया है। पीएसडी का प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और बीईएल, पंचकूला में 10 मिलियन परिचालनों का उपयोज्यता काल परीक्षण क्रम पूरा हो गया है। नवंबर 2021 में स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकक से प्रोटोटाइप का सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित पीएसडी का प्रतिस्थापन प्राथमिकता प्राप्त कॉरीडोर के एक पूर्ण निर्मित प्लेटफार्म पर किया जाएगा।

25. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

विदेशी मुद्रा आय/व्यय	राशि ₹ लाख में	
	2022 को समाप्त वर्ष के लिए	2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ (निवल)	2,83.18	शून्य
निम्नलिखित पर व्यय		
परामर्श शुल्क	38,07.70	24,82.64
कार्य	5,20,51.57	2,47,35.29
अन्य	–	79.88
विनिमय उतार–चढ़ाव हानि	–	3,24.63
योग व्यय	**5,58,59.27**	**2,76,22.44**

26. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन एनसीआरटीसी में नीति निर्माण और निर्णय निर्धारण एक अभिन्न अंग है। आपकी कंपनी परियोजना (परियोजनाओं) के कार्यान्वयन से सम्बद्ध जोखिमों/चुनौतियों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रही है और इन जोखिमों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करने और उन्हें न्यून करने के लिए संगठन में विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अंगीकार किया गया है। जोखिम प्रबंधन के लिए संरचनात्मक और अनुशासित अभिमुखता के लिए, एक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) की रूपरेखा विकसित की गई है तथा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ईआरएम की रूपरेखा में कंपनी जोखिमों को संज्ञान में लेने, विश्लेषण करने, कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन करने, निगरानी करने, समीक्षा करने, जोखिमों को समाप्त करने तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किए जाने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। ईआरएम की रूपरेखा का विकास आईएसओ 31000 – (जोखिम प्रबंधन सिद्धांत और दिशानिर्देश) की अपेक्षाओं और ट्रेडवे कमीशन (सीओएसओ) के प्रायोजक संगठनों की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया है। यह सभी स्टेकधारकों के लिए लागू है और इसमें उनके ज्ञान और विचारों का सहभाजन करने की व्यवस्था है और इससे आपकी कंपनी की निर्णय निर्धारण प्रक्रिया की गुणवत्ता में और सुधार आएगा। आपकी कंपनी ने नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार विभिन्न स्तर पर जोखिमों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को संज्ञान में लेने और क्षीण करने के लिए संगठन में जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों को अंगीकार किया है:

i) **विभिन्न प्राधिकरणों से प्रारंभिक अनुमोदन:** विभिन्न प्राधिकरणों/विभागों को परियोजना के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया गया था और वास्तविक निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले उनकी स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त की गई थी।

ii) एनसीआरटीसी ने सक्रिय अभिमुखता के साथ आरआरटीएस के लिए सुरक्षा प्रमाणन और तकनीकी क्लीयरेंस की प्राप्ति के लिए मसौदा प्रक्रिया तैयार करके रेल मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया है।

iii) इसे विचार में लेते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरीकरण एवं विकास के कार्य राजमार्गों के साथ किए जा रहे हैं, कार्य कौशल एवं मितव्ययता के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने और साथ निजी भूमि की अपेक्षाओं को न्यून करने, जिससे भूमि अधिग्रहण से संबंधित जोखिम एवं अनिश्चितताएं कम होती हैं, के लिए राजमार्गो एवं इसके निकट के क्षेत्र में आरआरटीएस के संरेखण आरओडब्ल्यू के दायरे में लाए गए हैं।

iv) एनसीआरटीसी ने प्रापण रणनीति का विकास किया है। इस रणनीति में, परियोजना को सिविल, प्रणाली और फिनिशिंग कार्यों सहित विभिन्न पैकेजों में विभाजित किया गया है। परियोजना के संपादन में होने वाली देरी से बचने के लिए रोलिंग स्टॉक, सिविल संरचनाएं, ट्रैक सिग्नलिंग एवं दूरसंचार इत्यादि जैसे विभिन्न पैकेजों का योजनाबद्ध स्वरूप में निर्धारण किया गया है।

27. निदेशकों की उत्तरदेयता अभिव्यक्ति

आपका निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसरण में:

(क) यदि वार्षिक विवरणों में कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है तो वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा कोई सामग्रीगत विचलन नहीं हुआ है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और अवधि से संबंधित कंपनी के लाभ और हानि की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा और जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव करने एवं उन्हें ज्ञात करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की है;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार के सुनिश्चय के लिए किया है; तथा

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां विकसित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्यशील थीं।

28. निदेशक मंडल और इसकी बैठकें

28.1 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल निम्नानुसार था:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष	29.12.2021
2.	श्री कामरान रिज़वी	भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नामित	28.01.2020
3.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा नामित	07.05.2019
4.	श्री ओ.पी. सिंह	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	27.09.2021
5.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित	20.09.2019
6.	श्री आशीष कुंद्रा	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा नामित	17.08.2021
7.	श्री टी. रविकांत	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	04.02.2022
8.	श्री देवेंद्र सिंह	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	30.11.2021
9.	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक	04.08.2016
10.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक/परियोजनाए	15.07.2019
11.	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/ई एंड आरएस	15.07.2019
12.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं परिचालन	15.07.2019
13.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	20.09.2019

28.2 आम सभा की तिथि से अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में की गई थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष	29.12.2021
2.	श्री आशीष कुंद्रा	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा नामित	17.08.2021
3.	श्री ओ.पी. सिंह	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	27.09.2021
4.	श्री देवेंद्र सिंह	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	30.11.2021
5.	श्री टी. रविकांत	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	04.02.2022
6.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित	01.05.2022
7.	श्रीमति वीनू गुप्ता	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	06.05.2022
8.	श्री बृजेश कुमार	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	08.06.2022

28.3 वर्ष के दौरान/पिछले वार्षिक आम सभा की तिथि से निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक नहीं हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्री दुर्गा शंकर मिश्र	अध्यक्ष	11.03.2015	29.12.2021
2.	श्री संजय रस्तोगी	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	28.10.2020	30.06.2021
3.	श्री अपूर्व कुमार सिंह	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	09.08.2018	30.11.2021
4.	श्री आशुतोष ए.टी. पेडनेकर	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	16.02.2021	03.02.2022
5.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित	20.09.2019	01.05.2022
6.	श्री टी. रविकांत	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	04.02.2022	06.05.2022
7.	श्री ओ.पी. सिंह	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	27.09.2021	31.05.2022

28.4 स्वतंत्र निदेशक

आपका निदेशक मंडल आगे यह पुष्टि करता है कि दिनांक 5 जुलाई 2017 की कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) संशोधन नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अपेक्षा नहीं है।

28.5 निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपके निदेशक मंडल की चार (04) बैठकें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

27वीं	28वीं	29वीं	30वीं
01.07.2021	11.10.2021	07.12.2021	28.03.2022

29. निदेशक मंडल की समितियां

कंपनी में अनेक समितियां स्थापित हैं जिनकी स्थापना उत्तम कॉर्पोरेट शासन व्यवहारों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के सम्बद्ध प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुपालन में की गई है।

कंपनी में निदेशक मंडल स्तर की निम्नलिखित तीन (03) समितियां हैं:

क) लेखा परीक्षा समिति

ख) निवेश समिति

ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

उपरोक्त समितियों के गठन, बैठकें और उपस्थिति का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट' में दिया गया है।

30. विनियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्रीगत आदेश

प्राधिकरणों द्वारा ऐसे कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो भविष्य में कंपनी की गोइंग कंसर्न स्थिति और कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करते हों।

31. कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

आपकी कंपनी प्रत्येक स्तर पर अपने स्टेकधारकों के हितों के संरक्षण के लिए पारदर्शित एवं उत्तरदेयता के सुनिश्चय के लिए कॉर्पोरेट शासन मानकों का अनुरक्षण करने के प्रति प्रतिबद्ध है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट शासन की **अनुलग्नक–IV** में प्रस्तुत रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

32. फॉर्म संख्या एमजीटी 9 वार्षिक विवरण का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) के साथ पठित धारा 134(3)(ए) के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरण https://www-ncrtc-in/reports/ पर उपलब्ध हैं।

33. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई है।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कार्रवाई के लिए कंपनी में एक परिभाषित तंत्रव्यवस्था स्थापित है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए विभाग प्रमुख स्तर के अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), विभाग के उप प्रमुख स्तर के अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके उत्तर देकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख 12 अपील प्रस्तुत की गई थी जिनका निपटान निर्धारित समय काल में कर दिया गया था।

34. कंपनी निम्नानुसार यह पुष्टि करती है कि:–

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार कोई भी निदेशक नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ख) कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओपी के साथ कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक और सचिवीय लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

घ) निदेशक के किसी भी संबंधी को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।

ङ) कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल कोई जमा नहीं हैं।

च) व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

छ) कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार किया गया है तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ये वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

ज) कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

झ) कंपनी ने आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक यथा एसएस–1 और एसएस–2 का क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकें' और 'आम सभा' के संबंध में विधिवत पालन किया गया है।

ञ) स्वतंत्र लेखा परीक्षक की एकल और समेकित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट के अनुसार धारा 143(12) के अंतर्गत जालसाजी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हो।

ट) कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(xi) के अंतर्गत प्रकटीकरण: वर्ष के दौरान दिवालियापन एवं ऋणशोधन संहिता 2016 के अंतर्गत कोई आवेदन अथवा कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। इसके अलावा, एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य के अंतर का विवरण लागू नहीं होता है।

ठ) कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(xii) के अंतर्गत प्रकटीकरण: बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया गया है।

ड) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के शेयरधारकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप कंपनी के संगम ज्ञापन (एमओए) और कंपनी के संगम अनुच्छेद (एओए) में संशोधन अनुमोदित किए गए हैं।

35. शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी के वित्तीय विवरण और संबंधित विस्तृत सूचना कंपनी के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है। कोई भी शेयरधारक किसी भी समय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में व्यावसायिक घंटों के दौरान संबंधित जांच कर सकता है।

36. कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(q) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित सूचना

आपकी कंपनी में कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्रव्यवस्था और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित है। आंतरिक लेखा परीक्षक अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

37. राजभाषा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा राजभाषा (ओएल) नीति, इससे संबंधित नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और रोजमर्रा के कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करते हैं। इन बैठकों में कंपनी के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

क) कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा के प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक माह हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष के दौरान आयोजित इन कार्यशालाओं में लगभग 110 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ख) कंपनी के नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रवेश कार्यक्रमों में राजभाषा नीति और नियमों/विनियमों और राजभाषा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी।

ग) वर्ष के दौरान ₹ 66,250 मूल्य की हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं हैं, जिनका वितरण वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/कार्यक्रमों में पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया है।

घ) वर्ष के दौरान कंपनी के 10 कर्मियों को ऑनलाइन हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था।

ङ) कंपनी में 14 सितंबर 2021 से 28 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। 14 सितंबर 2021 को हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन के अवसर पर प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यालय के कामकाज में हिंदी का उपयोग करने की अपील की गई थी। इस दौरान कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी, निबंध और हिंदी अनुवाद आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की थी। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री डा. सुनील जोगी, श्री राजेश जैन चेतन, श्री गौरव सिंह चौहान, श्री सुदीप सोनी (भोला) एवं सुश्री मोनिका देहलवी ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की थीं।

च) हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान, "प्रबंध निदेशक प्रोत्साहन योजना" कंपनी में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत निगम के वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच कर्मियों को प्रबंध निदेशक द्वारा ₹10,000 का नकद पुरस्कार दिया गया था।

छ) परियोजना कार्यालयों में हिंदी के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन और प्रत्येक तिमाही में बैठकें आयोजित करना, नोडल अधिकारियों का नामांकन और प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है।

ज) वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 05.07.2021 को मुख्य परियोजना प्रबंधक, गुरुग्राम के कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। संसदीय समिति कार्यालय से प्राप्त आश्वासनों पर कार्यान्वयन कर लिया गया है तथा कार्यान्वयन रिपोर्ट निर्धारित समय में संसदीय समिति/आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दी गई है।

झ) दिनांक 21 फरवरी 2022 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम), दिल्ली के कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। समिति ने मुख्य परियोजना प्रबंधक,

दिल्ली के कार्यालय द्वारा किए गए राजभाषा कार्य के प्रति संतुष्टि व्यक्त की थी।

ञ) दिनांक 14.03.2022 मानव संसाधन संभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के अंत में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रत्येक 5 विजेताओं को ₹ 500/– मूल्य की हिंदी पुस्तकों प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई थी।

38. सतर्कता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम का सतर्कता कक्ष पारदर्शिता की स्थापना के लिए वैयक्तिक प्रधान मूल्यों समर्थक है एवं यह आर्थिक एवं कार्य कौशल के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी में सहायता प्रदान करता है। सतर्कता कक्ष का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं थी। एनसीआरटीसी में दिनांक 26/10/2021 से 01/11/2021 के दौरान आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम था स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

- दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ प्रबंध निदेशक द्वारा एनसीआरटीसी टीम के सदस्यों के साथ ग्रहण की गई सत्यनिष्ठा शपथ के साथ हुआ था।

- सप्ताह के दौरान जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रमों में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों में मुख्य तकनीकी परीक्षक/मुख्य सतर्कता अधिकारी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी उल्लेखनीय हैं। अतिथियों ने न केवल अपनी अंतर्दृष्टि और ज्ञान का सहभाजन किया अपितु उन्होंने ऐसी परियोजनाओं के अपने पूर्व अनुभव से सीखने के लिए आरआरटीएस जैसी मेगा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न सतर्कता पहलुओं पर मुक्त चर्चा भी की।

- जागरूकता सप्ताह की थीम के आधार पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर प्रतिभागिता की थी। विजेताओं को सम्मानित करते हुए उचित पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

- संस्कृति निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत एनसीआरटीसी में शामिल होने वाली नई टीम के सदस्यों के प्रवेश कार्यक्रम में सतर्कता जागरूकता का एक मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है।

39. स्वच्छ भारत अभियान

कंपनी ने वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2021 में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालयों में 'स्वच्छता अभियान' आयोजित किए थे। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक अभियान भी आयोजित करके कार्यालय परिसर और घरों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता का प्रसार करके आस–पास के क्षेत्रों में स्वच्छता के संदेश के प्रसार में सहायता प्रदान की थी। कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालयों में भी जरूरतमंदों को हैंडवाश, दस्ताने, फेस मास्क और डस्टर आदि से युक्त 'स्वच्छता' किट का वितरण किया गया था।

40. सूचना प्रौद्योगिकी

i. **कुशल डिलीवरी के लिए प्रक्रियाबद्ध कार्यक्रम मूल्यांकन (स्पीड)** एक आंतरिक रूप से विकसित मिनी–ईआरपी उत्पाद है जो मुख्यतः परियोजना निगरानी और निष्पादन के लिए और अब ईएसएस और एलओए/बिलिंग की प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोग किया रहा है। स्पीड क्लाउड आधारित है और यह पीएचपी, जेएस, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल इत्यादि का उपयोग करता है। स्पीड की क्रियात्मकता में ईएसएस, एलओए/बिलिंग, प्रोकरमेंट, एक्टिविटी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर (डब्ल्यूबीएस), निरीक्षण के लिए सामग्री उत्पति के अनुरोध (एमआरएफआई), क्वालिटी अंडर इंटेलिजेंस कंट्रोल (क्यूयूआईसी) एप्प, कंक्रीट क्यूब टेस्ट, इश्यू रजिस्टर, सामग्री प्राप्ति रजिस्टर, की डेट्स माड्यूल, श्रम स्थिति माड्यूल, मानव संसाधन भर्ती एवं प्रशिक्षण माड्यूल को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

ii. **एक्टिविटी डब्ल्यूबीएस माड्यूल**, एक आंतरिक रूप से विकसित परियोजना एक्टिविटी मैनेजमेंट टूल है जो पैकेज–वार कार्य ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए स्पीड में प्रस्तुत किया गया था। इस माड्यूल के उपयोग से योजना इंजीनियर वायाडक्ट, स्टेशनों, डिपो, सुरंगों की निर्माण गतिविधियों एवं स्थल से हमारे स्टाफ क्वार्टर्स भवन निर्माण की प्रगति की वर्तमान स्थिति के लिए उत्पति एवं अपडेट की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। बियरिंग डिलीवरी जारी सहित विभिन्न कास्टिंग यार्ड क्रियाकलापों को भी एक्टिविटी डब्ल्यूबीएस माड्यूल के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है।

iii. **क्वालिटी अंडर इंटेलिजेंट कंट्रोल (क्यूयूआईसी)**, जिसे क्यूसी एप्प के नाम से भी जाना जाता है, हमारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता टीम द्वारा आंतरिक रूप से संयुक्त विकसित एप्लीकेशन है। इसने निर्माण कार्य की निगरानी की विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन स्थापित हुए हैं। ठेकेदार के प्रतिनिधि क्यूसी एप्प में ही निरीक्षण से संबंधित सभी अनुरोध (आरएफआई) की उत्पति एवं प्रबंधन कर सकते हैं। क्यूसी का उद्देश्य पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन और निर्माण क्रियाकलापों की ट्रेल उत्पन्न करना है। नॉन–कंफोर्मेंस नोटिस (एनसीएन) एवं नॉन–कंफोर्मेंस रिपोर्ट (एनसीआर) की उत्पति भी इससे की जा सकती है जिससे दक्षता में वृद्धि और समय प्रबंधन बेहतर हो सकता है। क्यूसी एप्प में संबंधित प्राधिकारियों की क्वालिटी वॉक रिपोर्टें भी शामिल है तथा यह उन टिप्पणियों का रिकॉर्ड और अनुरक्षण कर सकता है जो क्वालिटी वॉक के दौरान की जाती हैं।

iv. **निरीक्षण के लिए सामग्री अनुरोध (एमआरएफआई)** एक मॉड्यूल है जिसे क्यूसी एप्प के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है, यह एमआरएफआई की उत्पति और निगरानी की विधि में नवोपाय स्थापित हुए हैं। मॉड्यूल के विकास के दौरान की विचार प्रक्रिया क्यूसी एप्प की तरह ही पेपरलेस डाक्यूमेंटेशन की व्यवस्था को बनाए रखना एवं निर्माण क्रियाकलापों की

निगरानी एवं रिकार्डिंग से सम्बद्ध थी। ठेकेदार के प्रतिनिधि भी एमआरएफआई की उत्पति कर सकते हैं तथा एप्लिकेशन में अन्य ऐसे कार्य कर सकते हैं जो एप्प में ही अनुमोदन/अग्रेषण/अस्वीकृति के लिए अपेक्षित हैं।

v. **कंक्रीट क्यूब टेस्ट रिपोर्ट** का उपयोग कंक्रीट की विभिन्न ग्रेड वाली कंक्रीट संपीड़न शक्ति को मॉनीटर करने के लिए किया जाता है। सभी पैकेजों के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर कंक्रीट की संपीड़न शक्ति के प्रत्येक डेटा का भंडारण और प्रबंधन किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए यह तुरंत उपलब्ध है।

vi. **सामग्री प्राप्ति रजिस्टर** का निर्माण ठेकेदार द्वारा प्राप्त जाने वाली आवक सामग्री को मॉनीटर करने और नियंत्रण के लिए किया गया है जिससे परियोजना सामग्री का आवश्यक परीक्षण और काल प्रभावित सामग्रियों का उपयोग प्रतिबंधित हो पाता है और इनका निपटान स्थल से कर दिया जाता है।

vii **क्यूयूआईसी डैशबोर्ड** से उपयोगकर्ता उत्पन्न की जाने वाली आरएफआई,एनसीएन, एनसीआर एवं ओबीसी रिपोर्टों का पैकेज–वार समेकित डेटा देख पाते हैं। इससे इनके निष्पादन एवं इतिहास के बारे में केन्द्रीकृत जानकारी देखी जा सकती है। क्यूयूआईसी डैशबोर्ड में पाइ चार्टों के माध्यम से ग्राफिकल प्रेक्षण के फीचर्स भी उपलब्ध हैं जिनके उपयोग से उपयोक्ता एनसीएन/ओबीएस/सीआरएफआई के परिमाण योग्य डेटा एवं बंद एवं ओपन रिपोर्टों के अनुपात को मॉनीटर एवं प्रेक्षण कर सकता है। उपयोगकर्ता चालू माह एवं समेकित माह–वार डेटा, महत्वपूर्ण मामलों, उत्तम व्यवहारों, प्राप्त अनुभवों, डिजाइन मिक्स, एनसीएन/ओबीएस/सीआरएफआई का कालक्रम विश्लेषण सहित सभी संलग्न फोटोग्राफ एवं दस्तावेजों के साथ प्रेक्षण कर सकता है।

viii. **स्पीड में परियोजना को मॉनीटर करने**, प्रत्येक पैकेज एवं सब–सिस्टम को ड्रिल्ड डाउन करने के लिए एक अत्यधिक इंटरएक्टिव डैशबोर्ड का विकास भी किया गया है। सिविल पैकेज के लिए, डैशबोर्ड स्टेशनवार प्रगति, वित्तीय जानकारी (एस–कर्व) की प्रस्तुति एवं पैकेज स्वामी द्वारा उत्पन्न किए गए मामलों पर भी प्रकाश डालता है। विभिन्न अनुबंध तिथियों से संबंधित सूचना और प्राप्त उपलब्धियां जैसे कि प्रमुख तिथियां, एक्सेस तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियों की मॉनीटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से सरलता से की जा सकती है। डैशबोर्ड मार्ग संरेखण के जीआईएस व्यू और सुरंगों और स्लैब कास्टिंग जैसे विभिन्न तत्वों की चित्र प्रस्तुति भी करता है।

ix. **जीपीएस आधारित उपस्थिति सूचना (गतिएप्प)** यह एनसीआरटीसी के सूचना प्रौद्योगिकी दल ने द्वारा आंतरिक रूप से विकसित लाइट वेट एप्प है। इस एप्प का प्राथमिक उद्देश्य डिवाइस के स्थल और चेहरे की पहचान के आधार पर कर्मचारियों की उपस्थिति को रिकॉर्ड करना है जिसमें फ्लेक्सिबल टाइम अटेंडेंस मार्क कार्यक्षमता और टाइम शीट की उत्पति शामिल है। तथापि, इस एप्प से अब छुट्टी आवेदन, प्रत्येक दिन के समूहों के विवरण तथा शिकायतें दर्ज करने जैसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा रही है। इसके अद्यतन संस्करण में कैफेटेरिया के संबंध में इससे भोजन बुकिंग, भोजन भुगतान, भोजन सूची, ट्रांजक्शन हिस्ट्री जैसी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को भी पूर्ति हो रही है। इस एप्प में पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची भी दी गई है जो आपात्तस्थिति में उपयोगी हो सकती है। इस एप्प का उपयोग न केवल एनसीआरटीसी में ही किया जा रहा है अपितु इसका उपयोग एनसीआरटीसी जीसी एवं एचआरआईडीसी (हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमें कार्पोरेशन लिमिटेड) में एवं डिजीटल कियोस्क डिस्पले, एनसीआरटीसी एवं इसके कार्यों के बारे में इंटरएक्टिव टच–आधारित इंफोग्राफिक के लिए भी किया जा रहा है। इसमें उपयोक्ता के लिए विभिन्न वीडियो, इमेज, एनसीआरटीसी की वेबसाइट एवं ब्राउशर्स का चयन करने की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, उपयोक्ता कियोस्क के माध्यम से स्वयं ही ब्राउशर को ईमेल कर सकते हैं।

41. कॉर्पोरेट संचार/जनसंपक:

(क) आपकी कंपनी नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट www-ncrtc.in और लिंकेडिन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परियोजना, महत्वपूर्ण गतिविधियों, उपलब्धियों, लक्ष्यों आदि से संबंधित जानकारी का प्रसार करती है। कंपनी के सोशल मीडिया पेज क्रमश: https://www-linkedin-com/company/ncrtc/, https://www-youtube-com/ncrtc एवं https://www-instagram-com/ncrtc_official/ एक्सेस के लिए उपलब्ध हैं। लिंकेडिन पर कंपनी के 25,000 से भी अधिक ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

(ख) कंपनी द्वारा प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस नोटों और परस्पर अन्योन्यक्रियाओं के माध्यम से परियोजना से संबंधित प्रमुख जानकारी का सहभाजन मीडिया के साथ निरंतर आधार पर किया जाता है। इस वर्ष, परियोजना की प्रगति, परियोजना के लिए उपयोग में लाई जा रही नई–पुरानी तकनीकों और आरआरटीएस से यात्रियों को प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में शोकास्ट किए गए ओपिनियन पीसेस/साक्षात्कारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में नियमित रूप से कवरेज प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय इंटरनेशनल रेलवे जर्नल, मेट्रो रेल न्यूज, दैनिक जागरण, कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, बिजनेस इंडिया और सीईओ मैगजीन हैं। इसके अलावा, परियोजना को टेलीविजन प्रसारण चौनलों जैसे – डीडी न्यूज और डीडी इंडिया, तथा आकाशवाणी एवं एफएम गोल्ड जैसे रेडियो चौनलों ने कवर किया था।

(ग) आपकी कंपनी के प्रबंधन एवं कर्मचारियों ने काफी बड़े जनसमूह एवं वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित अनेक सेमिनारों एवं सम्मेलनों में प्रतिभागिता की है। इसमें सरकार की 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित 'न्यू अर्बन इंडिया कांफ्रेस–कम–एक्सपो' एवं वाराणसी में आयोजित 'अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन' में की गई प्रतिभागिता शामिल है। माननीय प्रधान मंत्री 'न्यू अर्बन इंडिया' एक्सपो के दौरान एनसीआरटीसी स्टॉल पर आए थे। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह

ने एक्सपो में आयोजित 'इंडियाज मेट्रो रेल सिस्टम @ 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस' पर पैनल चर्चा में वार्ता प्रस्तुत की थी। एनसीआरटीसी के वरिष्ठ नेतृत्व ने 'अर्बन मोबिलिटी इंडिया' (यूएमआई) सम्मेलन, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित डिजीटल पीएसयू शिखर सम्मेलन एवं इकॉनोमिक टाइम्स के डिजीटैक कांक्लेव जैसे अनेक उद्योग प्रमुख सम्मेलनों और सेमिनारों में प्रमुख वक्तव्य प्रस्तुत किए थे एवं पैनल चर्चा में भाग लिया था।

(घ) कंपनी द्वारा दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर के साथ साथ विभिन्न स्थलों पर सामुदायिक संवाद कार्यक्रम (सीआईपी) के आयोजन किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी ने मेरठ, साहिबाबाद एवं मुरादनगर में आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास संरचित सीआईपी और नुक्कड़ नाटकों के आयोजन किए हैं। सीआईपी और नुक्कड़ नाटकों के आयोजनों के दौरान निवासियों, व्यापारियों और व्यावसायिक इकाईयों जैसे स्टेकधारकों को परियोजना की प्रमुख विशेषताओं, इसके लाभों और चल रहे विकास से अवगत कराया गया, और साथ ही उन्हें सुधार के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा, इन कार्यक्रमों का उपयोग कोविड–19 से संबंधित एहतियात का पालन करने, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी विषयों के महत्व के बारे में जानकारी के विस्तार के लिए किया गया था।

(ङ) आपकी कंपनी परियोजना अपडेट्स, उपलब्धियों, उत्तम व्यवहारों एवं वैश्विक विकास से संबंधित आंतरिक संचार एवं सूचना सहभाजन को सुदृढ़ करने के लिए त्रैमासिक न्यूजलैटर 'एनसीआरटीसी कनेक्ट' का प्रकाशन कर रही है। वर्ष 2021–22 में 'एनसीआरटीसी कनेक्ट' न्यूजलेटर के चार संस्करण जारी किए गए थे।

42. कोविड–19 से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य महामारी

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को वर्ष 2021–22 में कोविड–19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलता मिली है। परियोजना की समय सीमा के अनुसार परियोजना के कार्य निर्बाध गति से करने के सुनिश्चय के लिए प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग किया गया था। ''वर्क फ्राम होम'' मॉडल का उपयोग इष्टतम विधि से किया गया था। कार्यालय परिसर और स्थलों को की सफाई नियमित रूप से की गई थी और सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गई थी जिससे कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के लिए एक संरक्षित वातावरण का निर्माण हो पाया था। कर्मचारियों की शारीरिक और भावनात्मक स्वस्थता को कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है। समय–समय पर निवारक उपायों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों से संबंधित परिपत्र जारी किए गए हैं।

(ख) आपकी कंपनी ने परियोजना स्थलों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों और संविदा श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की दिशा में अनेक पहल की हैं। कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम एवं इसके प्रभाव को न्यून करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों के समावेश के साथ मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) स्थापित की गई हैं।

(ग) कंपनी ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंच के लिए 'कोविड आपात प्रतिक्रिया समूह' का गठन किया है, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर, ऑक्सीमीटर, दवाएं, आपात वाहन, अस्पताल में प्रवेश की सुविधा, चिकित्सा परीक्षण आदि के रूप में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई। परामर्श और स्वयं सहायता सेवाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करना था।

(घ) इसके अलावा, आपकी कंपनी ने आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए स्थल पर कोविड–19 टीकाकरण अभियान के आयोजन किया है। टीकाकरण के व्यय का वहन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय परिसर में कर्मचारियों के लिए दैनिक आधार पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई थी। कर्मचारियों को हैंड सैनिटाइजर और फेस मेक प्रदान किए गए थे।

(ङ) कर्मचारियों के कल्याण लिए प्रत्येक प्रकार के एहतियाती उपाय किए गए हैं तथा एलोपैथिक और होम्योपैथी डॉक्टरों की सेवाएं भी कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालयों में साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

43. अभीस्वीकृति

(क) आपका निदेशक मंडल आवासन शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों से मूल्यवान सहयोग, परामर्श एवं सहायता के प्रति आभार की अभिव्यक्ति करता है।

(ख) आपका निदेशक मंडल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, परामर्शदाताओं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, मूल्य संवर्धन सेवा साझेदारों, बैंकों एवं अन्य सभी व्यवसाय सहयोग के प्रति भी प्राप्त प्रोत्साहन एवं उनसे प्राप्त सहायता एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है।

(ग) निदेशक मंडल एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का कंपनी में उनके विश्वास और परियोजना की दीर्घकालिक संवहनीयता के लिए निधियन और वित्त एवं इनपुट प्रदान करने के संबंध में प्राप्त निरंतर समर्थन, उनके योगदान की सराहना एवं धन्यवाद प्रस्तुत करता है।

(घ) आपका निदेशक इस अवसर पर कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग का उल्लेख भी करना चाहता है तथा परियोजना की प्रगति और निष्पादन की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों के योगदान के लिए उनकी सराहना सराहना करता है।

44. अनुलग्नक

विवरण	अनुलग्नक
फॉर्म एओसी–2	I
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	II
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट	III
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	IV
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इंडएएस वित्तीय विवरण (एकल और समेकित)	-
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	-

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता /-

नमिता मेहरोत्रा
निदेशक / वित्त
डीआईएन : 07916304

हस्ता /-

विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः15 जुलाई, 2022

अनुलग्नक-I

फॉर्म नंबर एओसी–2

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ हथियारों के लेन–देन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का ब्योरा, जो आर्मस लेंथ के आधार पर न हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो किसी भी संबंधित पार्टी के साथ नजदीकी आधार पर नहीं है।

2. सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या आर्मस लेंथ के आधार पर लेनदेन का विवरण

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(झ)	(च)
संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**अनुबंध की प्रकृति/ व्यवस्था/लेनदेन**	**संविदा की अवधि/ व्यवस्था/ लेनदेन**	**अनुबंध या व्यवस्था की मुख्य शर्तें या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो**	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तारीखें), यदि कोई**	**अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (₹ में)**
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव योजना और कार्यान्वयन के लिए नेत्रा की भागीदारी	चल रहा लेनदेन	खर्च का मूल्य – ₹19,71,731 (जीएसटी को छोड़कर) शर्तें– वास्तविक लागत और 8% प्रबंधन शुल्क पर दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव की योजना और कार्यान्वयन का समर्थन करना।	NA	शून्य

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक/वित्त
डीआईएन : 07916304

हस्ता/-
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः15 जुलाई, 2022

अनुलग्नक-II

MANOJ PURBEY & ASSOCIATES
Company Secretaries

Address: OFFICE No-3, SECOND FLOOR, B-32
MADHAV COMPLEX, SUBHASH CHOWK
LAXMI NAGAR, DE!Hl-110092
Company Secretaries
E-mail: Purbey31@gmail@com
Phone No: 011-22444014(0), 9350218303

प्रपत्र संख्या MR–3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार,]

प्रति,
सदस्य,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
(सीआईएनः U60200DL2013GOI256716)

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और स्वस्थ कॉर्पोरेट परम्पराओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया था। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन इस प्रकार किया गया था, जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और कंपनी द्वारा प्रस्तुत अन्य अभिलेखों के सत्यापन और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने, हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान, अर्थात् 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (इसके बाद ''लेखा परीक्षा अवधि'' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत नीचे सूचीबद्ध समस्त वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा हम यह भी कहते हैं कि कंपनी के पास उचित मंडल–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है, तथा उनका अनुपालन भी कंपनी ने किया है।

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (अधिनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम–मंडल के प्रतिनिधित्व के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और उप–नियम–लागू नहीं होते जैसा कि मंडल द्वारा दर्शाया गया है।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और अधिनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक – लागू नहीं जैसा कि मंडल ने बताया है।

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित अधिनियम और दिशानिर्देशः– मंडल के प्रतिनिधित्व के अनुसार लागू नहीं है।

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) अधिनियम, 1992

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (पूंजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2009

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) अधिनियम, 2008

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) अधिनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) अधिनियम, 2009

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) अधिनियम, 1998

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 ('सूचीकरण अधिनियम')

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. लागू औद्योगिक और श्रम कानून, मेट्रो रेलवे (कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978, मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002, सामान्य प्रकटीकरण कानून जैसे कि आरटीआई आदि।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन प्रतिनिधित्व के आधार पर, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को मंडल की बैठकों को निर्धारित करने से कम से कम सात दिन पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की गयी थी, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स अग्रिम में भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों में अधिकांश निर्णय बहुमत से किए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या मंडल की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्डेड किया गया है,

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

मनोज पुर्बे एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ता/–
अविनाश कुमार
(पार्टनर)
सदस्यता क्रमांकः 43422
सीपी संख्याः 18318
यूडिनःA043422D000397523

दिनांकः 26 मई, 2022
स्थानः नई दिल्ली

MANOJ PURBEY & ASSOCIATES
Company Secretaries

Address: OFFICE No-3, SECOND FLOOR, B-32
MADHAV COMPLEX, SUBHASH CHOWK
LAXMI NAGAR, DE!Hl-110092
Company Secretaries
E-mail: Purbey31@gmail@com
Phone No: 011-22444014(0), 9350218303

परिशिष्ट 'क'

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

प्रति
सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
(सीआईएनः U60200DL2013GOI256716)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

1. यह कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि वह सचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखे, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणाली पर्याप्त है और उसका संचालन उचित तरीके से हो रहा है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

2. लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर मत व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

3. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

घोषणा

5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

6. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों और कमियों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

मनोज पुर्बे एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ता/–
अविनाश कुमार
(पार्टनर)
सदस्यता क्रमांकः 43422
सीपी संख्याः 18318
यूडिनः A043422D000397523

दिनांकः 26 मई, 2022
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा	1. कार्य किये जाने वाले क्षेत्रों को पहचानना, हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना जो एनसीआरटीसी द्वारा चयनित क्षेत्रों, परियोजनाओं या कार्यक्रमों में परिणाम–उद्देश्य आधारित और प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, जिन्हें एनसीआरटीसी सीएसआर के लिए शुरू करने की योजना बना रहा है। 2. इन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएं। 3. ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की प्रक्रिया पर नजर रखना। 4. उपरोक्त उद्देश्य के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना।
2.	सीएसआर समिति की संरचना:	

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पद और प्रवृत्ति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया
i.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	1	1
ii.	श्री दीपक कुमार, उत्तर प्रदेश के नामित निदेशक	सदस्य	1	1
iii.	श्री ओ पी सिंह, रेल मंत्रालय के नामित निदेशक	सदस्य	1	–

3.	वह सभी वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को प्रकट किया गया है	https://www-ncrtc-in/csr/
4.	कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुपालन में की गयी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें), यदि लागू हो,	लागू नहीं, क्योंकि परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है
5.	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित करने के लिए आवश्यक राशि और कंपनीज (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पों. सिबिलिटी पालिसी) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम 3 के अनुपालन में निर्धारित किए जाने के लिए उपलब्ध राशि का विवरण	लागू नहीं

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से उपलब्ध सेट ऑफ निधि/राशि (रूपए में)	इस वित्तीय वर्ष से उपलब्ध की जाने वाली सेट ऑफ निधि/राशि (रूपए में)
i.	2019–20	–	–
ii.	2020–21	–	–
iii.	2021–22	–	–
	योग	–	–

₹ लाख में

6.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।		2935.20
7.	क)	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	58.71
	ख)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	–
	ग)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो	–
	घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)	58.71

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (लाख में रूपए)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार धारा VII के अंतर्गत किसी विशेष फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
लागू नहीं	58.71	23.04.2022	लागू नहीं	–	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए व्यय की गयी सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की धारा VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (नहीं/हां)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका– प्रत्यक्ष (नहीं/हां)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण राशन संख्या
1.	कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम/बागवानी, आधुनिक कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अन्य समर्थकारी कार्य	पैरा (ii)	हाँ	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	3 साल	58.71	–	58.71	हाँ	–	–

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणः लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की धारा VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (नहीं/हां)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका– प्रत्यक्ष (नहीं/हां)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण राशन संख्या
लागू नहीं												

₹ लाख में

(घ)	प्रशासनिक ओवरहेड में व्यय की गयी राशि।	शून्य
(ई)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।	शून्य
(च)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8b+8c+8d+8e)	शून्य

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विशेष	₹ लाख में
i.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	58.71
ii.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	–
iii.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	–
iv.	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	–
v.	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)&(iv)]	–

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख में रूपए)	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (लाख में रूपए)	धारा 135(6) के अनुसार धारा VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो तो			शेष राशि को वित्तीय वर्षों के सफल समापन में खर्च किया जाना है। (₹ लाख में)
				फंड का नाम	राशि (लाख में रूपए)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2018–19	–	–	–	–	–	
2	2019–20	–	–	–	–	–	
3	2020–21	29.47	13.34*	–	–	–	16.13
	योग	**29.47**	–	–	–	–	**16.13**

*चालू सीएसआर परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते (2020–21) में से ₹13.34 लाख रुपये खर्च किए गए।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण/ जारी।
1	–	कौशल विकास/ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ बागवानी, आधुनिक कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अन्य समर्थकारी कार्य	2020–21	तीन साल (2024 तक)	88.18	13.34	13.34	चल रहे
	योग				**88.18**	**13.34**	**13.34**	

नोट: सीएसआर समिति और निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 'आधुनिक कृषि पद्धतियों में कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम' के चल रहे सीएसआर कार्यक्रम के लिए ₹ 58.71 लाख का खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार, कंपनी ने स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय के

लिए 23.04.2021 को ₹ 58.71 लाख की अव्ययित राशि एक अलग बैंक खाते में जमा कर दी है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में जमा ₹ 29.47 लाख में से 31 मार्च 2022 तक ₹ 13.34 लाख खर्च किए गए हैं। इस प्रकार, स्वीकृत कार्यक्रम के लिए 31.03.2022 तक कुल सीएसआर अव्ययित राशि ₹ 74.84 लाख है।

10.	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्यय की गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (**संपत्ति–अनुसार विवरण**) प्रस्तुत करें ।		
	क)	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	शून्य
	ख)	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि	शून्य
	ग)	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि	शून्य
	घ)	सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करे	शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असफल रही है तो इसका कारण प्रदान करें: कंपनी स्वीकृत चालू परियोजना के लिए धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर राशि खर्च कर रही है।

हस्ता /-

विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

हस्ता /-

अर्चना अग्रवाल
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)
डीआईएन संख्या: 02105906

दिनांक: 15.07.2022
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक-IV

कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित कम्पनी की रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट प्रशासन के तत्वविचार पर कम्पनी की संक्षिप्त अभिव्यक्ति:

अपने विजन स्टेटमेंट के अनुरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (कंपनी) एनसीआर में आर्थिक विकास को सक्षम करने वाले न्यायसंगत, तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल और टिकाऊ गतिशीलता समाधान प्रदान करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रयास कर रहा है। कंपनी अपने प्रशासन को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और नीतियों के एक नैतिक ढांचे का पालन करती है और शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए स्थायी आधार पर हितधारकों के मूल्यों और व्यापार के संचालन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है।

कॉर्पोरेट शासन के उत्तम व्यवहारों से सभी संघटकों में विश्वास एवं भरोसे का वातावरण निर्मित हुआ है। कम्पनी अपने क्रियाकलापों में कम्पनी के विज़न की प्राप्ति के लिए अत्यंत पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा एवं उत्तरदेयता के सुनिश्चय के लिए कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर अडिग रहने के उद्यम कर रही है।

वर्तमान में कम्पनी एक असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी है। कॉर्पोरेट शासन की यह रिपोर्ट कम्पनी के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का आकार:

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम तथा 15 (पंद्रह) से अधिक होनी अपेक्षित नहीं है। ये निदेशक पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक एवं नामित निदेशक हो सकते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(45) की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है तथा यह भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), रेल मंत्रालय (एमओआर) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी), तथा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है।

2.2 निदेशक मंडल की संरचना:

क. कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नानुसार 13 (तेरह) निदेशक हैं:

i. भारत सरकार से 04 (चार) नामित निदेशक तथा भारत सरकार के सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष हैं।

ii. प्रत्येक राज्य सरकार यथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान से एक नामित निदेशक के साथ 04 (चार) नामित निदेशक।

iiii. प्रबंध निदेशक सहित 05 (पांच) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक।

ख. दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष
2.	श्री कामरान रिज़वी	भारत सरकार के नामिति, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
3.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिति
4.	श्री ओ.पी. सिंह	रेल मंत्रालय के नामिति
5.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के नामिति
6.	श्री देवेन्द्र सिंह	हरियाणा सरकार के नामिति
7.	श्री आशिष कुन्द्रा	एन.सी.टी की सरकार दिल्ली के नामिति
8.	श्री टी. रविकांत	राजस्थान सरकार के नामिति
9.	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
10.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक/परियोजना
11.	श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक/ई एवं आरएस
12.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं संचालन
13.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी

2.3 निदेशक मंडल की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल कम्पनी का शीर्ष निकाय है जो कम्पनी के समग्र क्रियाकलापों की देखरेख करता है। निदेशक मंडल की प्रक्रियाओं एवं प्रत्येक सम्बद्ध लागू नियमों एवं विनियमों का अनुसरण किया जाता है। इसकी उत्तरदेयता कम्पनी की संरचना से सम्बद्ध कॉर्पोरेट शासन की आधारभूत विधियों के

अनुपालन, प्रोमोटरों की प्रत्याशाओं की पूर्ति एवं स्टेकधारकों के अधिकारों का सुनिश्चय करना है जिनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति निदेशक मंडल की प्रक्रियाओं से स्पष्ट होती है। निदेशक मंडल को यथोचित एवं सामयिक प्रकटीकरणों के माध्यम से विधिक रूपरेखा, वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यपरकता एवं स्टेकधारकों के दृष्टिकोण से विश्वसनीयता के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए रणनीतिक सूझबूझ का उपयोग करना होता है।

2.4 निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या एवं आयोजन की तिथि:

वर्ष 2021–22 के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल की निम्नानुसार चार बैठकें आयोजित की गई थी:–

27वीं	28वीं	29वीं	30वी
01.07.2021	11.10.2021	07.12.2021	28.03.2022

2.5 निदेशकों के पदनाम, श्रेणी, वर्ष 2021–22 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता की संख्या एवं निदेशक मंडल की बैठक तथा अंतिम आयोजित वार्षिक आम सभा (एजीएम) में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लेने के पात्रता है	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया	29.11.2021 को अंतिम आयोजित वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पद
1	श्री मनोज जोशी, अध्यक्ष, एनसीआरटीसी एवं सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (29.12.2021 से)	भारत सरकार द्वारा नामित	1	1	लागू नहीं	10
2	श्री दुर्गा शंकर मिश्र, अध्यक्ष, एनसीआरटीसी एवं सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (11.03.2015 से 29.12.2021)	भारत सरकार द्वारा नामित	3	3	हां	10
3	श्री कामरान रिज़वी, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार द्वारा नामित	4	4	नहीं	5
4	श्री ओ.पी. सिंह, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सदस्य/भूमि एवं सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (27.09.2021 से)	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	3	2	हां	1
5	श्री संजय रस्तोगी, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सदस्य /कार्य, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (28.10.2020 से 30.06.2021)	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	0	0	लागू नहीं	2
6	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	एनसीआरपीबी से नामित	4	2	हां	1
7	श्री दीपक कुमार, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश (20.09.2019 से 01.05.2022)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित	4	2	नहीं	1
8	श्री आशिष कुन्द्रा, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव सह आयुक्त (परिवहन), एन.सी.टी की सरकार दिल्ली (17.08.2021 से)	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) द्वारा नामित	3	1	नहीं	4
9	श्री टी. रविकांत, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर प्रधान सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान (04.02.2022 से 06.05.2022)	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	1	1	लागू नहीं	3
10	श्री आशुतोष ए.टी. पेड्नेकर, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान (16.02.2021 से 03.02.2022)	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	3	2	नहीं	9
11	श्री देवेन्द्र सिंह, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं क्षेत्र योजना तथा शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा (30.11.2021 से)	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	2	2	लागू नहीं	6

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लेने के पात्रता है	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया	29.11.2021 को अंतिम आयोजित वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पद
12	श्री अपूर्व कुमार सिंह, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं क्षेत्र योजना तथा शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा (09.08.2018 से 30.11.2021)	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	2	2	नहीं	3
13	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक	4	4	हां	3
14	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक / परियोजनाओं	4	4	हां	1
15	श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक / ई एवं आरएस	4	4	हां	2
16	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक / प्रणाली एवं संचालन	4	4	हां	1
17	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक / वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	4	4	हां	1

2.6 निदेशक मंडल की प्रक्रियाएं:

क. निदेशक मंडल / समिति की बैठकों का आयोजन निदेशक मंडल / समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात यथोचित नोटिस देकर किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण मामलों के समर्थित दस्तावेजों और अन्य व्याख्यात्मक वर्णन के साथ कार्यसूची के विस्तृत नोट सदस्यों को अग्रिम तौर पर भेजे जाते हैं। ऐसा करने से बैठकों में सार्थक, सूचित और ध्यान केन्द्रित चर्चा एवं निर्णय निर्धारण सुविधा से हो पाता है।

ख. कार्यसूची प्रपत्र संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए इनकी प्रस्तुति प्रबंध निदेशक को करने से पूर्व संबंधित कार्यात्मक निदेशकों से सहमति प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात, कंपनी सचिव द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यसूची प्रपत्र निदेशक मंडल के सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, निदेशक मंडल के अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची में अतिरिक्त अथवा अनुपूरक मदों पर चर्चा की जाती है।

ग. **प्रबंध निदेशक द्वारा विवरण**

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों को परियोजना की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों / विकास सहित प्रमुख विकास के बारे में जानकारी दी जाती है।

घ **निदेशक मंडल बैठक की कार्रवाई का कार्यवृत्त रिकार्ड करना**

निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार जारी किए जाते है। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त रिकार्ड किए जाते हैं और अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवृत्त पुस्तिका में इनकी प्रविष्टि की जाती है। निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन और हस्ताक्षर के पश्चात बोर्ड के सदस्यों को परिचालित जाता है।

ङ **निदेशक मंडल बैठक के सम्मुख प्रस्तुत सूचना**

निदेशक मंडल को कंपनी की प्रत्येक सूचना तक पूर्ण पहुंच प्राप्त है। मंडल को नियमित रूप से दी जाने वाली सुचनाओं में सम्मिलित हैं:–

i. कंपनी की प्रगति की आवधिक समीक्षा।
ii. वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल रिपोर्ट आदि।
iii. निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
iv. अन्य कंपनियों में निदेशक पद की धारिता और स्थिति के बारे में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण।
v. शक्तियों का प्रत्यायोजन।
vi. सामग्रीगत रूप से महत्वपूर्ण अन्य सूचनाएं।

2.7 मंडल की बैठक का आयोजन होने के बाद की प्रक्रिया

प्राशासन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में कंपनी के कंपनी सचिव विभाग के प्रमुखों को आवश्यक अनुमोदन और अनुमति / प्राधिकरण के साथ मंडल की बैठक के परिणाम

को प्रसार करते हैं और हर बैठक के उपरान्त एक अनुपालन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आवश्यक मंडल/समितियों द्वारा इस प्रकार दिए गए अनुमोदन पर की गई/लंबित कार्यवाहियों हेतु अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्टिंग की जाती है।

2.8 निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक, पूर्ण–कालिक कार्यात्मक निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक विवरण (फॉर्म एमजीटी–7) में दिया गया है।

2.9 सरकार से नामित निदेशकों को सीटिंग शुल्क का भुगतान:

सरकार द्वारा नामित निदेशकों को सीटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3. निदेशक मंडल की समितियां:

कम्पनी में निदेशक मंडल स्तरीय निम्नलिखित तीन (3) समितियां हैं:–

क. लेखापरीक्षा समिति

ख. निवेश समिति

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

4. लेखापरीक्षा समिति

4.1 संदर्भ शर्तों का संक्षेप सार

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें एवं क्रियाकलाप कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं लागू नियमों के अनुसरण हैं।

4.2 संस्थापन, संघटन, सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम

क. कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के अनुसरण में दिनांक 15.09.2015 से अपने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा विद्यमान लेखापरीक्षा समिति में तीन नामित निदेशक हैं। इसका संघटन, कोरम, शक्तियां, भूमिका एवं कार्यक्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में है। कम्पनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की एक (1) बैठक का आयोजन किया गया है।

12वीं–लेखापरीक्षा समिति – 24.06.2021

ख. वित्तीय वर्ष 2021–22 में लेखापरीक्षा के संघटन, बैठकों एवं उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल**, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	1	1
2.	**श्री कामरान रिज़वी**, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य	1	1
3.	**श्री संजय रस्तोगी**, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सदस्य/कार्य, रेल मंत्रालय	सदस्य	1	1

5. निवेश समिति

5.1 संदर्भ शर्तें: निवेश समिति कम्पनी की निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष के निवेश के लिए परीक्षण एवं अनुशंसाए करती है।

5.2 बैठकों की संख्या: वर्ष के दौरान निवेश समिति की आठ (08) बैठकों का आयोजन किया गया है।

19वीं	20वीं	21वीं	22वीं
02.07.2021	11.08.2021	29.09.2021	21.10.2021
23वीं	**24वीं**	**25वीं**	**26वीं**
25.11.2021	30.12.2021	21.02.2022	29.03.2022

5.3 निवेश समिति का संघटन एवं इसके सदस्यों की श्रेणी तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल**, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	सदस्य	8	8
2.	**श्री विनय कुमार सिंह**, प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी	सदस्य	8	8
3.	**श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या**, निदेशक/परियोजना, एनसीआरटीसी	सदस्य	8	8

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

6.1 संदर्भ शर्तें: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संदर्भ शर्तें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में हैं।

6.2 बैठकों की संख्या: वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की एक (01) बैठक आयोजित की गई थी। [(6ठी) दिनांक 28.03.2022] को।

6.3 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का संघठन एवं इसके सदस्यों की श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	सदस्य	1	1
2.	श्री दीपक कुमार, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव – आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश'	सदस्य	1	1
3.	श्री ओ.पी. सिंह, निदेशक, एनसीआरटीसी, एवं अपर सदस्य/ भूमि एवं सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	सदस्य	1	–

7. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एवं एजी) द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु निम्नलिखित चार्टर्ड लेखाकार फर्म की नियुक्ति कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है:–

मैसर्स एन के एस चौहान एंड एसोसिएट्स, फर्म पंजीकरण संख्या 01390एन, चार्टर्ड लेखाकार, नई दिल्ली।

वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान रु.1,50,000/– (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) किया गया है जिसमें कर अतिरिक्त है।

8. आम सभा

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित कम्पनी की आम सभाओं का विवरण निम्नलिखित है:–

वार्षिक आम सभा /असाधारण आम सभा की संख्या	वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थल	पारित विशेष संकल्प
8वीं वार्षिक आम सभा	2020–21	29.11.2021	05:45 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	हां
7वीं वार्षिक आम सभा	2019–20	25.09.2020	4:30 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	हां
6ठी वार्षिक आम सभा	2018–19	20.09.2019	5:00 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	नहीं
असाधारण आम सभा	2021–22	22.12.2021	03:45 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	नहीं

9. प्रकटीकरण:

क. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में लागू नियमों के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण किए गए हैं।

ख. **निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए अभिज्ञता कार्यक्रम:**

नए निदेशकों को कॉर्पोरेट ब्राउशर्स, वार्षिक रिपोर्ट, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद, निदेशकों की सूची एवं कम्पनी के शेयरधारकों की सूची उपलब्ध करवाई जाती है।

ग. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एक सरकारी कम्पनी है तथा यह भारत सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, एनसीआर पी बी) एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। कम्पनी के इक्विटी शेयर हैं तथा इसकी प्राधिकृत एवं चुकता पूंजी की राशि ₹ 100 करोड़ है।

घ. **स्वीट इक्विटी एवं स्टॉक विकल्प:** – कम्पनी ने अपने निदेशकों/कर्मचारियों को कोई भी स्वीट इक्विटी शेयर तथा स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए हैं।

ङ. **संचार का माध्यम:** वार्षिक वित्तीय विवरण, निविदाएं एवं रोज़गार के अवसरों इत्यादि की प्रस्तुति कम्पनी की वेबसाइट पर की जाती है। स्टेकधारकों के साथ कम्पनी का संचार का प्रसारण इलेक्ट्रानिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के उपयोग से कम्पनी के जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से किया जाता है।

कम्पनी के सोशल मीडिया पृष्ठों पर क्रमशः https://www-linkedin-com/company/ncrtc/] https://www-youtube-com/ncrtc] एवं https://www-instagram-com/ncrtc_official/] के माध्यम से पहुंच स्थापित की जा सकती है।

च. कम्पनी की वेबसाइट पर सूचना की प्रस्तुतिः– कम्पनी की वेबसाइट www-ncrtc-in अद्यतन विकास से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के साथ उपयोक्ता–मित्र साइट है।

छ. कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में अन्यों के साथ साथ वित्तीय विवरणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां होती हैं तथा इसे सभी सदस्यों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पात्र व्यक्तियों को वितरित किया जाता है तथा इसकी प्रस्तुति संसद/राज्य सभा के पटलों पर की जाती है।

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता /-	**हस्ता /-**
नमिता मेहरोत्रा	**विनय कुमार सिंह**
निदेशक/वित्त	**प्रबंध निदेशक**
डीआईएन : 07916304	**डीआईएन : 06497700**

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः15 जुलाई, 2022

एनसीआरटीसी के नए कॉर्पोरेट कार्यालय – गतिशक्ति भवन का उद्घाटन

28 मार्च, 2022 को आयोजित एनसीआरटीसी की बोर्ड बैठक की झलक

पहली आरआरटीएस ट्रेनसेट का अनावरण, एनसीआरटीसी को सौंपी गई पहली ट्रेन

दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव के लिए डीबी इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर के प्राथमिक खंड पर निर्माण कार्य में तेजी

दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन में तेजी से हो रहा निर्माण कार्य

एनसीआरटीसी दुहाई डिपो में परीक्षण के दौर से गुजर रहा पहला आरआरटीएस ट्रेनसेट

मेरठ स्थित कारखाने में आरआरटीएस ट्रैक स्लैब की प्री–कास्टिंग

निर्माण के अग्रिम चरण में गुलधर आरआरटीएस स्टेशन

चौबीसों घंटे चल रहा आरआरटीएस निर्माण कार्य

दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर के प्राथमिक खंड पर आरआरटीएस पुल का निर्माण

प्राथमिक अनुभाग पर ओएचई तार की स्ट्रिंग

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
माननीय सदस्यगण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

मत

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ("कम्पनी'') के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र (बैलेंस शीट), इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित) इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सार के साथ साथ स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर ऊपर उल्लिखित स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण, यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (''इंड एएस'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त स्थिति के अनुसार, कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन एवं स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह के विवरण उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में की गई है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (''एसए'') के अनुसरण में लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षक के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों एवं उनसे संबंधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल की गई सूचनाएं आती हैं परन्तु इनमें स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण एवं उनसे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

हमारे मतानुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणों के अंतर्गत अन्य सूचना नहीं आती है तथा उनके संबंध में हम निष्कर्ष रूपी आश्वासन की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से जुड़ा हमारा दायित्व ऊपर विचार में ली गई अन्य सूचना को पढ़ने, जब कभी हमें उपलब्ध हो, तथा ऐसा करते हुए, स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें प्राप्त जानकारियों अथवा अन्यथा रूप में वस्तुगत स्वरूप में गलतबयानी की प्रतीति होने, अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर अन्य सूचना में, हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई वस्तुगत गलतबयानी प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य को रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के निर्माण के संबंध में इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाहों की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करने; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करने; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करने एवं अनुमान लगाने; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार वस्तुगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से डिजाइन करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चय, जिनका उपयोग उपर्युक्तानुसार कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है, करने के उत्तरदायित्व भी शामिल हैं।

यदि प्रबंधन की मंशा अपनी सम्बद्ध इकाईयों का ऋणशोधन करने अथवा अपने परिचालन बन्द करने की नहीं है अथवा ऐसा करने के

अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तो कम्पनी का प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न के आधार पर क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कम्पनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के प्रति भी उत्तरदायी हैं।

इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य अपने मत के साथ स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए इस औचित्यपरक आवश्वासन की प्राप्ति करना है कि क्या ये किसी वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त हैं अथवा नहीं हैं। औचित्यपरक आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा से वस्तुगत गलतबयानी, यदि कोई हों, की सदैव प्राप्ति निश्चित तौर पर होने की गारंटी नहीं होती है । वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी अथवा चूक के कारण, हो सकती है अथवा इसे वस्तुगत तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अथवा समस्त रूप से इन स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में वस्तुगत गलतबयानी के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान करना तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके, अपने मत के आधार के लिए, ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण वस्तुगत गलतबयानी का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी प्रकार की साठ गांठ, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई क्रियाएं, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध वित्तीय नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है अथवा नहीं की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों के औचित्य तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं, जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण बन सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय–सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हम, शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं तथा हमारी लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए हमने हमारे द्वारा समेकित किया गया विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के उपबंधों के अनुसार जारी कम्पनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 (''आदेश'') की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए हमनें आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण अनुलग्नक–क में प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर यह रिपोर्ट करते हैं किः–

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

(क) हमारे मतानुसार, कम्पनी ने विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में की गई हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ख) इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

(ग) हमारे मतानुसार उपरोक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(घ) कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है इसलिए कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ङ) कम्पनी के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का विवरण ''अनुलग्नक–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दिया गया है।

(च) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11के अनुसरण में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः–

- अपने वित्तीय विवरणों में कम्पनी ने लंबित न्यायिक मामलों के प्रभाव का प्रकटीकरण (संदर्भ नोट संख्या 36.2) कर दिया है।
- कम्पनी के डेरियेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।
- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- प्रबंधन ने, अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा यह प्रस्तुति की है किः–

i. कम्पनी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई (मध्यवर्ती संस्थाएं) को ऐसे किसी निर्धारण, जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो, के साथ कि मध्यवर्ती संस्था द्वारा कम्पनी (''परम लाभग्राहियों'') की ओर से किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में परम लाभग्राहियों की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियां (जो वैयक्तिक अथवा सकल रूप में वस्तुगत हों) जारी नहीं की गई हैं;

ii. कम्पनी ने किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई (''निधियन पार्टी'') से ऐसे किसी निर्धारण, जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो, के साथ कि कम्पनी द्वारा किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में निधियन पार्टी (''परम लाभग्राहियों'') की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियां (जो वैयक्तिक अथवा सकल रूप में वस्तुगत हों) प्राप्त नहीं की हैं;

iii. परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के उपयोग के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जो हमारी ऐसी किसी मान्यता का कारक बने कि ऊपर (i) एवं (ii) में दिए गए अनुसार नियम 11(ई) के उप–वाक्य (i) एवं (ii) के अंतर्गत की गई प्रस्तुतियों में किसी प्रकार की कोई गलतबयानी की गई है।

- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा अथवा भुगतान नहीं किया है।

(छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कम्पनियों के लिए लागू नहीं है।

3. **कोविड 19 के प्रभाव का मूल्यांकन**

हम नोट संख्या 45 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें वैश्विक महामारी कोविड – 19 से उत्पन्न अनिश्चितता एवं कम्पनी के परिचालनों पर इसके प्रभाव एवं उन परिसम्पतियों की अक्षमता हानि से संबंधित अनुमान लगाने का वर्णन किया गया है जिनका भावी विकास वैश्विक महामारी की भयावहता एवं अवधि पर आश्रित है।

इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

4. अधिनियम की धारा 143(5) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का प्रेक्षण
(1)	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन–देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कम्पनी में सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था स्थापित है। सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से किए जाते हैं तथा लेखों की सत्यता के संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय उलझाव नहीं है।
(2)	क्या कम्पनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण के कम्पनी के किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उससे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है तो ये निदेश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू हैं)	कम्पनी के संबंध में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा से संबंधित कोई मामला नहीं है।
(3)	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य (अनुदान/राजसहायता इत्यादि) निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युतक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	जी, हां। ऐसे सभी संव्यवहारों का उचित स्वरूप में लेखांकन एवं नियम एवं शर्तों के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है।

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANBBSF2595

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष से संबंधित कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा एवं यथोचित विचार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम यह प्रस्तुत करते हैं कि:–

(i)(क) क. कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकार्ड का रख रखाव किया गया है, जिसमें सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

ख. कम्पनी द्वारा अमूर्त परिसम्पतियों के पूर्ण विवरण की प्रस्तुति करने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण किया गया है।

(ख) कंपनी के पास अपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के भौतिक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है जिसके उपयोग से कम्पनी चरणबद्ध स्वरूप में अपने कार्यक्रम के अनुसार सत्यापन करती है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का सत्यापन वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया था। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सत्यापनों से किसी प्रकार की सामग्रीगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

(ग) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा आबंटित भूमि के अलावा, जिनके संबंध में संबंधित सरकार अथवा एजेंसियों द्वारा जारी आबंटन पत्र उपलब्ध है, कम्पनी की अचल सम्पतियों के शीर्ष प्रलेख कम्पनी के नाम पर हैं। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 3(i)(छ) एवं 3(ii) (ज)।

(घ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया है।

(ङ) कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 एवं उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत बेनामी सम्पति के धारण के लिए कोई प्रकियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं अथवा लंबित नहीं हैं।

(ii) (क) कम्पनी के पास कोई मालसूची नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान किसी भी समय कम्पनी के लिए किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा कार्यशील पूंजी की सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों में किसी प्रकार के निवेश नहीं किए गए हैं/किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी गई है अथवा प्रतिभूत अथवा गैर–प्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए गए हैं। तथापि, कम्पनी ने अपने ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत अग्रिम प्रदान किए हैं तथा उनकी वसूली अनुबंधों की शर्तों के अनुसार उनके बिलों में से की जा रही है। तदनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 का उपवाक्य (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

(iv) कंपनी के पास एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, में इक्विटी शेयर के रूप में निवेश के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 में संदर्भित ऐसे कोई ऋण, गारंटियां, प्रतिभूतियां अथवा निवेश नहीं हैं।

(v) कम्पनी द्वारा जनता से किसी प्रकार के जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

(vi) हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार कम्पनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निर्धारण नहीं किए गए हैं।

(vii)(क) सांविधिक देयताओं के संबंध में रिकार्डों की जांच, हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने संबंधित प्राधिकरणों को वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आय कर, सीमा शुल्क, उप–कर, एवं स्वयं के संबंध में अन्य लागू अविवादित सांविधिक देयताओं से संबंधित भुगतान सामान्यतः समय पर किए हैं तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार किसी योग्य प्राधिकरण को देय, जो भुगतान किए जाने की तिथि से छः माह से अधिक लंबित हों, ऐसी कोई अन्य सांविधिक देयता अथवा देय अविवादित राशि भुगतान के लिए लंबित नहीं है। कम्पनी के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त उप–वाक्य (क) के संबंध में ऐसी को विवादित सांविधिक देयता नहीं है जो जमा न करवाई गई हो।

(viii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है जो लेखा बहियों में रिकार्ड न किए गए हों अथवा त्याग दिए गए हों अथवा आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष के दौरान कर निर्धारणों के लिए जिनका आय के रूप में प्रकटीकरण किया गया हो।

(ix) हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने ऋणों अथवा अन्य उधारों अथवा उनके संबंध में किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान के प्रति पुनर्भुगतान में किसी प्रकार की चूक नहीं की है। तदनुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के उप–वाक्य (i), (ख),(ग),(घ), (ङ) तथा (च) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(x) (क) कम्पनी द्वारा किसी प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा किसी आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (नामे प्रपत्रों सहित) और सावधि ऋणों के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की गई है।

(ख) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा शेयरों तथा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय लाभांशों के लिए किसी प्रकार का अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया गया है।

(xi) (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति वर्ष के दौरान किसी प्रकार की जालसाजी की स्थिति प्रकाश में नहीं आई है अथवा सूचित नहीं की गई है।

(ख)कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कम्पनी को व्हिसल ब्लोअर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारे मत एवं हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा संबद्ध पक्षकारों से किया गया लेन देन व्यवहार, जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुसरण में किया गया है तथा इससे संबंधित प्रकटीकरण लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार स्टैंएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों इत्यादि में किया गया है।

(xiv) (क) कम्पनी में इसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है।

(ख) अवधि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को हमने विचार में लिया है।

(xv) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कम्पनी द्वारा निदेशकों अथवा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेन व्यवहार नहीं किया गया है ।

(xvi) कम्पनी गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनी एवं प्रमुख निवेश कम्पनी नहीं है तथा तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–। के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश के उपवाक्य (xvi) (क),(ख),(ग),(घ) की अपेक्षाएं लागू नहीं हैं।

(xvii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कम्पनी को वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकदी घाटे नहीं हुए हैं।

(xviii)वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोग काल एवं प्रतिफल की संभावित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान एवं वित्तीय विवरणों से संगत अन्य सूचना तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर हमारी यह धारणा बनी है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि को किसी प्रकार की सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त नहीं है तथा तुलन पत्र की तिथि को अपनी विद्यमान देयताओं की पूर्ति तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान उनके देय होने पर कर सकने में समर्थ है।

(xx) (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी की जांच के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति जारी परियोजनाओं के अलावा, जो कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में की गई निर्दिष्टि के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा की उप–धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छरू माह के भीतर अंतरित की जानी अपेक्षित हैं, कोई व्यय न की गई राशि नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के संबंध में हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने जारी सीएसआर परियोजना से संबंधित शेष व्यय न की गई राशि का अंतरण उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धार (6) के प्रावधानों का अनुपालन करके विशेष खाते में कर दिया है।

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएनः 22088165ANBBSF2595

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समतिथि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष से संबंधित कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के उप वाक्य (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के संबंध में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त कथित तिथि के कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट के अनुसार, इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में कम्पनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों, दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी, के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, वस्तुगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। इंड एएस स्टैंडएलोन विवरणो में वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी या त्रुटि के कारण, मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अपनी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के लिए युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की विशेष निर्मित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल होती है, जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जो उचित, विस्तृत एवं सटीक होते हैं तथा कम्पनी की परिसम्पतियों के व्यवहार और निपटान को यथोचित रूप से प्रदर्शित करती हैं जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय के संव्यवहार केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार से किए गए हैं; (3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभवित कर सकते हों ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कम्पनी ने प्रत्येक वस्तुगत स्वरूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली की स्थापना की है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANBBSF2595

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

अनुपालन प्रमाण पत्र

हम ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निदेशों/उप–निदेशों का अनुसरण करते हुए की है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप–निदेशों का अनुपालन हमने किया है।

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANBBSF2595

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
I	**परिसम्पतियां**			
1	**गैर–चालू परिसम्पतियां**			
	(क) सम्पति, संयंत्र और उपकरण	3	7,98,68.64	6,81,94.59
	(ख) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां	4	1,82.97	1,49.71
	(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति	5	62,09,57.21	22,14,15.99
	(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पतियां	6.1	20,11.77	16,68.49
	(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	6.2	65.02	2,43.67
	(च) वित्तीय परिसम्पतियां	7		
	(i) निवेश	7.1	1,00.00	1,00.00
	(ii) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7.2	24,35.40	19,86.30
	(छ) आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)	8	–	2,82.44
	(ज) अन्य गैर–चालू परिसम्पतियां	9	13,58,86.04	7,61,74.59
			84,15,07.05	**37,02,15.78**
2	**चालू परिसम्पतियां**			
	(क) वित्तीय परिसम्पतियां	10		
	(i) व्यवसाय प्राप्य	10.1	–	–
	(ii) नकद और नकद समतुल्य	10.2	9,35,60.93	8,72,72.94
	(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10.3	17,35,53.26	12,91,18.58
	(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	10.4	26,59.44	12,40.29
	(ख) चालू कर परिसम्पतियां (निवल)	11	17,11.80	5,41.52
	(ग) अन्य चालू परिसम्पतियां	12	2,83.42	2,12.81
			27,17,68.85	**21,83,86.14**
	कुल परिसम्पतियां		**1,11,32,75.90**	**58,86,01.92**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANBBSF2595

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,00,00.00	1,00,00.00
	(ख) अन्य इक्विटी	14	17,29,49.67	13,90,30.78
			18,29,49.67	**14,90,30.78**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर–चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार	15	71,69,55.77	34,92,87.11
	(ii) पट्टा देयताएं	16	8.23	16.19
	(ख) आस्थगित कर देयता	8	10,25.30	–
	(ग) प्रावधान	17	14,97.88	9,16.95
	(घ) अन्य गैर–चालू देयताएं	18	2,34,50.00	1,52,50.00
			74,29,37.18	**36,54,70.25**
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं	19		
	(i) पट्टा देयताएं	19.1	7.96	149.79
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19.2	2,39,04.26	2,76,69.97
	(iii) व्यवसाय प्राप्य	20	–	–
	(ख) अन्य चालू देयताएं	21	16,33,31.27	4,62,13.33
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	22	1,45.56	67.80
			18,73,89.05	**7,41,00.89**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**1,11,32,75.90**	**58,86,01.92**

सामान्य जानकारी 1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2
लेखांकन टिप्पणियां 3 से 55

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANBBSF2595

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व		–	–
II	अन्य आय	23	89,46.88	73,77.72
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**89,46.88**	**73,77.72**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	7,05.50	5,56.06
	वित्त लागतें	25	3.97	12.92
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	26	5,40.97	2,23.03
	अन्य व्यय	27	15,08.47	9,38.10
IV	**कुल व्यय** (IV)		**27,58.91**	**17,30.11**
V	**अपवादिक मदों और कर पूर्व लाभ (III - IV)**		**61,87.97**	**56,47.61**
VI	अपवादिक मदें		–	–
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**61,87.97**	**56,47.61**
VIII	कर व्यय :	28		
	(1) चालू कर			
	– वर्तमान अवधि कर		2,70.51	14,74.26
	– पूर्व वर्षों के कर (निवल)		(95.05)	–
	(2) आस्थगित कर (निवल)		13,08.67	(1,68.06)
IX	**चालू प्रचालनों से वर्ष के दौरान लाभ/(हानि) (VII - VIII)**		**47,03.84**	**43,41.41**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XI	बंद प्रचालनों के कर व्यय		–	–
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X - XI)		–	–
XIII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**47,03.84**	**43,41.41**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि से पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(3.68)	40.50
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.93	(10.19)
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि से पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		–	–
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		–	–
XV	**वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय (XIII + XIV) [वर्ष के दौरान लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय से युक्त]**		**47,01.09**	**43,71.72**

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**	29		
	(चालू प्रचालनों के लिए)			
	(1) मूल (₹ में)	29.1	47.04	43.41
	(2) विलयित (₹ में)	29.2	47.04	43.41
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(बंद प्रचालनों के लिए)			
	(1) मूल (₹ में)		–	–
	(2) विलयित (₹ में)		–	–
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए)			
	(1) मूल (₹ में)	29.1	47.04	43.41
	(2) विलयित (₹ में)	29.2	47.04	43.41

ये टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANBBSF2595

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ		**61,87.97**	**56,47.61**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
मूल्यह्रास		5,40.97	2,23.03
पट्टा देयता पर ब्याज		3.97	12.92
वित्तीय परिसम्पतियों पर ब्याज आय		(55.94)	(6.85)
अचल परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		–	(0.02)
ब्याज आय		(84,54.77)	(73,38.12)
बट्टा – परिसम्पतियां		2.02	–
विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर		2.79	3,47.18
प्रचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**(17,72.99)**	**(11,14.25)**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
अन्य चालू परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		(70.61)	(1,78.67)
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		(5,83.47)	1,47.49
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		(3,93.16)	(13,97.95)
अन्य वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि		(39,55.19)	2,11,80.78
अन्य चालू देयता में (कमी)/वृद्धि		31,36.36	7,23.38
दीर्घ अवधि प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		5,77.25	5,53.90
अल्पावधि प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		77.76	(22.67)
गैर चालू वित्तीय देयताओं में (कमी)/वृद्धि		–	1,72.26
	(2)	**(12,11.06)**	**2,11,78.52**
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**(1+2)**	**(29,84.05)**	**2,00,64.27**
भुगतान किया गया आय कर (धनवापसियों सहित)		(13,45.74)	(19,79.40)
प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकदी		**(43,29.79)**	**1,80,84.87**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, सीडब्ल्यूआईपी तथा अन्य अमूर्त परिसम्पतियों की खरीद		(40,45,35.30)	(21,32,74.30)
प्राप्त ब्याज		86,31.51	75,02.38
पूंजी अग्रिम		(5,96,48.62)	(5,52,47.07)
अन्य बैंक शेषों में परिवर्तन		(4,44,34.68)	(6,05,63.35)
निवेश में परिवर्तन		–	(1,00.00)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(49,99,87.09)**	**(32,16,82.34)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान से आगम	2,81,42.55	6,57,40.00
निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिमः–		
- पास थ्रू सहायता के प्रति भारत सरकार	11,39,81.58	4,33,85.39
- हरियाणा सरकार	82,00.00	1,02,50.00
- राजस्थान सरकार	–	5,00.00
ऋणों से प्राप्तियां		
- भारत सरकार, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से अधीनस्थ ऋण	12,25,00.00	15,57,00.00
- एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण	21,33,99.21	5,53,30.64
- न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण	2,63,78.55	1,85,83.97
पट्टा भुगतान	(1,49.79)	(3,38.26)
पट्टा देयता पर चुकता ब्याज	(12.45)	(38.33)
ऋण पर चुकता ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार	(18,34.78)	(1,97.72)
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी	**51,06,04.87**	**34,89,15.69**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों से निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	62,87.99	4,53,18.22
अथ (ओपनिंग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	8,72,72.94	4,19,54.72
अंत (क्लोजिंग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	**9,35,60.93**	**8,72,72.94**
बैंकों में शेष के रूप में नकदी एवं नकदी समतुल्य शेषः		
- चालू एवं फ्लैक्सी जमा खाते में	5,40,55.29	8,42,32.22
- अग्रदाय खाते में	5.64	4.72
तीन अथवा कम माह की परिपक्वता वाले सावधि जमा	3,95,00.00	30,36.00
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य	**9,35,60.93**	**8,72,72.94**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधानः (₹ लाख में)

विवरण	आस्थगित आय	अग्रिम	उधारी	वित्तीय लागत	पट्टा देयताए	योग
संदर्भ टिप्पणी	**14.2**	**18 एवं 21**	**15**	**19.2**	**18 एवं 19.1**	
अथ (ओपनिंग) शेष (क)	**13,18,65.00**	**5,95,43.20**	**34,92,87.11**	**1,39.67**	**1,65.98**	**54,10,00.96**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन						
वर्ष के दौरान चुकता	–	–	–	(18,34.78)	(1,62.24)	(19,97.02)
वर्ष के दौरान प्राप्त	2,81,42.55	12,21,81.58	36,22,77.76	–	–	51,26,01.89
कुल (ख)	**2,81,42.55**	**12,21,81.58**	**36,22,77.76**	**(18,34.78)**	**(1,62.24)**	**51,06,04.87**
गैर–नकदी परिवर्तन						
विदेशी मुद्रा भिन्नता	–	–	53,90.90	–	–	53,90.90
वसूलीयोग्य	10,75.25	–	–	–	–	10,75.25
वर्ष के दौरान उत्पन्न वित्तीय लागत	–	–	–	20,21.47	12.45	20,33.92
कुल (ग)	**10,75.25**	–	**53,90.90**	**20,21.47**	**12.45**	**85,00.07**
अंत (क्लोजिंग) शेष (क+ख+ग)	**16,10,82.80**	**18,17,24.78**	**71,69,55.77**	**3,26.36**	**16.19**	**1,06,01,05.90**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधानः (₹ लाख में)

विवरण	आस्थगित आय	अग्रिम	उधारी	वित्तीय लागत	पट्टा देयताए	योग
संदर्भ टिप्पणी	**14.2**	**18 एवं 21**	**15**	**19.2**	**18 एवं 19.1**	
अथ (ओपनिंग) शेष (क)	**6,61,25.00**	**45,00.00**	**11,88,00.00**	–	**5,28.18**	**18,99,53.18**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन						
वर्ष के दौरान चुकता	–	–	–	(1,97.72)	(3,76.59)	(5,74.31)
वर्ष के दौरान प्राप्त	6,57,40.00	5,41,35.39	22,96,14.61	–	–	34,94,90.00
कुल (ख)	**6,57,40.00**	**5,41,35.39**	**22,96,14.61**	**(1,97.72)**	**(3,76.59)**	**34,89,15.69**
गैर–नकदी परिवर्तन						
विदेशी मुद्रा भिन्नता	–	–	8,72.50	–	–	8,72.50
वर्ष के दौरान उत्पन्न वित्तीय लागत	–	9,07.81	–	3,37.39	38.33	12,83.53
पट्टा सुधार	–	–	–	–	(23.94)	(23.94)
कुल (ग)	–	**9,07.81**	**8,72.50**	**3,37.39**	**14.39**	**21,32.09**
अंत (क्लोजिंग) शेष	**13,18,65.00**	**5,95,43.20**	**34,92,87.11**	**1,39.67**	**1,65.98**	**54,10,00.96**

व्याख्यात्मक टिप्पणियांः–

(i) स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इंड एएस–7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किया गया है।

(ii) कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2017 से इंड एएस–7 के संशोधन को अंगीकार किया है जिसके लिए ऐसे प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा होती है जिनसे स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के उपयोक्ता प्रकटीकरण की अपेक्षा की पूर्ति के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह एवं गैर–नकदी प्रवाह, दोनों, के साथ साथ देयताओं में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन करके वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के संबंध में तुलन पत्र के अथ शेष एवं अंत शेष के मध्य समाधान किए जाने का सुझाव दे पाते हैं।

पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ पुष्टि एवं तुलनात्मकता के लिए किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANBBSF2595

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
विजय कुमार	**नमिता मेहरोत्रा**	**विनय कुमार सिंह**
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	प्रबंध निदेशक
स.सं.: F7801	डीआईएनः 07916304	डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्वावधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
शेयरों की संख्या, लाख में	100	–	–	–	100
राशि	1,00,00.00	–	–	–	1,00,00.00

2. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को शेष	पूर्वावधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को शेष
शेयरों की संख्या, लाख में	100	–	–	–	100
राशि	1,00,00.00	–	–	–	1,00,00.00

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			
	सामान्य आरक्षित	आस्थगित आय	धारित आय	योग
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष	–	**13,18,65.00**	**71,65.78**	**13,90,30.78**
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा पूर्वावधि त्रुटियां	–	–	–	–
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार पुनःउल्लिखित शेष	–	**13,18,65.00**	**71,65.78**	**13,90,30.78**
वर्ष के दौरान लाभ	–	–	47,03.84	47,03.84
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	–	–	(2.75)	(2.75)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	–	**13,18,65.00**	**1,18,66.87**	**14,37,31.87**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (टिप्पणी 14.2.1)	–	2,92,17.80	–	2,92,17.80
घटाएं: चुकता लाभांश	–	–	–	–
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	–	**16,10,82.80**	**1,18,66.87**	**17,29,49.67**

2. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			
	सामान्य आरक्षित	आस्थगित आय	धारित आय	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार शेष	–	**6,61,25.00**	**44,15.66**	**7,05,40.66**
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा पूर्वावधि त्रुटियां	–	–	(16,21.60)	(16,21.60)
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार पुनःउल्लिखित शेष	–	**6,61,25.00**	**27,94.06**	**6,89,19.06**
वर्ष के दौरान लाभ	–	–	43,41.41	43,41.41
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	–	–	30.31	30.31
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	–	**6,61,25.00**	**71,65.78**	**7,32,90.78**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (सदंर्भ टिप्पणी 14.2.1)	–	6,57,40.00	–	6,57,40.00
घटाएं: चुकता लाभांश	–	–	–	–
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष	–	**13,18,65.00**	**71,65.78**	**13,90,30.78**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 013940N

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANBBSF2595

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

1. कम्पनी सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी [U60200DL2013GOI256716] है, तथा भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत इसका निगमन जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यथोचित, द्रुतगामी, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल एवं संवहनीय यात्रा समाधान प्रदान करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023 में स्थित है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 निर्माण का आधार अनुपालन विवरण

कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन के प्रोद्भवन आधार एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके गोइंगकंसर्न के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों/घोषणाओं को भी कम्पनी ने यथालागू अपेक्षा के अनुसार अंगीकार किया है। कम्पनी ने प्रस्तुत अवधियों के संबंध में लेखांकन नीतियों का उपयोग समान रूप से किया है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 15 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इन वित्तीय विवरणों के प्रति अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2.2 मापन का आधार

उचित मूल्य पर मापन की गई कुछ वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत एवं उपार्जन आधार पर किया गया है तथा परिभाषित हितलाभ योजना एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन सम्बद्ध इंड एएस की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है।

2.3 अनुमानों एवं प्रबंधन विवेक का उपयोग

इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से प्रबंधन को ऐसे न्याय पूर्वक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता एवं रिपोर्ट की गई परिसम्पतियों, देयताओं की राशियों, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक परिसम्पतियों और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण तथा आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि प्रभावित हो सकती है । वास्तविक परिणाम लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। अनुमानों में परिवर्तन तथा वास्तविक परिणामों के मध्य भिन्नता के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं तथा अनुमानों की स्वीकृति उस अवधि के लिए की गई है जिसके लिए परिणाम ज्ञात हुए हैं/व्यवहार में लाए गए हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की अनुकूलता में संवर्धन के लिए लेखांकन नीतियों के उपयोग हेतु स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में स्वीकृत राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाले अनुमान, अनिश्चितता एवं सूक्ष्म निर्णयों से संबंधित सूचना निम्नलिखित हैः–

- **सम्पति, संयंत्र एवं उपकरणः** उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा आवधिक रूप से मूल्यह्रास विधि के साथ की जाती है। काल का निर्धारण ऐतिहासिक अनुभवों एवं प्रत्याशित भावी घटनाओं के आधार पर किया जाता है।
- **प्रावधानः** प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को दायित्व के निपटान के आधार पर किया जाता है।
- **आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियांः** आकस्मिक देयताओं। परिसम्पतियों का प्रकटीकरण प्रबंधन विवेक आधार पर किया जाता है जिसकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू प्रबंधन अनुमान की प्रस्तुति के लिए समायोजन किए जाते हैं।
- **गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का अक्षमता क्षति परीक्षणः** पीपीई की वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण तकनीकी विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों के अनुसार लिए गए निर्णय के आधार पर किया जाता है।
- **आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृतिः** आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति भावी करयोग्य आय की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है जिसके प्रति आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।
- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभों के अंतर्गत भावी दायित्वः** कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें डिस्काउंट दरों के भावी विकास से संबंधित पूर्वानुमानों के साथ साथ मृत्यु एवं आहरण दरें, वेतन वृद्धि की दरें एवं मुद्रास्फीति की दरें शामिल होती हैं। कम्पनी का ऐसा मानना है कि दायित्वों के मापन के लिए उपयोग में लाए गए पूर्वानुमान उपयुक्त तथा प्रलेखित हैं। तथापि, ऐसे अनुमानों में होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन का वस्तुगत प्रभाव प्रभावी आकलनों पर हो सकता है।
- **पट्टेः** कम्पनी किसी अनुबंध में पट्टे के होने अथवा न होने, पट्टा अनुबंध में विस्तार विकल्प होने तथा पट्टा अनुबंध में समापन के विकल्प का उपयोग किए जाने अथवा नहीं किए जाने का

निर्धारण करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा उपयुक्त डिस्काउंट दर के उपयोग के आकलन तथा पट्टे की कालावधि के निर्धारण के लिए अनुमानों का उपयोग किया जाता है।

2.4 प्रत्येक वित्तीय सूचना भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई है तथा यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है तो सभी मूल्यों को निकटतम लाख में राउंड ऑफ किया गया है।

2.5 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से संसूचित किए गए है जबकि गैर–नकदी प्रकार एवं किन्हीं पूर्व अथवा भावी नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय के संव्यवहारों के प्रभाव के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि) का समायोजन किया गया है। कम्पनी की प्रचालनों, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों से नकद एवं नकद समतुल्यों में उपलब्ध नकदी, बैंकों में नकदी शेष, बैंकों में मांग जमा, बैंक ओवरड्राफ्टों का वह निवल जिसका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है तथा जो कम्पनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग है, शामिल है।

2.6 कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल की गई मदों का मापन उस मूलभूत आर्थिक परिवेश की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) के उपयोग से किया गया है जिसमें कम्पनी अपने प्रचालन करती है। स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए (आईएनआर) में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की प्रस्तुति उनके संव्यवहार की तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के उपयोग से की गई है। विदेशी मुद्राओं वाली मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न होने वाली विनिमय भिन्नताओं की स्वीकृति लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है जो कि ऐसी विनिमय भिन्नताओं के लिए नहीं की जाती है जो ब्याज लागतों के समायोजन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न हुई हों तथा जिन्हें ऋण लागत माना गया हो।

2.7 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास एवं क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल है:

i. परिसम्पतियों के अधिग्रहण से संबद्ध प्रत्यक्ष लागत

ii. मदों को खंडित करने अथवा हटाने तथा यदि स्वीकृति मापदंड पूरे होते हैं तो उसके मूल स्थल पर पुनःस्थापित करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य

(ख) प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत का पूंजीयन स्वीकृति मापदंडों की पूर्ति होने पर किया जाता है।

(ग) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति निपटान किए जाने अथवा परिसम्पतियों के निरंतर उपयोग से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभों की संभावना न होने की स्थिति में समाप्त की जाती है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद का निपटान अथवा परित्याग किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का निर्धारण बिक्री से प्राप्त होने वाले धन एवं परिसम्पति की वहन राशि के मध्य भिन्नता के अनुसार किया जाता है तथा लाभ अथवा हानि विवरण में इसकी स्वीकृति की जाती है।

मूल्यह्रास

(क) फर्निचर जुड़नार, कार्यालय उपकरण एवं आवासीय कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई अन्य परिसम्पतियों, जिनका मूल्यह्रास 4 वर्ष की अवधि में किया जाता है, के अलावा सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए विनिर्देशन के अनुसार परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल में किया जाता है।

(ख) ₹ 5,000/– अथवा कम मूल्य की वैयक्तिक परिसम्पतियों का 100% मूल्यह्रास उनके क्रय के वर्ष में उनके वाणिज्यिक काल को विचार में लेकर तथा पहचान के उद्देश्य से ₹ 1 के टोकन मूल्य को स्वीकृति देकर किया जाता है।

(ग) यदि किसी भाग की लागत किसी मद की कुल लागत से अधिक है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल परिसम्पति के शेष उपयोज्यता काल से भिन्न है तो सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग अलग किया जाता है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की महत्वपूर्ण मदों के संबंध में परिसम्पतियों का चालू एवं तुलनात्मक अवधि का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नलिखित है:–

परिसम्पतियां	उपयोज्यता काल
संयंत्र एवं मशीनरी	15
कम्प्यूटर्स	3
अस्थाई भवन	3
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई परिसम्पतियां	4

(घ) पट्टाधारित सुधारों का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान उस माह से किया गया है जिस माह में ऐसे सुधारों का पूंजीयन हुआ है।

(ङ) मूल्यह्रास विधियों, उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

2.8 अमूर्त परिसम्पतियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षमता हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

अनुसंधान व्यय की स्वीकृति व्यय के रूप में तब की जाती है जब इन्हें व्ययतित किया जाता है। विकास गतिविधियों पर व्यय की स्वीकृति अमूर्त परिसम्पति के रूप में तब की जाती है जब यह इंड एएस 38 'अमूर्त परिसम्पतियां' के पात्रता माप दंडों के अनुरूप हो तथा ऐसा न होने पर इसकी स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से उनके संबंधित अनुमानित उपयोज्यता काल में किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पतियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार हैः–

अमूर्त परिसम्पतियां	उपयोज्यता काल	आंतरिक रूप से उत्पन्न अथवा स्व–निर्मित/अधिग्रहित
साफ्टवेयर	3	अधिग्रहित
साफ्टवेयर	3	स्व–निर्मित

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

2.9 पूंजी कार्य प्रगति पर

ऐसे व्यय जिनकी प्रत्यक्ष पहचान कम्पनी द्वारा निवर्हन की जा रही परियोजना से संबंधित हो सकती है उसे ''पूंजी परियोजना व्यय'' के अंतर्गत ''पूंजी कार्य प्रगति पर'' में नामे किया जाता है। कर्मचारी हितलाभ एवं अप्रत्यक्ष व्यय जैसे परियोजना से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना में प्रभारित किए गए हैं। अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना एवं परियोजना से अलग हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।

निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि जैसे निर्माण अवधि से संबंधित आय का समायोजन निर्माण के दौरान किए गए व्यय में किया गया है।

2.10 पूंजी अग्रिम

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) के अधिग्रहण के प्रति चुकता किए भुगतान के बकाया का प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में वर्गीकरण अन्य गैर–चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में किया गया है।

2.11 भूमि

क) भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के फ्रेमवर्क की अपेक्षा के अनुसार नियंत्रण के आधार पर भूमि की स्वीकृति परिसम्पति के रूप में की गई है।

ख) विभिन्न सरकारी निकायों एवं विभागों सहित भू–स्वामियों द्वारा सौंपे गए तथा कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किए गए भूखंडों का पूंजीयन कम्पनी द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किए जाने अथवा भुगतान किए जाने, जो भी हो, के समय कर लिया जाता है तथा ऐसा कब्जा प्राप्त किए जाने एवं मूल्य ज्ञात न होने की स्थिति में नहीं किया जाता है।

ग) संवर्धित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को राशि के अनुमान न लगाए जा सकने के कारण तब प्रभारित किया जाएगा जब भुगतान देय होगा।

घ) भूमि से संबंधित स्टाम्पड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, अन्य संबंधित शुल्क, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की लागत एवं अन्य सम्बद्ध किए जाने योग्य व्यय भूमि में लागत में जोड़े जाते हैं।

ङ) कब्जा प्राप्त पट्टाधारित भूमिसहित अस्थाई/अनुवर्ती प्रभाव से भूमि की लागत अथवा प्रतिपूर्ति के लिए किए गए भुगतान, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत, जिसमें से ध्वंस की गई संरचनाओं से प्राप्त बिक्री प्रतिफल को घटाया जाना है, को भूमि अथवा पट्टाधारित भूमि की लागत माना जाता है।

च) कम्पनी के लिए भूमि की खरीद के ''भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी' (सीएएलए) के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाते में जमा की गई राशि को प्रारंभ में भूमि के लिए अग्रिम माना जाता है। सीएएलए खातों में से भू–स्वामियों को उक्त उद्देश्य से सीधे किए गए भुगतान का समायोजन भूमि की लागत में किया जाता है तथा सीएएलए में बकाया शेष को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

2.12 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि

परिसम्पतियों की क्षमता हानि से संबंधित इंड एएस 36 के अनुसार कम्पनी की परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की जाती है कि क्या इनमें किसी प्रकार के क्षमता हानि के संकेत व्याप्त हैं अथवा नहीं हैं। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के अनुमान उचित मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बिक्री की लागत एवं उपयोग मूल्य को घटाकर लगाए जाते हैं। लाभ एवं हानि विवरण में किसी क्षमता हानि की स्वीकृति तब की जाती है जब किसी परिसम्पति अथवा इनकी नकद उत्पति यूनिट की वहन राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूलीयोग्य हानि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तथा ऐसी हानियों का अब कोई आस्तित्व नहीं है अथवा ये कम हो गई हैं तो पूर्व लेखांकन

अवधियों में अक्षमता हानि के लिए प्रदान की गई स्वीकृति को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षमता हानि में किए गए ऐसे रिवर्सल की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

2.13 (क) राजस्व स्वीकृति

i. राजस्व की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जब यह संभावना हो कि उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। तथापि, राजस्व में पहले से ही शामिल किसी की प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो वसूली न किए जाने योग्य राशि, अथवा वह राशि जिसकी वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, की स्वीकृति पहले से ही स्वीकृत की गई राजस्व राशि के समायोजन के स्थान पर व्यय के रूप में की जाती है।

ii. ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस प्रतिफल के रूप में दर्शाई गई राशि पर किया जाता है जो कम्पनी माल अथवा सेवाओं का विनिमय किए जाने पर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा करती है।

iii. प्राप्त अथवा प्राप्तियोग्य प्रतिफल के राजस्व का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

iv. प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति उस लेखांकन अवधि में की जाती है जिस अवधि में सेवाएं प्रदान की गई हैं। राजस्व की स्वीकृति समय अथवा समय के किसी एक बिन्दु पर निष्पादन दायित्व पूरे किए जाने के आधार पर की जाती है।

किसी समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट होने के मामले में राजस्व की स्वीकृति प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रदान की गई कुल सेवाओं के अनुपात के आधार पर की स्वीकृति की जाती है। ऐसे निर्धारण भौतिक प्रगति, प्रयासों, संव्यवहार की कुल अनुमानित लागत के वहन के लिए अद्यतन व्यय, व्ययतित समय, निष्पादित सेवा अथवा प्रबंधन द्वारा उचित समझी गई अन्य किसी विधि के आधार पर किए जाते हैं।

अन्य मामलों मे, जहां समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट नहीं होते हैं, राजस्व की स्वीकृति समय बिन्दु पर की जाती है।

ऐसे अनुबंधों के मामले में जिनमें ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर नियत राशि का भुगतान करता है, तो यदि कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक होती हैं तो अनुबंध परिसम्पति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भुगतान प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होते हैं तो अनुबंध दायित्व की स्वीकृति की जाती है।

संग्रहण शुल्क को गतिविधियों/अनुबंध/कार्य आदेश के निबंधनों के अनुसार संव्यवहारों के पूर्ण होने के चरण के आधार पर राजस्व की स्वीकृति दिए जाने तक ग्राहक अग्रिम माना जाता है।

धनवापसी योग्य एवं आपूर्तियों का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण नियंत्रण के लिए राजस्व की स्वीकृति प्रबंधन, ग्राहक से लंबित अनुमोदन, यदि कोई हो, द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए निर्धारित कार्य सम्पन्नता/निर्माण लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

(ख) अन्य राजस्व स्वीकृतियां

i. ब्याज आय की स्वीकृति समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से बकाया राशि के लेखे एवं लागू ब्याज दर को विचार में लेकर की जाती है।

ii. लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने, इकाई को आर्थिक लाभ प्रवाहित होने एवं राशि का मापन विश्वसनीयता के साथ किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

2.14 सेवानिवृत्ति हितलाभ

(क) भविष्य निधि में अंशदान को संबंधित अवधि में व्यय की स्वीकृति दी जाती है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, बीमारी की छुट्टी, अर्जित छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत का बीमांकन आधार पर निर्धारण करके प्रावधान किए जाते हैं।

(ख) बीमांकित लाभ एवं हानियों से युक्त पुनःमापन के लिए, परिभाषित हितलाभ दायित्व एवं योजनागत परिसम्पतियों के प्रतिफल (निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा) के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा, परिसम्पति की ऊपरी सीमा के प्रभाव की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में संबंधित अवधि में तत्काल स्वीकृति तब की जाती है जब यह घटित होता है। अनुवर्ती अवधि में लाभ एवं हानि के पुनःमापन का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में उनके मूल संगठन की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तों के आधार पर विदेश सेवा अंशदान के लिए प्रावधान/दायित्व पूरे किए जाते हैं तथा इन्हें प्रोद्भवन आधार पर चुकता अथवा लेखा बहियों में लेखांकित किया जाता है।

2.15 ऋण लागतें

सामान्य तथा विशिष्ट ऋण लागतों, जिनकी संबद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है, का पूंजीयन उस समयावधि के दौरान किया जाता है जिसमें परिसम्पति को उसके आशित उद्देश्य से उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

अर्हक परिसम्पति वह परिसम्पति है जिसे आशित उपयोग के लिए किसी निश्चित समय अवधि में तैयार किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में व्यय किए जाने की अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं को ब्याज लागतों के समायोजन के तौर पर ऋण लागत माना जाता है।

2.16 आय कर

(क) चालू आय कर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत आकलित करयोग्य आय एवं कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

चालू कर परिसम्पतियों एवं चालू कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया जाता है जब स्वीकृत राशियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा परिसम्पतियों एवं देयताओं का निवल आधार पर निपटान किए जाने की मंशा हो।

अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित चालू कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की जाती है।

(ख) आस्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा ''आयकर'' के संबंध में जारी भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस 12) के अनुसार

i. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति अस्थाई भिन्नताओं के लिए की जाती है जिनका आकलन कर दरों एवं प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग तिथि को वस्तुतः प्रवर्तित कर विधियों के उपयोग से किया जाता है।

ii. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि उससे करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे जिनसे कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का अग्रेषण तथा अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया जाता है जब चालू कर से संबंधित देयताओं के प्रति परिसम्पतियों के समंजन का प्रवर्तन योग्य विधिक अधिकार हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं की सम्बद्धता समान शासी कराधान विधि द्वारा आय पर लगाए गए करों से हो।

iv. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का मापन उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से किया जाता है जो प्रवर्तित अथवा तुलन पत्र तिथि को वस्तुतः प्रवर्तित हैं। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को कम्पनी अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियों, यदि कोई हों, का पुनः मूल्यांकन करता है।

v. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की वहन राशि की पुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा इसे उस सीमा तक न्यून किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना प्रतीत नहीं होती है कि इससे उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक अथवा आंशिक आस्थगित आय कर परिसम्पतियों के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे।

vi. अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की जाती है।

2.17 निवेश सम्पतियां

(क) निवेश सम्पति में सम्पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति वित्त पट्टे के अंतर्गत वह सम्पति शामिल होती है जिसका धारण व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए न किए जाने के स्थान पर किराया उपार्जित करने अथवा पूंजी प्रतिफल प्राप्त करने अथवा दोनों के लिए किया गया हो।

(ख) निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति लागत पर, संचित मूल्यह्रास एवं उत्पन्न अक्षमता हानियों का निवल, यदि कोई हो, किया जाता है।

(ग) मूल क्रय किए जाने की तिथि से कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए वर्णन के अनुसार निवेश सम्पति के प्रत्येक घटक का मूल्यह्रास किया जाता है।

(घ) निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनकी बिक्री कर दी गई हो अथवा उन्हें स्थाई रूप से उपयोग में न लाया जा रहा हो तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के मध्य भिन्नता की स्वीकृति लाभ एवं हानि में स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि में की जाती है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां

(क) देयताओं के संबंध में प्रावधानों की स्वीकृति केवल तब की जाती है जब अनुमानों के किसी महत्वपूर्ण स्तर तक उनका मापन किया जाना संभव हो, जिसके लिए:

i. कम्पनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हो।

ii. संसाधनों के बर्हिप्रवाह से दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो; तथा

iii. जब दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है।

प्रावधानों को न्यून करना

जब धन का समय मूल्य प्रभाव वस्तुगत होता है तो प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित संभावित व्यय होती है।

(ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नलिखित में से किसी भी मामले में किया जाता है:–

i. किसी पूर्व घटना के कारण उत्पन्न कोई विद्यमान दायित्व, जिसमें दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना न हो; अथवा

ii. विद्यमान दायितव के लिए विश्वसनीय अनुमान न लगाए जा सकते हों; अथवा

ii. यदि संसाधन के बर्हिप्रवाह की संभावना काफी कम नहीं है तो किसी संभावित दायित्व के लिए

आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पति के प्रति अपेक्षित प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

(ग) आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ के अंतर्प्रवाह की संभावना हो।

2.19 पट्टे

(क) पट्टाधारक के रूप में

(i) कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति एवं पट्टा देयताएं की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को की जाती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान जमा व्यय की गई कोई प्रत्यक्ष लागत तथा परिसम्पति को विखंडित करने तथा हटाने अथवा परिसम्पति अथवा स्थल, जहां यह स्थित है, को पुनःस्थापित पर व्यय की गई प्रारंभिक लागत में से प्राप्त प्रकार के पट्टा प्रोत्साहन घटाकर समायोजन के साथ पट्टा देयताएं की प्रारंभिक राशि शामिल होती है।

(ii) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का अनुवर्ती मूल्यह्रास उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के उपयोज्यता काल अथवा पट्टा काल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा विधि का उपयोग करके किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल का निर्धारण भी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के समान आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की आवधिक न्यूनता अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के लिए की जाती है तथा इन्हें पट्टा देयताएं के कतिपय पुनःमूल्यांकनों में समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयताएं का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर, पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि दर का निर्धारण तत्काल नहीं किया जा सकता है तो कम्पनी की आवर्धित ऋण दर में कटौती करके, किया जाता है।

(iv) प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से पट्टा देयताएं का परिशोधन लागत पर मापन किया जाता है, इसका पुनःमापन तब किया जाता है जब सूचकांक अथवा में परिवर्तन के कारण भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है। जब इस प्रकार से पट्टा देयताएं का पुनःमापन किया जाता है तो उपयोग अधिकार वाली सम्पति की वहन राशि में अनुवर्ती समायोजन किए जाते हैं अथवा यदि उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की वहन राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि में रिकार्ड किया जाता है।

(v) कम्पनी द्वारा उस उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की प्रस्तुति की जाती है जो तुलन पत्र में "उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति" के लिए निवेश परिसम्पति एवं पट्टा दायित्वों के लिए तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय दायित्वों"की परिभाषा में नहीं आती है।

(vi) अल्पावधि के पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टेः –

कम्पनी ने अल्पकालिक पट्टे तथा न्यूनमूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के संबंध में कम्पनी ने 12 माह से कम पट्टा काल के पट्टों तथा न्यूनमूल्य की उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों एवं पट्टा देयताओं की स्वीकृति न करने का चयन किया है। कम्पनी ऐसी परिसम्पतियों से सम्बद्ध पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में पट्टा काल के लिए करती है।

(ख) पट्टाकार के रूप में

जब कम्पनी पट्टाकार के रूप में प्रक्रिया करता है तो इसके द्वारा प्रारंभ में प्रत्येक पट्टे के संबंध में किसी पट्टे के वित्त पट्टे होने अथवा परिचालन पट्टे होने का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक पट्टे के वर्गीकरण के लिए कम्पनी सम्पूर्ण मूल्यांकन करके यह ज्ञात करता है कि क्या पट्टा अंतरणों से पट्टे के स्वामित्व से जुड़े इसके सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण होता है अथवा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो वित्त पट्टा होता है तथा यदि नहीं होता है तो यह परिचालन पट्टा होता है। अपने मूल्यांकन के अंतर्गत कम्पनी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक उपयोज्यता काल से सम्बद्ध कारको के होने तथा होने जैसे विभिन्न सूचकों पर भी विचार करती है।

कम्पनी द्वारा परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा विधि के उपयोग से "अन्य आय" के अंतर्गत पट्टा काल के लिए आय के रूप में की जाती है।

2.20 अनुदान

(i) सरकार से इक्विटी के प्रति परिसम्पतियों के निर्माण हेतु पूंजी व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की जाती है।

(ii) परिसम्पतियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय के रूप में अन्यों से प्राप्त तकनीकी अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की जाती है।

(iii) राजस्व व्यय के लिए अन्यों से प्राप्त अनुदान को व्यय के वास्तविक वहन के दौरान राजस्व व्यय माना गया है।

2.21 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मौलिक आय का आकलन अवधि से संबंधित निवल लाभ अथवा हानि को इक्विटी शेयर धारकों की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या के भारित औसत से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर डाय्ल्युटिड आय का आकलन करने के उद्देश्य से वर्ष में अर्जित निवल लाभ अथवा हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत से सम्बद्ध करके उनका समायोजन इक्विटी शेयरों पर डाय्ल्युटिड प्रभाव के लिए किया जाता है।

2.22 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश की स्वीकृति उस वर्ष के लिए की जाती है जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को निदेशक मंडल द्वारा यथा उपयुक्त के रूप में अनुमोदित किया जाता है।

2.23 उचित मूल्य मापन

i. कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कतिपय वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री किए जाने पर प्राप्त होने अथवा देयता के अंतरण के लिए भुगतान किए जाने हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रुप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, अथवा
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कम्पनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे।

कम्पनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

2.24 वित्तीय प्रपत्रः–

(i) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी प्रपत्र के संविदागत प्रावधानों में पक्षकार बनती है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय देयता की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए मापन किए गए उचित मूल्य जोड़ अथवा घटा दिया जाता है।

(ii) अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसम्पतियां

वित्तीय परिसम्पतियों का निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया हैः–

क. परिशोधन लागत पर

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब वित्तीय परिसम्पतियों का धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य ऐसी परिसम्पतियों के धारण से संविदागत नकदी प्रवाह का संग्रह करना है तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय परिसम्पतियों का उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापन तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का धारण किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य संविदागत नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री, दोनों, के माध्यम से पूर्ति करना हो तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ग. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय परिसम्पतियों का मापन तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर इनका मापन परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न किया गया हो। वित्तीय परिसम्पतियों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों तथा लाभ अथवा हानि के माध्यम से देयताओं के उचित मूल्य की त्वरित स्वीकृति लाभ अथवा हानि में की जाती है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण निम्नानुसार हः–

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रुप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं की प्रस्तुति आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर की जाती है।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी ने एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) गैर–स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को केवल तभी अमान्य कर दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है

और काफी हद तक सभी जोखिम और संपत्ति के स्वामित्व का पुरस्कार।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का पालन हो जाता है अथवा वे रद्द अथवा समाप्त हो जाते हैं। जब व्यापक रुप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

(iv) वित्तीय विवरणों की क्षमता हानि:

कम्पनी क्षमता हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल (ईसीएल) का प्रयोग करती है। कम्पनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। अपितु आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ईसीएल के उपयोज्यता काल के आधार पर क्षमता हानि को स्वीकृति दी जाती है।

कम्पनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण प्रपत्रों के माध्यम से अग्रेषित अपनी परिसंपत्तिंयों को संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करता है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षमता हानि भत्ते (रिवर्सल पर) को आय/व्यय के रुप में लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

2.25 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का परिसम्पतियों के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की मूलतः वसूली बिक्री संव्यवहार के माध्यम से की जानी हो तथा बिक्री की संभावना अत्यधिक प्रबल हो। बिक्री की संभावना को अत्यधिक प्रबल तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान कम्पनी अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए तत्काल उपलब्ध हो, जिसमें बिक्री के प्रत्याहार की संभावना न हो और वर्गीकरण किए जाने की तिथि से बिक्री एक वर्ष में किए जाने की संभावना हो। बिक्री के धारित के रूप वर्गीकृत किए गए निपटान कम्पनी की प्रस्तुत निम्नतर वहन राशि एवं बिक्री लागत घटा उचित मूल्य पर की जाती है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति वित्तीय विवरणों में अलग से की जाती है।

''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां तथा समाप्त प्रचालन'' से संबंधित इंड एएस 105 में उल्लिखित मापदंड यदि पूरे नहीं होते हैं तो बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान कम्पनी का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। बिक्री के धारित के वर्गीकरण से बाहर की गई गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (i) बिक्री के लिए धारित के रूप में किए गए वर्गीकरण से पूर्व की उनकी वहन से न्यून स्तर पर करके उस मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया जाता है जिसकी स्वीकृति तब की जाती यदि परिसम्पति का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप में न किया जाता, तथा (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि न्यून स्तर पर है जब बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान कम्पनी का वर्गीकरण समाप्त हुआ था।

2.26 तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं

तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं एवं तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं) के अनुसरण में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय विचार में लिया जाता है।

2.27 सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश

सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश का वहन लागत में से संचित क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। जब क्षमता हानि के संकेत विद्यमान होते हैं तो निवेश की वहन राशि का मूल्यांकन किया जाता है तथा इसकी वसूलीयोग्य राशि का प्रतिलेखन किया जाता है। निवेश के निपटान के पश्चात निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशियों के मध्य के अंतर की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है।

2.28 पूर्वावधि समायोजन

पूर्वावधि की सामग्रीगत चूकों में पूर्वव्यापी तौर पर सुधार करके उनका पुनर्लेखन तुलनात्मक राशियों के उल्लेख के साथ उन पूर्वावधियों के लिए किया जाता है जिस अवधि में चूक हुई है। यदि चूक की उत्पति प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले की है तो पूर्व प्रस्तुत पूर्वावधि के लिए परिसम्पतियों, देयताओं एवं इक्विटी के अथशेषों का, यदि अव्यवहार्य नहीं है, पुनः उल्लेख किया गया है तथा अव्यवहार्य होने के मामले में तुलनात्मक सूचना का समायोजन व्यवहार्य पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

2.29 वे लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में कम्पनी से सम्बद्ध नहीं है उनके संबंध में प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं। जब कभी ऐसी लेखांकन नीतियां सम्बद्ध होंगी तो प्रकटीकरण किए जाएंगे।

टिप्पणी 3: संपति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				
	31 मार्च, 2021 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 की स्थिति	निवल वहन मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि	4,16,43.39	74,68.94	62,62.44	5,53,74.77	–	–	–	–	5,53,74.77
पट्टा धारित भूमि	2,42,86.18	23,37.73	(62,62.44)	2,03,61.47	–	–	–	–	2,03,61.47
फ्रीहोल्ड भवन	–	4,76.66	–	4,76.66	–	2.96	–	2.96	4,73.70
पट्टा धारित सुधार	10,68.51	17,63.28	(6,08.10)	22,23.69	7,67.76	4,39.72	(6,08.10)	5,99.38	16,24.31
अस्थाई संरचना	13,27.57	2.28	–	13,29.85	3,33.39	4,20.44	–	7,53.83	5,76.02
ईडीपीपरिसम्पतियां	3,42.88	1,07.57	(27.38)	4,23.07	1,51.56	1,03.60	(21.44)	2,33.72	1,89.35
कार्यालय उपकरण	4,42.01	4,19.72	(5.84)	8,55.89	1,77.73	1,25.85	(5.06)	2,98.52	5,57.37
फर्नीचर और जुड़नार	6,24.68	3,10.82	(20.63)	9,14.87	1,10.19	98.79	(5.76)	2,03.22	7,11.65
कुल	**6,97,35.22**	**1,28,87.00**	**(6,61.95)**	**8,19,60.27**	**15,40.63**	**11,91.36**	**(6,40.36)**	**20,91.63**	**7,98,68.64**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				
	1 अप्रैल, 2020 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 की स्थिति	निवल वहन मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि	1,86.58	4,14,56.81	–	4,16,43.39	–	–	–	–	4,16,43.39
पट्टा धारित भूमि	1,69,97.69	72,88.49	–	2,42,86.18	–	–	–	–	2,42,86.18
फ्रीहोल्ड भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धारित सुधार	10,53.11	15.40	–	10,68.51	5,43.17	2,24.59	–	7,67.76	3,00.75
अस्थाई संरचना	–	13,27.57	–	13,27.57	–	3,33.39	–	3,33.39	9,94.18
ईडीपीपरिसम्पतियां	2,14.73	1,44.36	(16.21)	3,42.88	83.20	82.20	(13.84)	1,51.56	1,91.32
कार्यालय उपकरण	3,26.80	1,16.55	(1.34)	4,42.01	1,02.46	75.63	(0.36)	1,77.73	2,64.28
फर्नीचर और जुड़नार	3,04.84	3,23.44	(3.60)	6,24.68	55.48	55.73	(1.02)	1,10.19	5,14.49
कुल	**1,90,83.75**	**5,06,72.62**	**(21.15)**	**6,97,35.22**	**7,84.31**	**7,71.54**	**(15.22)**	**15,40.63**	**6,81,94.59**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

(i) फ्रीहोल्ड भूमि

क. जिला गाज़ियाबाद में दुहाई, भीकनपुर एवं बसंतपुर संथिल ग्रामों में दुहाई डिपो के लिए 6.14 हेक्टेयर (44.79 हेक्टेयर) की निजी भूमि की लागत की ₹ 61,62.51 लाख (₹ 4,14,56.81 लाख) स्टाम्पड्यूटी सहित राशि का पूंजीयन किया गया है। दरों का निर्धारण जिला न्यायाधीश, गाज़ियाबाद की अध्यक्षता वाली जिला स्तर दर निर्धारण समिति द्वारा किया गया था तथा इसके लिए अनुमोदन मंडल आयुक्त, मेरठ ने प्रदान किया है। 29.71 हेक्टेयर (15.27 हेक्टेयर) माप की भूमि का नाम परिवर्तन कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा 21.22 हेक्टेयर (29.52 हेक्टेयर) माप की शेष भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है।

ख. पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 17,508.64 प्रति वर्गमीटर की दर से खिचड़ीपुर, दिल्ली में ₹ 12,67.89 लाख की 7241.54 वर्गमीटर भूमि का पूर्ण भुगतान किए जाने पर आबंटन किए जाने के परिणामस्वरूप में पूंजीयन कर लिया गया है।

ग. दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली में ₹ 14,164.50 प्रति वर्गमीटर की दर से 12.56 वर्गमीटर की भूमि के लिए ₹ 1.78 लाख की राशि का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है।

घ. दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जंगपुरा, दिल्ली में ₹ 14,164.50 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹ 36.76 लाख की राशि की आबंटित 259.50 वर्गमीटर भूमि का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है।

ङ. वर्ष के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि का पुनःवर्गीकरण पट्टाधारित भूमि के रूप में किए जाने पर आईएसबीटी सराय काले खान, दिल्ली 17,528 वर्गमीटर तथा आईएसबीटी आनन्द विहार, दिल्ली में 10,190 वर्गमीटर की ₹ 45,54.19 लाख की राशि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कर लिया गया है।

च. वर्ष के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि का पुनःवर्गीकरण पट्टा धारित भूमि के रूप में किए जाने पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सराय कालेखान में आबंटित ₹ 17,08.25 लाख की 2.98 एकड़ माप की भूमि का पूंजीयन कर लिया गया है।

छ. विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा आबंटित भूमि, लंबित हस्तांतरण अनुबंध, निम्नानुसार हैं:– (₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष में चुकता	क्षेत्र	राशि
1.	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2019–20	1588.54 वर्गमीटर	1,86.58
2.	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सराय कालेखान, दिल्ली	2020–21	2.98 एकड़	17,08.25
3.	दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी	सराय कालेखान, दिल्ली	2020–21	17528 वर्गमीटर	28,79.92
4.	दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी	आनन्द विहार, दिल्ली	2020–21	10190 वर्गमीटर	16,74.27
5.	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2021–22	7241.54 वर्गमीटर	12,67.89
6.	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली	2021–22	12.56 वर्गमीटर	1.78
7.	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	जंगपुरा, दिल्ली	2021–22	259.50 वर्गमीटर	36.76
कुल					**77,55.45**

(ii) पट्टाधारित भूमि

क. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 14,385.97 प्रति वर्गमीटर की दर से गुलधर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में आबंटित 6059.02 वर्गमीटर भूमि के लिए ₹ 8,71.65 लाख का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर दिया गया है।

ख. दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रुवमेंट बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 2,05,234 प्रति वर्गमीटर की दर से जंगपुरा, दिल्ली में आबंटित 297 वर्गमीटर भूमि के लिए ₹ 6,40.02 लाख रुपए का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है।

ग. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 17,508.65 प्रति वर्गमीटर की दर से जंगपुरा, दिल्ली में आबंटित 3123 वर्गमीटर की भूमि के लिए ₹ 5,60.45 लाख का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन किया गया है।

घ. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में आबंटित ₹ 60.12 लाख की लागत की 335 वर्गमीटर भूमि का ₹ 17,946.50 प्रति वर्गमीटर की दर से पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है। इसके प्रति ₹ 7.33 लाख रुपए का ब्याज भुगतान है और उसका पूंजीयन भूमि की लागत मे वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया है।

ङ. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान न्यू अशोक नगर, दिल्ली में आबंटित ₹ 312.59 लाख की लागत की 2153 वर्गमीटर भूमि का ₹ 5,73.22 लाख प्रति वर्गमीटर की अस्थाई दर से पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है जिसके प्रति दरों को अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है तथा इसके लिए 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पट्टा धारित भूमि का किसी अवधि निर्धारण के बिना ग्राउंड किराया है। इसके प्रति 0.16 लाख रुपए का ब्याज भुगतान है और उसका पूंजीयन भूमि की लागत मे वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया है।

च. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान न्यू अशोक नगर, दिल्ली में आबंटित ₹ 56.17 लाख की लागत की 313 वर्गमीटर भूमि का ₹ 7,08.55 लाख प्रति एकड़ की अस्थाई दर से पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है तथा इसके लिए 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पट्टाधारित भूमि का किसी अवधि निर्धारण के बिना ग्राउंड किराया है।

छ. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 50,740 प्रति वर्गमीटर की सर्कल दर से साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में आबंटित 398 वर्गमीटर भूमि के लिए ₹ 2,01.94 लाख का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर दिया गया है।

ज निम्नलिखित भूखंडों के संबंध में पट्टा प्रलेख का निष्पादन लंबित है:– (₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष में चुकता	क्षेत्र	राशि
1.	भूमि एवं विकास अधिकारी आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2019–20	12 हेक्टेयर	1,69,97.69
2.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	पटपड़गंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	2020–21	335 वर्गमीटर	67.46
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020–21	2153 वर्गमीटर	3,12.75
4.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यमुना खादर, दिल्ली	2020–21	4500 वर्गमीटर	6,53.34
5.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	गुलधर, गाज़ियाबाद	2021–22	6059.02 वर्गमीटर	8,71.65
6.	दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रुवमेंट बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021–22	297 वर्गमीटर	6,40.02
7.	दिल्ली जल बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021–22	3123 वर्गमीटर	5,60.45
8.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2021–22	313 वर्गमीटर	56.17
9.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद, गाज़ियाबाद	2021–22	398 वर्गमीटर	2,01.94
कुल					**2,03,61.47**

(iii) कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों से सरकारी एजेंसियों से प्रतिफल के लंबित अंतिम निर्धारण के साथ भूमि का स्थाई आधार पर हस्तांतरण किए जाने के प्रति कार्य अनुमति प्राप्त हुई है। वर्तमान में कम्पनी के पास 157131 वर्गमीटर की भूमि के लिए कार्य अनुमति है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	प्राधिकरण	स्थल	उद्देश्य	क्षेत्र (वर्गमीटर)
1.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	मुरादनगर	मुरादनगर स्टेशन	9569
2.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	अर्थला	सब स्टेशन	4000
3.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	हिंडन नदी क्रासिंग एवं दिल्ली क्षेत्र में नदी के किनारे	वाया डक्ट	15320
4.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	न्यू अशोक नगर	स्टेशन प्रवेश/निकास	8000
5	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	अर्थला	चेनेज 21507 से 23043 के बीच निर्माण के लिए	639
6.	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	शताब्दी नगर	आरक्षित वन	6390
7.	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	रिथानी	आरक्षित वन	920
8.	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण	हिंडन मोटल लैंड	गाज़ियाबाद स्टेशन	24017
9.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मुराद नगर	सब स्टेशन	4583
10.	गाज़ियाबाद नगर निगम	वैशाली से गाज़ियाबाद तिराहा	वाया डक्ट	14144
11.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद	साहिबाबाद स्टेशन	2500
12.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	गुलधर	गुलधर स्टेशन	6059
13.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद	वेंटिलेशन शाफ्ट	398
14.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	साहिबाबाद	साहिबाबाद स्टेशन	7860
15.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	मुरादनगर	मुरादनगर स्टेशन	2220
16.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली	भैसाली स्टेशन	7534
17.	मेरठ विकास प्राधिकरण रिथानी	रिठानी	एम आर टी एस स्टेशन	2247
18.	मेरठ विकास प्राधिकरण	शताब्दीनगर	सब स्टेशन	4000
19.	जिला न्यायाधीश, गाज़ियाबाद	दुहाई	दुहाई डिपो	3285
20.	जिला न्यायाधीश, गाज़ियाबाद	भीकनपुर	दुहाई डिपो	9302
21.	जिला न्यायाधीश, गाज़ियाबाद	बसंतपुर सैंथली	दुहाई डिपो	120
22.	जिला न्यायाधीश, मेरठ	सिवाया	मोदीपुरम डिपो	23554
23.	जिला न्यायाधीश, मेरठ	भूलब्रल अमीनपुर	मेरठ साउथ स्टेशन	470

(iv) फ्रीहोल्ड भवन में सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में ₹ 4,76.66 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) की स्टाम्पड्यूटी सहित राशि से क्रय किए गए तीन फ्लेट शामिल हैं।

(v) आईएनए, नई दिल्ली में कार्यालय भवन को 1 सितंबर 2021 को लीजहोल्ड सुधार के रूप में पूंजीकृत किया गया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 17,63.28 लाख की राशि शामिल है, जिसमें सीडब्ल्यूआईपी परियोजना व्यय में से ₹ 12,67.16 पूंजीकृत है (नोट 5 देखें)।

टिप्पणी 4: उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

(₹ लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति	–	–	–
इंड एएस 116 में पारगमन पर समायोजन	**36.89**	**7,91.01**	**8,27.90**
आवर्धन	–	–	–
निपटान/समायोजन	–	(39.77)	(39.77)
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**36.89**	**7,51.24**	**7,88.13**
आवर्धन	3,05.28	–	3,05.28
निपटान/समायोजन	–	(7,51.24)	(7,51.24)
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**3,42.17**	–	**3,42.17**
मूल्यह्रास			
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति	**7.43**	**3,25.76**	**3,33.19**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	7.43	3,15.48	3,22.91
निपटान/समायोजन		(17.68)	(17.68)
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**14.86**	**6,23.56**	**6,38.42**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	1,44.34	1,27.68	2,72.02
निपटान/समायोजन		(7,51.24)	(7,51.24)
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**1,59.20**	–	**1,59.20**
निवल वहन मूल्य			
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**1,82.97**	–	**1,82.97**
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**22.03**	**1,27.68**	**1,49.71**

व्याख्यात्मक नोट

(i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 44 से संदर्भ प्राप्त करें

(ii) उपयोग के अधिकार (भूमि) में भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 3,05.28 लाख पर आवंटित कार्यालय भवन के लिए लीजहोल्ड भूमि शामिल है (नोट 5 देखें)

टिप्पणी 5: पूंजी कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	योग
1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ शेष	**5,63,14.62**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	16,53,82.79
समायोजन (पूंजीयन)	(281.42)
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	**22,14,15.99**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	40,11,20.09
समायोजन (पूंजीयन)	(15,78.87)
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**62,09,57.21**

टिप्पणी 5.1 : पूंजी कार्य प्रगति पर का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	1.4.2020 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	1.4.2021 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.3.2022 की स्थिति
क) पूंजी डब्ल्यूआईपी – अन्य (गैर–परियोजना)							
पट्टा धारित सुधार	37.75	–	4,62.13	499.88	7,67.28	(12,67.16)	–
अन्य	–	–	3,05.28	3,05.28	–	(3,05.28)	
योग (क)	**37.75**	–	**7,67.41**	**8,05.16**	**7,67.28**	**(15,72.44)**	–
ख) परियोजना व्यय							
स्थाई मार्ग (वे)	6,97.12	70,79.84	–	77,76.96	1,59,97.92	–	2,37,74.88
रोलिंग स्टॉक	3,60.00	52,63.87	–	56,23.87	22,65.52	–	78,89.39
वायाडक्ट पुल, टन्नल्स, पुलिया बंडर	1,04,02.10	7,84,71.96	–	8,88,74.06	19,16,76.57	–	28,05,50.63
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	4.07	4,81.46	–	4,85.53	90,23.95	–	95,09.48
सुरक्षा उपकरण	2.99	–	–	2.99	–	–	2.99
संयंत्र एवं मशीनरी	–	–	–	–	13,17.80	–	13,17.80
स्टेशन भवन	–	8,90.83	–	8,90.83	4,98,54.74	–	5,07,45.57
ट्रैक्शन एवं बिजली आपूर्ति	–	1,69.60	–	1,69.60	1,19,87.28	–	1,21,56.88
स्टाफ क्वार्टर्स	–	11,78.69	–	11,78.69	35,79.46	–	47,58.15
डिपो एवं कार्यशाला	–	14,17.56	–	14,17.56	1,05,15.01	–	1,19,32.57
जीएसटी पूंजीयन	88,57.81	2,00,67.51	(74.54)	2,88,50.78	4,84,40.95	–	7,72,91.73
निर्माण के दौरान व्यय (निवल)	2,34,70.79	3,89,60.84	(7,30.62)	6,17,01.01	3,60,70.97	–	9,77,71.98
निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.2)	1,24,81.99	1,14,00.63	(2,43.67)	2,36,38.95	1,91,39.22	(6.43)	4,27,71.74
योग (ख)	**5,62,76.87**	**16,53,82.79**	**(10,48.83)**	**22,06,10.83**	**39,98,69.39**	**(6.43)**	**62,04,73.79**
ट्रांजिट में मशीनरी (ग)							
डिपो सह कार्यशाल	–	–	–	–	4,83.42	–	4,83.42
योग (ग)	–	–	–	–	**4,83.42**	–	**4,83.42**
कुल योग	**5,63,14.62**	**16,53,82.79**	**(2,81.42)**	**22,14,15.99**	**40,11,20.09**	**(15,78.87)**	**62,09,57.21**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(i) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सी डब्ल्यू आई पी को ₹ 91,60.95 लाख 19 ट्रांसमिशन लाइनों के लिए (पिछले वर्ष ₹ 91,37.39 लाख ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 19) अंतरण किया गया है जो कि इन 19 ट्रांमिशन लाइनों को प्रारंभ करने एवं ऊर्जावान करने के अनुमानों पर आधारित है। अंतिम बिल प्रस्तुत होने पर पूंजीयन की राशि में अंतर आ सकता है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन कम्पनियों के साथ अनुवर्ती समाधान करने पड़ सकते हैं।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 4,85,21.63 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,00,67.51 लाख) के लिए सीडब्ल्यूआईपी के हिस्से के रूप में जीएसटी/कस्टम ड्यूटी का पूंजीकरण किया है। आपूर्ति कार्य आदि के लिए आपूर्तिकर्ताओं ठेकेदारों को किए गए भुगतान के लिए, परियोजना संबंधी व्यय पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अपात्र जीएसटी क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीएसटी को कॉरीडोर वित्तीय मॉडल के आधार पर सीडब्ल्यूआई माना गया है तथा दिनांक 7 मार्च, 2019 के स्वीकृति आदेश के प्रति अप्रत्यक्ष करों (सीमाशुल्क एवं जीएसटी) का निधियन गौण नामे के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

इसके अलावा कम्पनी को गौण नामे के प्रति ₹ 6,81,00.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,58,00 लाख) की कर राशि प्राप्त हुई है जिसके प्रति 31 मार्च, 2022 तक के लिए जीएसटी से संबंधित ₹ 7,75,16.74 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,89,25.32 लाख) का व्यय किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से सरकारी एजेंसियों के साथ प्रतिफल के लंबित अंतिम निर्धारण के साथ भूमि का स्थाई आधार पर हस्तांतरण किए जाने के प्रति कार्य अनुमति प्राप्त हुई है। वर्तमान में कम्पनी के पास 15291 वर्गमीटर की भूमि के लिए कार्य अनुमति है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	प्राधिकरण	स्थल	उद्देश्य	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1.	उत्तर प्रदेश सिंचाई.गंगा	अर्थला	वायाडक्ट का निर्माण	7705
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली	भैसाली स्टेशन	7586

(iv) वर्ष के दौरान पूंजीकृत सीडब्ल्यूआईपी आईएनए, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के लिए ₹ 12,67.16 लाख (नोट 3 देखें) के लिए लीजहोल्ड सुधार और भूमि एवं विकास कार्यालय, एमओएचयूए, भारत सरकार द्वारा आवंटित कार्यालय भवन के लिए लीजहोल्ड भूमि का पूंजीकरण ₹ 3,05.28 लाख दर्शाता है। (नोट 4 देखें)

टिप्पणी 5.2: निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्ययों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	67,21.51	52,95.60
वित्त लागतें	25	74,20.85	18,64.68
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें	26	11,26.92	9,47.11
अन्य व्यय	27	38,69.94	32,93.24
योग		**1,91,39.22**	**1,14,00.63**

टिप्पणी 5.3: सीडब्ल्यूआई की निर्माण अनुसूची का उपयोज्यता कालक्रम

31 मार्च 2022

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	40,03,46.28	16,42,96.21	4,45,42.46	1,17,72.16	62,09,57.21
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**40,03,46.28**	**16,42,96.21**	**4,45,42.46**	**1,17,72.16**	**62,09,57.21**

31 मार्च, 2021

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	16,51,01.37	4,45,42.46	99,59.69	18,12.47	22,14,15.99
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**16,51,01.37**	**4,45,42.46**	**99,59.69**	**18,12.47**	**22,14,15.99**

टिप्पणी 5.4: सीडब्ल्यूआईपी कार्य सम्पन्नता विलम्बन अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	कितने काल में सम्पन्न होना है				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
शून्य					

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो विलंबित हो अथवा जिसमें तुलन पत्र तिथि के अनुसार लागत मूल अनुमान से अधिक हुई हो।

टिप्पणी 6.1 : अमूर्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	**16,24.49**	**92.75**	**17,17.24**
वर्ष के दौरान आवर्धन	–	96.45	96.45
समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	**16,24.49**	**1,89.20**	**18,13.69**
वर्ष के दौरान आवर्धन	–	2,55.38	2,55.38
समायोजन	2,92.41	–	2,92.41
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**19,16.90**	**4,44.58**	**23,61.48**
परिशोधन			
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	**29.93**	**39.58**	**69.51**
वर्ष के दौरान परिशोधन	46.41	29.28	75.69
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	**76.34**	**68.86**	**1,45.20**
वर्ष के दौरान परिशोधन	68.51	1,36.00	2,04.51
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**1,44.85**	**2,04.86**	**3,49.71**
निवल वहन मूल्य			
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**17,72.05**	**2,39.72**	**20,11.77**
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**15,48.15**	**1,20.34**	**16,68.49**

टिप्पणी 6.2 : विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	पीएसडी प्रणाली	साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	–	–	–
वर्ष के दौरान आवर्धन	–	2,43.67	2,43.67
समायोजन / (पूंजीयन)	–	–	–
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	–	**2,43.67**	**2,43.67**
वर्ष के दौरान आवर्धन	65.02	–	65.02
समायोजन / (पूंजीयन)	–	(2,43.67)	(2,43.67)
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**65.02**	–	**65.02**

टिप्पणी 6.2.1 : विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता कालक्रम अनुसूची

31 मार्च, 2022 (₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की राशि				योग
सीडब्ल्यूआईपी	**1 वर्ष से कम**	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
पीएसडी परियोजना प्रगति पर	65.02	–	–	–	65.02
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**65.02**	–	–	–	**65.02**

31 मार्च, 2021 (₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर	2,43.67	–	–	–	2,43.67
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**2,43.67**	–	–	–	**2,43.67**

टिप्पणी 6.2.2: ऐसी कोई विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं जिसका निर्माण विलंबित हो अथवा जिसकी अनुमानित लागत बढ़ गई हो।

टिप्पणी 7 : वित्तीय परिसम्पतियां – गैर चालू

टिप्पणी 7.1 : निवेश

टिप्पणी 7.1.1 : पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में निवेश (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
उद्धरण न की गई, लागत (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) एन सी आर टी सी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (₹100/– मूल्य प्रत्येक के 100000 शेयर)	1,00.00	1,00.00
योग	**1,00.00**	**1,00.00**

टिप्पणी 7.1.2: उद्धृत एवं उद्धृत न किए गए निवेश का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
(क) उद्धृत निवेश एवं उनके बाजार मूल्य की राशि का योगफल	–	–
(ख) उद्धृत न किए गए निवेश की राशि का योगफल	1,00.00	1,00.00
(ग) निवेशों के मूल्य में क्षमता हानि की राशि का योगफल	–	–
योग	**1,00.00**	**1,00.00**

टिप्पणी 7.2: अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
प्रतिभूति जमा	15,48.21	11,05.05
ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा (संदर्भ नोट 7.2.1)*	8,87.19	8,81.25
योग	**24,35.40**	**19,86.30**

*रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता होने पर

टिप्पणी 7.2.1: ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	0.76	0.76
कार्यकारी अभियंता, सिविल प्रभाग संख्या III, आईएंडएफसी विभाग	5,00.00	5,00.00
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	3,72.87	3,72.87
कार्यकारी अभियंता, नगर निगम गाज़ियाबाद	0.20	0.20
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाज़ियाबाद	6.18	3.64
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	7.18	3.78
योग	**8,87.19**	**8,81.25**

टिप्पणी 8 : आस्थगित कर परिसम्पतियां / (देयताएं)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएं		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	11.94	12.87
आस्थगित कर देयताओं का योग	**11.94**	**12.87**
ख. आस्थगित कर परिसम्पतियां		
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	(10,13.36)	2,95.31
आस्थगित कर परिसम्पतियों का योग	**(10,13.36)**	**2,95.31**
आस्थगित कर परिसम्पतियां / (देयताएं) निवल	**(10,25.30)**	**2,82.44**

आस्थगित कर परिसम्पति / (देयता) में मूवमेंट

(₹ लाख में)

विवरण	प्रावधान	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	**(2.68)**	**1,27.25**	**1,24.57**
वर्ष 2020–21 में (प्रभारित) / क्रेडिट			
लाभ एवं हानि में	–	1,68.06	1,68.06
अन्य व्यापक आय में	(10.19)	–	(10.19)
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	**(12.87)**	**2,95.31**	**2,82.44**
वर्ष 2021–22 में (प्रभारित) / क्रेडिट			
लाभ एवं हानि में	–	(13,08.67)	(13,08.67)
अन्य व्यापक आय में	0.93	–	0.93
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**(11.94)**	**(10,13.36)**	**(10,25.30)**

टिप्पणी 9 : अन्य गैर चालू परिसम्पतियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
क) पूंजी अग्रिम		
– निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत तथा अच्छा समझा गया)*	11,43,40.96	7,57,99.14
– भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम	2,11,06.80	–
ख) उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा#	4,38.28	3,75.45
योग	**13,58,86.04**	**7,61,74.59**

* ठेकेदारों को बैंक गारंटियों, रेहन आदि के साथ दिए गए ₹10,37,12.73 लाख (पिछले वर्ष ₹6,32,30.74 लाख) सहित

यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर–परिशोधित भाग से संबंधित है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(i). निर्माण कार्यों के लिए दिए गए अग्रिम में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआई को अंतरित की गई 19 ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित ₹ 91,60.95 लाख (पिछले वर्ष 19 ट्रांसमिशन लाइनों के लिए ₹ 91,37.39 लाख) शामिल है जो इन ट्रांसमिशन लाइनों की कमीशनिंग एवं इन्हें ऊर्जावान किए जाने के अनुमानों पर आधारित है। अंतिम बिल प्रस्तुत होने एवं उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन कम्पनियों के साथ अनुवर्ती समाधान होने पर पूंजीयन राशि में परिवर्तन हो सकता है।

(ii). भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम 'भूमि अधिग्रहण बैंक खाते के लिए सक्षम प्राधिकारी' के पास जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है, 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के तहत गाज़ियाबाद में भूमि अधिग्रहण के लिए।

टिप्पणी 10: वित्तीय परिसम्पतियां–चालू

टिप्पणी 10.1: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

टिप्पणी 10.2: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
उपलब्ध नकदी	–	–
बैंकों में जमा:		
- चालू खाते में	54,30.25	5,80.94
- फ्लैक्सी जमा *	4,86,25.04	8,36,51.28
- अग्रदाय	5.64	4.72
अवधि जमा *	3,95,00.00	30,36.00
योग	**9,35,60.93**	**8,72,72.94**

*प्राप्ति की तिथि से 3 माह में परिपक्व होने वाले

टिप्पणी 10.3: नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अवधि जमा *	17,35,52.68	12,39,18.00
ग्रहणाधिकार के रूप् में रखे गए सावधी जमा(संदर्भ टिप्पणी10.3.1)*	0.58	52,00.58
योग	**17,35,53.26**	**12,91,18.58**

*रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार प्राप्ति की तिथि से 3 माह से अधिक तथा 12 माह तक की परिपक्वता वाले

टिप्पणी 10.3.1 ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	0.58	0.58
साख पत्र के प्रति मार्जिन धन	–	52,00.00
योग	**0.58**	**52,00.58**

टिप्पणी 10.4: अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
सावधि जमा पर ब्याज उपचय	8,89.63	10,66.37
अन्य प्राप्य	6,07.51	1,18.56
वसूलीयोग्य एडीबी तकनीकी अनुदान	10,75.25	–
वसूलीयोग्य जेएफपीआर अनुदान	6.45	–
प्रतिभूति जमा	80.60	55.36
योग	**26,59.44**	**12,40.29**

टिप्पणी 11: चालू कर परिसम्पतियां / देयताएं (निवल)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती घटाएं: आय कर के लिए प्रावधान	42,44.73 (25,32.93)	30,07.50 (24,65.98)
योग	**17,11.80**	**5,41.52**

टिप्पणी 12: अन्य चालू परिसम्पतियां

(₹लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अग्रिम			
कर्मचारियों को चुकता अग्रिम		2.04	0.27
अन्य अग्रिम		62.91	6.74
उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा *		83.00	62.78
जीएसटी इनपुटक्रेडिट		0.57	1,24.14
पूर्व चुकता व्यय		1,34.90	18.88
स्वीकृति/इंक्वारी के लिए लंबित बट्टा की जाने वाली परिसम्पतियां	2.02		
घटाएं: स्वीकृति/इंक्वारी के लिए लंबित बट्टा की जाने वाली परिसम्पतियां के लिए प्रावधान	(2.02)	–	–
योग		**2,83.42**	**2,12.81**

*यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर–परिशोधित भाग से संबंधित है।

टिप्पणी 13: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
प्राधिकृत 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 10,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,000,000)	1,00,00.00	1,00,00.00
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 10,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,000,000)	1,00,00.00	1,00,00.00
योग	**1,00,00.00**	**1,00,00.00**

टिप्पणी 13.1: इक्विटी शेयरों की संख्या एवं इक्विटी पूंजी का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100.00	1,00,00.00	100.00	1,00,00.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**100.00**	**1,00,00.00**	**1,00.00**	**1,00,00.00**

टिप्पणी 13.2: शेयरों से सम्बद्ध अधिकार वरीयता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कम्पनी के केवल एक ही श्रेणी के प्रति शेयर ₹100 मूल्य के शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर के लिए एक वोट का पात्र है। ऋणशोधन की स्थिति में शेयरधारिता के अनुसार सभी अधिमान राशियों का वितरण किए जाने के पश्चात इक्विटी शेयरधारक कम्पनी की शेष परिसम्पतियां प्राप्त करने के पात्र हैं।

टिप्पणी 13.3: कम्पनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति				
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%
राज्य सरकार				
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
योग	**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**

टिप्पणी 13.4 प्रोमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%	
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति					
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	शून्य
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	शून्य
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%	शून्य
राज्य सरकार					
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	शून्य
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	शून्य
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	शून्य
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	शून्य

टिप्पणी 13.5: रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या– शून्य

टिप्पणी 14: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
क. प्रतिधारित उपार्जन*	1,18,66.87	71,65.78
ख. आस्थगित आय	16,10,82.80	13,18,65.00
योग	**17,29,49.67**	**13,90,30.78**

*प्रतिधारित उपार्जन कम्पनी के अवितरित लाभ से संबंधित है।

टिप्पणी 14.1: प्रतिधारित उपार्जन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अथ शेष	71,65.78	27,94.06
जोड़ें: लाभ एवं हानि के विवरण से अंतरित अवधि के दौरान लाभ	47,03.84	43,41.41
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित अन्य व्यापक आय	(2.75)	30.31
योग	**1,18,66.87**	**71,65.78**

टिप्पणी 14.2: आस्थगित आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान अन्य के लिए पूंजी अनुदान	15,97,65.00 13,17.80	13,18,65.00 –
अंत शेष	**16,10,82.80**	**13,18,65.00**

टिप्पणी 14.2.1: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 20 "सरकारी अनुदान सहायताओं का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	योग	31.3.2021 तक आय में अंतरित	चालू वर्ष में आय में अंतरित	अंत शेष
क	**दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए**						
1	भारत सरकार	7,72,65.00	1,88,00.00	9,60,65.00	–	–	9,60,65.00
2	रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	86,00.00	–	86,00.00	–	–	86,00.00
3	उत्तर प्रदेश सरकार	4,60,00.00	91,00.00	5,51,00.00	–	–	5,51,00.00
	योग क	**13,18,65.00**	**2,79,00.00**	**15,97,65.00**	–	–	**15,97,65.00**
B	**अन्य के लिए**						
4	एशियन डेवलपमेंट बैंक– तकनीकी सहायता	–	13,17.80	13,17.80	–	–	13,17.80
	योग ख	–	**13,17.80**	**13,17.80**	–	–	**13,17.80**
	योग (क+ख)	**13,18,65.00**	**2,92,17.80**	**16,10,82.80**	–	–	**16,10,82.80**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	योग	31.3.2021 तक आय में अंतरित	चालू वर्ष में आय में अंतरित	अंत शेष
क	**दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए**						
1	भारत सरकार	3,74,25.00	3,98,40.00	7,72,65.00	–	–	7,72,65.00
2	रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	86,00.00	–	86,00.00	–	–	86,00.00
3	उत्तर प्रदेश सरकार	2,01,00.00	2,59,00.00	4,60,00.00	–	–	4,60,00.00
	योग क	**6,61,25.00**	**6,57,40.00**	**13,18,65.00**	–	–	**13,18,65.00**
ख	**अन्य के लिए**						
4	एशियन डेवलपमेंट बैंक– तकनीकी सहायता	–	–	–	–	–	–
	योग ख	–	–	–	–	–	–
	योग (क+ख)	**6,61,25.00**	**6,57,40.00**	**13,18,65.00**	–	–	**13,18,65.00**

टिप्पणी 15: ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
अप्रतिभूत				
क. निम्नलिखित से ब्याज मुक्त गौणऋणः–				
i. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार				
गौण नामे	17,41,00.00		12,21,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	2,33,00.00		75,00.00	
गौण नामे (सरकारी भूमि)	2,38,00.00	22,12,00.00	170,00.00	14,66,00.00
ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार				
गौण नामे	1.72,00.00		1,72,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	3,00.00		3,00.00	
गौण नामे (राज्य कर)	4,00.00	1,79,00.00	4,00.00	1,79,00.00
iii. उत्तर प्रदेश सरकार				
गौण नामे	11.03,00.00		9,19,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	1.76,00.00		76,00.00	
गौण नामे (राज्य कर)	2.65,00.00		1,00,00.00	
गौण नामे (सरकारी भूमि)	35,00.00	15,79,00.00	5,00.00	11,00,00.00
ख. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित		27,34,05.50		5,58,35.18
ब्याज वहन ऋण				
ऋण संख्या **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि**				
एलएन3964–आईएनडी 15.02.2029				
ब्याज दरः (एलआईबीओआर+ 0.50%+ परिपक्वता प्रीमियम 0.20%) प्रति वर्ष 15 फरवरी, 2022 तक तथा उसके पश्चात [एसओएफआर (ओवरनाइट)+ 0.50%+ परिपक्वता प्रीमियम 0.20%+ अधिभार 0.14%] (व्याख्यात्मक टिप्पणी v)				
प्रतिबद्धता प्रभारः 0.15% प्रतिवर्ष		4,65,50.27		1,89,51.93
ग. भारत सरकार द्वारा न्यूडेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज				
वहन ऋण				
ऋण संख्या **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि**				
20आईएन04 15.03.2029				
ब्याज दरः (एलआईबीओआर+1.35%) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभारः 0.25% प्रति वर्ष				
योग		**71,69,55.77**		**34,92,87.11**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को आरआरटीएस के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त गौणऋण प्राप्त हुए हैं जिसका पुर्नभुगतान सीनियर नामे के भुगतान के पश्चात किया जाना है।

(ii) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ब्याज मुक्त गौणऋण का पुनर्भुगतान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के ब्याज युक्त सीनियर ऋणों का पुनर्भुगतान किए जाने के पश्चात किया जाना है।

(iii) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण/गौण नामे के नियम एवं शर्तें उसी प्रकार के ऋण के समान हैं जो अन्य मैट्रो परियोजना के लिए उचित मूल्य पर विचार में लाई जाती हैं।

(iv) भारत सरकार ने एडीबी, एनडीबी तथा एआईआईबी के साथ प्रत्येक द्वारा 500 मिलियन यूएसडॉलर का ऋण दिल्ली–मेरठ आरआरटी परियोजना हेतु किए जाने के लिए ऋण अनुबंध किया है। सभी ऋणों का काल 8 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित 25 वर्ष है। ऋणदाता एजेंसियों के साथ सहमत निधि प्रवाह व्यवस्था के अनुसार ऋण का लाभ बैक-टू-बैक आधार पर पास-थ्रू सहायता के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सौंपा जाना है। ऋणों का पुनर्भुगतान अर्ध–वार्षिक आधार पर परिशोधन अनुसूची के अनुसार किया जाना है जो वर्ष 2029 में प्रारंभ होगी। तथा 31.3.2022 तक एआईआईबी से ऋण की प्राप्ति प्रारंभ नहीं हुई है।

(v) 15 फरवरी, 2022 के पश्चात की अवधि के लिए एडीबी ऋण की एसओएफआर पर आधारित ब्याज दरें अनंतिम हैं तथा ये वास्तविक औसत निधियन लागत मार्जिन से संबंद्ध लागू संदर्भ दर के आधार पर रियायत अथवा प्रभार की शर्त के साथ हैं।

टिप्पणी 16: अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
पट्टा देयताएं	8.23	16.19
योग	**8.23**	**16.19**

विवरण के लिए संदर्भ टिप्पणी–44

टिप्पणी 17: दीर्घकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	4,17.36	2,61.23
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	8,49.40	5,30.16
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	2,31.12	1,25.56
योग	**14,97.88**	**9,16.95**

टिप्पणी 18: अन्य गैर–चालू दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	2,29,50.00	1,47,50.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	5,00.00	5,00.00
योग	**2,34,50.00**	**1,52,50.00**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

(i) यह हरियाणा सरकार से दिल्ली एसएनबी कॉरीडोर तथा दिल्ली पानीपत कॉरीडोर की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/गौण नामे) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

(ii) यह राजस्थान सरकार से दिल्ली एसएनबी कॉरीडोर की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/गौण नामे) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

टिप्पणी 19: वित्तीय देयताएं

टिप्पणी 19.1: पट्टा देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
पट्टा देयताएं	7.96	1,49.79
योग	**7.96**	**1,49.79**

विवरण के लिए संदर्भ टिप्पणी–44

टिप्पणी 19.2: अन्य वित्तीय देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
ब्याज उपचय पर ऋण पर देय नहीं	3,26.36	1,39.67
व्ययों के लिए लेनदार- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2,45.54	2,83.04
व्ययों के लिए लेनदार- अन्य	2,03,56.55	2,49,51.40
पेशगी धन जमा	–	3,71.44
प्रतिभूति जमा	29,75.81	19,24.42
योग	**2,39,04.26**	**2,76,69.97**

टिप्पणी 20: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार देय नहीं है तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची – लागू नहीं है।

टिप्पणी 21: अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम	15,82,74.78	4,42,93.20
सांविधिक देय		
स्रोत पर कर कटौती देय	23,02.54	9,39.08
जीएसटी देय	15,05.04	6,47.31
भुगतान योग्य भवन एवं अन्य अन्य निर्माण कामगार कल्याण उप–कर	6,99.13	2,27.28
भविष्य निधि	77.71	56.90
अन्य	4,72.07	49.56
योग	**16,33,31.27**	**4,62,13.33**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 47,11,00.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11,73,00.00 लाख) का अग्रिम एशियनडेवलपमेंट तथा न्यूडेवलपमेंट बैंक से पास थ्रू सहायता के रूप में ऋण का वितरण लंबित होने के चलते प्राप्त हुआ है। ₹ 15,82,74.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4,42,93.20 लाख) के शेष अग्रिम का समायोजन व्ययतित व्यय के पश्चात किया जाना है तथा इसका वित्तीय अनेक बैंकों से ऋण के माध्यम से किया जाना है।

टिप्पणी 22: अल्पकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	6.61	4.06
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	47.60	32.57
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	91.35	31.17
योग	**1,45.56**	**67.80**

टिप्पणी 23 : अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	84,54.77	73,38.12
योग (क)	**84,54.77**	**73,38.12**
अन्य गैर–प्रचालन आय		
वित्तीय परिसम्पतियों पर ब्याज आय	55.94	6.85
अन्य विविध आय	45.68	32.75
परामर्श आय	60.20	–
मौद्रिक अनुदान (जेएफपीआर)	47.11	–
विनिमय दर उतार चढ़ाव लाभ	2,83.18	–
योग (ख)	**4,92.11**	**39.60**
योग (क+ख)	**89,46.88**	**73,77.72**

टिप्पणी 24 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
विवरण	**निर्माण पर व्यय**	**लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय**	**सकल व्यय**	**निर्माण पर व्यय**	**लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय**	**सकल व्यय**
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	61,42.00	6,28.24	67,70.24	48,29.08	5,13.94	53,43.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,21.24	11.20	1,32.44	82.25	8.07	90.32
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान*	4,58.27	66.06	5,24.33	3,84.27	34.05	4,18.32
योग	**67,21.51**	**7,05.50**	**74,27.01**	**52,95.60**	**5,56.06**	**58,51.66**

*भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, छुट्टी लाभ एवं अन्य टर्मिनल लाभों के लिए ₹95.60 लाख (पिछले वर्ष ₹99.08 लाख) की राशि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंधित संगठनों को चुकता की गई है/देय है/तथा इसे कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया गया है।

टिप्पणी 25 : वित्त लागतें

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
विवरण	**निर्माण पर व्यय**	**लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय**	**सकल व्यय**	**निर्माण पर व्यय**	**लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय**	**सकल व्यय**
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	8.48	3.97	12.45	25.41	12.92	38.33
वित्त लागत						
क. एडीबी तथा एनडीबी से प्राप्त ऋण पर	20,21.47	–	20,21.47	12,45.20	–	12,45.20
ख. ब्याज लागतों में समायोजित विनिमय दर भिन्नता	53,90.90	–	53,90.90	5,94.07	–	5,94.07
योग	**74,20.85**	**3.97**	**74,24.82**	**18,64.68**	**12.92**	**18,77.60**

टिप्पणी 26 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3)	8,65.91	3,25.45	11,91.36	6,63.17	1,08.37	7,71.54
उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 4)	1,72.55	99.47	2,72.02	2,09.63	1,13.28	3,22.91
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 6.1)	88.46	116.05	2,04.51	74.31	1.38	75.69
योग	**11,26.92**	**5,40.97**	**16,67.89**	**9,47.11**	**2,23.03**	**11,70.14**

टिप्पणी 27 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
कार्यालय किराया	81.84	16.19	98.03	1,94.84	2.46	1,97.30
शुल्क, दरें एवं कर	–	4.85	4.85	–	2.04	2.04
मरम्मत अनुरक्षण मशीनरी एवं अन्य	68.27	52.07	1,20.34	49.65	1.74	51.39
ऊर्जा एवं ईंधन	1,33.18	73.96	2,07.14	1,36.71	2.96	1,39.67
वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	10,78.80	1,35.33	12,14.13	8,86.56	61.22	9,47.78
यात्रा व्यय	2,41.06	5.76	2,46.82	99.23	13.62	1,12.85
इंटरनेट प्रभार	28.10	26.46	54.56	26.30	13.33	39.63
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं.27.1)	–	2.00	2.00	–	2.75	2.75
विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	98.44	81.47	1,79.91	30.95	1,04.68	1,35.63
तकनीकी जांच एवं सर्वेक्षण व्यय	4,27.32	–	4,27.32	2,58.50	–	2,58.50
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	–	59.91	59.91	–	49.93	49.93
परामर्श प्रभार	3,81.60	1,02.86	4,84.46	3,02.91	0.01	3,02.92
सुरक्षा व्यय	1,82.06	41.54	2,23.60	1,68.64	30.84	1,99.48

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.85	1,14.57	1,19.42	78.24	16.52	94.76
संचार व्यय	84.12	16.82	1,00.94	82.03	4.32	86.35
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	0.61	8.79	9.40	7.76	0.97	8.73
विज्ञापन एवं प्रचार – अन्य	10.30	13.72	24.02	–	21.90	21.90
विज्ञापन एवं प्रचार – निविदा	57.61	1.55	59.16	97.95	–	97.95
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	48.53	1,07.83	1,56.36	55.88	1.22	57.10
शुल्क एवं अंशदान प्रभार	0.38	8.71	9.09	–	2.98	,2.98
हाउसकीपिंग व्यय	1.72	2,73.32	2,75.04	49.05	1,27.98	1,77.03
साफ्टवेयर व्यय	1,12.73	54.47	1,67.20	1,79.94	–	1,79.94
आउटसोर्सिंग व्यय	7,83.24	1,16.01	8,99.25	5,61.35	58.62	6,19.97
कार्यालय व्यय	45.18	1,30.38	1,75.56	24.03	37.44	61.47
बट्टा लेखितपरिसम्पतियां	–	2.02	2.02	–	–	–
परिसम्पतियों की प्रतिक्षित बट्टा लेखन स्वीकृति/इंक्वारी के लिए प्रावधान	–	2.02	2.02	–	–	–
विविध व्यय	–	42.52	42.52	2.72	25.94	28.66
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	–	13.34	13.34	–	30.00	30.00
विदेशी मुद्रा विनिमय दर हानि	–	–	–	–	3,24.63	3,24.63
योग	**38,69.94**	**15,08.47**	**53,78.41**	**32,93.24**	**9,38.10**	**42,31.34**

टिप्पणी 27.1: लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	1.50	1.50
अन्य क्षमता में (जीएसटी लेखापरीक्षा)	–	0.75
अन्य क्षमता में (परियोजना वित्तीय विवरण)	0.50	0.50
योग	**2.00**	**2.75**

टिप्पणी 28: आय कर व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
चालू आय कर:		
– अवधि से संबंधित	2,70.51	14,74.26
– पूर्व वर्षों से संबंधित (निवल)	(95.05)	–
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	13,08.67	(1,68.06)
योग	**14,84.13**	**13,06.20**

कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के मध्य समाधान: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ	61,87.97	56,47.61
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**61,87.97**	**56,47.61**
भारत में सांविधिक आय कर दर यथा 25.17: पर	15,57.39	14,21.39
उन राशियों का कर प्रभाव जो करयोग्य आय के गणन पर कटौतियोग्य (करयोग्य) नहीं हैं		
जोड़ें:		
इंड एएस समायोजन जो आय कर में अनुमत्त नहीं	(27.02)	1.76
कटौतियोग्य एवं गैर–कटौतियोग्य मदों का प्रभाव	(12,59.86)	51.11
पिछले वर्ष के करों का प्रभाव	(95.05)	–
स्वीकृत आस्थगित कर	13,08.67	(1,68.06)
योग	**14,84.13**	**13,06.20**
लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित आय कर व्यय (जारी प्रचालनों से संबंधित)	14,84.13	13,06.20
योग	**14,84.13**	**13,06.20**
प्रभावी आय कर दर पर	23.98%	23.13%

टिप्पणी 29: प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
	₹ प्रति शेयर	
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	47.04	43.41
बंद प्रचालनों से	–	–
विलयित ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	47.04	43.41
बंद प्रचालनों से	–	–

टिप्पणी 29.1 : प्रति शेयर मूल उपार्जन

पिछले वर्ष के संबंध में प्रति शेयर मूल उर्पाजन एवं ईपीएस के आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों से आय एवं भारित औसत संख्या का वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयरों के समायोजन के पश्चात पुनः उल्लेख किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
कम्पनी के इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध लाभः		
जारी प्रचालनों से	47,03.84	43,41.41
बंद प्रचालनों से	–	–
प्रति शेयर मूल उपार्जन के लिए प्रयुक्त आय	**47,03.84**	**43,41.41**
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	100.00	100.00

टिप्पणी 29.2 : प्रति शेयर विलयित उपार्जन

प्रति शेयर विलयित उपार्जन के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या प्रति शेयर मूल आय के आकलन के लिए उपयोग में लाई गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मिलान होता हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभः		
– जारी प्रचालनों से	47,03.84	43,41.41
– बन्द प्रचालनों से	–	–
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर विलयित उपार्जन के आकलन के लिए प्रयुक्त आय	**47,03.84**	**43,41.41**
प्रति शेयर विलयित उर्पाजन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	100.00	100.00

टिप्पणी 30 : पूंजी प्रबंधन

कम्पनी अपनी पूंजी का प्रबंधन कम्पनी की गोइंगकंसर्न के रूप में जारी रहने का सुनिश्चय करने एवं क्षमता को सुरक्षित करने के लिए करता है जिससे कि कम्पनी अपने शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करती रह सके।

इसके अलावा कम्पनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के प्रभाव एवं वित्तीय प्रसंविदाओं की अपेक्षाओं के अनुसार समायोजन के लिए करती है। पूर्वावधि से चालू अवधि में पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणी 31 : ऋण निधियों का उपयोग

कम्पनी को एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक से पास–थ्रू सहायता (अथवा बैक टू बैक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवेरन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग उन मदों पर व्यय के लिए किया गया है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ परियोजना के लिए सहमत हुई हैं तथा संबंधित ऋण/परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैं।

टिप्पणी 32: अनुपात विश्लेषण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्ष	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
क.	चालू अनुपात (समय पर)	चालू परिसम्पतियां	चालू देयताएं	0.37	0.60	–38.33%	चालू देयताओं में वृद्धि
ख.	नामे इक्विटी अनुपात (समय पर)	कुल नामे	कुल इक्विटी	3.92	2.34	67.52%	परियोजना का प्रमुख स्रोत ऋण है। चालू वित्तीय वर्ष में ऋण का अंतर्प्रवाह बढ़ गया है।
ग.	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (% में)	कर पूर्व लाभ एवं वित्त लागत	कुल इक्विटी औसत	2.57%	2.93%	–12.29%	–
घ.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ब्याज एवं कर पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	0.69%	1.13%	–38.94%	परियोजना का प्रमुख स्रोत ऋण है। चालू वित्तीय वर्ष में ऋण का अंतर्प्रवाह बढ़ गया है। इसके अलावा कम्पनी अभी प्रचालनात्मक नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

कम्पनी के प्रचालन अभी न होने के कारण निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं है, तदनुसार वर्ष के लिए प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं:–

क. नामे सेवा कवरेज अनुपात*
ख. मालसूची टर्नओवर अनुपात
ग. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात
घ. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात
ङ. निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात
च. निवल लाभ अनुपात
छ. निवेश पर लाभ

*संदर्भ टिप्पणी संख्या 15

टिप्पणी 33: उचित मूल्य मापन

(i) वर्गानुसार वित्तीय प्रपत्र

(₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
		परिशोधन लागत	
वित्तीय परिसम्पतियां			
(i) प्रतिभूति जमा	7.2 एवं 10.4	16,28.81	11,60.41
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	9,35,60.93	8,72,72.94
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10.3	17,35,53.26	12,91,18.58
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7.2 एवं 10.4	34,66.03	20,66.18
योग वित्तीय परिसम्पतियां		**27,22,09.03**	**21,96,18.11**
वित्तीय देयताएं:			
(i) ऋण	15	71,69,55.77	34,92,87.11
(ii) अन्य वित्तीय देयता–गैर चालू	16	8.23	16.19
(iii) अन्य वित्तीय देयता–चालू	19.1 एवं 19.2	2,38,38.48	2,78,19.76
योग वित्तीय देयताएं		**74,08,02.48**	**37,71,23.06**

(ii) उचित मूल्य तारतम्यता

स्तर1– समान प्रकार की परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिया बाजार से उद्धृतमूल्य (असमायोजित)।

स्तर2– स्तर1 में उद्धृत मूल्यों से भिन्न उन इन पटों को शामिल किया गया है जो परिसंपत्ति अथवा देयता के संबंध में प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से निर्धारित) रूप में स्पष्ट हैं।.

स्तर3– परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो स्पष्ट बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैरस्पष्ट इनपुट)।

(iii) परिशोधन लागत के आधार पर उचित मूल्य पर मापन की गई परिसम्पतियों एवं देयताओंका प्रकटीकरण किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पतियां					
(i) प्रतिभूति जमा (टिप्पणी 7.2 एवं 10.4)	स्तर 3	16,28.81	16,28.81	11,60.41	11,59.36
योग	—	**16,28.81**	**16,28.81**	**11,60.41**	**11,59.36**

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पावधिप्राप्यों तथा अन्य देयों को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण समान प्रकार से उचित मूल्य पर विचार में लिया गया है।

ख. दीर्घावधि के प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य का आकलन चालू बाजार दर पर डिस्काउंट करके नकदी प्रवाह के अनुसार किया गया है। इनका वर्गीकरण उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर–3 के अनुसार हैं क्योंकि इनमें गैर स्पष्ट इनपुट शामिल हैं।

(iv) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रियाएं

क. 12 माह से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के वहन मूल्यों को उनके उचित मूल्य की प्रस्तुति के लिए विचार में लिया गया है।

ख. अन्य वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के उचित मूल्यों का अग्रेषण डिस्काउंट दर से नकदी प्रवाह को डिस्काउंट करते हुए परिशोधन लागत पर किया गया है।

नीचे दी गई तालिका में आवृति आधार एवं परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की उचित मूल्य मापन तारतम्यता प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों के सम्बंध में उचित मूल्य मापन तारतम्यता का प्रमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ लाख में)

31 मार्च, 2022 की स्थिति	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्प. तियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:–				
प्रतिभूति जमा	–	–	16,28.81	16,28.81
योग	–	–	**16,28.81**	**16,28.81**
31 मार्च, 2021 की स्थिति				
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्प. तियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:–				
प्रतिभूति जमा	–	–	11,59.36	11,59.36
योग	–	–	**11,59.36**	**11,59.36**

टिप्पणी 34: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कम्पनी के सम्मुख वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में कोई जोखिम व्याप्त नहीं है। कम्पनी की मूल वित्तीय देयताओं में अन्य देय प्रतिभूति जमा एवं ईएमडी हैं। कम्पनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पतियों में अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं जिनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से होती है। तथापि, प्रमुख प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं चलनिधि जोखिम हैं। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिनसे कंपनी को अवगत कराया गया है, उनका वर्णन नीचे किया गया है:–

(क). बाजार जोखिम

भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत के 60% तक का परियोजना वित्तीयन (सरकारी भूमि, राज्य करों एवं निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के अलावा) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त करने की संकल्पना के साथ दिनांक 7 मार्च, 2019 को दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर नाम प्रथम आरआरटीएस के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्रत्येक 500 मिलियन डालर के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बाह्यनिधियन आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की मानक व्यवस्था के अनुसार बैकटूबैक आधार पर किया जाएगा। ऋण की शर्तों में एलआईबीओआर/एसओएफआर से सम्बद्ध परिवर्तनशील दरों पर अर्ध–वार्षिक ब्याज शामिल है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलआईबीओआर/एसओएफआर की मूवमेंट पर आधारित ब्याज दर जोखिम है।

कम्पनी के सम्मुख नामे सेवा भुगतानों तथा विदेशी मुद्रा ऋणों के मूल भुगतान के प्रति विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के रूप में बाजार जोखिम उत्पन्न हो सकता है। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले अनुबंध भुगतान में भी अमेरिकी डॉलर, यूरो तथा स्वीडिशक्रोना के प्रति भारतीय रुपए की मूवमेंट से बाजार जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

कम्पनी के पास किसी प्रकार की डेरियेटिव वित्तीय परिसम्पतियां न होने के कारण कम्पनी के सम्मुख कोई मूल्य जोखिम नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

कम्पनी को एशियन डेवलपमेंटबैक, न्यू डेवलपमेंट तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक से पास–थ्रू सहायता (अथवा बैक टू बैक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवेरन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग उन मदों पर व्यय के लिए किया गया है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ परियोजना के लिए सहमत हुई हैं तथा संबंधित ऋण/परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कम्पनी के सम्मुख व्याप्त महत्वपूण विदेशी मुद्रा जोखिम निम्नलिखित हैं:–

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	एसईके	
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	64,19.25	1,05,72.91	9,06.57	1,78,98.73
योग	**64,19.25**	**1,05,72.91**	**9,06.57**	**1,78,98.73**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	6,86.63	4,12.97	–	10,99.60
ऋण	31,99,55.77	–	–	31,99,55.77
योग	**32,06,42.40**	**4,12.97**	–	**32,10,55.37**

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	एसईके	
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	30,27.74	46,39.72	3,03.29	79,70.75
योग	**30,27.74**	**46,39.72**	**3,03.29**	**79,70.75**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	5,94.75	49,37.20	2,95.72	58,27.67
ऋण	7,47,87.11	–	–	7,47,87.11
योग	**7,53,81.86**	**49,37.20**	**2,95.72**	**8,06,14.78**

(ख.) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम से वह जोखिम अभिप्रेत है जो प्रति–पक्षकार द्वारा वित्तीय हानि के कारण दायित्वों के प्रति चूक के कारण हो सकता है। प्रारंभिक क्रेडिट जोखिम की व्याप्तता (तथापि महत्वपूर्ण नहीं) किसी रिपोर्टिंग तिथि निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशि पर हो सकती है।

(i) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्यों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा करके किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक निगरानी के अध्याधीन हैं तथा ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा ऑनगोइंग आधार पर की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसम्पतियां

अन्य वित्तीय परिसम्पतियां जिनमें कर्मचारियों एवं अन्य को दिए गए ऋण एवं अग्रिम एवं परिशोधन शामिल हैं लागत पर मापे गए ।

(ii) संभावित ऋण हानियां

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कम्पनी के सम्मुख ऋण हानियों की संभावना व्याप्त नहीं है।

अन्य वित्तीय परिसम्पतियों का मापन परिशोधन मूल्य पर किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों से सम्बद्ध क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की वसूलीयोग्यता की निरंतर निगरानी के साथ साथ ऐसी राशि को क्षमता हानि से बचाव के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इन परिसम्पतियों के संबंध में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कोई क्षमता हानि प्रावधान नहीं किए गए हैं। हमारा यह मानना है कि उक्त सभी वित्तीय परिसम्पतियां रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उत्तम क्रेडिट गुणवत्ता से युक्त हैं।

ग) चलनिधि जोखिम

हमारी चलनिधि आवश्यकताओं की मासिक पूर्वानमानों के अनुसार निगरानी की जाती है। कम्पनी के लिए चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को अंशदान एवं सरकारी अनुदान तथा गौण नामे के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

कम्पनी अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन नकद अंतर्प्रवाह की निगरानी करके एवं नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करके करता है। किसी प्रकार की न्यूनता का निर्धारण निवल नकद अपेक्षाओं की तुलना उपलब्ध नकदी से करके किया जाता है।

अल्पावधि की चलनिधि अपेक्षाओं में मुख्यतः प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार चुकता किए जाने विविध लेनदारों के देय तथा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले जमा शामिल होते हैं। अपनी अल्पकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कम्पनी नकद एवं नकद समतुल्यों एवं अन्य बैंक शेष को पर्याप्त रूप से अनुरक्षित करता है।

कम्पनी द्वारा अपनी दीर्घकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है तथा उनका प्रबंधन आंतरिक उपार्जनों के माध्यम से किया जाता है। कम्पनी की गैर–चालू देयताओं में ब्याज मुक्त गौण नामे एवं पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान शामिल है।

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता का विवरण दिया गया है। इस तालिका का निर्माण कम्पनी की ओर से अपेक्षित भुगतान से पूर्व की तिथि की वित्तीय देयताओं के नकद प्रवाह के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:– (₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	–	–	–	–	71,69,55.77	71,69,55.77
योग	–	–	–	–	**71,69,55.77**	**71,69,55.77**

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:– (₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	–	–	–	–	34,92,87.11	34,92,87.11
योग	–	–	–	–	**34,92,87.11**	**34,92,87.11**

टिप्पणी 35: अनुमान एवं पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के प्रति अनिश्चितता एवं प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

(क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन विधियों के उपयोग से किया जाता है। जहां संभव हो वहां इन विधियों के इनपुट अवलोकन योग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ सीमा तक विवेकी निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेते समय चलनिधि जोखिम क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से पूर्वानुमानों में परिवर्तन होने से वित्तीय प्रपत्रों के सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

(ख) कर

आस्थगितकर परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब यह संभावना हो कि इससे ऐसे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकता है, आस्थगित कर संपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है समय की अनुरूपता एवं भावी करयोग्य लाभ तथा योजना रणनीतियों पर आधारित होती हैं।

(ग) संपत्ति संयंत्र और उपकरण का उपयोज्यता काल

टिप्पणी 2.7 में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल दिया गया है।

संपत्तिसंयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल अप्रचलन मांग प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित है। कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोज्यता काल की समीक्षा करता है।

टिप्पणी 36: प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

36.1 प्रावधान

टिप्पणी 17 में वर्ष के दौरान इंड–एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पतियां' के प्रकटीकरण किए गए हैं।

36.2. आकस्मिक देयता

इंड–एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पतियां' के प्रकटीकरण के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण

31 मार्च 2022 के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम में कम्पनी की आकस्मिक देयता (ब्याज के अलावा) ठेकेदार द्वारा किए गए दावों के लिए ₹ 11422.24 लाख (पिछले वर्ष ₹40 लाख) है, जिसकी कम्पनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं की गई है।

36.3. आकस्मिक संपत्ति

इंड–एएस 37 'प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पतियों' के अनुसार आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण
31 मार्च 2022 तक कम्पनी की आकस्मिक परिसम्पति शून्य (शून्य) है।

टिप्पणी37: सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण

इंड–एएस 24 'संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नलिखित हैः–

37.1 सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

37.1.1 सहायक कम्पनी

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व)

37.1.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं इक्विटी के लिए नामित निदेशक

नाम	पदनाम
श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष (29.12.2021 से)
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष (11.03.2015 से 29.12.2021 तक)
श्री कामरान रिजवी	नामित निदेशक
सुश्री अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक
श्री आशीष कुंद्रा	नामित निदेशक (17.08.2021 से)
श्री ओम प्रकाश सिंह	नामित निदेशक (27.09.2021 से)
श्री देवेंद्र सिंह	नामित निदेशक (30.11.2021 से)
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामित निदेशक (01.05.2022 से)
सुश्री वीनू गुप्ता	नामित निदेशक (06.05.2022 से)
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक – परियोजनाएं
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक – ई एंड आर एस
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक – प्रणाली एवं परिचालन
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक – वित्त
श्री टी. रविकांत	नामित निदेशक (04.02.2022 से 06.05.2022 तक)
श्री दीपक कुमार	नामित निदेशक (20.09.2019 से 01.05.2022 तक)
श्री आशुतोष ए.टी. पेडनेकर	नामित निदेशक (16.02.2021 से 03.02.2022 तक)
श्री अपूर्व कुमार सिंह	नामित निदेशक (09.08.2018 से 30.11.2021 तक)
श्री संजय रस्तोगी	नामित निदेशक (28.10.2020 से 30.06.2021 तक)
श्री विजय कुमार	कंपनी सचिव

37.1.3 सरकार से संबंधित कम्पनियां:

कम्पनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अध्याधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है। कम्पनी का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार धारित 50% इक्विटी शेयरों तथा हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक द्वारा 12.5% इक्विटी शेयर धारिता द्वारा किया जाता है। इंड–एएस 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार जिन इकाईयों पर समान सरकार का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है तो रिपोर्टिंग इकाई एवं अन्य इकाईयों को सम्बद्ध पक्षकार माना जाना है। इन पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहार बाजार स्थितियों के अनुसार आर्मलैंथ आधार पर किए जाने हैं। कम्पनी द्वारा सरकार से संबंधित इकाईयों के लिए उपलब्ध छूट का आवेदन किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

कम्पनी ने सरकार से संबंधित निम्नलिखित इकाईयों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार किए हैं:

इकाई का नाम	सम्बद्धता
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार	प्रशासनिक मंत्रालय
रेल मंत्रालय, भारत सरकार	शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	शेयरधारक
हरियाणा सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राजस्थान सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
उत्तर प्रदेश सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
दिल्ली मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

37.2 सम्बद्ध पक्षकारों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं:

37.2.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं निदेशक के साथ संव्यवहार:–

नाम	सम्बद्धता	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
शून्य				

37.2.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति:

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अन्य सदस्यों को वर्ष के दौरान निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया गया है:– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक हितलाभ	2,66.62	2,46.25
सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	33.41	30.20
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	33.96	27.22
योग	**3,33.99**	**3,03.67**

37.2.3 अन्य सम्बद्ध पक्षकारों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं: (₹ लाख में)

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पक्षकार का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राप्तियां / आय				
पास–थ्रू सहायता सहित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	44,72,00.00	24,87,40.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	82,00.00	1,02,50.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	–	5,00.00
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,70,00.00	9,00,00.00
निगमन व्यय	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	–	3.65
निविदा दस्तावेज की बिक्री से प्राप्त	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	5.00	–
व्यय / भुगतान				
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	1,95.77	–
परामर्श प्रभार	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	22.03	99.29
इक्विटी शेयरों में निवेश	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	–	1,00.00
निगमन व्यय	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	–	3.65
परामर्श प्रभार	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	19.72	–
चुकता अन्य व्यय की धनवापसी	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	3.39	0.21

37.2.4 अन्य सम्बद्ध पक्षकारों से बकाया शेष निम्नानुसार है:– (₹ लाख में)

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पक्षकार का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसम्पतियां / वसूलीयोग्य				
इक्विटी शेयरों में निवेश	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	1,00.00	1,00.00
व्यय के प्रति वसूलीयोग्य राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	–	0.31
देयताएं / देय				
ऋण के प्रति प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	22,12,00.00	14,66,00.00
अग्रिम प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	15,82,79.89	4,42,93.20
अग्रिम प्राप्त राशि	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	2,29,50.00	1,47,50.00
अग्रिम प्राप्त राशि	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,00.00	5,00.00
ऋण के प्रति प्राप्त राशि	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	1,79,00.00	1,79,00.00
ऋण के प्रति प्राप्त राशि	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	15,79,00.00	11,00,00.00
परामर्श प्राप्ति के प्रति देय राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	17.75	–

टिप्पणी 38: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में लागू सीमा की पूर्ति करने वाली कम्पनी से अपने पिछले निकटतम तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर करने की अपेक्षा की गई है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
(i) पिछले वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	29.47	31.48
(ii) वर्ष के दौरान कम्पनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	58.71	27.99
(iii) वर्ष 2021–22के दौरान अव्ययतित व्यय	58.71	27.99
(iv) वर्ष के दौरान किया गया व्यय	13.34	30.00
क. किन्हीं परिसम्पतियों का निर्माण / अधिग्रहण	–	–
ख. (क) के अलावा अन्य उद्देश्य से	13.34	30.00
(v) वर्ष के अंत में व्यय न किया गया शेष (सीएसआर खाते में अलग से रखा गया)	74.84	29.47
(vi) सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहारों का विवरण	–	–
(vii) दायित्व के वहन के लिए किए गए प्रावधान के अनुसरण में प्रावधान के संचालन पर अनुबंध के माध्यम से किए गए व्यय	–	–
(viii)वर्ष के दौरान व्यय न किए जाने के कारण	यह जारी परियोजना से संबंधित है	
(ix) सीएसआर गतिविधि की प्रकृतिः आधुनिक कृषि व्यवहारों में बागवानी एवं सम्बद्ध कार्यों का कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास / प्रशिक्षण कार्यक्रम		

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

(i) कम्पनी ने वर्ष के दौरान निर्धारित समय सीमा में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) का अनुसरण करते हुए एक अलग बैंक खाते में जारी परियोजनाओं से संबंधित ₹58.71 लाख (पिछले वर्ष ₹29.47 लाख) जमा करवाई है।

टिप्पणी 39: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–19 ''कर्मचारी हितलाभ''–31.3.2022 की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित मूल्य। वर्ष के अंत में कर्मचारी हितलाभों का बीमांकन मूल्यांकन किए जाने के संबंध में प्रकटीकरण

39.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:–

(क) भविष्य निधि:

कम्पनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कम्पनी भविष्य निधि के प्रति पूर्व निर्धारित दर पर नियत अंशदान करता है। इस देयता की स्वीकृति बीमांकन आधार पर की जाती है।

(ख) उपदान:

कम्पनी द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपायों के तौर पर कम्पनी के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने, शारीरिक आसामर्थ्यत्ता की स्थिति में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इंड एएस–19 के अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार किया गया है तथा देयता की स्वीकृति वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

(ग) पेंशन:

कर्मचारियों के लिए कम्पनी की अधिवार्षिता परिभाषित पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 2.5% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

अवधि के लिए किए जाने वाले अंशदान के प्रावधान का समूहन कर्मचारी लागत पर बीमांकन आधार पर किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में पेंशन अंशदान का आकलन मूल संगठन/सरकारी संगठन के अनुसार किया जाता है तथा लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर होता है।

(घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

कम्पनी की अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उसके पति/पत्नी को इंडोर उपचार के लिए नियमित कर्मचारी के संबंध में लागू समान दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके प्रति देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ङ) छुट्टी:

कम्पनी द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी के लाभ प्रदान किए जाते हैं जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन हैं। सेवा के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार केवल इस छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है जबकि अधिवार्षित के समय अधिक 300 दिन (गैर नकदी योग्य भाग एवं कम्यूटेशन के बिना अर्द्ध वेतन छुट्टी) का नकदीकरण किया जाता है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में छुट्टी वेतन का अंशदान उनके मूल विभाग/संगठन को उनके मूल विभाग/संगठन के नियमों के आधार पर चुकता वेतन के अनुसार किया जाता है तथा इसका लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर होता है।

(च) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी):

कम्पनी प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को उनके परिवार सहित मुख्यालय से किसी दुरस्थ पर स्थित उनके गृह स्थल अथवा कहीं अन्यत्र स्थल पर यात्रा हेतु विश्राम एवं मन बहलाव के लिए अपनी नीति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

(छ) टर्मिनल हितलाभ:

गृह स्थल अथवा कहीं अन्य ऐसे स्थल पर निवास के लिए, जहां वह अथवा उसका परिवार भारत में निवास करना चाहता है, सामान्य भत्ते सहित टर्मिनल हितलाभ प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, कम्पनी में अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी हैं जिनके लिए कम्पनी पर एक्जिट हितलाभ चुकता करने का दायित्व है।

39.2 लाभ एवं हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) तथा तुलन पत्र में स्वीकृत विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

(क) निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व (₹ लाख में)

31.03.2022	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	2.08	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25
अधिग्रहण समायोजन	–	21.19	48.81	–	–
ब्याज लागत	0.14	18.25	38.72	0.07	8.48
चालू सेवा लागत	1.73	1,25.26	3,57.62	5.99	88.75
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	–	–	(9.98)	1.55	–
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	0.29	(6.02)	(1,00.91)	1.08	2.05
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**4.24**	**4,23.97**	**8,97.00**	**9.75**	**2,22.53**
31.03.2021					
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	–	74.23	2,84.26	0.44	60.33
अधिग्रहण समायोजन	–	63.92	65.04	–	–
ब्याज लागत	–	5.12	19.64	0.03	4.17
चालू सेवा लागत	2.08	91.06	2,66.30	0.45	68.29
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	–	–	(1.35)	–	–
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	–	30.96	(71.15)	0.14	(9.54)
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**2.08**	**2,65.29**	**5,62.74**	**1.06**	**1,23.25**

(ख) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	–	–	–	–	–
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	–	–	–	–	–
अंशदान	–	–	–	–	–
चुकता हितलाभ	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	4.25	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53
निधियन स्थिति	–	–	–	–	–

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	–	–	–	–	–
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	–	–	–	–	–
अंशदान	–	–	–	–	–
चुकता हितलाभ	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	2.08	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25
निधियन स्थिति	–	–	–	–	–

(ग) तुलन पत्र में स्वीकृत राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	4.25	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
निधियन स्थिति	–	–	–	–	–
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	4.25	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53
	31.3.2021 की स्थिति				
विवरण	**टर्मिनल हितलाभ**	**उपदान**	**अर्जित छुट्टी**	**छुट्टी यात्रा रियायत**	**सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ**
	(गैर–निधियन)	**(गैर–निधियन)**	**(गैर–निधियन)**	**(गैर–निधियन)**	**(गैर–निधियन)**
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	2.08	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
निधियन स्थिति	–	–	–	–	–
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	2.08	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25

(घ) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
चालू सेवा लागत	1.73	125.26	3,57.62	5.99	88.75
ब्याज लागत	0.14	18.25	38.72	0.07	8.48
बीमांकन(लाभ)/हानि	–	–	(1,00.91)	1.08	–
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**1.87**	**143.51**	**2,95.43**	**7.14**	**97.23**

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
चालू सेवा लागत	2.08	91.06	2,64.95	0.44	68.29
ब्याज लागत	–	5.12	19.64	0.03	4.17
बीमांकन (लाभ)/हानि	–	–	(71.15)	0.14	–
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय/पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**2.08**	**96.18**	**213.44**	**0.61**	**72.46**

(ङ) अन्य व्यापक आय (लाभ)/हानि में स्वीकृत पुनर्मापन

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	–	–	–	–	–
दायित्वों का पुनर्मापन	(0.29)	6.02	–	–	(2.05)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	**(0.29)**	**6.02**	–	–	**(2.05)**

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	–	–	–	–	–
दायित्वों का पुनर्मापन	–	(30.96)	–	–	(9.54)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	–	**(30.96)**	–	–	**(9.54)**

(च) गैर चालू एवं चालू दायित्वों का वर्गीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
गैर–चालू प्रावधान	4.22	4,17.36	8,49.40	4.88	2,22.02
चालू प्रावधान	0.02	6.61	47.60	4.87	0.51
योग प्रावधान	**4.24**	**4,23.97**	**8,97.00**	**9.75**	**2,22.53**

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
गैर–चालू प्रावधान	2.07	2,61.23	5,30.16	0.54	1,22.94
चालू प्रावधान	0.01	4.06	32.57	0.52	0.31
योग प्रावधान	**2.08**	**2,65.29**	**5,62.73**	**1.06**	**1,23.25**

(छ) भारित औसत में अभिव्यक्त प्रमुख बीमांकन अनुमान

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
डिस्काउंट दर	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	लागू नहीं	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
डिस्काउंट दर	6.88%	6.88%	6.88%	6.88%	6.88%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	लागू नहीं	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

(ज) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में उपदान के संबंध में स्वीकृत निवल देयता ₹ 423.97 लाख (पिछले वर्ष ₹ 265.29 लाख) है जिसका निश्चय बीमांकन मूल्यांकन प्रमाणपत्र से किया गया है।

संवेदी विश्लेषण:

उपर्युक्त सभी अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखकर किए गए पूर्वानुमानों में परिवर्तन पर आधारित संवेदी विश्लेषण है। व्यावहारिक रूप से इनके घटित होने की संभावना नहीं है तथा पूर्वानुमानों के कुछ परिवर्तनों में सह–सम्बद्धता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदात्मकता का आकलन करते समय महत्वपूर्ण बीमांकन पूर्वानुमानों की समान विधि (प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि) का उपयोग किया गया है जबकि परिभाषित हितलाभ दायित्व की वित्तीय स्थिति विवरण में स्वीकृति प्राप्त के अनुसार गणना की जाती है।

(₹ लाख में)

निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2022 की स्थिति					
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	टर्मिनल हितलाभ	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभा	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5% -0.5%	(0.28) 0.29	(26.18) 28.85	(65.84) 60.24	लागू नहीं लागू नहीं	(15.25) 16.37
वेतन वृद्धि दर	+0.5% -0.5%	0.29 (0.29)	23.75 (22.38)	60.37 (66.48)	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं

निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2021 की स्थिति				
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभा	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5% -0.5%	(17.80) 19.68	(36.94) 40.72	लागू नहीं लागू नही	(8.45) 8.45
वेतन वृद्धि दर	+0.5% -0.5%	19.66 (17.94)	23.01 (19.40)	लागू नहीं लागू नही	लागू नहीं लागू नही

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
0–1 वर्ष	0.02	6.61	47.60	4.88	0.51
1–2 वर्ष	0.02	18.20	70.30	4.87	1.93
2–3 वर्ष	0.03	31.47	51.32	–	3.02
3–4 वर्ष	0.06	23.10	44.67	–	1.41
4–5 वर्ष	0.08	26.79	54.47	–	3.77
5–6 वर्ष	0.06	16.21	26.77	–	6.43
6 वर्ष से आगे	3.98	3,01.59	6,01.87	–	2,05.46
विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
0–1 वर्ष	–	4.06	32.12	0.54	0.31
1–2 वर्ष	–	2.82	23.47	0.52	1.07
2–3 वर्ष	–	3.58	28.72	–	4.00
3–4 वर्ष	–	18.93	36.14	–	6.14
4–5 वर्ष	–	12.49	25.90	–	2.81
5–6 वर्ष	–	15.68	34.53	–	7.37
6 वर्ष से आगे	2.08	2,07.73	3,81.86	–	1,01.55

टिप्पणी : 40

"सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देयताओं का विवरण निम्नलिखित हैं:–

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
1	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ताको देय मूलराशि और ब्याज तथा उनका चुकता न किया गया शेष: (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूलधन राशि' (ii) ऊपर देय ब्याज	 2,45.54 –	 2,83.04 –
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा 16 के उपबंधों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के पश्चात किए गए भुगतान के साथ चुकताब्याज की राशि	–	–
3	भुगतान में देरी के कारण देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता की गई है) जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार ब्याज जोड़ा नहीं गया है।	–	–
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि तथा अचुकता शेष	–	–
5	आगामी वर्षों में भी देय बकाया ब्याज एवं भुगतान की राशि, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौति योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को ब्याज देय होने की तिथि से वास्तविक भुगतान किए जाने तक के लिए आकलन की जानी है।	–	–

* सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार नियत तिथियों को देयताओं का भुगतान किया गया है।

टिप्पणी 41 : परिसम्पतियों की क्षमता हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मानना है कि समह की गैर–वित्तीय परिसम्पतियों के आर्थिक निष्पादन संभावना से कम नहीं है तथा तदनुसार तुलन पत्र तिथि को किसी परिसम्पति के लिए कोई क्षमता क्षति नहीं हुई है।

टिप्पणी 42 : शेष की पुष्टि

कम्पनी में बैंकों तथा अन्य पक्षकारों से शेष के संबंध में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित है। नामे अग्रिम एवं ऋणदाताओं के संबंध में पक्षकारों को शेष पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ प्राप्य अन्य परिसम्पतियों एवं अन्य देयों के शेष पुष्टि/पुनःसमाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अध्याधीन हैं। तथापि, प्रबंधन का यह मानना है कि ऐसी बकाया पुष्टियों/पुनःसमाधान से किसी प्रकार का वस्तुगत वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।

टिप्पणी 43 : संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदागत प्रतिबद्धताओं का विवरण ₹ 1,27,53,02.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,32,04,23.13 लाख) है।

टिप्पणी 44 : इंड एएस 116 : पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी ने विभिन्न कार्यालयों के साथ पट्टा अनुबंध किए हैं तथा प्रचालन पट्टों को स्वीकृति प्रदान की है।

(i) प्रारंभिक उपयोज्यता के लिए चयनित व्यवहार्य उपायों का संक्षेप
   (क) इस छूट को लागू किया गया है कि प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को 12 माह से कम के पट्टा काल वाली उपयोग अधिकार परिसम्पतियों एवं देयताओं को पट्टे के लिए स्वीकृत नहीं किया जाना है।
   (ख) प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के मापन में से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को शामिल नहीं किया जाना है।
   (ग) इंड एएस–116 की उपयोज्यता केवल उन्हीं अनुबंधों के लिए की जानी है जिनका पट्टा वर्गीकरण पहले इंड एएस–17 के अंतर्गत किया गया था।
   (घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल डिस्काउंटर दर लागू की गई है।
   (ङ) यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने अथवा समाप्त करने के विकल्प हैं तो पट्टा काल के निर्धारण के लिए दूरदृष्टि का उपयोग किया जाना है।

(ii) इंड एएस–17 के अंतर्गत पट्टा दायित्व एवं पारगमन की तिथि को पट्टा देयता के मूल्य के मध्य व्याप्त अंतर मुख्यतः पट्टा देयताओं की इंड एएस–116 के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के अनुसार डिस्काउंटिंग किए जाने के कारण है।

(iii) पट्टा देयताों के लिए उपयोग में लाई गई भारित औसत आवर्धित ऋण दर एसबीआई 3एम–एमसीएलआर दर के अनुसार अर्थात 7.5% है।

(iv) कम्पनी की प्रचालन पट्टे के अंतर्गत परिसम्पतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	परिसम्पतियों का विवरण	पट्टा अवधि	निम्नलिखित तिथि को वहन मूल्य		समापन खंड	विस्तार विकल्प
			31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		
(क)	मेरठ में कार्यालय भवन	3 वर्ष	–	2.84	3 वर्ष की लॉक इन अवधि	पट्टादाता और पट्टाधारक दोनों के पारस्परिक विकल्प के साथ नवीकरण योग्य। वित्त वर्ष 2021–22 में खाली किया गया परिसर
(ख)	सीडब्ल्यूजी गांव में भूमि	5 वर्ष	14.61	22.03	पट्टादाता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टादाता को समझौते को आगे विस्तारित करने का अधिकार है।
(ग)	कॉर्पोरेट कार्यालय (पुराना एएमडीए बिल्डिंग में)	4 वर्ष	–	1,24.84	पट्टादाताको नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टादाता और पट्टाधारक दोनों के पारस्परिक विकल्प के साथ नवीकरण योग्य। वित्त वर्ष 2021–22 में खाली किया गया परिसर
	योग		**14.61**	**1,49.71**		

(v) पट्टा देयताओं की मूवमेंट

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 20222 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	**1,65.98**	**5,28.18**
वर्ष के दौरान आवर्धन		
वर्ष के दौरान स्वीकृत ब्याज	12.45	38.33
पट्टा सुधार	–	23.94
वर्ष के दौरान भुगतान/नकदी बर्हिप्रवाह का योग/पट्टे के लिए समायोजन	1,62.24	3,76.59
वर्ष के अंत में अंत शेष	**16.19**	**1,65.98**

(vi) कम्पनी ने अल्पावधि के पट्टों अथवा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टों को स्वीकृति न दिए जाने का निर्धारण किया है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता को मापन में शामिल नहीं किया जाता है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 20222 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अल्पावधि के पट्टे	98.03	1,97.30
योग	**98.03**	**1,97.30**

(vii) तुलन पत्र में पट्टा देयताओं की प्रस्तुति निम्नानुसार की गई है: –

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 20222 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
चालू भाग	7.96	1,49.79
गैर–चालू भाग	8.23	16.19
योग	**16.19**	**1,65.98**

(viii) पट्टा देयताओं की गैर–डिस्काउंटिड आधार पर संविदागत परिपक्वता का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	7.96	8.23	–
योग	**7.96**	**8.23**	–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	1,49.79	16.19	–
योग	**1,49.79**	**16.19**	–

(ix) परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित व्यय शून्य है।.

(x) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के उप–पट्टों से प्राप्त होने वाली आय कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

(xi) बिक्री एवं पट्टा वापसी संव्यवहारों से प्राप्त लाभ/हानि कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45: कोविड 19 प्रकटीकरण

प्रभाव

विश्व भर में पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड–19 से परिवहन क्षेत्र पर काफी प्रतिकूल प्रभाव हुए हैं। भारत भी इन प्रभावों से नहीं बच पाया है तथा कोविड–19 की लहरों का हमें सामना करना पड़ा है। अप्रैल 2021 के मध्य में दूसरी लहर के दौरान कोविड–19 के मामलों में हुई बढ़ोतरी को विचार में लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा दूसरा लॉकडाउन लगाया गया था। इसका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव विश्व भर में हुआ था।

निष्पादन

तथापि, निर्माण गतिविधियां रूकी नहीं थी परन्तु सप्लाई चेन लगभग 3 माह तक व्यवस्थित न होने के कारण निम्नलिखित कारणों से प्रगति बाधित हुई थी:

(i) निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों की कमी

(ii) औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी जिससे कंक्रीट संरचनाओं इत्यादि के लिए माड्यूल शटर्स का फेब्रिकेशन प्रभावित हुआ था।

(iii) ठेकेदार के कर्मचारियों की आवाजाही पर प्रतिबंध

(iv) ट्रैक्स के लिए टीबीएम एचएच रेल्स एवं मॉउल्ड्स की आपूर्ति में दो माह की देरी

महामारी से उत्पन्न हुई बाधाओं के परिणाम स्वरूप भूमि प्रापण की प्रक्रिया भी विलंबित हुई है।

कोविड–19 के प्रभाव का प्रबंधन

कंपनी ने निविदाओं इत्यादि का समय पर निर्वाह सुनिश्चित करने के लिए कॉमन डेटा एनवायरनमेंट (सीडीई) और भवन सूचना प्रबंधन (बीआईएम) 3डी मॉडलिंग टूल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करके ऑनलाइन निविदापूर्व बैठकों के माध्यम से कार्यों पर चर्चा और निगरानी करने के लिए दस्तावेजों और ड्रॉइंग की मंजूरी रिमोट वर्किंग के माध्यम से प्रभावी करके इसके प्रभाव का सामना किया है। कम्पनी ने कार्य स्थल पर आउटसोर्स किए गए कर्मियों और श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सभी अनुशंसित सावधानियां और निवारक उपाय किए जाने का सुनिश्चय किया है। कम्पनी ने कोविड–19 के प्रसार से बचाव के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के लिए स्थापित परियोजना की निरंतर निगरानी की है और महामारी के कारण नष्ट हुए समय की पूर्ति के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं।

चलनिधि

कम्पनी को अपने प्रचालनों के लिए पर्याप्त चलनिधि प्राप्त थी। कम्पनी ने इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक सूचना के उपलब्ध आंतरिक और बाह्य स्रोतों के आधार पर निर्धारण किए हैं जिसके अनुसार इसे अपनी संपत्ति की वहन राशि की वसूली की पूरी संभावना है। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव कोविड–19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

कोविड–19 के भावी प्रभाव के अनुमान

कम्पनी ने इस ओर ध्यान दिया है कि वैश्विक महामारी अभी समाप्त न होने पर और लहरें आने की संभावना अभी बनी हुई है। वैश्विक महामारी की रोकथाम राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर निर्भर करती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जैसे–जैसे हम प्रगति करेंगे, महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के प्रभाव का समय–समय पर आकलन भी किया जाता रहेगा।

टिप्पणी 46: घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, वित्त पोषण करना है। कम्पनी भारत में प्रचालन करता है और इसके प्रचालन ऐसे आर्थिक परिवेश में नहीं होते जहां विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं प्रतिफल हों। इस प्रकार इसे एकल भौगोलिक घटक में प्रचालन माना गया है।

घटक रिपोर्ट

कम्पनी का रिपोर्ट योग्य केवल एक प्रचालनात्मक घटक है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, वित्त पोषण करने से संबंधित है तथा यह अपनी सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार एकल प्रचालन घटक है। तदनुसार स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि कम्पनी के एकल प्रचालन घटक से संबंधित है। वर्तमान में कम्पनी के पास सावधि जमा परामर्श आय और अन्य विविध आय पर ब्याज आय के रूप में राजस्व के स्रोत हैं।

टिप्पणी 47: विदेशी मुद्रा में उपार्जन और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उपार्जन	–	–
व्यय		
परामर्श	38,07.70	24,82.64
कार्य	5,20,51.57	2,47,35.29
अन्य	–	79.88
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव हानि	51,07.72	9,18.70
योग व्यय	**6,09,66.99**	**2,82,16.51**

टिप्पणी 48

पूर्व वर्षों के अप्रत्यक्ष व्ययों के पूंजीयन के संबंध में आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मत के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तन

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के काल में निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्ययों के पूंजीयन के लिए व्ययों के पूंजीयन की संशोधित प्रक्रिया के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श का मत प्राप्त किया है। इसका प्रभाव निम्नानुसार हुआ है:–

(₹ लाख में)

प्रकृति	राशि
कर्मचारी हितलाभ व्यय	4,72.23
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2,56.02
वित्त लागत	13.71
अन्य व्यय	8,79.64
योग	**16,21.60**

टिप्पणी 49: इंड एएस 27 ''अलग वित्तीय विवरण'' के अनुसार अनुपालन का प्रकटीकरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा ''एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड'' नामक एक सहायक कम्पनी की स्थापना की गई है। संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का इंड एएस 27 ''अलग वित्तीय विवरण'' के प्रावधानों के अनुसार मापन किया जाता है।

सहायक कम्पनी में पूर्ण निवेशः (₹ लाख में)

क्र.सं.	सहायक कम्पनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थल एवं निगमन देश	प्रमुख गतिविधियां	कम्पनी द्वारा धारित स्वामित्व हित एवं वोटिंग अधिकारों का अनुपात
1	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	भारत	ट्रांजिट प्रणाली की योजना डिजाइनिंग, वित्तीय, कार्यान्वयन, प्रचालन प्रबंधन एवं अनुरक्षण	100.00%

टिप्पणी: 50

प्रबंधन के मतानुसार संपति, संयंत्र एवं उपकरण एवं व्यवसाय के सामान्य क्रम गैरचालू निवेश से प्राप्ति के अलावा परिसम्पतियों के मूल्य का प्रबंधन उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

टिप्पणी 51: हाल ही में की गई घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा समय समय पर यथा जारी कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली के अंतर्गत नए मानक अथवा विद्यमान मानकों में संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। दिनांक 23 मार्च, 2022 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से लागू कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2022 में किए गए संशोधन निम्नलिखित हैं:–

(क) इंड एएस 103 – संकल्पना की रूपरेखा का संदर्भ

संशोधनों यह निर्दिष्टि की गई है कि अधिग्रहण की विधि के उपयोग से स्वीकृति की अर्हता के लिए निर्धारित अधिग्रहित परिसम्पतियां एवं विचारित देयता एंइंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (संकल्पित रूपरेखा) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पना रूपरेखा के अनुसार परिसम्पतियों एवं देयताओं की परिभाषा की पूर्ति अधिग्रहण की तिथि को अवश्य होनी चाहिए। कम्पनी को अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

(ख) इंड एएस 16 – आशित उपयोग से पूर्व प्रतिफल

ये संशोधन मुख्यतः किसी इकाई को संपत्ति संयंत्र की लागत और कम्पनी द्वारा परिसम्पति को आशित उपयोग के लिए तैयार किए जाने के दौरान उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त उपकरण राशियों में से कटौती को प्रतिबंधित करते हैं। इसके स्थान पर इकाई ऐसी बिक्री से प्राप्त आय और संबंधित लागत को लाभ या हानि में कर सकता है। कम्पनी को इन संशोधनों से अपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति अपने वित्तीय विवरणों में करने से किसी प्रकार का प्रभाव होने की संभावना प्रतीत नहीं हुई है।

(ग) इंड एएस 37 – दुर्वहअनुबंध – अनुबंध की पूर्ति की लागत

ये संशोधन यह निर्दिष्ट करते हैं कि किसी अनुबंध की 'पूर्ति की लागत' में 'अनुबंध से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागतें शामिल होती हैं'। अनुबंध से प्रत्यक्ष संबंधित लागत या अनुबंध की पूर्ति की क्रमिक लागत हो सकती है (उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष श्रम सामग्रियां) अथवा यह अन्य लागतों का निर्धारण हो सकता है जो प्रत्यक्ष रूप में अनुबंधों की पूर्ति से संबंधित हैं। यह संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण है और कम्पनी को ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है कि इस संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव उसके वित्तीय विवरणों पर पड़ेगा।

(घ) इंड एएस 109 – इंड एएस (2021) में वार्षिक सुधार

इस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी इकाई को इंड एएस 109 के परीक्षण के लिए ''10 प्रतिशत'' हेतु, यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति समाप्त की जानी है अथवा नहीं, कौन सा शुल्क शामिल करना चाहिए। कम्पनी को अपने वित्तीय विवरणों में इस संशोधन से कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना प्रतीत नहीं हुई है।

टिप्पणी 52

जब कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति के धारण के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो अथवा लंबित हो तो कम्पनी से निम्नलिखित प्रकटीकरण करने चाहिए:

(क)	इस प्रकार की सम्पति का विवरण	शून्य
(ख)	संबंधित सम्पति की राशि	शून्य
(ग)	लाभग्राहियों का विवरण	शून्य
(घ)	यदि सम्पति बहियों में शामिल है तो तुलन पत्र में ऐसी मद का संदर्भ	शून्य
(ङ)	यदि सम्पति बहियों में शामिल नहीं है तो उसके कारणों का विवरण	शून्य
(च)	यदि कम्पनी को संव्यवहार के अवप्रेरक अथवा अंतरणकर्ता के रूप में विधि सम्मत प्रतिफल प्राप्त हुआ है तो उसका विवरण दें।	शून्य
(छ)	इसके प्रतिफल के स्तर की प्रकृति तथा उसके संबंध में कम्पनी का मत	शून्य

टिप्पणी 53

यदि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अंतर्गत किन्हीं स्ट्रक ऑफ कम्पनियों (बंद सम्पतियों वाली कम्पनियों) के साथ कोई संव्यवहार किए हैं नाम के साथ उसके प्रकटीकरण निम्नानुसार किए जाने हैं:–

स्ट्रक ऑफ कम्पनी का नाम	स्ट्रक ऑफ कम्पनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	बकाया शेष	स्ट्रक ऑफ कम्पनी के साथ सम्बद्धता
कोई नहीं	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	शून्य
कोई नहीं	प्राप्य	शून्य	शून्य
कोई नहीं	देय	शून्य	शून्य
कोई नहीं	अन्य बकाया	शून्य	शून्य

टिप्पणी 54: इंड एएस–1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए प्रकटीकरण

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता में संवर्धन के लिए कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ लाइन मदों का तुलन पत्र में पुनर्वर्गीकरण किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

(₹ लाख में)

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पूर्व	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के पश्चात
गैर चालू परिसम्पतियां			
पूंजी कार्य प्रगति पर (कुल)	22,16,59.66	(2,43.67)	22,14,15.99
(क) अन्य गैर–परियोजना	–	8,05.16	8,05.16
(ख) परियोजना	22,16,59.66	(10,48.83)	22,06,10.83
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	–	2,43.67	2,43.67
वित्तीय परिसम्पतियां (अन्य वित्तीय परिसम्पतियां)	11,05.05	8,81.25	19,86.30

चालू परिसम्पतियां			
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	12,99,99.98	(8,81.40)	12,91,18.58
वित्तीय परिसम्पतियां (ऋण/प्रतिभूति/जमा)	55.36	(55.36)	–
वित्तीय परिसम्पतियां (अन्य वित्तीय परिसम्पतियां)	11,84.78	55.51	12,40.29
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं (पट्टा देयताएं)	–	1,49.79	1,49.79
वित्तीय देयताएं (अन्य वित्तीय देयताएं)	2,78,19.76	(1,49.79)	2,76,69.97

टिप्पणी 55

जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनात्मकता के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहन/पुनःव्यवस्थित/पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANBBSF2595

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

संख्या / No. DG/IRDS/A/IHO-I/27-89/20-21/ww-2/208

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

सत्यमेव जयते

दिनांक / Dated 30/8/22

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड,
गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110049

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements) पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियॉं ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करता हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

दीपक
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of **NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15 July 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Dkapoor

(Deepak Kapoor)
Director General of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 30 August 2022

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने मेरठ में आरआरटीएस साइट का दौरा किया एवं आरआरटीएस निर्माण कार्य की समीक्षा की

माननीय मंत्री, आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आरआरटीएस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की

विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और हितधारकों द्वारा साइट का दौरा और कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, श्री दुर्गा शंकर मिश्र (आईएएस) का दौरा

सचिव, एमओएचयूए, श्री मनोज जोशी (आईएएस) का दौरा

उपाध्यक्ष, एडीबी, श्री शिक्सिन चेन का दौरा

एआईआईबी, वीपी श्री उर्जित पटेल का दौरा

एडीबी के एक प्रतिनिधिमंडल का दौरा

महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, श्री आशुतोष गंगल का दौरा

पीएमओ के गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

एनसीआरटीसी के एम डी एवं अन्य वरिष्ट अधिकारियों द्वारा सावली, गुजरात में स्थित आरआरटीएस ट्रेन निर्माण ईकाई का दौरा

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
माननीय सदस्यगण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

मत

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ('समूह') के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक की बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), का विवरण शामिल है। इक्विटी में परिवर्तन विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सार के साथ साथ समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर ऊपर उल्लिखित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (''इंड एएस'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त स्थिति के अनुसार, समूह के क्रियाकलापों एवं लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन एवं समेकित नकदी प्रवाह के विवरण उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में की गई है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (''एसए'') के अनुसरण में लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षक के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों एवं उनसे संबंधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल की गई सूचनाएं आती हैं परन्तु इनमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण एवं उनसे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

हमारे मतानुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणों के अंतर्गत अन्य सूचना नहीं आती है तथा उनके संबंध में हम निष्कर्ष रूपी आश्वासन की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से जुड़ा हमारा दायित्व ऊपर विचार में ली गई अन्य सूचना को पढ़ने, जब कभी हमें उपलब्ध हो, तथा ऐसा करते हुए, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें प्राप्त जानकारियों अथवा अन्यथा रूप में वस्तुगत स्वरूप में गलतबयानी की प्रतीति होने, अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर अन्य सूचना में, हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई वस्तुगत गलतबयानी प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य को रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के निर्माण के संबंध में इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाहों की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समूह की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करने; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करने; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करने एवं अनुमान लगाने; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार वस्तुगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से डिजाइन करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चय, जिनका उपयोग उपर्युक्तानुसार धारक कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है, करने के उत्तरदायित्व भी शामिल हैं।

यदि सम्बद्ध निदेशक मंडल की मंशा अपनी सम्बद्ध इकाईयों का ऋणशोधन करने अथवा अपने परिचालन बन्द करने की नहीं है अथवा ऐसा करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तो समूह में शामिल कम्पनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की गोइंग कंसर्न के आधार पर क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

समूह में शामिल कम्पनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के प्रति भी उत्तरदायी हैं।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य अपने मत के साथ समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए इस औचित्यपरक आवश्वासन की प्राप्ति करना है कि क्या ये किसी वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त हैं अथवा नहीं हैं। औचित्यपरक आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा से वस्तुगत गलतबयानी, यदि कोई हों, की सदैव प्राप्ति निश्चित तौर पर होने की गारंटी नहीं होती है। वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी अथवा चूक के कारण, हो सकती है अथवा इसे वस्तुगत तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अथवा समस्त रूप से इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों में वस्तुगत गलतबयानी के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान करना तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके, अपने मत के आधार के लिए,ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी प्रकार की साठ गांठ, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई क्रियाएं, मिथ्या कथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध वित्तीय नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या समूह द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है अथवा नहीं की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों के औचित्य तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंगकंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं, जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे समूह की गोइंगकंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्य परक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम समूह की प्रक्रियाओं को गोइंगकंसर्न के रूप में जारीन रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

  हम अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय–सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

  हम, शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं तथा हमारी लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए हमने हमारे द्वारा समेकित किया गया विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

   हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

(क) हमारे मतानुसार, समूह ने विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रख रखाव किया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में की गई हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ख) इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

(ग) हमारे मतानुसार उपरोक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(घ) समूह एक सरकारी कम्पनी है इसलिए कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ङ) समूह के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का विवरण ''**अनुलग्नक–क**'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दिया गया है।

(च) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः–

- अपने वित्तीय विवरणों में समूह ने लंबित न्यायिक मामलों के प्रभाव का प्रकटीकरण (संदर्भ नोट संख्या 36.2) कर दिया है।
- समूह के डेरियेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।
- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे समूह द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- प्रबंधन ने, अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा यह प्रस्तुति की है किः–

i. समूह द्वारा किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई (मध्यवर्ती संस्थाएं) को ऐसे किसी निर्धारण, जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो, के साथ कि मध्यवर्ती संस्था द्वारा समूह (''परम लाभग्राहियों'') की ओर से किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में परम लाभग्राहियों की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियां (जो वैयक्तिक अथवा सकल रूप में वस्तुगत हों) जारी नहीं की गई हैं;

ii. समूह ने किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई (''निधियन पार्टी'') से ऐसे किसी निर्धारण, जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो, के साथ कि समूह द्वारा किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में निधियन पार्टी (''परम लाभग्राहियों'') की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियां (जो वैयक्तिक अथवा सकल रूप में वस्तुगत हों) प्राप्त नहीं की हैं;

iii. परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के उपयोग के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जो हमारी ऐसी किसी मान्यता का कारक बने कि ऊपर (i) एवं (ii) में दिए गए अनुसार नियम 11(ई) के उप–वाक्य (i) एवं (ii) के अंतर्गत की गई प्रस्तुतियों में किसी प्रकार की कोई गलतबयानी की गई है।

- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समूह ने किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा अथवा भुगतान नहीं किया है।

(छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कम्पनियों के लिए लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (''सीएआरओ'') के पैराग्राफ 3(xxi) एवं 4 में विनिर्दिष्ट उन मामलों के संबंध में, जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर, जिनके संबंध में सीएआरओ के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जानी है, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में किसी प्रकार की कोई अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

3. **कोविड 19 के प्रभाव का मूल्यांकन**

हम नोट संख्या 45 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें वैश्विक महामारी कोविड–19 से उत्पन्न अनिश्चितता एवं समूह के परिचालनों पर इसके प्रभाव एवं उन परिसम्पतियों की अक्षमता हानि से संबंधित अनुमान लगाने का वर्णन किया गया है जिनका भावी विकास वैश्विक महामारी की भयावहता एवं अवधि पर आश्रित है।

इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

4. अधिनियम की धारा 143(5) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का प्रेक्षण
(1)	क्या समूह में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन–देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	समूह में सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था स्थापित है। सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से किए जाते हैं तथा लेखों की सत्यता के संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय उलझाव नहीं है।
(2)	क्या समूह ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण के समूह के किसी ऋणदाता द्वारा समूह को किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उससे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है तो ये निदेश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)	समूह के संबंध में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा से संबंधित कोई मामला नहीं है।
(3)	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य (अनुदान/राजसहायता इत्यादि) निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युतक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	जी, हां। ऐसे सभी संव्यवहारों का उचित स्वरूप में लेखांकन एवं नियम एवं शर्तों के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है।

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANAVRC3389

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

कम्पनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क' कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के उप वाक्य (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के संबंध में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त कथित तिथि के समूह के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

धारक कम्पनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट के अनुसार, इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में कम्पनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों, दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी, के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, वस्तुगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। इंड एएस समेकित विवरणो में वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अपनी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के लिए युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की विशेष निर्मित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल होती है, जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जो उचित, विस्तृत एवं सटीक होते हैं तथा परिसम्पतियों के व्यवहार और निपटान को यथोचित रूप से प्रदर्शित करती हैं जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ समूह की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और समूह की प्राप्तियों और व्यय के संव्यवहार केवल समूह के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार से किए गए हैं; (3)जिससे समूह की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभवित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, समूह ने प्रत्येक वस्तुगत स्वरूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली की स्थापना की है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANAVRC3389

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

अनुपालन प्रमाण पत्र

हम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निदेशों/उप–निदेशों का अनुसरण करते हुए की है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप–निदेशों का अनुपालन हमने किया है।

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANAVRC3389

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
I. परिसम्पतियां			
1 गैर–चालू परिसम्पतियां			
(क) सम्पति, संयंत्र और उपकरण	3	7,98,68.64	6,81,94.59
(ख) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां	4	1,82.97	1,49.71
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति	5	62,09,55.75	22,14,15.99
(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पतियां	6.1	20,11.77	16,68.49
(ड) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	6.2	65.02	2,43.67
(च) वित्तीय परिसम्पतियां			
(i) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7	24,35.40	19,86.30
(छ) आस्थगित कर परिसम्पतियां (शुद्ध)	8	–	2,83.73
(ज) अन्य गैर–चालू परिसम्पतियां	9	13,58,86.04	7,61,74.59
		84,14,05.59	**37,01,17.07**
2 चालू परिसम्पतियां			
(क) वित्तीय परिसम्पतियां	10		
(i) व्यवसाय प्राप्य	10.1	–	–
(ii) नकद और नकद समतुल्य	10.2	9,35,67.28	8,72,77.52
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10.3	17,36,24.26	12,92,09.58
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	10.4	26,59.46	12,40.11
(ख) चालू कर परिसम्पतियां (शुद्ध)	11	17,13.57	5,41.68
(ग) अन्य चालू परिसम्पतियां	12	2,84.27	2,13.12
		27,18,48.84	**21,84,82.01**
कुल परिसम्पतियां		**1,11,32,54.43**	**58,85,99.08**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANAVRC3389

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
II. **इक्विटी और देयताएं**			
1 **इक्विटी**			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,00,00.00	1,00,00.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	17,29,46.63	13,90,26.92
		18,29,46.63	**14,90,26.92**
2 देयताएं			
(i) गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	15	71,69,55.77	34,92,87.11
(ii) पट्टा देयताएं	16	8.23	16.19
(ख) आस्थगित कर देयता	8	10,24.36	–
(ग) प्रावधान	17	14,97.88	9,16.95
(घ) अन्य गैर–चालू देयताएं	18	2,34,50.00	1,52,50.00
		74,29,36.24	**36,54,70.25**
(ii) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	19		
(i) पट्टा देयताएं	19.1	7.96	149.79
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19.2	2,38,86.67	2,76,70.94
(iii) व्यवसाय प्राप्य	20	–	–
(ख) अन्य चालू देयताएं	21	16,33,31.37	4,62,13.38
(ग) अल्पावधि प्रावधान	22	1,45.56	67.80
		18,73,71.56	**7,41,01.91**
कुल इक्विटी और देयताएं		**1,11,32,54.43**	**58,85,99.08**

सामान्य जानकारी	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	2
लेखांकन टिप्पणियां	3 से 55

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANAVRC3389

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व		–	–
II	अन्य आय	23	89,51.47	73,79.92
III	**कुल आय (I+II)**		**89,51.47**	**73,79.92**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	7,05.50	5,56.06
	वित्त लागतें	25	3.97	12.92
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	26	5,40.97	2,23.03
	अन्य व्यय	27	15,11.25	9,45.45
IV	**कुल व्यय (IV)**		**27,61.69**	**17,37.46**
V	**अपवादिक मदों और कर पूर्व लाभ (III–IV)**		**61,89.78**	**56,42.46**
VI	अपवादिक मदें		–	–
VII	**कर पूर्व लाभ (V–VI)**		**61,89.78**	**56,42.46**
VIII	कर व्यय:			
	(1) चालू कर			
	– वर्तमान अवधि कर		2,71.15	14,74.26
	– पूर्व वर्षों के कर (निवल)		(95.05)	–
	(2) आस्थगित कर (निवल)		13,09.02	(1,69.35)
IX	**चालू प्रचालनों से वर्ष के दौरान लाभ/(हानि) (VII–VIII)**		**47,04.66**	**43,37.55**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XI	बंद प्रचालनों के कर व्यय		–	–
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X–XI)		–	–
XIII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**47,04.66**	**43,37.55**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि से पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(3.68)	40.50
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.93	(10.19)
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि से पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		–	–
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		–	–
XV	**वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय (XIII + XIV) [वर्ष के दौरान लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय से युक्त]**		**47,01.91**	**43,67.86**

XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**	29		
	(चालू प्रचालनों के लिए)			
	(1) मूल (₹ में)	29.1	47.05	43.38
	(2) विलयित (₹ में)	29.2	47.05	43.38
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(बंद प्रचालनों के लिए)			
	(1) मूल (₹ में)		–	–
	(2) विलयित (₹ में)		–	–
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए)			
	(1) मूल (₹ में)	29.1	47.05	43.38
	(2) विलयित (₹ में)	29.2	47.05	43.38

ये टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANAVRC3389

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ		**61,89.78**	56,42.46
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
मूल्यह्रास		5,40.97	2,23.03
पट्टा देयता पर ब्याज		3.97	12.92
वित्तीय परिसम्पतियों पर ब्याज आय		(55.94)	(6.85)
अचल परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		–	(0.02)
ब्याज आय		(84,59.35)	(73,40.32)
बट्टा–परिसम्पतियां		2.02	–
विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर		2.79	3,47.18
प्रचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**(17,75.76)**	**(11,21.60)**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
अन्य चालू परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		(71.15)	(1,78.98)
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		(5,83.79)	1,47.80
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		(3,93.16)	(13,97.95)
अन्य वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि		(39,73.75)	2,11,81.75
अन्य चालू देयता में (कमी)/वृद्धि		31,36.41	7,23.43
दीर्घ अवधि प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		5,77.25	5,53.90
अल्पावधि प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		77.76	(22.67)
गैर चालू वित्तीय देयताओं में (कमी)/वृद्धि		–	1,72.26
	(2)	(12,30.43)	2,11,79.54
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**(1+2)**	**(30,06.19)**	**2,00,57.94**
भुगतान किया गया आय कर (धनवापसियों सहित)		(13,47.98)	(19,79.56)
प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकदी		**(43,54.17)**	**1,80,78.38**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, सीडब्ल्यूआईपी तथा अन्य अमूर्त परिसम्पतियों की खरीद		(40,45,33.84)	(21,32,74.30)
प्राप्त ब्याज		86,36.20	75,04.45
पूंजी अग्रिम		(5,96,48.62)	(5,52,47.07)
अन्य बैंक शेषों में परिवर्तन		(4,44,14.68)	(6,06,54.35)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(49,99,60.94)**	**(32,16,71.27)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
प्राप्त अनुदान से आगम		2,81,42.55	6,57,40.00
निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिमः–			
– पास थ्रू सहायता के प्रति भारत सरकार		11,39,81.58	4,33,85.39
– हरियाणा सरकार		82,00.00	1,02,50.00
– राजस्थान सरकार		–	5,00.00

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋणों से प्राप्तियां		
– भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से अधीनस्थ ऋण	12,25,00.00	15,57,00.00
– एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण	21,33,99.21	5,53,30.64
– न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण	2,63,78.55	1,85,83.97
पट्टा भुगतान	(1,49.79)	(3,38.26)
पट्टा देयता पर चुकता ब्याज	(12.45)	(38.33)
ऋण पर चुकता ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार	(18,34.78)	(197.72)
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी	**51,06,04.87**	**34,89,15.69**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों से निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	62,89.76	4,53,22.80
अथ (ओपनिंग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	8,72,77.52	4,19,54.72
अंत (क्लोजिंग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	**9,35,67.28**	**8,72,77.52**
बैंकों में शेष के रूप में नकदी एवं नकदी समतुल्य शेष:		
– चालू एवं फ्लैक्सी जमा खाते में	5,40,59.64	8,42,35.80
– अग्रदाय खाते में	5.64	4.72
तीन अथवा कम माह की परिपक्वता वाले सावधि जमा	3,95,02.00	30,37.00
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य	**9,35,67.28**	**8,72,77.52**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	आस्थगित आय	अग्रिम	उधारी	वित्तीय लागत	पट्टा देयताएं	योग
संदर्भ टिप्पणी	**14.2**	**18 एवं 21**	**15**	**19.2**	**16 एवं 19.1**	
अथ (ओपनिंग) शेष (क)	**13,18,65.00**	**5,95,43.20**	**34,92,87.11**	**1,39.67**	**1,65.98**	**54,10,00.96**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन						
वर्ष के दौरान चुकता	–	–	–	(18,34.78)	(1,62.24)	(19,97.02)
वर्ष के दौरान प्राप्त	2,81,42.55	12,21,81.58	36,22,77.76	–	–	51,26,01.89
कुल (ख)	**2,81,42.55**	**12,21,81.58**	**36,22,77.76**	**(18,34.78)**	**(1,62.24)**	**51,06,04.87**
गैर–नकदी परिवर्तन						
विदेशी मुद्रा भिन्नता	–	–	53,90.90	–	–	53,90.90
वसूली योग्य	10,75.25	–	–	–	–	10,75.25
वर्ष के दौरान उत्पन्न वित्तीय लागत	–	–	–	20,21.47	12.45	20,33.92
कुल (ग)	**10,75.25**	–	**53,90.90**	**20,21.47**	**12.45**	**85,00.07**
अंत (क्लोजिंग) शेष (क+ख+ग)	**16,10,82.80**	**18,17,24.78**	**71,69,55.77**	**3,26.36**	**16.19**	**1,06,01,05.90**

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान: (₹ लाख में)

विवरण	आस्थगित आय	अग्रिम	उधारी	वित्तीय लागत	पट्टा देयताएं	योग
संदर्भ टिप्पणी	**14.2**	**18 एवं 21**	**15**	**19.2**	**16 एवं 19.1**	
अथ (ओपनिंग) शेष (क)	**6,61,25.00**	**45,00.00**	**11,88,00.00**	–	**5,28.18**	**18,99,53.18**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन						
वर्ष के दौरान चुकता	–	–	–	(1,97.72)	(3,76.59)	(5,74.31)
वर्ष के दौरान प्राप्त	6,57,40.00	5,41,35.39	22,96,14.61	–	–	34,94,90.00
कुल (ख)	**6,57,40.00**	**5,41,35.39**	**22,96,14.61**	**(1,97.72)**	**(3,76.59)**	**34,89,15.69**
गैर–नकदी परिवर्तन						
विदेशी मुद्रा भिन्नता	–	–	8,72.50	–	–	8,72.50
वसूली योग्य	–	9,07.81	–	3,37.39	38.33	12,83.53
वर्ष के दौरान उत्पन्न वित्तीय लागत	–	–	–	–	(23.94)	(23.94)
कुल (ग)	–	**9,07.81**	**8,72.50**	**3,37.39**	**14.39**	**21,32.09**
अंत (क्लोजिंग) शेष (क+ख+ग)	**13,18,65.00**	**5,95,43.20**	**34,92,87.11**	**1,39.67**	**1,65.98**	**54,10,00.96**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां:–

(i) समेकित नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इंड एएस–7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किया गया है।

(ii) समूह ने 1 अप्रैल, 2017 से इंड एएस–7 के संशोधन को अंगीकार किया है जिसके लिए ऐसे प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा होती है जिनसे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के उपयोक्ता प्रकटीकरण की अपेक्षा की पूर्ति के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह एवं गैर–नकदी प्रवाह, दोनों, के साथ साथ देयताओं में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन करके वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के संबंध में तुलन पत्र के अथ शेष एवं अंत शेष के मध्य समाधान किए जाने का सुझाव दे पाते हैं।

पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ पुष्टि एवं तुलनात्मकता के लिए किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANAVRC3389

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्वावधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
शेयरों की संख्या, लाख में	100	–	–	–	100
राशि	1,00,00.00	–	–	–	1,00,00.00

2. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्वावधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को शेष
शेयरों की संख्या, लाख में	100	–	–	–	100
राशि	1,00,00.00	–	–	–	1,00,00.00

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			योग
	सामान्य आरक्षित	आस्थगित आय	धारित आय	
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष	–	**13,18,65.00**	**71,61.92**	**13,90,26.92**
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा पूर्वावधि त्रुटियां	–	–	–	–
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार पुनःउल्लिखित शेष	–	**13,18,65.00**	**71,61.92**	**13,90,26.92**
वर्ष के दौरान लाभ	–	–	47,04.66	47,04.66
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	–	–	(2.75)	(2.75)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	–	**13,18,65.00**	**1,18,63.83**	**14,37,28.83**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (निवल)	–	2,92,17.80	–	2,92,17.80
घटाएं: चुकता लाभांश	–	–	–	–
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	–	**16,10,82.80**	**1,18,63.83**	**17,29,46.63**

2. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			योग
	सामान्य आरक्षित	आस्थगित आय	धारित आय	
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार शेष	–	**6,61,25.00**	**44,15.66**	**7,05,40.66**
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा पूर्वावधि त्रुटियां	–	–	(16,21.60)	(16,21.60)
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार पुनःउल्लिखित शेष	–	**6,61,25.00**	**27,94.06**	**6,89,19.06**
वर्ष के दौरान लाभ	–	–	43,37.55	43,37.55
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	–	–	30.31	30.31
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	–	**6,61,25.00**	**71,61.92**	**7,32,86.92**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	–	6,57,40.00	–	6,57,40.00
घटाएं: चुकता लाभांश	–	–	–	–
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष	–	**13,18,65.00**	**71,61.92**	**13,90,26.92**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 088165
यूडीआईएन: 22088165ANAVRC3389

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

1. कम्पनी सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी [U60200DL2013GOI256716] है, तथा भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत इसका निगमन जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यथोचित, द्रुतगामी, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल एवं संवहनीय यात्रा समाधान प्रदान करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी (जिसे होल्डिंग कंपनी भी कहा जाता है) और उसकी सहायक इकाई (एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में जाना जाता है)

धारक कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए, नई दिल्ली–110023 में स्थित है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 निर्माण का आधार/अनुपालन विवरण

धारक कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन के प्रोद्भवन आधार एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके गोइंगकंसर्न के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों/घोषणाओं को भी धारक कम्पनी ने यथालागू अपेक्षा के अनुसार अंगीकार किया है। धारक कम्पनी ने प्रस्तुत अवधियों के संबंध में लेखांकन नीतियों का उपयोग समान रूप से किया है।

धारक कम्पनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 15 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इन वित्तीय विवरणों के प्रति अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2.2 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण समान प्रकार के संव्यवहारों एवं समान प्रकार की परिस्थितियों में अन्य कार्यों के लिए समान लेखांकन नीति का उपयोग करके किया गया है। यदि समूह का कोई सदस्य समान प्रकार के संव्यवहारों एवं समान प्रकार की परिस्थितयों में अन्य कार्यों के उद्देश्य से समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियों से विलग किसी अन्य लेखांकन नीति का उपयोग करता है तो समूह की लेखांकन नीतियों में अनुरूपता का सुनिश्चय करने के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय समूह के सदस्य के वित्तीय विवरणों में यथोचित समायोजन किए जाते हैं।

समेकन के उद्देश्य से उपयोग में लाए गए सभी इकाईयों के वित्तीय विवरण धारक कम्पनी की रिपोर्टिंग तिथि की समान तिथि यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार हैं।

2.2.1 सहायक कम्पनियां

सहायक कम्पनियां वे सभी इकाईयां हैं जिनपर धारक कम्पनी को नियंत्रण प्राप्त है। धारक कम्पनी द्वारा किसी इकाई का नियंत्रण इकाई में उसकी भागीदारी से विभिन्न वापसियों के प्रति एक्सपोज होने, अथवा उसका अधिकार प्राप्त होने तथा ऐसी वापसियों से इकाई की सम्बद्ध क्रियाओं को अपनी शक्ति के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता होने की स्थिति में किया जाता है। धारक कम्पनी को नियंत्रण अंतरित करने की तिथि से सहायक कम्पनियों को पूर्णतः समेकित किया गया है। उनका विनियंत्रण नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से होता है।

समूह में मूल कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरण परिसम्पतियों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय जैसी मदों को जोड़कर क्रम वार संयुक्त किए जाते हैं। समूह कम्पनियों के मध्य अंतर्कम्पनी लेनदेन, शेष एवं संव्यवहारों पर अप्राप्त लाभ को हटा दिया जाता है। यदि संव्यवहार में अंतरित परिसम्पति की क्षमता क्षति के प्रमाण नहीं होते हैं तो अतृप्त हानियों को भी हटा दिया जाता है।

जब धारक कम्पनी का सहायक कम्पनी पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो सहायक कम्पनी की संपत्ति और देनदारियों, और किसी भी संबंधित गैर नियंत्रणकारी हितों और इक्विटी के अन्य घटकों की स्वीकृति समाप्त हो जाती है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से पूर्व सहायक कम्पनी में रखे गए किसी भी हित को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी परिणामी लाभ या हानि को लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है।

2.2.2 सहायक कम्पनियों के लिए समेकित प्रक्रिया

- मूल कम्पनी की परिसम्पतियों, देयताओं, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकदी प्रवाह जैसी मदों को सहायक कम्पनियों की मदों के साथ मिला दिया जाता है। इस उद्देश्य से सहायक कम्पनी की आय एवं व्यय का आधार उन परिसम्पतियों और देयताओं की राशि होता है जिसकी स्वीकृति रिपोर्टिंग तिथि को समेकित वित्तीय विवरणों में की गई है।
- प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल कम्पनी के निवेश और प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल कम्पनी के इक्विटी अंश भाग की वहन राशि को ऑफसेट (लुप्त) कर दिया जाता है।
- समूह की कम्पनियों के मध्य इंट्राग्रुप परिसम्पतियों एवं देयताओं, इक्विटी, आय, व्ययों एवं नकदी प्रवाहों से संबंधित संव्यवहार (इंट्राग्रुप संव्यवहारों से उत्पन्न वे लाभ एवं हानियां जिनकी स्वीकृति परिसम्पतियों, जैसे कि मालसूची एवं अचल परिसम्पतियां, पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाती हैं) पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं।

- इंट्राग्रुप हानियों से ऐसी क्षमता क्षति के संकेत प्राप्त हो सकते हैं जिसकी समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति की जानी अपेक्षित है।

- लाभ अथवा हानि तथा अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक की सम्बद्धता समूह की मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से है। समूह की लेखांकन नीतियों के साथ अनुरूपता के लिए सहायक कम्पनियों की लेखांकन नीतियों में आवश्यकता पड़ने पर समायोजन किए जाते हैं। समूह के सदस्यों के मध्य प्रत्येक इंट्राग्रुप परिसम्पतियां एवं देयताएं, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकदी प्रवाह से संबंधित सभी संव्यवहार समेकन के लिए लुप्त कर दिए जाते हैं।

2.2.3 मापन का आधार

उचित मूल्य पर मापन की गई कुछ वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत एवं उपार्जन आधार पर किया गया है तथा परिभाषित हितलाभ योजना एवं अन्य दीर्घ कालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन सम्बद्ध इंड–एएस की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है।

2.3 अनुमानों एवं प्रबंधन विवेक का उपयोग

इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से प्रबंधन को ऐसे न्यायपरक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता एवं रिपोर्ट की गई परिसम्पतियों, देयताओं की राशियों, समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक परिसम्पतियों और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण तथा आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि प्रभावित हो सकती है। वास्तविक परिणाम लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। अनुमानों में परिवर्तन तथा वास्तविक परिणामों के मध्य भिन्नता के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं तथा अनुमानों की स्वीकृति उस अवधि के लिए की गई है जिसके लिए परिणाम ज्ञात हुए हैं/व्यवहार में लाए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुकूलता में संवर्धन के लिए लेखांकन नीतियों के उपयोग हेतु समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृत राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाले अनुमान, अनिश्चितता एवं सूक्ष्म निर्णयों से संबंधित सूचना निम्नलिखित हैः–

- **सम्पति, संयंत्र एवं उपकरणः** उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा आवधिक रूप से मूल्यह्रास विधि के साथ की जाती है। काल का निर्धारण ऐतिहासिक अनुभवों एवं प्रत्याशित भावी घटनाओं के आधार पर किया जाता है।

- **प्रावधानः** प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को दायित्व के निपटान के आधार पर किया जाता है।

- **आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियांः** आकस्मिक देयताओं। परिसम्पतियों का प्रकटीकरण प्रबंधन विवेक आधार पर किया जाता है जिसकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू प्रबंधन अनुमान की प्रस्तुति के लिए समायोजन किए जाते हैं।

- **गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का अक्षमता क्षति परीक्षणः** पीपीई की वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण तकनीकी विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों के अनुसार लिए गए निर्णय के आधार पर किया जाता है।

- **आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृतिः** आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति भावी करयोग्य आय की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है जिसके प्रति आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।

- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभों के अंतर्गत भावी दायित्वः** कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें डिस्काउंट दरों के भावी विकास से संबंधित पूर्वानुमानों के साथ साथ मृत्यु एवं आहरण दरें, वेतन वृद्धि की दरें एवं मुद्रास्फीति की दरें शामिल होती हैं। समूह का ऐसा मानना है कि दायित्वों के मापन के लिए उपयोग में लाए गए पूर्वानुमान उपयुक्त तथा प्रलेखित हैं। तथापि, ऐसे अनुमानों में होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन का वस्तुगत प्रभाव प्रभावी आकलनों पर हो सकता है।

- **पट्टेः**– समूह किसी अनुबंध में पट्टे के होने अथवा न होने, पट्टा अनुबंध में विस्तार विकल्प होने तथा पट्टा अनुबंध में समापन के विकल्प का उपयोग किए जाने अथवा नहीं किए जाने का निर्धारण करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है। इसके अलावा, समूह द्वारा उपयुक्त डिस्काउंट दर के उपयोग के आकलन तथा पट्टे की कालावधि के निर्धारण के लिए अनुमानों का उपयोग किया जाता है।

2.4 प्रत्येक वित्तीय सूचना भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई है तथा यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है तो सभी मूल्यों को निकटतम लाख में राउंड ऑफ किया गया है।

2.5 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से संसूचित किए गए है जबकि गैर–नकदी प्रकार एवं किन्हीं पूर्व अथवा भावी नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय के संव्यवहारों के प्रभाव के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि) का समायोजन किया गया है। समूह की प्रचालनों, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों से नकद एवं नकद समतुल्यों में उपलब्ध नकदी, बैंकों में नकदी शेष, बैंकों में मांग जमा, बैंक ओवरड्राफ्टों का वह निवल जिसका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है तथा जो समूह की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग है, शामिल है।

2.6 कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल की गई मदों का मापन उस मूलभूत आर्थिक परिवेश की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) के उपयोग से किया गया है जिसमें समूह अपने प्रचालन करता है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए (आईएनआर) में की गई है जो समूह की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की प्रस्तुति उनके संव्यवहार की तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के उपयोग से की गई है। विदेशी मुद्राओं वाली मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न होने वाली विनिमय भिन्नताओं की स्वीकृति लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है जो कि ऐसी विनिमय भिन्नताओं के लिए नहीं की जाती है जो ब्याज लागतों के समायोजन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न हुई हों तथा जिन्हें ऋण लागत माना गया हो।

2.7 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास एवं क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैः

i. परिसम्पतियों के अधिग्रहण से संबद्ध प्रत्यक्ष लागत

ii. मदों को खंडित करने अथवा हटाने तथा यदि स्वीकृति मापदंड पूरे होते हैं तो उसके मूल स्थल पर पुनःस्थापित करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य

(ख) प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत का पूंजीयन स्वीकृति मापदंडों की पूर्ति होने पर किया जाता है।

(ग) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति निपटान किए जाने अथवा परिसम्पतियों के निरंतर उपयोग से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभों की संभावना न होने की स्थिति में समाप्त की जाती है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद का निपटान अथवा परित्याग किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का निर्धारण बिक्री से प्राप्त होने वाले धन एवं परिसम्पति की वहन राशि के मध्य भिन्नता के अनुसार किया जाता है तथा लाभ अथवा हानि विवरण में इसकी स्वीकृति की जाती है।

मूल्यह्रास

(क) फर्निचर जुड़नार, कार्यालय उपकरण एवं आवासीय कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई अन्य परिसम्पतियों, जिनका मूल्यह्रास 4 वर्ष की अवधि में किया जाता है, के अलावा सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में किए गए विनिर्देशन के अनुसार परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल में किया जाता है।

(ख) ₹ 5,000/– अथवा कम मूल्य की वैयक्तिक परिसम्पतियों का 100% मूल्यह्रास उनके क्रय के वर्ष में उनके वाणिज्यिक काल को विचार में लेकर तथा पहचान के उद्देश्य से ₹1 के टोकन मूल्य को स्वीकृति देकर किया जाता है।

(ग) यदि किसी भाग की लागत किसी मद की कुल लागत से अधिक है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल परिसम्पति के शेष उपयोज्यता काल से भिन्न है तो सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग अलग किया जाता है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की महत्वपूर्ण मदों के संबंध में परिसम्पतियों का चालू एवं तुलनात्मक अवधि का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नलिखित हैः–

परिसम्पतियां	उपयोज्यता काल
संयंत्र एवं मशीनरी	15
कम्प्यूटर्स	3
अस्थाई भवन	3
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई परिसम्पतियां	4

(घ) पट्टाधारित सुधारों का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान उस माह से किया गया है जिस माह में ऐसे सुधारों का पूंजीयन हुआ है।

(ङ) मूल्यह्रास विधियों, उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

2.8 अमूर्त परिसम्पतियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षमता हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

अनुसंधान व्यय की स्वीकृति व्यय के रूप में तब की जाती है जब इन्हें व्ययतित किया जाता है। विकास गतिविधियों पर व्यय की स्वीकृति अमूर्त परिसम्पति के रूप में तब की जाती है जब यह इंड एएस 38 'अमूर्त परिसम्पतियां'के पात्रता मापदंडों के अनुरूप हो तथा ऐसा न होने पर इसकी स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर उनके उपयोग के लिए उपलबध होने की तिथि से उनके संबंधित अनुमानित उपयोज्यता काल में किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पतियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है:–

अमूर्त परिसम्पतियां	उपयोज्यता काल	आंतरिक रूप से उत्पन्न अथवा स्व–निर्मित / अधिग्रहित
साफ्टवेयर	3	अधिग्रहित
साफ्टवेयर	3	स्व–निर्मित

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

2.9 पूंजी कार्य प्रगति पर

ऐसे व्यय जिनकी प्रत्यक्ष पहचान धारक कम्पनी द्वारा निवर्हन की जा रही परियोजना से संबंधित हो सकती है उसे "पूंजी परियोजना व्यय"के अंतर्गत "पूंजी कार्य प्रगति पर"में नामे किया जाता है। कर्मचारी हितलाभ एवं अप्रत्यक्ष व्यय जैसे परियोजना से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना में प्रभारित किए गए हैं। अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना एवं परियोजना से अलग हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।

निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि जैसे निर्माण अवधि से संबंधित आय का समायोजन निर्माण के दौरान किए गए व्यय में किया गया है।

2.10 पूंजी अग्रिम

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) के अधिग्रहण के प्रति चुकता किए भुगतान के बकाया का प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में वर्गीकरण अन्य गैर–चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में किया गया है।

2.11 भूमि

(क) भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के फ्रेमवर्क की अपेक्षा के अनुसार नियंत्रण के आधार पर भूमि की स्वीकृति परिसम्पति के रूप में की गई है।

(ख) विभिन्न सरकारी निकायों एवं विभागों सहित भू–स्वामियों द्वारा सौंपे गए तथा धारक कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किए गए भूखंडों का पूंजीयन धारक कम्पनी द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किए जाने अथवा भुगतान किए जाने, जो भी हो, के समय कर लिया जाता है तथा ऐसा कब्जा प्राप्त किए जाने एवं मूल्य ज्ञात न होने की स्थिति में नहीं किया जाता है।

(ग) संवर्धित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को राशि के अनुमान न लगाए जा सकने के कारण तब प्रभारित किया जाएगा जब भुगतान देय होगा।

(घ) भूमि से संबंधित स्टाम्पड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, अन्य संबंधित शुल्क, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की लागत एवं अन्य सम्बद्ध किए जाने योग्य व्यय भूमि में लागत में जोड़े जाते हैं।

(ङ) कब्जा प्राप्त पट्टाधारित भूमिसहित अस्थाई / अनुवर्ति प्रभाव से भूमि की लागत अथवा प्रतिपूर्ति के लिए किए गए भुगतान, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत, जिसमें से ध्वंस की गई संरचनाओं से प्राप्त बिक्री प्रतिफल को घटाया जाना है, को भूमि अथवा पट्टाधारित भूमि की लागत माना जाता है।

(च) समूह के लिए भूमि की खरीद के "भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी' (सीएएलए) के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाते में जमा की गई राशि को प्रारंभ में भूमि के लिए अग्रिम माना जाता है। सीएएलए खातों में से भू–स्वामियों को उक्त उद्देश्य से सीधे किए गए भुगतान का समायोजन भूमि की लागत में किया जाता है तथा सीएएलए में बकाया शेष को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

2.12 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि

परिसम्पतियों की क्षमता हानि से संबंधित इंड एएस 36 के अनुसार कम्पनी की परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की जाती है कि क्या इनमें किसी प्रकार के क्षमता हानि के संकेत व्याप्त हैं अथवा नहीं हैं। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के अनुमान उचित मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बिक्री की लागत एवं उपयोग मूल्य को घटाकर लगाए जाते हैं। लाभ एवं हानि विवरण में किसी क्षमता हानि की स्वीकृति तब की जाती है जब किसी परिसम्पति अथवा इनकी नकद उत्पति यूनिट की वहन राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूलीयोग्यहानि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तथा ऐसी हानियों का अब कोई आस्तित्व नहीं है अथवा ये कम हो गई हैं तो पूर्व लेखांकन अवधियों में अक्षमता हानि के लिए प्रदान की गई स्वीकृति को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षमता हानि में किए गए ऐसे रिवर्सल की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

2.13 (क) राजस्व स्वीकृति

i. राजस्व की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जब यह संभावना हो कि उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। तथापि, राजस्व में पहले से ही शामिल किसी की प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो वसूली न किए जाने योग्य राशि, अथवा वह राशि जिसकी वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, की स्वीकृति पहले से ही स्वीकृत की गई राजस्व राशि के समायोजन के स्थान पर व्यय के रूप में की जाती है।

ii. ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस प्रतिफल के रूप में दर्शाई गई राशि पर किया जाता है जो समूह माल अथवा सेवाओं का विनिमय किए जाने पर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा करता है।

iii. प्राप्त अथवा प्राप्तियोग्य प्रतिफल के राजस्व का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

iv. प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति उस लेखांकन अवधि में की जाती है जिस अवधि में सेवाएं प्रदान

की गई हैं। राजस्व की स्वीकृति समय अथवा समय के किसी एक बिन्दु पर निष्पादन दायित्व पूरे किए जाने के आधार पर की जाती है।

किसी समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट होने के मामले में राजस्व की स्वीकृति प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रदान की गई कुल सेवाओं के अनुपात के आधार पर की स्वीकृति की जाती है। ऐसे निर्धारण भौतिक प्रगति, प्रयासों, संव्यवहार की कुल अनुमानित लागत के वहन के लिए अद्यतन व्यय, व्ययतित समय, निष्पादित सेवा अथवा प्रबंधन द्वारा उचित समझी गई अन्य किसी विधि के आधार पर किए जाते हैं।

अन्य मामलों मे, जहां समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट नहीं होते हैं, राजस्व की स्वीकृति समय बिन्दु पर की जाती है।

ऐसे अनुबंधों के मामले में जिनमें ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर नियत राशि का भुगतान करता है, तो यदि समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक होती हैं तो अनुबंध परिसम्पति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भुगतान प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होते हैं तो अनुबंध दायित्व की स्वीकृति की जाती है।

संग्रहण शुल्क को गतिविधियों/अनुबंध/कार्य आदेश के निबंधनों के अनुसार संव्यवहारों के पूर्ण होने के चरण के आधार पर राजस्व की स्वीकृति दिए जाने तक ग्राहक अग्रिम माना जाता है।

धनवापसी योग्य एवं आपूर्तियों का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण नियंत्रण के लिए राजस्व की स्वीकृति प्रबंधन, ग्राहक से लंबित अनुमोदन, यदि कोई हो, द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए निर्धारित कार्य सम्पन्नता ६ निर्माण लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

(ख) अन्य राजस्व स्वीतियां

i. ब्याज आय की स्वीकृति समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से बकाया राशि के लेखे एवं लागू ब्याज दर को विचार में लेकर की जाती है।

ii. लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने, इकाई को आर्थिक लाभ प्रवाहित होने एवं राशि का मापन विश्वसनीयता के साथ किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

2.14 सेवानिवृत्ति हितलाभ

(क) भविष्य निधि में अंशदान को संबंधित अवधि में व्यय की स्वीकृति दी जाती है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, बीमारी की छुट्टी, अर्जित छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत का बीमांकन आधार पर निर्धारण करके प्रावधान किए जाते हैं।

(ख) बीमांकित लाभ एवं हानियों से युक्त पुनःमापन के लिए, परिभाषित हितलाभ दायित्व एवं योजनागत परिसम्पतियों के प्रतिफल (निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा) के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा, परिसम्पति की ऊपरी सीमा के प्रभाव की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में संबंधित अवधि में तत्काल स्वीकृति तब की जाती है जब यह घटित होता है। अनुवर्ती अवधि में लाभ एवं हानि के पुनःमापन का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में उनके मूल संगठन की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तों के आधार पर विदेश सेवा अंशदान के लिए प्रावधान/दायित्व पूरे किए जाते हैं तथा इन्हें प्रोद्भवन आधार पर चुकता अथवा लेखा बहियों में लेखांकित किया जाता है।

2.15 ऋण लागतें

सामान्य तथा विशिष्ट ऋण लागतों, जिनकी संबद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है, का पूंजीयन उस समयावधि के दौरान किया जाता है जिसमें परिसम्पति को उसके आशित उद्देश्य से उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

अर्हक परिसम्पति वह परिसम्पति है जिसे आशित उपयोग के लिए किसी निश्चित समय अवधि में तैयार किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में व्यय किए जाने की अवधि में की जाती है।

अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में व्यय किए जाने की अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं को ब्याज लागतों के समायोजन के तौर पर ऋण लागत माना जाता है।

2.16 आय कर

(क) चालू आय कर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत आकलित करयोग्य आय एवं कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

चालू कर परिसम्पतियों एवं चालू कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया जाता है जब स्वीकृत राशियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा परिसम्पतियों एवं देयताओं का निवल आधार पर निपटान किए जाने की मंशा हो।

अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित चालू कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की जाती है।

(ख) आस्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्सआफ इंडिया द्वारा "आयकर" के संबंध में जारी भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस 12) के अनुसार

i. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति अस्थाई भिन्नताओं के लिए की जाती है जिनका आकलन कर दरों एवं प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग तिथि को वस्तुतः प्रवर्तित कर विधियों के उपयोग से किया जाता है।

ii. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि उससे करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे जिनसे कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं एवं

अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का अग्रेषण तथा अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया जाता है जब चालू कर से संबंधित देयताओं के प्रति परिसम्पतियों के समंजन का प्रवर्तन योग्य विधिक अधिकार हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं की सम्बद्धतासमान शासीकराधान विधि द्वारा आय पर लगाए गए करों से हो।

iv. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का मापन उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से किया जाता है जो प्रवर्तित अथवा तुलन पत्र तिथि को वस्तुतः प्रवर्तित हैं। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समूह अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियों, यदि कोई हों, का पुनः मूल्यांकन करता है।

v. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की वहन राशि की पुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा इसे उस सीमा तक न्यून किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना प्रतीत नहीं होती है कि इससे उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक अथवा आंशिक आस्थगित आय कर परिसम्पतियों के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे।

iv. अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की जाती है।

2.17 निवेश सम्पतियां

(क) निवेश सम्पति में सम्पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति वित्त पट्टे के अंतर्गत वह सम्पति शामिल होती है जिसका धारण व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए न किए जाने के स्थान पर किराया उपार्जित करने अथवा पूंजी प्रतिफल प्राप्त करने अथवा दोनों के लिए किया गया हो।

(ख) निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति लागत पर, संचित मूल्यह्रास एवं उत्पन्न अक्षमता हानियों का निवल, यदि कोई हो, किया जाता है।

(ग) मूल क्रय किए जाने की तिथि से समूह द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में किए गए वर्णन के अनुसार निवेश सम्पति के प्रत्येक घटक का मूल्यह्रास किया जाता है।

(घ) निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनकी बिक्री कर दी गई हो अथवा उन्हें स्थाई रूप से उपयोग में न लाया जा रहा हो तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के मध्य भिन्नता की स्वीकृति लाभ एवं हानि में स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि में की जाती है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां

(क) देयताओं के संबंध में प्रावधानों की स्वीकृति केवल तब की जाती है जब अनुमानों के किसी महत्वपूर्ण स्तर तक उनका मापन किया जाना संभव हो, जिसके लिएः

i. समूह के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हो।

ii. संसाधनों के बर्हिप्रवाह से दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो; तथा

iii. जब दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है।

प्रावधानों को न्यून करना

जब धन का समय मूल्यप्रभाव वस्तुगत होता है तो प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित संभावित व्यय होती है।

(ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नलिखित में से किसी भी मामले में किया जाता हैः–

i. किसी पूर्व घटना के कारण उत्पन्न कोई विद्यमान दायित्व, जिसमें दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना न हो; अथवा

ii. विद्यमान दायितव के लिए विश्वसनीय अनुमान न लगाए जा सकते हों; अथवा

iii. यदि संसाधन के बर्हिप्रवाह की संभावना काफी कम नहीं है तो किसी संभावित दायित्व के लिए

आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पति के प्रति अपेक्षित प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

(ग) आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ के अंतर्प्रवाह की संभावना हो।

2.19 पट्टे

(क) पट्टाधारक के रूप में

(i) समूह द्वारा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति एवं पट्टा देयताएं की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को की जाती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान जमा व्यय की गई कोई प्रत्यक्ष लागत तथा परिसम्पति को विखंडित करने तथा हटाने अथवा परिसम्पति अथवा स्थल, जहां यह स्थित है, को पुनः स्थापित पर व्यय की गई प्रारंभिक लागत में से प्राप्त प्रकार के पट्टा प्रोत्साहन घटाकर समायोजन के साथ पट्टा देयताएं की प्रारंभिक राशि शामिल होती है।

(ii) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का अनुवर्ती मूल्यह्रास उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के उपयोज्यता काल अथवा पट्टा काल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा विधि का उपयोग करके किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल का निर्धारण भी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के समान आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की आवधिक न्यूनता अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के लिए की जाती है तथा इन्हें पट्टा देयताएं के कतिपय पुनःमूल्यांकनों में समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयताएं का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर, पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि दर का निर्धारण तत्काल नहीं किया जा सकता

है तो समूह की आवर्धित ऋण दर में कटौती करके, किया जाता है।

(iv) प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से पट्टा देयताएं का परिशोधन लागत पर मापन किया जाता है, इसका पुनःमापन तब किया जाता है जब सूचकांक अथवा में परिवर्तन के कारण भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है। जब इस प्रकार से पट्टा देयताएं का पुनःमापन किया जाता है तो उपयोग अधिकार वाली सम्पति की वहन राशि में अनुवर्ती समायोजन किए जाते हैं अथवा यदि उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की वहन राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि में रिकार्ड किया जाता है।

(v) समूह द्वारा उस उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की प्रस्तुति की जाती है जो तुलन पत्र में "उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति"के लिए निवेश परिसम्पति एवं पट्टा दायित्वों के लिए तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय दायित्वों"की परिभाषा में नहीं आती है।

(vi) **अल्पावधि के पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टेः–**

समूह ने अल्पकालिक पट्टे तथा न्यूनमूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के संबंध में 12 माह से कम पट्टा काल के पट्टों तथा न्यूनमूल्य की उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों एवं पट्टा देयताओं की स्वीकृति न करने का चयन किया है। समूह ऐसी परिसम्पतियों से सम्बद्ध पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में पट्टा काल के लिए करता है।

(ख) पट्टाकार के रूप में

जब समूह पट्टाकार के रूप में प्रक्रिया करता है तो इसके द्वारा प्रारंभ में प्रत्येक पट्टे के संबंध में किसी पट्टे के वित्त पट्टे होने अथवा परिचालन पट्टे होने का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक पट्टे के वर्गीकरण के लिए समूह सम्पूर्ण मूल्यांकन करके यह ज्ञात करता है कि क्या पट्टा अंतरणों से पट्टे के स्वामित्व से जुड़े इसके सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण होता है अथवा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो वित्त पट्टा होता है तथा यदि नहीं होता है तो यह परिचालन पट्टा होता है। अपने मूल्यांकन के अंतर्गत समूह परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक उपयोज्यता काल से सम्बद्ध कारको के होने तथा होने जैसे विभिन्न सूचकों पर भी विचार करती है।

समूह द्वारा परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा विधि के उपयोग से "अन्य आय" के अंतर्गत पट्टा काल के लिए आय के रूप में की जाती है।

2.20 अनुदान

(i) सरकार से इक्विटी के प्रति परिसम्पतियों के निर्माण हेतु पूंजी व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय'के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की जाती है।

(ii) परिसम्पतियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय के रूप में अन्यों से प्राप्त तकनीकी अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय'के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की जाती है।

(iii) राजस्व व्यय के लिए अन्यों से प्राप्त अनुदान को व्यय के वास्तविक वहन के दौरान राजस्व व्यय माना गया है।

2.21 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मौलिक आय का आकलन अवधि से संबंधित निवल लाभ अथवा हानि को इक्विटी शेयर धारकों की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या के भारित औसत से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर डाय्ल्युटिड आय का आकलन करने के उद्देश्य से वर्ष में अर्जित निवल लाभ अथवा हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत से सम्बद्ध करके उनका समायोजन इक्विटी शेयरों पर डाय्ल्युटिड प्रभाव के लिए किया जाता है।

2.22 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश की स्वीकृति उस वर्ष के लिए की जाती है जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को निदेशक मंडल द्वारा यथा उपयुक्त के रूप में अनुमोदित किया जाता है।

2.23 उचित मूल्य मापन

i. समूह द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कतिपय वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री किए जाने पर प्राप्त होने अथवा देयता के अंतरण के लिए भुगतान किए जाने हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रुप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, अथवा
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार समूह के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे।

समूह उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

2.24 वित्तीय प्रपत्रः–

(i) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति तब की जाती है जब समूह प्रपत्र के संविदागत प्रावधानों में पक्षकार बनता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पतियों

एवं वित्तीय देयताओं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय देयता की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए मापन किए गए उचित मूल्य जोड़ अथवा घटा दिया जाता है।

(ii) **अनुवर्ती मापन**

वित्तीय परिसम्पतियां

वित्तीय परिसम्पतियों का निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है:–

क. परिशोधन लागत पर

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब वित्तीय परिसम्पतियों का धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य ऐसी परिसम्पतियों के धारण से संविदागत नकदी प्रवाह का संग्रह करना है तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय परिसम्पतियों का उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापन तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का धारण किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य संविदागत नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री, दोनों, के माध्यम से पूर्ति करना हो तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ग. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय परिसम्पतियों का मापन तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर इनका मापन परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न किया गया हो। वित्तीय परिसम्पतियों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों तथा लाभ अथवा हानि के माध्यम से देयताओं के उचित मूल्य की त्वरित स्वीकृति लाभ अथवा हानि में की जाती है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है:–

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रुप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं की प्रस्तुति आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर की जाती है।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

समूह ने एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) **गैर–स्वीकार्यता**

वित्तीय परिसंपत्तियां

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को केवल तभी अमान्य कर दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और काफी हद तक सभी जोखिम और संपत्ति के स्वामित्व का पुरस्कार।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का पालन हो जाता है अथवा वे रद्द अथवा समाप्त हो जाते हैं। जब व्यापक रुप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

(iv) **वित्तीय विवरणों की क्षमता हानि:**

समूह क्षमता हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल (ईसीएल) का प्रयोग करता है। समूह व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रहा है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। अपितु आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ईसीएल के उपयोज्यता काल के आधार पर क्षमता हानि को स्वीकृति दी जाती है।

समूह भविष्योन्मुखी आधार पर परिशोधन लागत और एफवीटीओसीआई ऋण लिखतों पर अपनी आस्तियों से सम्बद्ध अपेक्षित ऋण हानियों का आकलन करता है। हानि पद्धति इस पर लागू होती है कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षमता हानि भत्ते (रिवर्सल पर) को आय/व्यय के रुप में लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

2.25 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का परिसम्पतियों के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की मूलतः वसूली बिक्री संव्यवहार के माध्यम से की जानी हो तथा बिक्री की संभावना अत्यधिक प्रबल हो। बिक्री की संभावना को अत्यधिक प्रबल तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए तत्काल उपलब्ध हो, जिसमें बिक्री के प्रत्याहार की संभावना न हो और वर्गीकरण किए जाने की तिथि से बिक्री एक वर्ष में किए जाने की संभावना हो। बिक्री के धारित के रूप वर्गीकृत किए गए निपटान समूह की प्रस्तुत निम्नतर वहन राशि एवं बिक्री लागत

घटा उचित मूल्य पर की जाती है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति वित्तीय विवरणों में अलग से की जाती है।

"बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां तथा समाप्त प्रचालन"से संबंधित इंड एएस 105 में उल्लिखित मापदंड यदि पूरे नहीं होते हैं तो बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान समूह का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। बिक्री के धारित के वर्गीकरण से बाहर की गई गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (i) बिक्री के लिए धारित के रूप में किए गए वर्गीकरण से पूर्व की उनकी वहन से न्यून स्तर पर करके उस मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया जाता है जिसकी स्वीकृति तब की जाती यदि परिसम्पति का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप में न किया जाता, तथा (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि न्यून स्तर पर है जब बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान समूह का वर्गीकरण समाप्त हुआ था।

2.26 तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं

तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं एवं तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं) के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय विचार में लिया जाता है।

2.27 सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश

सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश का वहन लागत में से संचित क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। जब क्षमता हानि के संकेत विद्यमान होते हैं तो निवेश की वहन राशि का मूल्यांकन किया जाता है तथा इसकी वसूलीयोग्य राशि का प्रतिलेखन किया जाता है। निवेश के निपटान के पश्चात निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशियों के मध्य के अंतर की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है।

2.28 पूर्वावधि समायोजन

पूर्वावधि की सामग्रीगत चूकों में पूर्वव्यापी तौर पर सुधार करके उनका पुनर्लेखन तुलनात्मक राशियों के उल्लेख के साथ उन पूर्वावधियों के लिए किया जाता है जिस अवधि में चूक हुई है। यदि चूक की उत्पति प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले की है तो पूर्व प्रस्तुत पूर्वावधि के लिए परिसम्पतियों, देयताओं एवं इक्विटी के अथशेषों का, यदि अव्यवहार्य नहीं है, पुनः उल्लेख किया गया है तथा अव्यवहार्य होने के मामले में तुलनात्मक सूचना का समायोजन व्यवहार्य पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

2.29 वे लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में समूह से सम्बद्ध नहीं है उनके संबंध में प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं। जब कभी ऐसी लेखांकन नीतियां सम्बद्ध होंगी तो प्रकटीकरण किए जाएंगे।

टिप्पणी 3: संपति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				
	31 मार्च, 2021 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 की स्थिति	निवल वहन मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि	4,16,43.39	74,68.94	62,62.44	5,53,74.77	–	–	–	–	5,53,74.77
पट्टा धारित भूमि	2,42,86.18	23,37.73	(62,62.44)	2,03,61.47	–	–	–	–	2,03,61.47
फ्रीहोल्ड भवन	–	4,76.66	–	4,76.66	–	2.96	–	2.96	4,73.70
पट्टा धारित सुधार	10,68.51	17,63.28	(6,08.10)	22,23.69	7,67.76	4,39.72	(6,08.10)	5,99.38	16,24.31
अस्थाई संरचना	13,27.57	2.28	–	13,29.85	3,33.39	4,20.44	–	7,53.83	5,76.02
ईडीपी परिसम्पतियां	3,42.88	1,07.57	(27.38)	4,23.07	1,51.56	1,03.60	(21.44)	2,33.72	1,89.35
कार्यालय उपकरण	4,42.01	4,19.72	(5.84)	8,55.89	1,77.73	1,25.85	(5.06)	2,98.52	5,57.37
फर्नीचर और जुड़नार	6,24.68	3,10.82	(20.63)	9,14.87	1,10.19	98.79	(5.76)	2,03.22	7,11.65
कुल	**6,97,35.22**	**1,28,87.00**	**(6,61.95)**	**8,19,60.27**	**15,40.63**	**11,91.36**	**(6,40.36)**	**20,91.63**	**7,98,68.64**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य
	31 मार्च, 2020 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	1,86.58	4,14,56.81	–	4,16,43.39	–	–	–	–	4,16,43.39
पट्टा धारित भूमि	1,69,97.69	72,88.49	–	2,42,86.18	–	–	–	–	2,42,86.18
फ्रीहोल्ड भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धारित सुधार	10,53.11	15.40	–	10,68.51	5,43.17	2,24.59	–	7,67.76	3,00.75
अस्थाई संरचना	–	13,27.57	–	13,27.57	–	3,33.39	–	3,33.39	9,94.18
ईडीपी परिसम्पतियां	2,14.73	1,44.36	(16.21)	3,42.88	83.20	82.20	(13.84)	1,51.56	1,91.32
कार्यालय उपकरण	3,26.80	1,16.55	(1.34)	4,42.01	1,02.46	75.63	(0.36)	1,77.73	2,64.28
फर्नीचर और जुड़नार	3,04.84	3,23.44	(3.60)	6,24.68	55.48	55.73	(1.02)	1,10.19	5,14.49
कुल	**1,90,83.75**	**5,06,72.62**	**(21.15)**	**6,97,35.22**	**7,84.31**	**7,71.54**	**(15.22)**	**15,40.63**	**6,81,94.59**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

(i) फ्रीहोल्ड भूमि

क. जिला गाज़ियाबाद में दुहाई, भीकनपुर एवं बसंतपुर संथिल ग्रामों में दुहाई डिपो के लिए 6.14 हेक्टेयर (44.79 हेक्टेयर) की निजी भूमि की लागत की ₹ 61,62.51 लाख (₹ 4,14,56.81 लाख) स्टाम्पड्यूटी सहित राशि का पूंजीयन किया गया है। दरों का निर्धारण जिला न्यायाधीश, गाज़ियाबाद की अध्यक्षता वाली जिला स्तर दर निर्धारण समिति द्वारा किया गया था तथा इसके लिए अनुमोदन मंडल आयुक्त, मेरठ ने प्रदान किया है। 29.71 हेक्टेयर (15.27 हेक्टेयर) माप की भूमि का नाम परिवर्तन धारक कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा 21.22 हेक्टेयर (29.52 हेक्टेयर) माप की शेष भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है।

ख. पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 17,508.64 प्रति वर्गमीटर की दर से खिचड़ीपुर, दिल्ली में ₹ 12,67.89 लाख की 7241.54 वर्गमीटर भूमि का पूर्ण भुगतान किए जाने पर आबंटन किए जाने के परिणामस्वरूप में पूंजीयन कर लिया गया है।

ग. दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली में ₹ 14,164.50 प्रति वर्गमीटर की दर से 12.56 वर्गमीटर की भूमि के लिए ₹ 1.78 लाख की राशि का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है।

घ. दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जंगपुरा, दिल्ली में ₹ 14,164.50 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹ 36.76 की राशि की आबंटित 259.50 वर्गमीटर भूमि का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है।

ङ. वर्ष के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि का पुनःवर्गीकरण पट्टा धारित भूमि के रूप में किए जाने पर आईएसबीटी सराय काले खान, दिल्ली 17528 वर्गमीटर तथा आईएसबीटी आनन्द विहार, दिल्ली में 10190 वर्गमीटर की ₹ 45,54.19 लाख की राशि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कर लिया गया है।

च. वर्ष के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि का पुनःवर्गीकरण पट्टा धारित भूमि के रूप में किए जाने पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सराय कालेखान में आबंटित ₹ 17,08.25 लाख की 2.98 एकड़ माप की भूमि का पूंजीयन कर लिया गया है।

छ. विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा आबंटित भूमि, लंबित हस्तांतरण अनुबंध, निम्नानुसार हैं:– (₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष में चुकता	क्षेत्र	राशि
1.	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2019–20	1588.54 वर्गमीटर	1,86.58
2.	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सराय कालेखान, दिल्ली	2020–21	2.98 एकड़	17,08.25
3.	दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथारिटी	सराय कालेखान, दिल्ली	2020–21	17528 वर्गमीटर	28,79.92
4.	दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथारिटी	आनन्द विहार, दिल्ली	2020–21	10190 वर्गमीटर	16,74.27
5.	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2021–22	7241.54 वर्गमीटर	12,67.89
6.	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली	2021–22	12.56 वर्गमीटर	1.78
7.	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	जंगपुरा, दिल्ली	2021–22	259.50 वर्गमीटर	36.76
कुल					**77,55.45**

(ii) **पट्टाधारित भूमि**

क उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 14,385.97 प्रति वर्गमीटर की दर से गुलधर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में आबंटित 6059.02 वर्गमीटर भूमि के लिए ₹ 8,71.65 लाख का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर दिया गया है।

ख दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रुवमेंट बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 2,05,234 प्रति वर्गमीटर की दर से जंगपुरा, दिल्ली में आबंटित 297 वर्गमीटर भूमि के लिए ₹ 6,40.02 लाख रुपए का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है।

ग दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 17,508.65 प्रति वर्गमीटर की दर से जंगपुरा, दिल्ली में आबंटित 3123 वर्गमीटर की भूमि के लिए ₹ 5,60.45 का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन किया गया है।

घ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में आबंटित ₹ 60.12 लाख की लागत की 335 वर्गमीटर भूमि का ₹ 17,946.50 प्रति वर्गमीटर की दर से पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है। इसके प्रति 7.33 लाख रुपए का ब्याज भुगतान है और उसका पूंजीयन भूमि की लागत मे वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया है।

ङ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान न्यू अशोक नगर, दिल्ली में आबंटित ₹ 312.59 लाख की लागत की 2153 वर्गमीटर भूमि का ₹ 5,73,.22 लाख प्रति वर्गमीटर की अस्थाई दर से पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है जिसके प्रति दरों को अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है तथा इसके लिए 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पट्टा धारित भूमि का किसी अवधि निर्धारण के बिना ग्राउंड किराया है। इसके प्रति 0.16 लाख रुपए का ब्याज भुगतान है और उसका पूंजीयन भूमि की लागत मे वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया है।

च दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान न्यू अशोक नगर, दिल्ली में आबंटित ₹ 56.17 लाख की लागत की 313 वर्गमीटर भूमि का ₹ 7,08.55 लाख प्रति एकड़ की अस्थाई दर से पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर लिया गया है तथा इसके लिए 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पट्टा धारित भूमि का किसी अवधि निर्धारण के बिना ग्राउंड किराया है।

छ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 50,740 प्रति वर्गमीटर की सर्कल दर से साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में आबंटित 398 वर्गमीटर भूमि के लिए ₹ 2,01.94 लाख का पूर्ण भुगतान किए जाने पर पूंजीयन कर दिया गया है।

ज निम्नलिखित भूखंडों के संबंध में पट्टा प्रलेख का निष्पादन लंबित है:– (₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष में चुकता	क्षेत्र	राशि
1.	भूमि एवं विकास अधिकारी,आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2019–20	12 हेक्टेयर	1,69,97.69
2.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	पटपड़ गंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	2020–21	335 वर्गमीटर	67.46
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020–21	2153 वर्गमीटर	3,12.75
4.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यमुना खादर, दिल्ली	2020–21	4500 वर्गमीटर	6,53.34
5.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	गुलधर, गाज़ियाबाद	2021–22	6059.02 वर्गमीटर	8,71.65
6.	दिल्ली अर्बनशेल्टर इंप्रुवमेंट बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021–22	297 वर्गमीटर	6,40.02
7.	दिल्ली जल बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021–22	3123 वर्गमीटर	5,60.45
8.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2021–22	313 वर्गमीटर	56.17
9.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद, गाज़ियाबाद	2021–22	398 वर्गमीटर	2,01.94
कुल					**2,03,61.47**

(iii) कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों से सरकारी एजेंसियों से प्रतिफल के लंबित अंतिम निर्धारण के साथ भूमि का स्थाई आधार पर हस्तांतरण किए जाने के प्रति कार्य अनुमति प्राप्त हुई है। वर्तमान में कम्पनी के पास 157131 वर्गमीटर की भूमि के लिए कार्य अनुमति है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	प्राधिकरण	स्थल	उद्देश्य	क्षेत्र (वर्गमीटर)
1.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश– गंगा	मुरादनगर	मुरादनगर स्टेशन	9569
2.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश– गंगा	अर्थला	सब स्टेशन	4000
3.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	हिंडन नदी क्रासिंग एवं दिल्ली क्षेत्र में नदी के किनारे	वाया डक्ट	15320
4.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	न्यू अशोक नगर	स्टेशन प्रवेश/निकास	8000
5.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश– गंगा	अर्थला	चेनेज 21507 से 23043 के बीच निर्माण के लिए	639
6.	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	शताब्दी नगर	आरक्षित वन	6390
7.	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	रिथानी	आरक्षित वन	920
8.	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण	हिंडन मोटल लैंड	गाज़ियाबाद स्टेशन	24017
9.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मुराद नगर	सब स्टेशन	4583
10.	गाज़ियाबाद नगर निगम	वैशाली से गाज़ियाबाद तिराहा	वाया डक्ट	14144
11.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद	साहिबाबाद स्टेशन	2500
12.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	गुलधर	गुलधर स्टेशन	6059
13.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद	वेंटिलेशन शाफ्ट	398
14.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	साहिबाबाद	साहिबाबाद स्टेशन	7860
15.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	मुरादनगर	मुरादनगर स्टेशन	2220

16.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली	भैसाली स्टेशन	7534
17.	मेरठ विकास प्राधिकरण	रिथानी	रिठानी एमआरटीएस स्टेशन	2247
18.	मेरठ विकास प्राधिकरण	शताब्दीनगर	सब स्टेशन	4000
19.	जिला न्यायाधीश, गाज़ियाबाद	दुहाई	दुहाई डिपो	3285
20.	जिला न्यायाधीश, गाज़ियाबाद	भीकनपुर	दुहाई डिपो	9302
21.	जिला न्यायाधीश, गाज़ियाबाद	बसंतपुर सैंथली	दुहाई डिपो	120
22.	जिला न्यायाधीश, मेरठ	सिवाया	मोदीपुरम डिपो	23554
23.	जिला न्यायाधीश, मेरठ	भूलब्रल अमीनपुर	मेरठ साउथ स्टेशन	470

(iv) फ्रीहोल्ड भवन में सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में ₹ 4,76.66 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) की स्टाम्पड्यूटी सहित राशि से क्रय किए गए तीन फ्लेट शामिल हैं।

(v) आईएनए, नई दिल्ली में कार्यालय भवन को 1 सितंबर 2021 को लीजहोल्ड सुधार के रूप में पूंजीकृत किया गया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 17,63.28 लाख की राशि शामिल है, जिसमें सीडब्ल्यूआईपी परियोजना व्यय में से ₹ 12,67.16 लाख पूंजीकृत है (नोट 5 देखें)।

टिप्पणी 4 : उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

(₹ लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति	–	–	–
इंड एएस 116 में पारगमन पर समायोजन	**36.89**	**7,91.01**	**8,27.90**
आवर्धन	–	–	–
निपटान / समायोजन	–	(39.77)	(39.77)
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**36.89**	**7,51.24**	**7,88.13**
आवर्धन	3,05.28	–	3,05.28
निपटान / समायोजन	–	(7,51.24)	(7,51.24)
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**3,42.17**	–	**3,42.17**
मूल्यह्रास			
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति	**7.43**	**3,25.76**	**3,33.19**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	7.43	3,15.48	3,22.91
निपटान / समायोजन		(17.68)	(17.68)
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**14.86**	**6,23.56**	**6,38.42**
आवर्धन	1,44.34	1,27.68	2,72.02
निपटान / समायोजन		(7,51.24)	(7,51.24)
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**1,59.20**	–	**1,59.20**
निवल वहन मूल्य			
31 मार्च, 2022की स्थिति	**1,82.97**	–	**1,82.97**
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**22.03**	**1,27.68**	**1,49.71**

व्याख्यात्मक नोट:

(i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 44 से संदर्भ प्राप्त करें

(ii) उपयोग के अधिकार (भूमि) में भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 3,05.28 लाख पर आवंटित कार्यालय भवन के लिए लीजहोल्ड भूमि शामिल है (नोट 5 देखें)

टिप्पणी 5 : पूंजी कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	योग
1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ शेष	**5,63,14.62**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	16,53,82.79
समायोजन (पूंजीयन)	(281.42)
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	**22,14,15.99**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	40,11,18.63
समायोजन (पूंजीयन)	(15,78.87)
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**62,09,55.75**

टिप्पणी 5.1 :– पूंजी कार्य प्रगति पर का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	1.4.2020 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	1.4.2021 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.3.2022 की स्थिति
क) पूंजी डब्ल्यूआईपी– (गैर–परियोजना)							
पट्टा धारित सुधार	37.75	–	4,62.13	499.88	7,67.28	(12,67.16)	–
अन्य			3,05.28	3,05.28	–	(3,05.28)	–
योग	**37.75**	–	**7,67.41**	**8,05.16**	**7,67.28**	**(15,72.44)**	–
ख) परियोजना व्यय							
स्थाई मार्ग (वे)	6,97.12	70,79.84	–	77,76.96	1,59,97.92	–	2,37,74.88
रोलिंग स्टॉक	3,60.00	52,63.87	–	56,23.87	22,65.52	–	78,89.39
वायाडक्ट पुल, टन्नल्स, पुलिया बंडर	1,04,02.10	7,84,71.96	–	8,88,74.06	19,16,76.57	–	28,05,50.63
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	4.07	4,81.46	–	4,85.53	90,23.95	–	95,09.48
सुरक्षा उपकरण	2.99	–	–	2.99	–	–	2.99
संयंत्र एवं मशीनरी	–	–	–	–	13,17.80		13,17.80
स्टेशन भवन	–	8,90.83	–	8,90.83	4,98,54.74	–	5,07,45.57
ट्रैक्शन एवं बिजली आपूर्ति	–	1,69.60	–	1,69.60	1,19,87.28	–	1,21,56.88
स्टाफ क्वार्टर्स	–	11,78.69	–	11,78.69	35,79.46	–	47,58.15
डिपो एवं कार्यशाला	–	14,17.56	–	14,17.56	1,05,15.01	–	1,19,32.57
जीएसटी पूंजीयन	88,57.81	2,00,67.51	(74.54)	2,88,50.78	4,84,40.95	–	7,72,91.73
निर्माण के दौरान व्यय (निवल)	2,34,70.79	3,89,60.84	(7,30.62)	6,17,01.01	3,60,70.97	–	9,77,71.98
निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.2)	1,24,81.99	1,14,00.63	(2,43.67)	2,36,38.95	1,91,37.76	(6.43)	4,27,70.28
योग (ख)	**5,62,76.87**	**16,53,82.79**	**(10,48.83)**	**22,06,10.83**	**39,98,67.93**	**(6.43)**	**62,04,72.33**
ग) ट्रांजिट में मशीनरी							
डिपो सह कार्यशाल	–	–	–	–	4,83.42	–	4,83.42
योग (ग)	–	–	–	–	**4,83.42**	–	**4,83.42**
कुल योग	**5,63,14.62**	**16,53,82.79**	**(2,81.42)**	**22,14,15.99**	**40,11,18.63**	**(15,78.87)**	**62,09,55.75**

व्याख्यात्मक नोटः

(i) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सी डब्ल्यू आई पी को ₹ 91,60.95 लाख 19 ट्रांसमिशन लाइनों के लिए (पिछले वर्ष ₹ 91,37.39 लाख ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 19) अंतरण किया गया है जो कि इन 19 ट्रांमिशन लाइनों को प्रारंभ करने एवं ऊर्जावान करने के अनुमानों पर आधारित है। अंतिम बिल प्रस्तुत होने पर पूंजीयन की राशि में अंतर आ सकता है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन कम्पनियों के साथ अनुवर्ती समाधान करने पड़ सकते हैं।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 4,85,21.63 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,00,67.51 लाख) के लिए सीडब्ल्यूआईपी के हिस्से के रूप में जीएसटी/कस्टम ड्यूटी का पूंजीकरण किया है। आपूर्ति कार्य आदि के लिए आपूर्तिकर्ताओं ठेकेदारों को किए गए भुगतान के लिए, परियोजना संबंधी व्यय पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अपात्र जीएसटी क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीएसटी को कॉरीडोर वित्तीय मॉडल के आधार पर सीडब्ल्यूआई माना गया है तथा दिनांक 7 मार्च, 2019 के स्वीकृति आदेश के प्रति अप्रत्यक्ष करों (सीमाशुल्क एवं जीएसटी) का निधियन गौण नामे के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इसके अलावा कम्पनी को गौण नामे के प्रति ₹ 6,81,00.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,58,00 लाख) की कर राशि प्राप्त हुई है जिसके प्रति 31 मार्च, 2022 तक के लिए जीएसटी से संबंधित ₹ 7,75,16.74 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,89,25.32 लाख) का व्यय किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से सरकारी एजेंसियों के साथ प्रतिफल के लंबित अंतिम निर्धारण के साथ भूमि का स्थाई आधार पर हस्तांतरण किए जाने के प्रति कार्य अनुमति प्राप्त हुई है। वर्तमान में कम्पनी के पास 15291 वर्गमीटर की भूमि के लिए कार्य अनुमति है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	प्राधिकरण	स्थल	उद्देश्य	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1.	उत्तर प्रदेश सिंचाई–गंगा	अर्थला	वायाडक्ट का निर्माण	7705
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली	भैसाली स्टेशन	7586

(iv) वर्ष के दौरान पूंजीकृत सीडब्ल्यूआईपी आईएनए, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के लिए ₹ 12,67.16 (नोट 3 देखें) के लिए लीजहोल्ड सुधार और भूमि एवं विकास कार्यालय, एमओएचयूए, भारत सरकार द्वारा आवंटित कार्यालय भवन के लिए लीजहोल्ड भूमि का पूंजीकरण ₹ 3,05.28 लाख दर्शाता है। (नोट 4 देखें)

टिप्पणी 5.2:– निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्ययों का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	67,28.70	52,95.60
वित्त लागतें	25	74,20.85	18,64.68
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें	26	11,26.92	9,47.11
अन्य व्यय	27	38,61.29	32,93.24
योग		**1,91,37.76**	**1,14,00.63**

टिप्पणी 5.3:– सीडब्ल्यूआई की निर्माण अनुसूची का उपयोज्यता कालक्रम

31 मार्च 2022 (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	40,03,44.92	16,42,96.21	4,45,42.46	1,17,72.16	62,09,55.75
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**40,03,44.92**	**16,42,96.21**	**4,45,42.46**	**1,17,72.16**	**62,09,55.75**

31 मार्च 2021 (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	कितने काल में सम्पन्न होना है				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	16,51,01.37	4,45,42.46	99,59.69	18,12.47	22,14,15.99
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**16,51,01.37**	**4,45,42.46**	**99,59.69**	**18,12.47**	**22,14,15.99**

टिप्पणी 5.4 :– सीडब्ल्यूआईपी कार्य सम्पन्नता विलम्बन अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	कितले काल में सम्पन्न होना है				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
शून्य					

31 मार्च 2022 तक, ऐसी कोई परियोजना नहीं है, जो अतिदेय हो या जहां बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार लागत मूल अनुमान से अधिक हो गई हो।

टिप्पणी 6.1 :– अमूर्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	**16,24.49**	**92.75**	**17,17.24**
वर्ष के दौरान आवर्धन	–	96.45	96.45
समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	**16,24.49**	**1,89.20**	**18,13.69**
वर्ष के दौरान आवर्धन	–	2,55.38	2,55.38
समायोजन	2,92.41	–	2,92.41
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**19,16.90**	**4,44.58**	**23,61.48**
परिशोधन			
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	**29.93**	**39.58**	**69.51**
वर्ष के दौरान परिशोधन	46.41	29.28	75.69
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	**76.34**	**68.86**	**1,45.20**
वर्ष के दौरान परिशोधन	68.51	1,36.00	2,04.51
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**1,44.85**	**2,04.86**	**3,49.71**
निवल वहन मूल्य			
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**17,72.05**	**2,39.72**	**20,11.77**
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**15,48.15**	**1,20.34**	**16,68.49**

नोट 6.2 :– विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	पीएसडी प्रणाली	साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	–	–	–
वर्ष के दौरान आवर्धन	–	2,43.67	2,43.67
समायोजन / (पूंजीयन)	–	–	–
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	–	**2,43.67**	**2,43.67**
वर्ष के दौरान आवर्धन	65.02	–	65.02
समायोजन / (पूंजीयन)	–	(2,43.67)	(2,43.67)
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**65.02**	–	**65.02**

टिप्पणी 6.2.1 :– विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता कालक्रम अनुसूची

31 मार्च, 2022 (₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की राशि				योग
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पीएसडी परियोजना प्रगति पर	65.02	–	–	–	65.02
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**65.02**	–	–	–	**65.02**

31 मार्च, 2021 (₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की राशि				योग
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर	2,43.67	–	–	–	2,43.67
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**2,43.67**	–	–	–	**2,43.67**

टिप्पणी 6.2.2: ऐसी कोई विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं जिसका निर्माण विलंबित हो अथवा जिसकी अनुमानित लागत बढ़ गई हो।

टिप्पणी 7: वित्तीय परिसम्पतियां गैर चालू

अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
प्रतिभूति जमा	15,48.21	11,05.05
ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा (संदर्भ नोट 7.1)*	8,87.19	8,81.25
योग	**24,35.40**	**19,86.30**

*रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता होने पर

टिप्पणी 7.1 ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	0.76	0.76
कार्यकारी अभियंता, सिविल प्रभाग संख्या III, आई एंड एफ सी विभाग	5,00.00	5,00.00
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	3,72.87	3,72.87
कार्यकारी अभियंता, नगर निगम गाज़ियाबाद	0.20	0.20
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाज़ियाबाद	6.18	3.64
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,मेरठ	7.18	3.78
योग	**8,87.19**	**8,81.25**

टिप्पणी 8:– आस्थगित कर परिसम्पतियां/(देयताएं) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएं		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	11.94	12.87
आस्थगित कर देयताओं का योग	**11.94**	**12.87**
ख. आस्थगित कर परिसम्पतियां		
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	(10,13.36)	2,95.31
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	–	–
प्रारंभिक व्यय	0.54	0.89
अप्रयुक्त कर हानियां	0.40	0.40
आस्थगित कर परिसम्पतियों का योग	**(10,12.42)**	**2,96.60**
आस्थगित कर परिसम्पतियां/(देयताएं) निवल	**(10,24.36)**	**2,83.73**

आस्थगित कर परिसम्पति/(देयता) में मूवमेंट (₹ लाख में)

विवरण	प्रावधान	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	प्रारंभिक व्यय	प्रयुक्त कर हानियां	योग
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	**(2.68)**	**1,27.25**	–	–	**1,24.57**
वर्ष 2020–21 में (प्रभारित)/क्रेडिट					
लाभ एवं हानि में	–	1,68.06	0.40	0.89	1,69.35
अन्य व्यापक आय में	(10.19)	–	–	–	(10.19)
31 मार्च, 2021 को अंत शेष	**(12.87)**	**2,95.31**	**0.40**	**0.89**	**2,83.73**
वर्ष 2021–22 में (प्रभारित)/क्रेडिट					
लाभ एवं हानि में	–	(13,08.67)	–	(0.35)	(13,09.02)
अन्य व्यापक आय में	0.93	–	–	–	0.93
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**(11.94)**	**(10,13.36)**	**0.40**	**0.54**	**(10,24.36)**

टिप्पणी 9:– अन्य गैर चालू परिसम्पतियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
क) पूंजी अग्रिम		
– निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम(अप्रतिभूत तथा अच्छा समझा गया) '	11,43,40.96	7,57,99.14
– भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम	2,11,06.80	–
ख) उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा#	4,38.28	3,75.45
योग	**13,58,86.04**	**7,61,74.59**

*ठेकेदारों को बैंक गारंटियों, रेहन आदि के साथ दिए गए ₹ 10,37,12.73 लाख (पिछले वर्ष ₹ 6,32,30.74 लाख) सहित
यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर–परिशोधित भाग से संबंधित है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

i. निर्माण कार्यों के लिए दिए गए अग्रिम में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआई को अंतरित की गई 19 ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित ₹ 91,60.95 लाख (पिछले वर्ष 19 ट्रांसमिशन लाइनों के लिए ₹ 91,37.39 लाख) शामिल है जो इन ट्रांसमिशन लाइनों की कमीशनिंग एवं इन्हें ऊर्जावान किए जाने के अनुमानों पर आधारित है। अंतिम बिल प्रस्तुत होने एवं उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन कम्पनियों के साथ अनुवर्ती समाधान होने पर पूंजीयन राशि में परिवर्तन हो सकता है।

ii. भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम 'भूमि अधिग्रहण बैंक खाते के लिए सक्षम प्राधिकारी' के पास जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है, 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के तहत गाज़िया. बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए।

टिप्पणी 10:– वित्तीय परिसम्पतियां–वर्तमान

10.1: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं तदनुसार काल प्रभावनअनुसूची लागू नहीं है।

10.2: नकदी एवं नकदी समतुल्य (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
उपलब्ध नकदी	–	–
बैंकों में जमा:		
- चालू खाते में	54,34.60	5,84.52
- फ्लैक्सी जमा*	4,86,25.04	8,36,51.28
- अग्रदाय	5.64	4.72
अवधि जमा*	3,95,02.00	30,37.00
योग	**9,35,67.28**	**8,72,77.52**

*प्राप्ति की तिथि से 3 माह में परिपक्व होने वाले

10.3: नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अवधि जमा*	17,36,23.68	12,40,09.00
ग्रहणाधिकार के रूप् में रखे गए फ्लैक्सी जमा (संदर्भ टिप्पणी10.3.1)*	0.58	52,00.58
योग	**17,36,24.26**	**12,92,09.58**

*रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार प्राप्ति की तिथि से 3 माह से अधिक तथा 12 माह तक की परिपक्वता वाले

टिप्पणी 10.3.1 ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	0.58	0.58
साख पत्र के प्रति मार्जिन धन	–	52,00.00
योग	**0.58**	**52,00.58**

नोट 10.4 : अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
सावधि जमा पर ब्याज उपचय	8,89.65	10,66.50
अन्य प्राप्य	6,07.51	1,18.25
वसूली योग्य एडीबी तकनीकी अनुदान	10,75.25	–
वसूली योग्य जेएफपीआर अनुदान	6.45	–
प्रतिभूति जमा	80.60	55.36
योग	**26,59.46**	**12,40.11**

नोट 11:– चालू कर परिसम्पतियां/देयताएं (निवल)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती	42,47.14	30,07.66
घटाएं: आय कर के लिए प्रावधान	(25,33.57)	(24,65.98)
योग	**17,13.57**	**5,41.68**

नोट 12:– अन्य चालू परिसम्पतियां

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अग्रिम			
कर्मचारियों को चुकता अग्रिम		2.04	0.27
अन्य अग्रिम		62.91	6.74
उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा*		83.00	62.78
जीएसटी इनपुटक्रेडिट		1.17	1,24.30
पूर्व चुकता व्यय		1,35.15	19.03
स्वीकृति/इंक्वारी के लिए लंबित बट्टा की जाने वाली परिसम्पतियां	2.02		
घटाएं: स्वीकृति/इंक्वारी के लिए लंबित बट्टा की जाने वाली परिसम्पतियां के लिए प्रावधान	(2.02)	–	–
योग		**2,84.27**	**2,13.12**

*यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर–परिशोधित भाग से संबंधित है।

नोट 13: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
प्राधिकृत 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 10,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,000,000)	1,00,00.00	1,00,00.00
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 10,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष10,000,000)	1,00,00.00	1,00,00.00
योग	**1,00,00.00**	**1,00,00.00**

13.1: इक्विटी शेयरों की संख्या एवं इक्विटी पूंजी का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100.00	1,00,00.00	100.00	1,00,00.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**100.00**	**1,00,00.00**	**100.00**	**1,00,00.00**

13.2: शेयरों से सम्बद्ध राइट्स अधिमान एवं प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: धारक कम्पनी के केवल एक ही श्रेणी के प्रति शेयर ₹ 100 मूल्य के शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर के लिए एक वोट का पात्र है। ऋणशोधन की स्थिति में शेयरधारिता के अनुसार सभी अधिमान राशियों का वितरण किए जाने के पश्चात इक्विटी शेयर धारक धारक कम्पनी की शेष परिसम्पतियां प्राप्त करने के पात्र हैं।

13.3: धारक कम्पनी के कुल शेयरों के 5: से अधिक शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति				
– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
– रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%
राज्य सरकार				
– रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
योग	**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**

13.4 प्रोमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति		वर्ष के दौ. रान प्रतिशत परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%	
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति					
– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	शून्य
– रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	शून्य
– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%	शून्य
राज्य सरकार					
– रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	शून्य
– हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	शून्य
– राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	शून्य
– उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	शून्य

13.5: रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या–शून्य

नोट 14: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
क. प्रतिधारितउपार्जन*	1,18,63.83	71,61.92
ख. आस्थगित आय	16,10,82.80	13,18,65.00
योग	**17,29,46.63**	**13,90,26.92**

*प्रतिधारित उपार्जन धारक कम्पनी के अवितरित लाभ से संबंधित है।

14.1 : प्रतिधारित उपार्जन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अथ शेष	71,61.92	27,94.06
जोड़ें: लाभ एवं हानि के विवरण से अंतरित अवधि के दौरान लाभ	47,04.66	43,37.55
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित अन्य व्यापक आय	(2.75)	30.31
अंत शेष	**1,18,63.83**	**71,61.92**

14.2 : आस्थगित आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान	15,97,65.00	13,18,65.00
अन्य के लिए पूंजी अनुदान (निवल)	13,17.80	–
अंत शेष	**16,10,82.80**	**13,18,65.00**

14.2.1: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 20 "सरकारी अनुदान सहायताओं का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	योग	31.3.2021 तक आय में अंतरित	चालू वर्ष में आय में अंतरित	अंत शेष
क	**दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए**						
1	भारत सरकार	7,72,65.00	1,88,00.00	9,60,65.00	–	–	9,60,65.00
2	रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	86,00.00	–	86,00.00	–	–	86,00.00
3	उत्तर प्रदेश सरकार	4,60,00.00	91,00.00	5,51,00.00	–	–	5,51,00.00
	योग क	**13,18,65.00**	**2,79,00.00**	**15,97,65.00**	–	–	**15,97,65.00**
ख	**अन्य के लिए**						
4	एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता	–	13,17.80	13,17.80	–	–	13,17.80
	योग ख	–	**13,17.80**	**13,17.80**	–	–	**13,17.80**
	योग (क+ख)	**13,18,65.00**	**2,92,17.80**	**16,10,82.80**	–	–	**16,10,82.80**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	योग	31.3.2020 तक आय में अंतरित	चालू वर्ष में आय में अंतरित	अंत शेष
क	दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए						
1	भारत सरकार	3,74,25.00	3,98,40.00	7,72,65.00	–	–	7,72,65.00
2	रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	86,00.00	–	86,00.00	–	–	86,00.00
3	उत्तर प्रदेश सरकार	2,01,00.00	2,59,00.00	4,60,00.00	–	–	4,60,00.00
	योग क	**6,61,25.00**	**6,57,40.00**	**13,18,65.00**	–	–	**13,18,65.00**
ख	अन्य के लिए						
4	एशियन डेवलपमेंट बैंक– तकनीकी सहायता	–	–	–	–	–	–
	योग ख	–	–	–	–	–	–

नोट 15: ऋण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
अप्रतिभूत				
क. निम्नलिखित से ब्याज मुक्त गौण ऋण:–				
i. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार				
गौण नामे	17,41,00.00		12,21,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	2,33,00.00		75,00.00	
गौण नामे (सरकारी भूमि)	2,38,00.00	22,12,00.00	170,00.00	14,66,00.00
ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार				
गौण नामे	1.72,00.00		1,72,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	3,00.00		3,00.00	
गौण नामे (राज्य कर)	4,00.00	1,79,00.00	4,00.00	1,79,00.00
iii. उत्तर प्रदेश सरकार				
गौण नामे	11.03,00.00		9,19,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	1.76,00.00		76,00.00	
गौण नामे (राज्य कर)	2.65,00.00		1,00,00.00	
गौण नामे (सरकारी भूमि)	35,00.00	15,79,00.00	5,00.00	11,00,00.00

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
ख. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज वहन ऋण **ऋण संख्या** **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि** एलएन3964–आईएनडी 15.02.2029 **ब्याज दरः** (एलआईबीओआर +0.50%+ परिपक्वता प्रीमियम 0.20%) प्रति वर्ष 15 फरवरी, 2022 तक तथा उसके पश्चात [एसओएफआर (ओवरनाइट) +0.50% + परिपक्वता प्रीमियम 0.20% + अधिभार 0.14%] (व्याख्यात्मक टिप्पणी v) **प्रतिबद्धता प्रभारः** 0.15% प्रतिवर्ष	27,34,05.50	5,58,35.18
ग. भारत सरकार द्वारा न्यूडेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज वहन ऋण **ऋण संख्या** **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि** **20आईएन04** **15.03.2029** **ब्याज दरः** (एलआईबीओआर +1.35%) प्रतिवर्ष **प्रतिबद्धता प्रभारः** 0.25% प्रति वर्ष	4,65,50.27	1,89,51.93
योग	**71,69,55.77**	**34,92,87.11**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को आरआरटीएस के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त गौणऋण प्राप्त हुए हैं जिसका पुर्नभुगतान सीनियर नामे के भुगतान के पश्चात किया जाना है।

(ii) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ब्याज मुक्त गौणऋण का पुनर्भुगतान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के ब्याज युक्त सीनियर ऋणों का पुनर्भुगतान किए जाने के पश्चात किया जाना है।

(iii) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण/गौण नामे के नियम एवं शर्तें उसी प्रकार के ऋण के समान हैं जो अन्य मैट्रो परियोजना के लिए उचित मूल्य पर विचार में लाई जाती हैं।

(iv) भारत सरकार ने एडीबी, एनडीबी तथा एआईआईबी के साथ प्रत्येक द्वारा 500 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिल्ली–मेरठ आरआरटी परियोजना हेतु किए जाने के लिए ऋण अनुबंध किया है। सभी ऋणों का काल 8 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित 25 वर्ष है। ऋणदाता एजेंसियों के साथ सहमत निधि प्रवाह व्यवस्था के अनुसार ऋण का लाभ बैक–टू–बैक आधार पर पास–थ्रू सहायता के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सौंपा जाना है। ऋणों का पुनर्भुगतान अर्ध–वार्षिक आधार पर परिशोधन अनुसूची के अनुसार किया जाना है जो वर्ष 2029 में प्रारंभ होगी। तथा 31.3.2022 तक एआईआईबी से ऋण की प्राप्ति प्रारंभ नहीं हुई है।

(v) 15 फरवरी, 2022 के पश्चात की अवधि के लिए एडीबी ऋण की एसओएफआर पर आधारित ब्याज दरें अनंतिम हैं तथा ये वास्तविक औसत निधियन लागत मार्जिन से संबंद्ध लागू संदर्भ दर के आधार पर रियायत अथवा प्रभार की शर्त के साथ हैं।

नोट 16: अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
पट्टा देयताएं	8.23	16.19
योग	**8.23**	**16.19**

विवरण के लिए संदर्भ टिप्पणी–44

टिप्पणी 17: दीर्घकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	4,17.36	2,61.23
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	8,49.40	5,30.16
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	2,31.12	1,25.56
योग	**14,97.88**	**9,16.95**

टिप्पणी 18 : अन्य गैर–चालू दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	2,29,50.00	1,47,50.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	5,00.00	5,00.00
योग	**2,34,50.00**	**1,52,50.00**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

(i) यह हरियाणा सरकार से दिल्ली एसएनबी कॉरीडोर तथा दिल्ली पानीपत कॉरीडोर की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/गौण नामे) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

(ii) यह राजस्थान सरकार से दिल्ली एसएनबी कॉरीडोर की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/गौण नामे) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

टिप्पणी 19 : वित्तीय देयताएं

टिप्पणी 19.1 : पट्टा देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
पट्टा देयताएं	7.96	1,49.79
योग	**7.96**	**1,49.79**

टिप्पणी 19.2 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
ब्याज उपचय पर ऋण पर देय नहीं	3,26.36	1,39.67
व्ययों के लिए लेनदार – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2,45.54	2,83.04
व्ययों के लिए लेनदार – अन्य	2,03,38.96	2,49,52.37
पेशगी धन जमा	–	3,71.44
प्रतिभूति जमा	29,75.81	19,24.42
योग	**2,38,86.67**	**2,76,70.94**

टिप्पणी 20 : व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार देय नहीं है तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची – लागू नहीं है।

टिप्पणी 21 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम	15,82,74.78	4,42,93.20
सांविधिक देय		
स्रोत पर कर कटौती देय	23,02.63	9,39.13
जीएसटी देय	15,05.05	6,47.31
भुगतान योग्य भवन एवं अन्य अन्य निर्माण कामगार कल्याण उप–कर	6,99.13	2,27.28
भविष्य निधि	77.71	56.90
अन्य	4,72.07	49.56
योग	**16,33,31.37**	**4,62,13.38**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 47,11,00.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11,73,00.00 लाख) का अग्रिम एशियन डेवलपमेंट तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक से पास–थ्रू सहायता के रूप में ऋण का वितरण लंबित होने के चलते प्राप्त हुआ है। ₹ 15,82,74.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4,42,93.20 लाख) के शेष अग्रिम का समायोजन व्ययतित व्यय के पश्चात किया जाना है तथा इसका वित्तीय अनेक बैंकों से ऋण के माध्यम से किया जाना है।

टिप्पणी 22 : अल्पकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	6.61	4.06
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	47.60	32.57
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	91.35	31.17
योग	**1,45.56**	**67.80**

टिप्पणी 23 : अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	84,59.35	73,40.32
योग (क)	**84,59.35**	**73,40.32**
अन्य गैर–प्रचालन आय		
वित्तीय परिसम्पतियों पर ब्याज आय	55.94	6.85
अन्य विविध आय	45.69	32.75
परामर्श आय	60.20	–
मौद्रिक अनुदान (जेएफपीआर)	47.11	–
विनिमय दर उतार चढ़ाव लाभ	2,83.18	–
योग (ख)	**4,92.12**	**39.60**
योग (क+ख)	**89,51.47**	**73,79.92**

टिप्पणी 24 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
विवरण	**निर्माण पर व्यय**	**लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय**	**सकल व्यय**	**निर्माण पर व्यय**	**लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय**	**सकल व्यय**
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	61,48.62	6,28.24	67,76.86	48,29.08	5,13.94	53,43.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,21.24	11.20	1,32.44	82.25	8.07	90.32
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान*	4,58.84	66.06	5,24.90	3,84.27	34.05	4,18.32
योग	**67,28.70**	**7,05.50**	**74,34.20**	**52,95.60**	**5,56.06**	**58,51.66**

*भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, छुट्टी लाभ एवं अन्य टर्मिनल लाभों के लिए ₹ 95.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 99.08 लाख) की राशि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंधित संगठनों को चुकता की गई है/देय है तथा इसे कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया गया है।

टिप्पणी 25 : वित्त लागतें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	8.48	3.97	12.45	25.41	12.92	38.33
वित्त लागत						
क. एडीबी तथा एनडीबी से प्राप्त ऋण पर	20,21.47	–	20,21.47	12,45.20	–	12,45.20
ख. ब्याज लागतों में समायोजित विनिमय दर भिन्नता	53,90.90	–	53,90.90	5,94.07	–	5,94.07
योग	**74,20.85**	**3.97**	**74,24.82**	**18,64.68**	**12.92**	**18,77.60**

टिप्पणी 26 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3)	8,65.91	3,25.45	11,91.36	6,63.17	1,08.37	7,71.54
उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास(टिप्पणी सं. 4)	1,72.55	99.47	2,72.02	2,09.63	1,13.28	3,22.91
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन (टिप्पणी सं.6.1)	88.46	1,16.05	2,04.51	74.31	1.38	75.69
योग	**11,26.92**	**5,40.97**	**16,67.89**	**9,47.11**	**2,23.03**	**11,70.14**

टिप्पणी 27 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
कार्यालय किराया	81.84	16.19	98.03	194.84	2.46	197.30
शुल्क, दरें एवं कर	–	4.85	4.85	–	2.04	2.04
मरम्मत अनुरक्षण मशीनरी एवं अन्य	68.27	52.07	1,20.34	49.65	1.74	51.39
ऊर्जा एवं ईंधन	1,33.18	73.96	2,07.14	136.71	2.96	139.67

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	10,80.60	1,35.33	12,15.93	886.56	61.22	947.78
यात्रा व्यय	2,41.06	5.76	2,46.82	99.23	13.62	112.85
इंटरनेट प्रभार	28.10	26.46	54.56	26.30	13.33	39.63
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं. 27.1)	–	2.15	2.15	–	2.90	2.90
विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	1,07.15	83.90	1,91.05	30.95	105.19	136.14
तकनीकी जांच एवं सर्वेक्षण व्यय	4,27.32	–	4,27.32	258.50	–	258.50
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	–	59.91	59.91	–	49.93	49.93
परामर्श प्रभार	3,61.88	1,03.06	4,64.94	302.91	0.22	303.13
सुरक्षा व्यय	1,82.06	41.54	2,23.60	168.64	30.84	199.48
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.85	1,14.57	1,19.42	78.24	16.52	94.76
संचार व्यय	84.12	16.82	1,00.94	82.03	4.32	86.35
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	0.61	8.79	9.40	7.76	0.97	8.73
विज्ञापन एवं प्रचार/अन्य	10.30	13.72	24.02	–	21.90	21.90
विज्ञापन एवं प्रचार/निविदा	57.61	1.55	59.16	97.95	–	97.95
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	48.53	1,07.83	1,56.36	55.88	1.22	57.10
शुल्क एवं अंशदान प्रभार	0.38	8.71	9.09	–	2.98	2.98
हाउसकीपिंग व्यय	1.72	2,73.32	2,75.04	49.05	127.98	177.03
साफ्टवेयर व्यय	1,13.01	54.47	1,67.48	179.94	0.03	179.97
आउटसोर्सिंग व्यय	7,83.24	1,16.01	8,99.25	561.35	58.62	619.97
कार्यालय व्यय	45.18	1,30.38	1,75.56	24.03	37.44	61.47
बट्टा लेखित परिसम्पतियां	–	2.02	2.02	–	–	–
परिसम्पतियों की प्रतिक्षित बट्टा लेखन स्वीकृति/इंक्वारी के लिए प्रावधान	–	2.02	2.02	–	–	–
विविध व्यय	0.28	42.52	42.80	2.72	32.39	35.11
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	–	13.34	13.34	–	30.00	30.00
विदेशी मुद्रा विनिमय दर हानि	–	–	–	–	3,24.63	3,24.63
योग	**38,61.29**	**15,11.25**	**53,72.54**	**32,93.24**	**9,45.45**	**42,38.69**

टिप्पणी 27.1: लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	1.65	1.65
अन्य क्षमता में (जीएसटी लेखापरीक्षा)	–	0.75
अन्य क्षमता में (परियोजना वित्तीय विवरण)	0.50	0.50
योग	**2.15**	**2.90**

टिप्पणी 28: आय कर व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू आय कर:		
– अवधि से संबंधित	2,71.15	14,74.26
– पूर्व वर्षों से संबंधित (निवल)	(95.05)	–
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	13,09.02	(1,69.35)
योग	**14,85.12**	**13,04.91**

कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के मध्य समाधान: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ	61,89.78	56,42.46
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**61,89.78**	**56,42.46**
भारत में सांविधिक आय कर दर यथा 25.17% पर	15,57.84	14,21.39
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय के गणन पर कटौति योग्य (कर योग्य) नहीं हैं		
जोड़ें:		
इंड एएस समायोजन जो आय कर में अनुमत्त नहीं	(27.02)	1.76
कटौति योग्य एवं गैर–कटौति योग्य मदों का प्रभाव	(12,59.67)	51.11
पिछले वर्ष के करों का प्रभाव	(95.05)	–
स्वीकृत आस्थगित कर	13,09.02	(1,69.35)
योग	**14,85.12**	**13,04.91**
लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित आय कर व्यय (जारी प्रचालनों से संबंधित)	14,85.12	13,04.91
योग	**14,85.12**	**13,04.91**
प्रभावी आय कर दर पर	23.99%	23.13%

टिप्पणी 29: प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस):

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल ईपीएस	(₹ प्रति शेयर)	
जारी प्रचालनों से	47.05	43.38
बंद प्रचालनों से	–	–
विलयित ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	47.05	43.38
बंद प्रचालनों से	–	–

टिप्पणी 29.1: प्रति शेयर मूल उपार्जन

पिछले वर्ष के संबंध में प्रति शेयर मूल उर्पाजन एवं ईपीएस के आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों से आय एवं भारित औसत संख्या का वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयरों के समायोजन के पश्चात पुनःउल्लेख किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध लाभः		
जारी प्रचालनों से	47,04.66	43,37.55
बंद प्रचालनों से	–	–
प्रति शेयर मूल उपार्जन के लिए प्रयुक्त आय	**47,04.66**	**43,37.55**
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	100.00	100.00

टिप्पणी 29.2: प्रति शेयर विलयित उपार्जन

प्रति शेयर विलयित उपार्जन के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या प्रति शेयर मूल आय के आकलन के लिए उपयोग में लाई गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मिलान होता है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभः		
– जारी प्रचालनों से	47,04.66	43,37.55
– बन्द प्रचालनों से	–	–
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर विलयित उपार्जन के आकलन के लिए प्रयुक्त आय	**47,04.66**	**43,37.55**
प्रति शेयर विलयित उर्पाजन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	100.00	100.00

टिप्पणी 30 : पूंजी प्रबंधन

समूह अपनी पूंजी का प्रबंधन कम्पनी की गोइंगकंसर्न के रूप में जारी रहने का सुनिश्चय करने एवं क्षमता को सुरक्षित करने के लिए करता है जिससे कि समूह अपने शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करती रह सके।

इसके अलावा समूह अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के प्रभाव एवं वित्तीय प्रसंविदाओं की अपेक्षाओं के अनुसार समायोजन के लिए करती है। पूर्वावधि से चालू अवधि में पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणी 31 : ऋण निधियों का उपयोग

धारक कम्पनी को एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक से पास–थ्रू सहायता (अथवा बैक–टू–बैक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवेरन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग उन मदों पर व्यय के लिए किया गया है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ परियोजना के लिए सहमत हुई हैं तथा संबंधित ऋण/परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैं।

टिप्पणी 32 : अनुपात विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्ष	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
क.	चालू अनुपात (समय पर)	चालू परिसम्पतियां	चालू देयताएं	0.37	0.60	–38.33%	चालू देयताओं में वृद्धि
ख.	नामे इक्विटी अनुपात (समय पर)	कुल नामे	कुल इक्विटी	3.92	2.34	67.52:%	परियोजना का प्रमुख स्रोत ऋण है। चालू वित्तीय वर्ष में ऋण का अंतर्प्रवाह बढ़ गया है।
ग.	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (% में)	कर पूर्व लाभ एवं वित्त लागत	कुल इक्विटी औसत	2.57%	2.93%	–12.29%	–
घ.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ब्याज एवं कर पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	0.69%	1.13%	–38.94%	परियोजना का प्रमुख स्रोत ऋण है। चालू वित्तीय वर्ष में ऋण का अंतर्प्रवाह बढ़ गया है। इसके अलावा कम्पनी अभी प्रचालनात्मक नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

धारक कम्पनी के प्रचालन अभी न होने के कारण निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं है, तदनुसार वर्ष के लिए प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं:–

क. नामे सेवा कवरेज अनुपात*
ख. माल सूची टर्नओवर अनुपात
ग. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात
घ. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात
ङ. निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात
च. निवल लाभ अनुपात
छ. निवेश पर लाभ

*संदर्भ टिप्पणी संख्या 15

टिप्पणी 33 : उचित मूल्य मापन

(i) वर्गानुसार वित्तीय प्रपत्र

(₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
वित्तीय परिसम्पतियां		**परिशोधन लागत**	
(i) प्रतिभूति जमा	7 एवं 10.4	16,28.83	11,60.41
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	9,35,67.28	8,72,77.52
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10.3	17,36,24.26	12,92,09.58
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7 एवं 10.4	34,66.05	20,66.00
योग वित्तीय परिसम्पतियां		**27,22,86.42**	**21,97,13.51**
वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	15	71,69,55.77	34,92,87.11
(ii) अन्य वित्तीय देयता/गैर चालू	16	8.23	16.19
(iii) अन्य वित्तीय देयता/चालू	19.1 एवं 19.2	2,38,20.90	2,78,20.73
योग वित्तीय देयताएं		**74,07,84.90**	**37,71,24.03**

(ii) उचित मूल्य तारतम्यता

स्तर 1 – समान प्रकार की परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिया बाजार से उद्धृतमूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में उद्धृत मूल्यों से भिन्न उन इन पटों को शामिल किया गया है जो परिसंपत्ति अथवा देयता के संबंध में प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से निर्धारित) रूप में स्पष्ट हैं।.

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो स्पष्ट बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैरस्पष्ट इनपुट)।

(iii) परिशोधन लागत के आधार पर उचित मूल्य पर मापन की गई परिसम्पतियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पतियां (i) प्रतिभूति जमा (टिप्पणी 7.2 एवं 10.4)	स्तर 3	**16,28.83**	**16,28.83**	11,60.41	11,59.36
योग	–	**16,28.83**	**16,28.83**	**11,60.41**	**11,59.36**

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्यों तथा अन्य देयों को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण समान प्रकार से उचित मूल्य पर विचार में लिया गया है।

ख. दीर्घावधि के प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य का आकलन चालू बाजार दर पर डिस्काउंट करके नकदी प्रवाह के अनुसार किया गया है। इनका वर्गीकरण उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर–3 के अनुसार हैं क्योंकि इनमें गैर स्पष्ट इनपुट शामिल हैं।

(iv) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रियाएं

क. 12 माह से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के वहन मूल्यों को उनके उचित मूल्य की प्रस्तुति के लिए विचार में लिया गया है।

ख. अन्य वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के उचित मूल्यों का अग्रेषण डिस्काउंट दर से नकदी प्रवाह को डिस्काउंट करते हुए परिशोधन लागत पर किया गया है।

नीचे दी गई तालिका में आवृति आधार एवं परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की उचित मूल्य मापन तारतम्यता प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य मापन तारतम्यता का प्रमात्रात्मक प्रकटीकरणः– (₹ लाख में)

31 मार्च, 2022 की स्थिति	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:–				
प्रतिभूति जमा	–	–	16,28.83	16,28.83
योग	–	–	**16,28.83**	**16,28.83**
31 मार्च, 2021 की स्थिति				
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:–				
प्रतिभूति जमा	–	–	11,59.36	11,59.36
योग	–	–	**11,59.36**	**11,59.36**

टिप्पणी 34 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

समूह के सम्मुख वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में कोई जोखिम व्याप्त नहीं है। समूह की मूल वित्तीय देयताओं में अन्य देय प्रतिभूति जमा एवं ईएमडी हैं। समूह की प्रमुख वित्तीय परिसम्पतियों में अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं जिनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से होती है। तथापि, प्रमुख प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं चलनिधि जोखिम हैं। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिनसे समूह को अवगत कराया गया है, उनका वर्णन नीचे किया गया है:–

(क) बाजार जोखिम

भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत के 60% तक का परियोजना वित्तीयन (सरकारी भूमि, राज्य करों एवं निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के अलावा) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त करने की संकल्पना के साथ दिनांक 7 मार्च, 2019 को दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर नाम प्रथम आरआरटीएस के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्रत्येक 500 मिलियन डालर के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बाह्यनिधियन आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की मानक व्यवस्था के अनुसार बैक–टू–बैक आधार पर किया जाएगा। ऋण की शर्तों में एलआईबीओआर/एसओएफआर से सम्बद्ध परिवर्तनशील दरों पर अर्ध–वार्षिक ब्याज शामिल है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलआईबीओआर/एसओएफआर की मूवमेंट पर आधारित ब्याज दर जोखिम है।

समूह के सम्मुख नामे सेवा भुगतानों तथा विदेशी मुद्रा ऋणों के मूल भुगतान के प्रति विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के रूप में बाजार जोखिम उत्पन्न हो सकता है। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले अनुबंध भुगतान में भी अमेरिकी डॉलर, यूरो तथा स्वीडिशक्रोना के प्रति भारतीय रुपए की मूवमेंट से बाजार जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

समूह के पास किसी प्रकार की डेरियेटिव वित्तीय परिसम्पतियां न होने के कारण समूह के सम्मुख कोई मूल्य जोखिम नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

धारक कम्पनी को एशियन डेवलपमेंट बैक, न्यू डेवलपमेंट तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक से पास–थ्रू सहायता (अथवा बैक–टू–बैक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवेरन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग उन मदों पर व्यय के लिए किया गया है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ परियोजना के लिए सहमत हुई हैं तथा संबंधित ऋण/परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह के सम्मुख व्याप्त महत्वपूण विदेशी मुद्रा जोखिम निम्नलिखित हैं:–

31 मार्च, 2022 की स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	एसईके	
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	64,19.25	1,05,72.91	9,06.57	1,78,98.73
योग	**64,19.25**	**1,05,72.91**	**9,06.57**	**1,78,98.73**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	6,86.63	4,12.97	–	10,99.60
ऋण	31,99,55.77	–	–	31,99,55.77
योग	**32,06,42.40**	**4,12.97**	–	**32,10,55.37**

31 मार्च, 2021 की स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	एसईके	
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	30,27.74	46,39.72	3,03.29	79,70.75
योग	**30,27.74**	**46,39.72**	**3,03.29**	**79,70.75**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	5,94.75	49,37.20	2,95.72	58,27.67
ऋण	7,47,87.11	–	–	7,47,87.11
योग	**7,53,81.86**	**49,37.20**	**2,95.72**	**8,06,14.78**

(ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम से वह जोखिम अभिप्रेत है जो प्रति–पक्षकार द्वारा वित्तीय हानि के कारण दायित्वों के प्रति चूक के कारण हो सकता है। प्रारंभिक क्रेडिट जोखिम की व्याप्तता (तथापि महत्वपूर्ण नहीं) किसी रिपोर्टिंग तिथि निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशि पर हो सकती है।

(i) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्यों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा करके किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक निगरानी के अध्याधीन हैं तथा ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा ऑनगोइंग आधार पर की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसम्पतियां

अन्य वित्तीय परिसम्पतियां जिनमें कर्मचारियों एवं अन्य को दिए गए ऋण एवं अग्रिम एवं परिशोधन शामिल हैं लागत पर मापे गए ।

(ii) संभावित ऋण हानियां

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार समूह के सम्मुख ऋण हानियों की संभावना व्याप्त नहीं है।

अन्य वित्तीय परिसम्पतियों का मापन परिशोधन मूल्य पर किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों से सम्बद्ध क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की वसूलीयोग्यता की निरंतर निगरानी के साथ साथ ऐसी राशि को क्षमता हानि से बचाव के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इन परिसम्पतियों के संबंध में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कोई क्षमता हानि प्रावधान नहीं किए गए हैं। हमारा यह मानना है कि उक्त सभी वित्तीय परिसम्पतियां रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उत्तम क्रेडिट गुणवत्ता से युक्त हैं।

(ग) चलनिधि जोखिम

हमारी चलनिधि आवश्यकताओं की मासिक पूर्वानमानों के अनुसार निगरानी की जाती है। समूह के लिए चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को अंशदान एवं सरकारी अनुदान तथा गौण नामे के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

समूह अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन नकद अंतर्प्रवाह की निगरानी करके एवं नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करके करता है। किसी प्रकार की न्यूनता का निर्धारण निवल नकद अपेक्षाओं की तुलना उपलब्ध नकदी से करके किया जाता है।

अल्पावधि की चलनिधि अपेक्षाओं में मुख्यतः प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार चुकता किए जाने विविध लेनदारों के दे; तथा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले जमा शामिल होते हैं। अपनी अल्पकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए समूह नकद एवं नकद समतुल्यों एवं अन्य बैंक शेष को पर्याप्त रूप से अनुरक्षित करता है।

समूह द्वारा अपनी दीर्घकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है तथा उनका प्रबंधन आंतरिक उपार्जनों के माध्यम से किया जाता है। समूह की गैर–चालू देयताओं में ब्याज मुक्त गौण नामे एवं पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान शामिल है।

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता का विवरण दिया गया है। इस तालिका का निर्माण समूह की ओर से अपेक्षित भुगतान से पूर्व की तिथि की वित्तीय देयताओं के नकद प्रवाह के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	–	–	–	–	71,69,55.77	71,69,55.77
योग	–	–	–	–	71,69,55.77	71,69,55.77

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:– ₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	–	–	–	–	34,92,87.11	34,92,87.11
योग	–	–	–	–	34,92,87.11	34,92,87.11

टिप्पणी 35: अनुमान एवं पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के प्रति अनिश्चितता एवं प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

(क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन विधियों के उपयोग से किया जाता है। जहां संभव हो वहां इन विधियों के इनपुट अवलोकन योग्य बाजारों से प्राप्त कि, जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ सीमा तक विवेकी निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेते समय चलनिधि जोखिम क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से पूर्वानुमानों में परिवर्तन होने से वित्तीय प्रपत्रों के सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

(ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब यह संभावना हो कि इससे ऐसे कर योग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकता है, आस्थगित कर संपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है समय की अनुरूपता एवं भावी करयोग्य लाभ तथा योजना रणनीतियों पर आधारित होती हैं।

(ग) संपत्ति संयंत्र और उपकरण का उपयोज्यता काल

टिप्पणी 2.7 में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल दिया गया है।

संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल अप्रचलन मांग प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित है। समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति संयत्र और उपकरणों के उपयोज्यता काल की समीक्षा करता है।

टिप्पणी 36: प्रावधान आकस्मिक देयता, और आकस्मिक संपत्तियां

36.1 प्रावधान

टिप्पणी 17 में वर्ष के दौरान इंड–एएस37 'प्रावधान आकस्मिक देयता, और आकस्मिक परिसम्पतियां' के प्रकटीकरण किए गए, हैं।

36.2. आकस्मिक देयता

इंड एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयता, और आकस्मिक परिसम्पतियां' के प्रकटीकरण के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण 31 मार्च 2022 के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम में समूह की आकस्मिक देयता (ब्याज के अलावा) ठेकेदार द्वारा किए गए दावों के लिए ₹11422.24 लाख (पिछले वर्ष ₹40 लाख) है, जिसकी समूह द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं की गई है।

36.3. आकस्मिक संपत्ति

इंड एएस 37 .प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पतियों' के अनुसार आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण 31 मार्च 2022 तक समूह की आकस्मिक परिसम्पति शून्य (शून्य) है।

टिप्पणी 37 सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण

इंड एएस 24 'संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नलिखित है:–

37.1 सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

37.1.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं इक्विटी के लिए नामित निदेशक

नाम	पदनाम
श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष (29.12.2021 से)
श्री दुर्गा शंकर मिश्र	अध्यक्ष (11.03.2015 से 29.12.2021 तक)
श्री कामरान रिज़वी	नामित निदेशक
सुश्री अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक
श्री आशीष कुंद्रा	नामित निदेशक (17.08.2021 से)
श्री ओम प्रकाश सिंह	नामित निदेशक (27.09.2021 से)
श्री देवेंद्र सिंह	नामित निदेशक (30.11.2021 से)
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामित निदेशक (01.05.2022 से)
सुश्री वीनू गुप्ता	नामित निदेशक (06.05.2022 से)
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक–परियोजनाएं
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक – ई एंड आर एस
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक – प्रणाली एवं परिचालन
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक – वित्त
श्री टी. रविकांत	नामित निदेशक (04.02.2022 से 06.05.2022 तक)
श्री दीपक कुमार	नामित निदेशक (20.09.2019 से 01.05.2022 तक)
श्री आशुतोष ए.टी. पेडनेकर	नामित निदेशक (16.02.2021 से 03.02.2022 तक)
श्री अपूर्व कुमार सिंह	नामित निदेशक (09.08.2018 से 30.11.2021 तक)
श्री संजय रस्तोगी	नामित निदेशक (28.10.2020 से 30.06.2021 तक)
श्री विजय कुमार	कंपनी सचिव

37.1.2 सरकार से संबंधित कम्पनियां:

धारक कम्पनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अध्याधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है। समूह का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार धारित 50% इक्विटी शेयरों तथा हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक द्वारा 12.5% इक्विटी शेयर धारिता द्वारा किया जाता है। इंड एएस 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार जिन इकाईयोंपर समान सरकार का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है तो रिपोर्टिंग इकाई एवं अन्य इकाईयों को सम्बद्ध पक्षकार माना जाना है। इन पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहार बाजार स्थितियों के अनुसार आर्मलैंथ आधार पर किए जाने हैं। समूह द्वारा सरकार से संबंधित इकाईयों के लिए उपलब्ध छूट का आवेदन किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

समूह ने सरकार से संबंधित निम्नलिखित इकाईयों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार किए हैं:–

इकाई का नाम	सम्बद्धता
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	प्रशासनिक मंत्रालय
रेल मंत्रालय, भारत सरकार	शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	शेयरधारक
हरियाणा सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राजस्थान सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
उत्तर प्रदेश सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
दिल्ली मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

37.2 सम्बद्ध पक्षकारों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं:–

37.2.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं निदेशक के साथ संव्यवहार:–

नाम	सम्बद्धता	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
शून्य				

37.2.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति:

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अन्य सदस्यों को वर्ष के दौरान निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया गया है:– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्प कालिक हितलाभ	2,66.62	2,46.25
सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	33.41	30.20
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	33.96	27.22
योग	**3,33.99**	**3,03.67**

37.2.3 अन्य सम्बद्ध पक्षकारों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए ह:– (₹ लाख में)

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पक्षकार का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राप्तियां / आय				
पास–थ्रू सहायता सहित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	44,72,00.00	24,87,40.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	82,00.00	1,02,50.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	–	5,00.00
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,70,00.00	9,00,00.00
निविदा दस्तावेज की बिक्री से प्राप्त	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	5.00	–

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पक्षकार का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यय/भुगतान				
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	1,95.77	–
परामर्श प्रभार	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	22.03	99.29

37.2.4 अन्य सम्बद्ध पक्षकारों से बकाया शेष निम्नानुसार है:–

(₹ लाख में)

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पक्षकार का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
देयताएं/देय				
ऋण के प्रति प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	22,12,00.00	14,66,00.00
अग्रिम प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	15,82,79.89	4,42,93.20
अग्रिम प्राप्त राशि	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	2,29,50.00	1,47,50.00
अग्रिम प्राप्त राशि	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,00.00	5,00.00
ऋण के प्रति प्राप्त राशि	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	1,79,00.00	1,79,00.00
ऋण के प्रति प्राप्त राशि	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	15,79,00.00	11,00,00.00

टिप्पणी 38 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में लागू सीमा की पूर्ति करने वाली कम्पनी से अपने पिछले निकटतम तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर करने की अपेक्षा की गई है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
(i) पिछले वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	29.47	31.48
(ii) वर्ष के दौरान समूह से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	58.71	27.99
(iii) वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय न किया गया शेष	58.71	27.99
(iv) वर्ष के दौरान किया गया व्यय	13.34	30.00
क. किन्हीं परिसम्पतियों का निर्माण/अधिग्रहण	–	–
ख. (क) के अलावा अन्य उद्देश्य से	13.34	30.00
(v) वर्ष के अंत में व्यय न किया गया शेष (सीएसआर खाते में अलग से रखा गया)	74.84	29.47
(vi) सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहारों का विवरण	–	–
(vii) दायित्व के वहन के लिए किए गए प्रावधान के अनुसरण में प्रावधान के संचालन पर अनुबंध के माध्यम से किए गए व्यय	–	–
(viii) वर्ष के दौरान व्यय न किए जाने के कारण	यह जारी परियोजना से संबंधित है	
(ix) सीएसआर गतिविधि की प्रकृतिः आधुनिक कृषि व्यवहारों में बागवानी एवं सम्बद्ध कार्यों का कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम		

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

(i) कम्पनी ने वर्ष के दौरान निर्धारित समय सीमा में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) का अनुसरण करते हुए एक अलग बैंक खाते में जारी परियोजनाओं से संबंधित ₹ 58.71 लाख (पिछले वर्ष ₹ 29.47 लाख) जमा करवाई है।

टिप्पणी 39: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) – 19 ''कर्मचारी हितलाभ''– 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित मूल्य। वर्ष के अंत में कर्मचारी हितलाभों का बीमांकन मूल्यांकन किए जाने के संबंध में प्रकटीकरण

39.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:–

(क) भविष्य निधि:

कम्पनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कम्पनी भविष्य निधि के प्रति पूर्व निर्धारित दर पर नियत अंशदान करता है। इस देयता की स्वीकृति बीमांकन आधार पर की जाती है।

(ख) उपदान:

कम्पनी द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपायों के तौर पर कम्पनी के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने, शारीरिक आसामर्थ्यत्ता की स्थिति में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इंड एएस–19 के अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार किया गया है तथा देयता की स्वीकृति वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

(ग) पेंशन:

कर्मचारियों के लिए कम्पनी की अधिवार्षिता परिभाषित पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 2.5% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

अवधि के लिए किए जाने वाले अंशदान के प्रावधान का समूहन कर्मचारी लागत पर बीमांकन आधार पर किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में पेंशन अंशदान का आकलन मूल संगठन/सरकारी संगठन के अनुसार किया जाता है तथा लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर होता है।

(घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

कम्पनी की अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उसके पति/पत्नी को इंडोर उपचार के लिए नियमित कर्मचारी के संबंध में लागू समान दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके प्रति देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ङ) छुट्टी:

कम्पनी द्वारा समूह के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी के लाभ प्रदान किए जाते हैं जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन हैं। सेवा के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार केवल इस छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है जबकि अधिवार्षित के समय अधिक 300 दिन (गैर नकदी योग्य भाग एवं कम्यूटेशन के बिना अर्द्ध वेतन छुट्टी) का नकदीकरण किया जाता है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में छुट्टी वेतन का अंशदान उनके मूल विभाग/संगठन को उनके मूल विभाग/संगठन के नियमों के आधार पर चुकता वेतन के अनुसार किया जाता है तथा इसका लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर होता है।

(च) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी):

कम्पनी प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को उनके परिवार सहित मुख्यालय से किसी दुरस्थ पर स्थित उनके गृह स्थल अथवा कहीं अन्यत्र स्थल पर यात्रा हेतु विश्राम एवं मन बहलाव के लिए अपनी नीति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

(छ) टर्मिनल हितलाभ:

गृह स्थल अथवा कहीं अन्य ऐसे स्थल पर निवास के लिए, जहां वह अथवा उसका परिवार भारत में निवास करना चाहता है, सामान्य भत्ते सहित टर्मिनल हितलाभ प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, समूह में अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी हैं जिनके लिए कम्पनी पर एक्जिट हितलाभ चुकता करने का दायित्व है।

39.2 लाभ एवं हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) तथा तुलन पत्र में स्वीकृत विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

(क) निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व (₹ लाख में)

31.03.2022	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	2.08	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25
अधिग्रहण समायोजन	–	21.19	48.81	–	–
ब्याज लागत	0.14	18.25	38.72	0.07	8.48
चालू सेवा लागत	1.73	1,25.26	3,57.62	5.99	88.75
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	–	–	(9.98)	1.55	–
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	0.29	(6.02)	(1,00.91)	1.08	2.05
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**4.24**	**4,23.97**	**8,97.00**	**9.75**	**2,22.53**
31.03.2021					
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	–	74.23	2,84.26	0.44	60.33
अधिग्रहण समायोजन	–	63.92	65.04	–	–
ब्याज लागत	–	5.12	19.64	0.03	4.17
चालू सेवा लागत	2.08	91.06	2,66.30	0.45	68.29
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	–	–	(1.35)	–	–
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	–	30.96	(71.15)	0.14	(9.54)
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**2.08**	**2,65.29**	**5,62.74**	**1.06**	**1,23.25**

(ख) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	–	–	–	–	–
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	–	–	–	–	–
अंशदान	–	–	–	–	–
चुकता हितलाभ	–	–		–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	4.25	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53
निधियन स्थिति	–	–	–	–	–

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	–	–	–	–	–
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	–	–	–	–	–
अंशदान	–	–	–	–	–
चुकता हितलाभ	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	2.08	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25
निधियन स्थिति	–	–	–	–	–

(ग) **तुलन पत्र में स्वीकृत राशि** (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	4.25	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
निधियन स्थिति	–	–	–	–	–
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	4.25	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53
विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	2.08	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
निधियन स्थिति	–	–	–	–	–
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	2.08	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25

(घ) **लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर** (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
चालू सेवा लागत	1.73	125.26	3,57.62	5.99	88.75
ब्याज लागत	0.14	18.25	38.72	0.07	8.48
बीमांकन(लाभ)/हानि	–	–	(1,00.91)	1.08	–
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**1.87**	**143.51**	**2,95.43**	**7.14**	**97.23**

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
चालू सेवा लागत	2.08	91.06	2,64.95	0.44	68.29
ब्याज लागत	–	5.12	19.64	0.03	4.17
बीमांकन (लाभ)/हानि	–	–	(71.15)	0.14	–
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**2.08**	**96.18**	**213.44**	**0.61**	**72.46**

(ङ) **अन्य व्यापक आय (लाभ)/ हानि में स्वीकृत पुनर्मापन** (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	–	–	–	–	–
दायित्वों का पुनर्मापन	(0.29)	6.02	–	–	(2.05)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	**(0.29)**	**6.02**	–	–	**(2.05)**

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	–	–	–	–	–
दायित्वों का पुनर्मापन	–	(30.96)	–	–	(9.54)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	–	**(30.96)**	–	–	**(9.54)**

(च) गैर चालू एवं चालू दायित्वों का वर्गीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
गैर–चालू प्रावधान	4.22	4,17.36	8,49.40	4.88	2,22.02
चालू प्रावधान	0.02	6.61	47.60	4.87	0.51
योग प्रावधान	**4.24**	**4,23.97**	**8,97.00**	**9.75**	**2,22.53**

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
गैर–चालू प्रावधान	2.07	2,61.23	5,30.16	0.54	1,22.94
चालू प्रावधान	0.01	4.06	32.57	0.52	0.31
योग प्रावधान	**2.08**	**2,65.29**	**5,62.73**	**1.06**	**1,23.25**

(छ) भारित औसत में अभिव्यक्त प्रमुख बीमांकन अनुमान

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
डिस्काउंट दर	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धित की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	लागू नहीं	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

विवरण	31.3.2021 की स्थिति				
	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
डिस्काउंट दर	6.88%	6.88%	6.88%	6.88%	6.88%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धित की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	लागू नहीं	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

(ज) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में उपदान के संबंध में स्वीकृत निवल देयता ₹ 423.97 लाख (पिछले वर्ष ₹ 265.29 लाख) है जिसका निश्चय बीमांकन मूल्यांकन प्रमाणपत्र से किया गया है।

संवेदी विश्लेषण:

उपर्युक्त सभी अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखकर किए गए पूर्वानुमानों में परिवर्तन पर आधारित संवेदी विश्लेषण है। व्यावहारिक रूप से इनके घटित होने की संभावना नहीं है तथा पूर्वानुमानों के कुछ परिवर्तनों में सह–सम्बद्धता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदात्मकता का आकलन करते समय महत्वपूर्ण बीमांकन पूर्वानुमानों की समान विधि (प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि) का उपयोग किया गया है जबकि परिभाषित हितलाभ दायित्व की वित्तीय स्थिति विवरण में स्वीकृति प्राप्त के अनुसार गणना की जाती है।

(₹ लाख में)

31.3.2022 की स्थिति						
निम्नलिखित में परिवर्तन	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	टर्मिनल हितलाभ	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(0.28)	(26.18)	(65.84)	लागू नहीं	(15.25)
	–0.5%	0.29	28.85	60.24	लागू नहीं	16.37
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	0.29	23.75	60.37	लागू नहीं	लागू नहीं
	–0.5%	(0.29)	(22.38)	(66.48)	लागू नहीं	लागू नहीं

31.3.2022 की स्थिति					
निम्नलिखित में परिवर्तन	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(17.80)	(36.94)	लागू नहीं	(8.45)
	–0.5%	19.68	40.72	लागू नहीं	8.45
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	19.66	23.01	लागू नहीं	लागू नही
	–0.5%	(17.94)	(19.40)	लागू नहीं	लागू नही

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ लाख में)

31.3.2022 की स्थिति					
विवरण	टर्मिनल हितलाभ	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
0–1 वर्ष	0.02	6.61	47.60	4.88	0.51
1–2 वर्ष	0.02	18.20	70.30	4.87	1.93
2–3 वर्ष	0.03	31.47	51.32	–	3.02
3–4 वर्ष	0.06	23.10	44.67	–	1.41
4–5 वर्ष	0.08	26.79	54.47	–	3.77
5–6 वर्ष	0.06	16.21	26.77	–	6.43
6 वर्ष से आगे	3.98	3,01.59	6,01.87	–	2,05.46
31.3.2021 की स्थिति					
0–1 वर्ष	–	4.06	32.12	0.54	0.31
1–2 वर्ष	–	2.82	23.47	0.52	1.07
2–3 वर्ष	–	3.58	28.72	–	4.00
3–4 वर्ष	–	18.93	36.14	–	6.14
4–5 वर्ष	–	12.49	25.90	–	2.81
5–6 वर्ष	–	15.68	34.53	–	7.37
6 वर्ष से आगे	2.08	2,07.73	3,81.86	–	1,01.55

टिप्पणी 40

"सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देयताओं का विवरण निम्नलिखित हैः–

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
1	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूलराशि और ब्याज तथा उनका चुकता न किया गया शेषः (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों' को देय मूल राशि (ii) उस पर देय ब्याज	 2,45.54 –	 2,83.04 –
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा 16 के उपबंधों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के पश्चात किए गए भुगतान के साथ चुकता ब्याज की राशि	–	–
3	भुगतान में देरी के कारण देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता की गई है) जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार ब्याज जोड़ा नहीं गया है।	–	–
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि तथा अचुकता शेष	–	–
5	आगामी वर्षों में भी देय बकाया ब्याज एवं भुगतान की राशि, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौति योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को ब्याज देय होने की तिथि से वास्तविक भुगतान किए जाने तक के लिए आकलन की जानी है।	–	–

*सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार नियत तिथियों को देयताओं का भुगतान किया गया है।

टिप्पणी 41 : परिसम्पतियों की क्षमता हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मानना है कि समूह की गैर–वित्तीय परिसम्पतियों के आर्थिक निष्पादन संभावना से कम नहीं है तथा तदनुसार तुलन पत्र तिथि को किसी परिसम्पति के लिए कोई क्षमता क्षति नहीं हुई है।

टिप्पणी 42 : शेष की पुष्टि

समूह में बैंकों तथा अन्य पक्षकारों से शेष के संबंध में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित है। नामे अग्रिम एवं ऋणदाताओं के संबंध में पक्षकारों को शेष पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ प्राप्य अन्य परिसम्पतियों एवं अन्य देयों के शेष पुष्टि/पुनःसमाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अध्याधीन हैं। तथापि, प्रबंधन का यह मानना है कि ऐसी बकाया पुष्टियों/पुनःसमाधान से किसी प्रकार का वस्तुगत वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।

टिप्पणी 43 : संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदागत प्रतिबद्धताओं का विवरण ₹ 1275302.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1320423.13 लाख) है।

टिप्पणी 44 : इंड एएस 116 : पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

समूह ने विभिन्न कार्यालयों के साथ पट्टा अनुबंध किए हैं तथा प्रचालन पट्टों को स्वीकृति प्रदान की है।

(i) प्रारंभिक उपयोज्यता के लिए चयनित व्यवहार्य उपायों का संक्षेप

(क) इस छूट को लागू किया गया है कि प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को 12 माह से कम के पट्टा काल वाली उपयोग अधिकार परिसम्पतियों एवं देयताओं को पट्टे के लिए स्वीकृत नहीं किया जाना है।

(ख) प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के मापन में से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को शामिल नहीं किया जाना है।

(ग) इंड एएस–116 की उपयोज्यता केवल उन्हीं अनुबंधों के लिए की जानी है जिनका पट्टा वर्गीकरण पहले इंड एएस–17 के अंतर्गत किया गया था।

(घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल डिस्काउंटर दर लागू की गई है।

(ङ) यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने अथवा समाप्त करने के विकल्प हैं तो पट्टा काल के निर्धारण के लिए दूरदृष्टि का उपयोग किया जाना है।

(ii) इंड एएस–17 के अंतर्गत पट्टा दायित्व एवं पारगमन की तिथि को पट्टा देयता के मूल्य के मध्य व्याप्त अंतर मुख्यतः पट्टा देयताओं की इंड एएस–116 के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के अनुसार डिस्काउंटिंग किए जाने के कारण है।

(iii) पट्टा देयता के लिए उपयोग में लाई गई भारित औसत आवर्धित ऋण दर एसबीआई 3एम–एमसीएलआर दर के अनुसार अर्थात 7.5% है।

(iv) समूह की प्रचालन पट्टे के अंतर्गत परिसम्पतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परिसम्पतियों का विवरण	पट्टा अवधि	निम्नलिखित तिथि को वहन मूल्य		समापन खंड	विस्तार विकल्प
			31 मार्च, 2022	31 मार्च 2021		
(क)	मेरठ में कार्यालय भवन	3 वर्ष	–	2.84	3 वर्ष की लॉक इन अवधि	पट्टादाता और पट्टाधारक दोनों के पारस्परिक विकल्प के साथ नवीकरण योग्य। वित्त वर्ष 2021–22 में खाली किया गया परिसर
(ख)	सीडब्ल्यूजी गांव में भूमि	5 वर्ष	14.61	22.03	पट्टादाता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टादाता को समझौते को आगे विस्तारित करने का अधिकार है।
(ग)	कॉर्पोरेट कार्यालय (पुराना एएमडीए बिल्डिंग में)	4 वर्ष	–	1,24.84	पट्टादाताको नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टादाता और पट्टाधारक दोनों के पारस्परिक विकल्प के साथ नवीकरण योग्य। वित्त वर्ष 2021–22 में खाली किया गया परिसर
	योग		**14.61**	**1,49.71**		

(v) **पट्टा देयताओं की मूवमेंट**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	**1,65.98**	**5,28.18**
वर्ष के दौरान आवर्धन		
वर्ष के दौरान स्वीकृत ब्याज	12.45	38.33
पट्टा सुधार	–	23.94
वर्ष के दौरान भुगतान/नकदी बर्हिप्रवाह का योग/पट्टे के लिए समायोजन	1,62.24	3,76.59
वर्ष के अंत में अंत शेष	**16.19**	**1,65.98**

(vi) समूह ने अल्पावधि के पट्टों अथवा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टों को स्वीकृति न दिए जाने का निर्धारण किया है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता को मापन में शामिल नहीं किया जाता है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
अल्पावधि के पट्टे	98.03	1,97.30
योग	**98.03**	**1,97.30**

(vii) **तुलन पत्र में पट्टा देयताओं की प्रस्तुति निम्नानुसार की गई है:–**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 की स्थिति
चालू भाग	7.96	1,49.79
गैर–चालू भाग	8.23	16.19
योग	**16.19**	**1,65.98**

(viii) **पट्टा देयताओं की गैर–डिस्काउंटिड आधार पर संविदागत परिपक्वता का विवरण निम्नलिखित है:** (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	7.96	8.23	–
योग	**7.96**	**8.23**	–

विवरण	31 मार्च, 2021		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	1,49.79	16.19	–
योग	**1,49.79**	**16.19**	–

(ix) परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित व्यय शून्य है।.

(x) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के उप–पट्टों से प्राप्त होने वाली आय समूह के लिए लागू नहीं है।

(xi) बिक्री एवं पट्टा वापसी संव्यवहारों से प्राप्त लाभ/हानि समूह के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45: कोविड 19 प्रकटीकरण

प्रभाव

विश्व भर में पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड–19 से परिवहन क्षेत्र पर काफी प्रतिकूल प्रभाव हुए हैं। भारत भी इन प्रभावों से नहीं बच पाया है तथा कोविड–19 की लहरों का हमें सामना करना पड़ा है। अप्रैल 2021 के मध्य में दूसरी लहर के दौरान कोविड–19 के मामलों में हुई बढ़ोतरी को विचार में लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा दूसरा लॉकडाउन लगाया गया था। इसका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव विश्व भर में हुआ था।

निष्पादन

तथापि, निर्माण गतिविधियां रूकी नहीं थी परन्तु सप्लाई चेन लगभग 3 माह तक व्यवस्थित न होने के कारण निम्नलिखित कारणों से प्रगति बाधित हुई थी:

(**i**) निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों की कमी

(**ii**) औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी जिससे कंक्रीट संरचनाओं इत्यादि के लिए माड्यूल शटर्स का फेब्रिकेशन प्रभावित हुआ था।

(**iii**) ठेकेदार के कर्मचारियों की आवाजाही पर प्रतिबंध

(**iv**) ट्रैक्स के लिए टीबीएम एचएच रेल्स एवं मॉउल्ड्स की आपूर्ति में दो माह की देरी

महामारी से उत्पन्न हुई बाधाओं के परिणामस्वरूप भूमि प्रापण की प्रक्रिया भी विलंबित हुई है।

कोविड–19 के प्रभाव का प्रबंधन

कंपनी ने निविदाओं इत्यादि का समय पर निर्वाह सुनिश्चित करने के लिए कॉमन डेटा एनवायरनमेंट (सीडीई) और भवन सूचना प्रबंधन (बीआईएम) 3डी मॉडलिंग टूल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करके ऑनलाइन निविदा पूर्व बैठकों के माध्यम से कार्यों पर चर्चा और निगरानी करने के लिए दस्तावेजों और ड्रॉइंग की मंजूरी रिमोट वर्किंग के माध्यम से प्रभावी करके इसके प्रभाव का सामना किया है। समूह ने कार्य स्थल पर आउटसोर्स किए गए कर्मियों और श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सभी अनुशंसित सावधानियां और निवारक उपाय किए जाने का सुनिश्चय किया है। समूह ने कोविड –19 के प्रसार से बचाव के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के लिए स्थापित परियोजना की निरंतर निगरानी की है और महामारी के कारण नष्ट हुए समय की पूर्ति के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं।

चलनिधि

समूह को अपने प्रचालनों के लिए पर्याप्त चलनिधि प्राप्त थी। समूह ने इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक सूचना के उपलब्ध आंतरिक और बाह्य स्रोतों के आधार पर निर्धारण किए हैं जिसके अनुसार इसे अपनी संपत्ति की वहन राशि की वसूली की पूरी संभावना है। समेकित वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव कोविड–19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

कोविड–19 के भावी प्रभाव के अनुमान

समूह ने इस ओर ध्यान दिया है कि वैश्विक महामारी अभी समाप्त न होने पर और लहरें आने की संभावना अभी बनी हुई है। वैश्विक महामारी की रोकथाम राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर निर्भर करती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जैसे–जैसे हम प्रगति करेंगे, महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के प्रभाव का समय–समय पर आकलन भी किया जाता रहेगा।

टिप्पणी 46 : घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

समूह का प्रमुख व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, वित्तपोषण करना है। समूह भारत में प्रचालन करता है और इसके प्रचालन ऐसे आर्थिक परिवेश में नहीं होते जहां विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं प्रतिफल हों। इस प्रकार इसे एकल भौगोलिक घटक में प्रचालन माना गया है।

घटक रिपोर्ट

समूह का रिपोर्ट योग्य केवल एक प्रचालनात्मक घटक है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, वित्तपोषण करने से संबंधित है तथा यह अपनी सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार एकल प्रचालन घटक है। तदनुसार समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि समूह के एकल प्रचालन घटक से संबंधित है। वर्तमान में समूह के पास सावधि जमा परामर्श आय और अन्य विविध आय पर ब्याज आय के रूप में राजस्व के स्रोत हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उपार्जन	–	–
व्यय		
परामर्श	38,07.70	24,82.64
कार्य	5,20,51.57	2,47,35.29
अन्य	–	79.88
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव हानि	51,07.72	9,18.70
योग व्यय	**6,09,66.99**	**2,82,16.51**

टिप्पणी 48

पूर्व वर्षों के अप्रत्यक्ष व्ययों के पूंजीयन के संबंध में आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मत के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तन

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के काल में निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्ययों के पूंजीयन के लिए व्ययों के पूंजीयन की संशोधित प्रक्रिया के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श का मत प्राप्त किया है। इसका प्रभाव निम्नानुसार हुआ है:–

(₹ लाख में)

प्रकृति	राशि
कर्मचारी हितलाभ व्यय	4,72.23
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2,56.02
वित्त लागत	13.71
अन्य व्यय	8,79.64
योग	**16,21.60**

टिप्पणी 49 : अन्य इकाईयों में हितों का प्रकटीकरण

49.1 सहायक कम्पनी के व्यवसाय की सामान्य प्रति

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (सहायक कम्पनी) भारतीय मूल की पब्लिक लिमिटेड कम्पनी [U60200DL2013GOI256716] है जिसका निगमन 6 अगस्त, 2020 को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में ट्रांजिट प्रणाली की योजना, डिजाइनिंग, वित्तीयन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा अन्य अथवा उप–प्रणालियों से संबंधित अन्य किसी सामुच्चय के लिए किया गया था।

49.2 समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों की अपेक्षा के अनुसार किया गया है। तदनुसार, कम्पनी (धारक कम्पनी के नाम से भी संदर्भित) ने अपनी सहायक कम्पनी को न्रीचे दिए गए विवरण के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के लिए विचार में लिया है:

क्र.सं.	सहायक कम्पनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थल एवं निगमन देश	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकारों का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकारों का अनुपात
1	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	भारत	100%	100%	100%	100%

49.3 सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं दर्शाने वाला विवरण (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड*	
क.	अधिग्रहण की तिथि	06 अगस्त 2020	
ख.	वित्तीय वर्ष समापन की तिथि	31–03–2022	
ग.	व्यवसाय का प्रधान स्थल	भारत	
		वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
घ.	शेयर पूंजी	100.00	100.00
ङ	अन्य इक्विटी / आरक्षित एवं अधिशेष (यथा लागू)	(1.58)	(3.86)
च.	देयताएं	0.25	1.33
छ	योग इक्विटी एवं देयता	98.67	97.47
ज.	योग परिसम्पतियां	**98.67**	**97.47**
झ.	निवेश	–	–
ञ.	टर्नओवर	19.72	–
ट.	कराधान पूर्व लाभ / (हानि)	3.27	(5.15)
ठ.	कराधान के लिए प्रावधान	0.99	(1.29)
ड.	कराधान के पश्चात लाभ	**2.28**	**(3.86)**
ढ.	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	लागू नही	लागू नही
ण.	अंतरिम लाभांश – अधिमान	लागू नही	लागू नही
त.	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	लागू नहीं	लागू नही
थ.	प्रस्तावित लाभांश – अधिमान	लागू नही	लागू नही
द.	%शेयर धारिता	100%	100%
ध.	जारी शेयरों की संख्या (लाख में)	1.00	1.00
न.	सहायक कम्पनी में कुल शेयर (लाख में)	1.00	1.00
प.	अधिग्रहण की तिथि को अधिग्रहित निवल परिसम्पतियां	100.00%	100.00%
फ.	प्रतिफल	100.00%	100.00%
ब.	वित्तीयन में स्वीकृत साख	–	–

*वित्तीय के आंकड़े लेखापरीक्षित अंतिम लेखों पर आधारित हैं।

49.4 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना: –

i. **31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए:–** (₹ लाख में)

इकाई का नाम	निवल परिसम्पतियां यथा परिसम्पतियों का योग घटा देयताओं का योग		लाभ अथवा (हानि) में अंशभाग		अन्य व्यापक आय में अंशभाग		कुल व्यापक आय में अंशभाग	
	समेकित राशि का%	राशि	समेकित राशि का%	राशि	समेकित राशि का%	राशि	समेकित राशि का%	राशि
मूल कम्पनी								
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	100.00%	18,29,49.67	99.98%	47,03.84	100.00%	(2.75)	99.98%	4,701.09
सहायक कम्पनी								
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	0.00%	(3.04)	0.02%	0.82	0.00%	–	0.02%	0.82
योग	**100.00%**	**18,29,46.63**	**100.00%**	**47,04.66**	**100.00%**	**(2.75)**	**100.00%**	**47,01.91**

ii. **31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए:–** (₹ लाख में)

इकाई का नाम	निवल परिसम्पतियां यथा परिसम्पतियों का योग घटा देयताओं का योग		लाभ अथवा (हानि) में अंशभाग		अन्य व्यापक आय में अंशभाग		कुल व्यापक आय में अंशभाग	
	समेकित राशि का%	राशि	समेकित राशि का%	राशि	समेकित राशि का%	राशि	समेकित राशि का%	राशि
मूल कम्पनी								
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	100.00%	14,90,30.78	100.09%	43,42.07	100.00%	30.31	100.09%	43,72.38
सहायक कम्पनी								
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	0.00%	(3.86)	–0.09%	–3.86	0.00%	–	–0.09%	–3.86
योग	**100.00%**	**14,90,26.92**	**100.00%**	**43,38.21**	**100.00%**	**30.31**	**100.00%**	**43,68.52**

टिप्पणी 50

प्रबंधन के मतानुसार संपति, संयंत्र एवं उपकरण एवं व्यवसाय के सामान्य क्रम गैरचालू निवेश से प्राप्ति के अलावा परिसम्पतियों के मूल्य का प्रबंधन उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

टिप्पणी 51: हाल ही में की गई घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा समय समय पर यथा जारी कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली के अंतर्गत नए मानक अथवा विद्यमान मानकों में संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। दिनांक 23 मार्च, 2022 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से लागू कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2022 में किए गए संशोधन निम्नलिखित हैं:–

(क) इंड एएस 103–संकल्पना की रूपरेखा का संदर्भ

संशोधनों यह निर्दिष्टि की गई है कि अधिग्रहण की विधि के उपयोग से स्वीकृति की अर्हता के लिए निर्धारित अधिग्रहित परिसम्पतियां एवं विचारित देयता एंइंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (संकल्पित रूपरेखा) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पना रूपरेखा के अनुसार परिसम्पतियों एवं देयताओं की परिभाषा की पूर्ति अधिग्रहण की तिथि को अवश्य होनी चाहिए। समूह को अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

(ख) इंड एएस 16–आशित उपयोग से पूर्व प्रतिफल

ये संशोधन मुख्यतः किसी इकाई को संपत्ति संयंत्र की लागत और समूह द्वारा परिसम्पति को आशित उपयोग के लिए तैयार किए जाने के दौरान उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त उपकरण राशियों में से कटौती को प्रतिबंधित करते हैं। इसके स्थान पर इकाई ऐसी बिक्री से प्राप्त आय और संबंधित लागत को लाभ या हानि में कर सकता है। समूह को इन संशोधनों से अपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति अपने वित्तीय विवरणों में करने से किसी प्रकार का प्रभाव होने की संभावना प्रतीत नहीं हुई है।

(ग) इंड एएस 37– दुर्वहअनुबंध – अनुबंध की पूर्ति की लागत

ये संशोधन यह निर्दिष्ट करते हैं कि किसी अनुबंध की 'पूर्ति की लागत' में 'अनुबंध से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागतें शामिल होती हैं'। अनुबंध से प्रत्यक्ष संबंधित लागत या अनुबंध की पूर्ति की क्रमिक लागत हो सकती है (उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष श्रम सामग्रियां) अथवा यह अन्य लागतों का निर्धारण हो सकता है जो प्रत्यक्ष रूप में अनुबंधों की पूर्ति से संबंधित हैं। यह संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण है और समूह को ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है कि इस संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव उसके वित्तीय विवरणों पर पड़ेगा।

(घ) इंड एएस 109 – इंड एएस (2021) में वार्षिक सुधार

इस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी इकाई को इंड एएस 109 के परीक्षण के लिए "10 प्रतिशत" हेतु, यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति समाप्त की जानी है अथवा नहीं, कौन सा शुल्क शामिल करना चाहिए। समूह को अपने वित्तीय विवरणों में इस संशोधन से कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना प्रतीत नहीं हुई है।

टिप्पणी 52

जब समूह के प्रति बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति के धारण के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो अथवा लंबित हो तो समूह से निम्नलिखित प्रकटीकरण करने चाहिए:

(क)	इस प्रकार की सम्पति का विवरण	शून्य
(ख)	संबंधित सम्पति की राशि	शून्य
(ग)	लाभग्राहियों का विवरण	शून्य
(घ)	यदि सम्पति बहियों में शामिल है तो तुलन पत्र में ऐसी मद का संदर्भ	शून्य
(ङ)	यदि सम्पति बहियों में शामिल नहीं है तो उसके कारणों का विवरण	शून्य
(च)	यदि समूह को संव्यवहार के अवप्रेरक अथवा अंतरणकर्ता के रूप में विधि सम्मत प्रतिफल प्राप्त हुआ है तो उसका विवरण दें।	शून्य
(छ)	इसके प्रतिफल के स्तर की प्रकृति तथा उसके संबंध में कम्पनी का मत	शून्य

टिप्पणी 53

यदि समूह ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अंतर्गत किन्हीं स्ट्रक ऑफ कम्पनियों (बंद सम्पतियों वाली कम्पनियों) के साथ कोई संव्यवहार किए हैं नाम के साथ उसके प्रकटीकरण निम्नानुसार किए जाने हैं:–

स्ट्रक ऑफ कम्पनी का नाम	स्ट्रक ऑफ कम्पनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	बकाया शेष	स्ट्रक ऑफ कम्पनी के साथ सम्बद्धता
कोई नहीं	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	शून्य
कोई नहीं	प्राप्य	शून्य	शून्य
कोई नहीं	देय	शून्य	शून्य
कोई नहीं	अन्य बकाया शेष	शून्य	शून्य

टिप्पणी 54 इंड एएस –1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए प्रकटीकरण

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता में संवर्धन के लिए कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लाइन मदों का तुलन पत्र में पुनर्वर्गीकरण किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

(₹ लाख में)

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पूर्व	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के पश्चात
गैर चालू परिसम्पतियां			
पूंजी कार्य प्रगति पर (कुल)	22,16,59.66	(2,43.67)	22,14,15.99
(क) अन्य गैर–परियोजना	–	8,05.16	8,05.16
(ख) परियोजना	22,16,59.66	(10,48.83)	22,06,10.83
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	–	2,43.67	2,43.67
वित्तीय परिसम्पतियां (अन्य वित्तीय परिसम्पतियां)	11,05.05	8,81.25	19,86.30
चालू परिसम्पतियां			
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	12,99,99.98	(8,81.40)	12,91,18.58
वित्तीय परिसम्पतियां (ऋण/प्रतिभूति/जमा)	55.36	(55.36)	–
वित्तीय परिसम्पतियां (अन्य वित्तीय परिसम्पतियां)	11,84.78	55.51	12,40.29
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं(पट्टा देयताएं)	–	1,49.79	1,49.79
वित्तीय देयताएं(अन्य वित्तीय देयताएं)	2,78,19.76	(1,49.79)	2,76,69.97

टिप्पणी 55

जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनात्मकता के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहन/पुनःव्यवस्थित/पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANAVRC3389

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

(सीआईएनः U60200DL2013GOI256716)

फार्म संख्या एओसी 1

सहायक कम्पनियों/ सम्बद्ध कम्पनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण
[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसार]

भाग क– सहायक कम्पनी (₹ लाख में)

1	सहायक कम्पनी का नाम	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
2	सहायक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि	01.04.2021 से 31.03.2022
3	विनिमय दर	लागू नहीं
4	शेयर पूंजी	1,00.00
5	आरक्षित एवं अतिरिक्त	(1.58)
6	कुल परिसम्पतियां	98.67
7	कुल देयताएं	98.67
8	निवेश	–
9	टर्नओवर	19.72
10	कराधान पूर्व लाभ	3.27
11	कराधान के लिए प्रावधान	0.99
12	कराधान पश्चात लाभ	2.28
13	प्रस्तावित लाभांश	–
14	% शेयरधारिता	100%

भाग ख–सम्बद्ध कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यम (₹ लाख में)

क्र.सं.	**सम्बद्ध कम्पनी का नाम**	
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	–
2	सम्बद्ध कम्पनी/संयुक्त उद्यम में कम्पनी द्वारा वर्ष के अंत में धारित शेयर	–
	संख्या	–
	सम्बद्ध कम्पनी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	–
	शेयरधारिता का %	–
3	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	–
4	कारण बताएं कि सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम कम्पनी को विचार में क्यों नहीं लिया गया है	–
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	–
6	वर्ष के दौरान लाभ/हानि	–
i.	समेकन के लिए विचार किया गया	–
ii.	समेकन के लिए विचार नहीं किया गया	–

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के.एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 013940N

हस्ता./–
एन.के.एस. चौहान
साझेदार
सदस्यता संख्याः 088165
यूडीआईएनः 22088165ANAVRC3389

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
स.सं.: F7801

हस्ता./–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता./–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

संख्या / No. DGA/Infra/IHQ-I/27-80/CRS/21-22 Vol-II/219

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated 9/9/22

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड,
गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110049

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements) पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) व 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित कर रहा हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

दीपक

(दीपक कपूर)
महानिदेशक

संलग्नः शून्य टिप्पणियाँ

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of consolidated financial statements of **NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15 July 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of **NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of **NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED** and its subsidiary, **NCRTC EXPRESS TRANSIT LIMITED** for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Deepak Kapoor)
Director General of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 9 September 2022

दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड (पेकेज–1) पर पुल के निर्माण का कार्य पूरा

परियोजना के समय पर और कुशल कार्यान्वयन के लिए एनसीआरटीसी द्वारा प्री–कास्टिंग तकनीक का व्यापक उपयोग

मुरादनगर आरआरटीएस साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर

प्राथमिकता अनुभाग पर पटरियां बिछाना

प्राथमिकता अनुभाग स्टेशनों पर पीईबी संरचनाओं की स्थापना

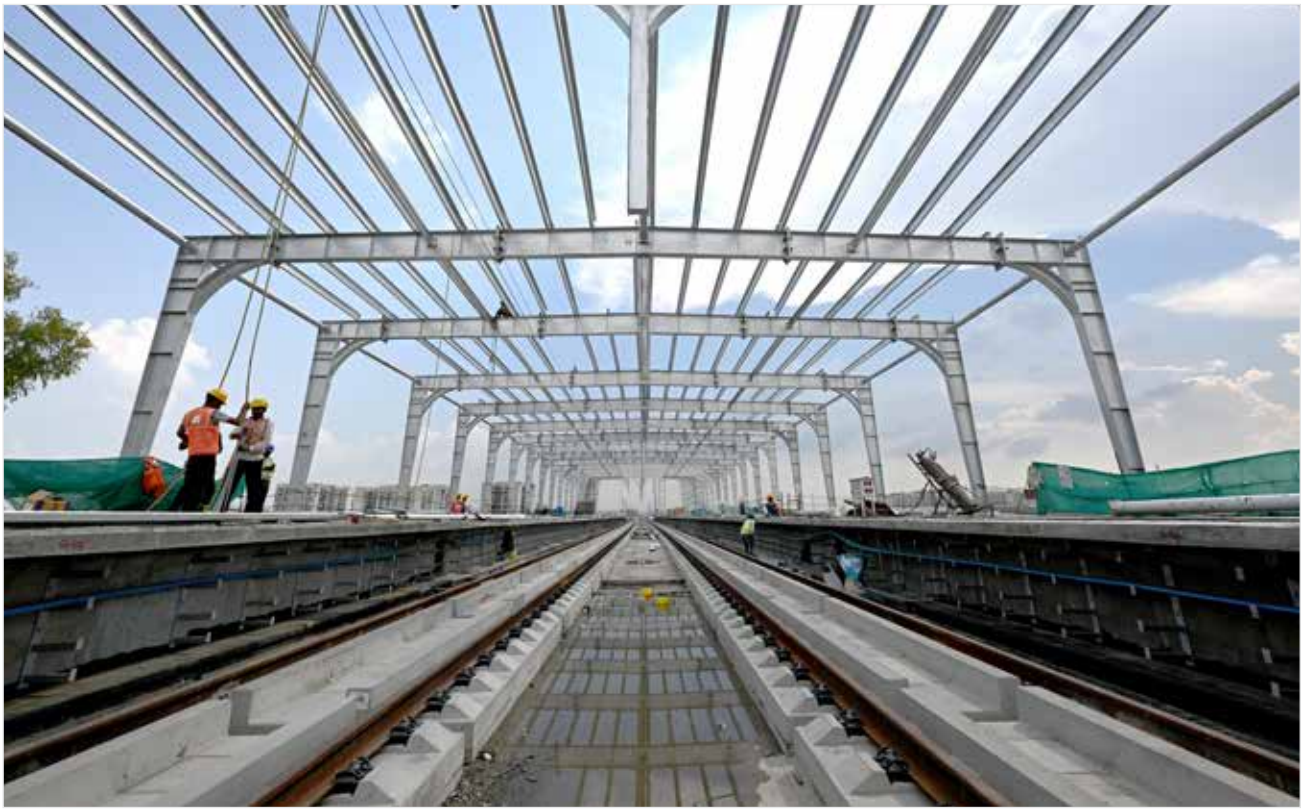

आनंद विहार आरआरटीएस साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर

आरआरटीएस सुरंगों के अंदर सुरंग के छल्ले के खंडों का परिवहन

टीबीएम मेरठ में भूमिगत खंड में सुरंग के रिंगस स्थापित कर रहा है

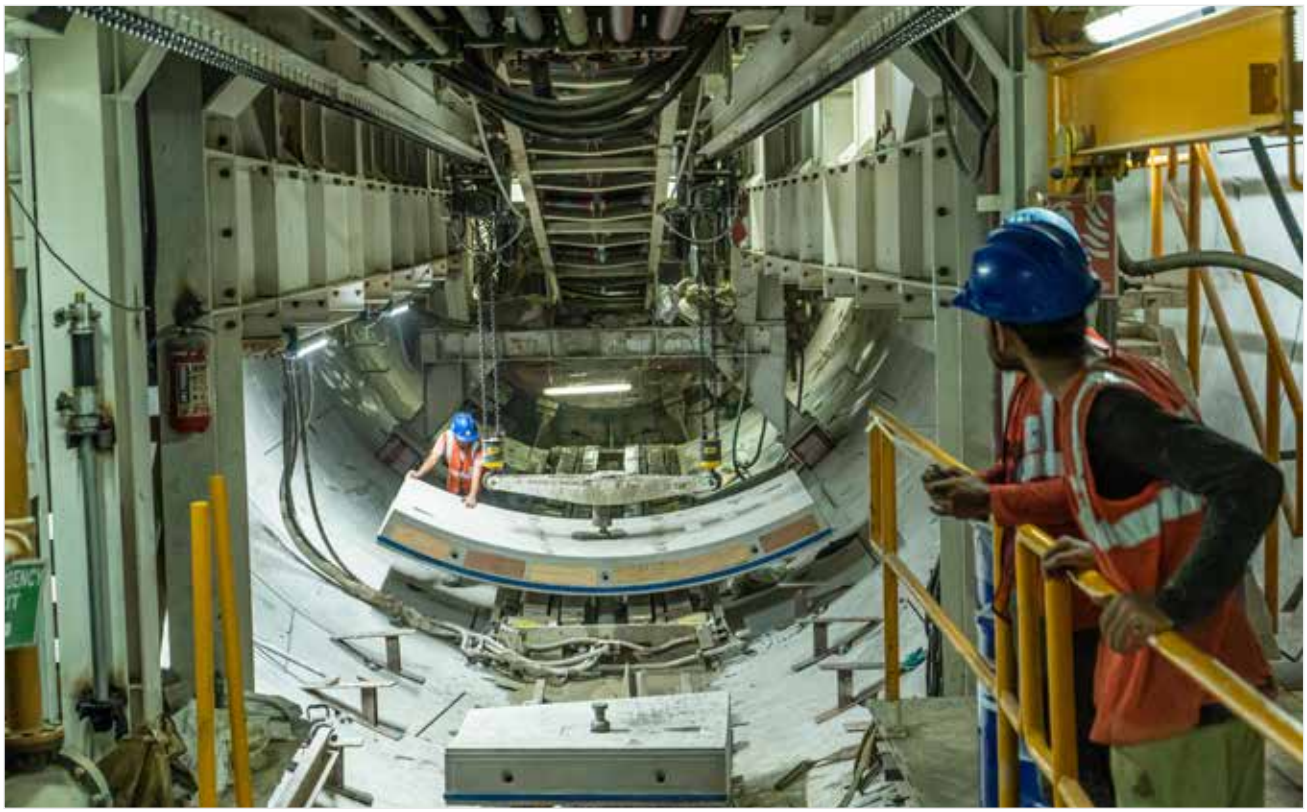

कंपनी का विवरण

	क्र.स.	नाम	पद	डीआईएन
निदेशक मंडल	1.	श्री विनय कुमार सिंह	अध्यक्ष	06497700
	2.	श्री अनिल कुमार श्रंगार्या	निदेशक	08507367
	3.	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक	07093637
	4.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक	08624052
	5	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक	07916304
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव (10.08.2022 से प्रभावी)			
पंजीकृत कार्यालय	गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली – 110023 वेबसाइट: www.netraindia.in			
सीआईएन	U60300DL2020GOI367547			
होल्डिंग कंपनी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड			
सीआईएन:	U60200DL2013GOI256716			
सांविधिक लेखा परीक्षक	मैसर्स वी.पी.बत्रा एंड कं., नई दिल्ली			
बैंकर्स	बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक			

01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए वर्षिक रिपोर्ट

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोर्ड की रिपोट	192
2.	एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	199
3.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण	207
4.	एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	227
5	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	230

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारक,
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (नेत्र),
नई दिल्ली

महोदय,

निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2022 को समाप्त द्वितीय वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।

1. वित्तीय उपलब्धियां

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं: (₹ लाख में)

विवरण	2021–22	(06.08.2020 से 31.03.2021 तक)
कुल राजस्व (सेवाओं की बिक्री और ब्याज आय)	24.31	2.20
कुल व्यय	21.04	7.35
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**3.27**	**(5.15)**
वर्तमान कर	0.64	–
आस्थगित कर	0.35	(1.29)
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**2.28**	**(3.86)**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बेसिक एवं डाइल्यूटिड)	2.28	(5.76)
निवल आस्ति	98.42	96.14

नोटः पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि कंपनी का निगमन 06.08.2020

2. पूंजी संरचना

आपकी कंपनी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ('होल्डिंग कंपनी') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और संपूर्ण शेयर पूंजी, होल्डिंग कंपनी तथा उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

कंपनी की वर्तमान अधिकृत और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 1,00,00,000 (केवल एक करोड़ रुपये) रुपये है जो 100 रुपये (सौ रुपये मात्र) प्रत्येक के 1,00,000 (एक लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

3. लाभांश

आपके निदेशक, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोशणा नहीं कर रहे हैं।

4. सामान्य आरक्षित निधि का विनियोग

लाभ को प्रतिधारित अर्जन के रूप में रखा गया है और समीक्षाधीन वर्ष में सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण के लिए किसी राशि की अनुषंसा नहीं की गई है।

5. भविष्य की रूप–रेखा और गतिविधियां

नेत्र ओ एंड एम सेवाओं के प्रावधान में निजी क्षेत्र की दक्षता और उद्यमषीलता की भावना का दोहन करने में सहायता कर रहा है।

6. जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के तहत जनता से कोई जमा राशि आमंत्रित नहीं की है, इसलिए, बैलेंस शीट की तारीख को मूलधन या जनता से जमा पर ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी।

7. कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन

क. जन–शक्ति

आपकी कंपनी के पास अपने स्वयं के रोल पर कोई जनशक्ति नहीं है। तथापि, आपकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, विभिन्न कार्मिकों, जिनके पास संबंधित क्षेत्रों में विविध प्रकार का अनुभव है, को कंपनी की परिचालन सुविधा और दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अंशकालिक आधार पर तैनात किया गया है।

ख. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

आपकी कंपनी को हाल ही में निगमित किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक समिति का गठन उचित समय के अंदर कर लिया जाएगा।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार जानकारी देने की आवश्यकता, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी पर लागू नहीं होती है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के तहत, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के और अलग–अलग निदेशकों के प्रदर्शन के संबंध में किए गए औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के बारे में विवरण

नेत्र सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान और प्रासंगिक नियम भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एनईटीआरए पर लागू नहीं होते हैं।

10. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मैसर्स वी पी बत्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर रिपोर्ट दे दी है। लेखा परीक्षकों ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

11. वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां, सी एंड एजी से प्राप्त होने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत एक परिशिष्ट के रूप में संलग्न की जाएंगी।

12. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में, सीएसआर योगदान के लिए निर्दिष्ट किसी भी मानदंड को यह कंपनी पूरा नहीं करती है।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात्करण और अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है।

(ख) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (राशि भारतीय रुपये में) – वर्ष के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया।

14. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान कंपनी के खाते में विदेशी मुद्रा में कोई आय या व्यय नहीं हुआ है।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार आपका बोर्ड पुष्टि करता है कि:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, वार्षिक वित्तीय विवरणों में किए गए अन्यथा कथन को छोड़कर, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय एवं आकलन किए थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति की सही और निष्पक्ष तसवीर प्रस्तुत करने के लिए तथा उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि विवरण प्रस्तुत करने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं;

(ग) निदेशकों ने, कंपनी की परिसंपति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने कार्यशील प्रतिष्ठान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार करना सुनिश्चित किया था; तथा

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

16 निदेशक मंडल और उसकी बैठकें

16.1 दिनांक 31.03.2022 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नानुसार था:

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री विनय कुमार सिंह	06497700	अध्यक्ष	06.08.2020
2	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	08507367	निदेशक	06.08.2020
3	श्री महेन्द्र कुमार	07093637	निदेशक	06.08.2020
4	श्री नवनीत कौषिक	08624052	निदेशक	06.08.2020
5	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	07916304	निदेशक	06.08.2020

16.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

16.3 बोर्ड ने श्री गजेंद्र कुमार को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 04.05.2022 से श्री सुधीर कुमार शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया, जिन्हें उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया गया था।

16.4 स्वतंत्र निदेशकगण

आपका बोर्ड आगे पुष्टि करता है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 दिनांक 5 जुलाई, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

16.5 बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान, आपके बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित विवरण के अनुसार चार बार हुईं। बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है–

चौथी	पांचवीं	छठी	सातवीं
16.06.2021	12.10.2021	15.12.2021	29.03.2022

16.6 बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	बोर्ड की बैठकें			पिछली 'एजीएम' में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्यता की संख्या
		आयोजित	उपस्थिति की पात्रता	उपस्थिति		
1	श्री विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष	4	4	4	हां	3
2	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या, निदेशक	4	4	4	हां	1
3	श्री महेन्द्र कुमार, निदेशक	4	4	4	हां	2
4	श्री नवनीत कौशिक, निदेशक	4	4	4	हां	1
5	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, निदेशक	4	4	3	हां	3

16.7 आम सभा की बैठकें और उपस्थिति

बैठक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
पहली वार्षिक आम बैठक	13.09.2021	06.08.2020 से 31.03.2021	15.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय	नहीं
असाधारण आम बैठक	29.11.2021	2021–2022	12.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय	नहीं

16.8 बोर्ड की समिति:

कंपनी की केवल एक समिति यानी निवेश समिति है। निवेश समिति के गठन, बैठक और उपस्थित सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

(क) विचारार्थ विषयः–निवेश समिति, कंपनी की निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार निवेश की जांच करती है और सिफारिशें करती है।

(ख) बैठकों की संख्याः– वर्ष के दौरान निवेश समिति की दो (02) बैठकें क्रमषः 17.03.2022 (दूसरी बैठक) और 29.03.2022 (तीसरी बैठक) को आयोजित की गई थीं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निवेश समिति के सदस्यों का संघटन एवं श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या, निदेशक	सदस्य	2	2
2	श्री महेन्द्र कुमार, निदेशक	सदस्य	2	2
3	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, निदेशक	सदस्य	2	2

17 जोखिम प्रबंधन

कंपनी की कार्यशील प्रतिष्ठान स्थिति को प्रभावित करने वाला ऐसा कोई जोखिम तत्व नहीं है।

18. संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, होल्डिंक कंपनी अर्थात् एनसीआरटीसी को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे में आने वाले संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई। संबंधित पक्षा के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदा/संविदाओं या व्यवस्था/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण, इस रिपोर्ट में संलग्न फॉर्म – एओसी–2 में किया गया है।

19. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी द्वारा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

20. ऋण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई ऋण नहीं है।

21. महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

इस वित्तीय विवरण से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से लेकर इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं घटित नहीं हुई।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित की हैं।

23. कंपनी निम्नलिखित की पुष्टि करती है: –

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार किसी भी निदेशक को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओपी की सुविधा वाले कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किये हैं।

(ग) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया।

(घ) निदेशक के किसी भी रिश्तेदार को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

(ङ) व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(च) वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए और ये वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

(छ) कंपनी के पास कोई ऐसी राशि अप्रयुक्त नहीं पड़ी थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(ज) कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'आम बैठकों' से संबंधित आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों, यानी एसएस–1 और एसएस–2 का विधिवत पालन किया गया है।

(झ) धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा संसूचित धोखाधड़ी के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी की ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं है, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हों।

(ञ) इस अवधि के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर गैर–अनुपालन, जुर्माना, आक्षेप आरोपित किए जाने की कोई घटना घटित नहीं हुई।

(ट) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xi) के तहत प्रकटीकरणः वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार, वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

(ठ) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xii) के तहत प्रकटीकरणः एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का कोई मामला नहीं है।

(ड) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं है।

24. नियामकों द्वारा पारित बड़े और महत्वपूर्ण आदेश

प्राधिकारियों द्वारा कोई ऐसा प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की कार्यशील प्रतिष्ठान की स्थिति और कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करता हो।

25. फॉर्म संख्या एमजीटी–9 वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

अधिनियम की धारा 92(1) के साथ पठित धारा 134(3)(ए) के अनुसार, कंपनी द्वारा वार्षिक रिटर्न, रजिस्ट्रार के पास उक्त रिटर्न को दाखिल करने की तिथि पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद इसे सदस्यों द्वारा https://www-ncrtc-in/reports/ पर देखा जा सकता है।

26. राजभाषा

आपकी कंपनी को नया–नया निगमित किया गया है। कंपनी राजभाषा के प्रयोग संबंधी भारत सरकार के निदेशों को लागू करने के ठोस प्रयास करती आ रही

27. सतर्कता

आपकी कंपनी हाल ही में निगमित हुई है, और उपयुक्त समय आने पर सतर्कता विंग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे।

28. शेयरधारकों को सूचना

कंपनी के वित्तीय विवरण और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी के हितधारकों के लिए उपलब्ध है। यदि किसी भी हितधारक को किसी भी समय ऐसी किसी भी जानकारी की आवश्यकता है, तो वह, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय खुलने के समय के दौरान इसका निरीक्षण कर सकता है।

29. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी, उपयुक्त निगरानी प्रचालन और वैधानिक कानूनों, विनियमों तथा कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की एक समुचित प्रणाली की व्यवस्था रखती है।

30. लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा यथा–निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड तैयार रखने की आवश्यकता कंपनी को नहीं है।

31. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान परिवर्तन

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपना पंजीकृत कार्यालय पता 7/6, एएमडीए बिल्डिंग, सिरीफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049 के स्थान पर दिनांक 01.09.2021 से गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023 में स्थानांतरित कर दिया है।

32. आभार

निदेशक मंडल, आवासन और षहरी कार्य मंत्रालय के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए आभारी है। निदेशक मंडल शेयरधारकों, अन्य हितधारकों, बैंकर, होल्डिंग कंपनी अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के निरंतर समर्थन के लिए पूरी निष्ठा से उनकी सराहना करता है।

33. अनुलग्नक:

विवरण	अनुलग्नक
फॉर्म एओसी–2	I
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	–

कृते एवं एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता /-	**हस्ता /-**
नमिता मेहरोत्रा	**अनिल कुमार श्रंगार्या**
निदेशक	**निदेशक**
डीआईएन : 07916304	**डीआईएन : 08507367**

दिनांक: 14 जून, 2022

स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म नंबर एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ हथियारों के लेन–देन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का ब्योरा, जो आर्मस लेंथ के आधार पर न हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो किसी भी संबंधित पार्टी के साथ नजदीकी आधार पर नहीं है।

2. सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या आर्मस लेंथ के आधार पर लेनदेन का विवरण

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(झ)	(च)
संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**अनुबंध की प्रकृति/व्यवस्था/लेनदेन**	**संविदा की अवधि/व्यवस्था/लेनदेन**	**अनुबंध या व्यवस्था की मुख्य शर्तें या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो**	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तारीखें), यदि कोई**	**अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (₹ में)**
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	दिल्ली – गाज़ियाबाद – मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव योजना और कार्यान्वयन के लिए नेत्रा की भागीदारी	चल रहा लेनदेन	वास्तविक खर्च किया गया ₹ 18,25,677 (जीएसटी को छोड़कर)	NA	शून्य
			प्रबंधन शुल्क @8% – ₹ 1,46,054		
			कुल मूल्य (आय) – ₹ 19,71,731 (जीएसटी को छोड़कर)		
			शर्तें – वास्तविक लागत और 8% प्रबंधन शुल्क पर दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव की योजना और कार्यान्वयन का समर्थन करना।		

कृते एवं एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता /-	**हस्ता /-**
नमिता मेहरोत्रा	**अनिल कुमार श्रंगार्या**
निदेशक	**निदेशक**
डीआईएन : 07916304	**डीआईएन : 08507367**

दिनांक: 14 जून, 2022
स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
माननीय सदस्यगण,
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
नई दिल्ली

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बेलेंस शीट और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष की अन्य व्यापक आय सहित वर्ष का लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, तथा भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियों के साथ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं सम्मिलित हैं।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण, यथा–संशोधित कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अनुसार यथा–अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करता है और कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, (भारतीय लेखाकरण मानक) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों, और भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की स्थिति, और उसी तारीख को समाप्त वर्ष की अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकद प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार यह लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां' खंड में दिया गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा से संगत नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी फर्म, कंपनी से स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और हमने, इन अपेक्षाओं तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की आचार संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में, मंडल की रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित है, जिसमें मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो कि लेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऊपर अभिनिर्धारित अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना, स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है अथवा अन्यथा झूठे विवरण से युक्त प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में झूठा विवरण दिया गया है, तो हमसे अपेक्षा है कि हम उस तथ्य की रिपोर्टिंग करें। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिनसे भारत में सामान्यतया स्वीकृत भारतीय लेखाकरण मानक और अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकद प्रवाह के बारे में सही एवं निष्पक्ष तसवीर प्राप्त होती है। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेख का अनुरक्षण; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना भी शामिल है, जो लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और जो ऐसे स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जिनसे एक सही और निष्पक्ष तसवीर मिलती है और जो झूठे विवरण से मुक्त हों, चाहे ये झूठे विवरण धोखाधड़ी से दिए गए हों या गलती से।

स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन, कंपनी के एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने से जुड़े यथा–प्रयोज्य मामलों के प्रकटीकरण और लेखाकरण के कार्यशील संस्था संबंधी आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन का या तो कंपनी को समाप्त करने का या प्रचालन बंद करने का इरादा न हो या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस विषय पर तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से झूठे विवरण से मुक्त हैं या नहीं, चाहे वह झूठा विवरण धोखाधड़ी से दिया गया हो या गलती से; और अपने मत सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन का आशय उच्च स्तर के आश्वासन से है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुपालन में संचालित की गई लेखापरीक्षा में झूठे विवरण, यदि ऐसे झूठे विवरण का अस्तित्व हो, का पता हर हालत में लग ही जाएगा। झूठे विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें उस स्थिति में झूठा विवरण महत्वपूर्ण हो जाता है जब, अलग–अलग रूप में या समग्र रूप में, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय, इन झूठे विवरणों से प्रभावित हो जाने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती हो।

सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुसार की जाने वाली लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण झूठे विवरणों के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे ये झूठे विवरण धोखाधड़ी से हुए हों या गलती से हुए हों; उन जोखिमों के निराकरण के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन और निष्पादन करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण झूठे विवरण का पता नहीं लग पाने का जोखिम, गलती के परिणामस्वरूप होने वाले झूठे विवरण से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- मौजूदा परिस्थितियों में यथोचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के लिए लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ पैदा करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बिन्दु पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और कि क्या ऐसे नियंत्रण, प्रभावी रूप से प्रचालन में हैं।
- प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखाकरण की कार्यशील संस्था अवधारणा के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई बड़ी अनिश्चितता अस्तित्व में है, जिससे कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करने की कंपनी की क्षमता पर गहरा संदेह पैदा हो सकता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखापरीक्षक की अपनी रिपोर्ट में स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी मत को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी, कार्यशील संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, और यह देखना कि क्या वित्तीय विवरणों से अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व हो रहा है जिससे प्रस्तुति की निष्पक्षता प्रकट हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय–सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में कंपनी के प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें, आंतरिक नियंत्रण में मौजूद ऐसी महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं जिनकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम, कंपनी के प्रशासन के लिए उत्तरदायी लोगों को यह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों से भी अवगत कराते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ने की समुचित संभावना व्यक्त की गई हो, साथ ही, जहां लागू हो, वहां इससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी सूचित करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) की शर्तों के अनुरूप भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश ("आदेश"), 2020 की अपेक्षा के अनुसार, हमने अनुलग्नक 'क' में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित बही–खातों का सही प्रकार से रखरखाव किया है, जैसा कि उन बही–खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा जांचे गए तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह का विवरण बही–खातों से मेल खाता है।

(घ) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी परिचालन के संबंध में, "अनुलग्नक ख" में हमारी पृथक् रिपोर्ट देखें।

(छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम यह सूचित करते हैं कि:

(क) कंपनी पर ऐसा कोई मुकदमा लंबित नहीं है जिसके लिए भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

(ख) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई वास्तविक, पूर्वानुमान–योग्य हानि हुई हो।

(ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा किए जाने की आवश्यकता हो।

(घ) (i) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, किसी भी प्रकार की निधि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) को (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो), कंपनी द्वारा, लिखित रूप में दर्ज या अन्यथा बनी इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी संस्था को या में, अग्रिम या उधार या निवेश के रूप में, प्रदान नहीं किया गया है, कि मध्यस्थ, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा;

(ii) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, किसी भी प्रकार की निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो), कंपनी द्वारा, लिखित रूप में दर्ज या अन्यथा बनी इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्था ("वित्तपोषक पक्ष") सहित किसी संस्था से, प्राप्त नहीं की गई है, कि वित्तपोषक पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा;

(iii) मौजूदा परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जो कि ऊपर (i) और (ii) में प्रदान किए गए हैं, में कोई भी महत्वपूर्ण झूठा विवरण शामिल है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया गया है।

(ज) के अंतर्गत, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी, दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की आवश्यकताओं के अनुसार और भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	निदेश	लेखापरीक्षक के उत्तर
(i)	क्या कंपनी में ऐसा तंत्र लागू किया गया है कि समस्त लेखाकरण प्रविष्टियों का प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से हो? यदि हां, तो यह बताएं कि लेखाकरण प्रविष्टियों का प्रक्रमण, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से बाहर कराने का कैसा प्रभाव लेखाओं की संपूर्णता पर पड़ेगा? साथ ही साथ, इसके वित्तीय प्रभाव, यदि हों, तो बताएं।	कंपनी में, लेखाकरण से संबंधित समस्त लेनदेन को सूचना–प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित कराने की प्रणाली विद्यमान है। समस्त लेखाकरण लेनदेन का लेखाजोखा आईटी प्रणाली के माध्यम से रखा जाता है और लेखाओं की संपूर्णता पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।
(ii)	ऋण लौटा पाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा ऋणों/लेनदारियों/ब्याज आदि की अदायगी से छूट देने/बट्टे खाते में डालने के अनुरोध के कोई मामले या विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना का कोई मामला क्या सामने आया है? यदि हां, इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में बताएं। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब–किताब रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)	ऐसा कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित लेखा–जोखा/उपयोग, इन निधियों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	ऐसा कोई मामला नहीं है।

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएन: 22081057ALCGEL1071
नई दिल्ली,
दिनांक: 14.06.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र भारतीय मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के औचित्य पर विचार करते हुए, हमें यह सूचित करना है कि: –

(i) वर्तमान में, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां नहीं है, इसलिए खंड (i)(क) और (i)(ख) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(ii) (क) वर्तमान में, कंपनी के पास कोई वस्तु–सूची नहीं है, अतः खंड (ii) (क) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(ख) वर्ष में किसी भी नियत समय के दौरान कंपनी को, चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से, कुल मिलाकर, 5 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी सीमाओं से अधिक की राशि संस्वीकृत नहीं की गई है।

(iiii) कंपनी ने, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई भी रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3 (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ड.) और (च) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(iv) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 में संदर्भित कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं हैं। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) लागू नहीं होता है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा धनराशि स्वीकार नहीं की है।

(vi) हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखा जाना निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) (क) वैधानिक बकाया राशि के संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों, सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी सामान्यतया, उसकी ओर से देय वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उप कर तथा कोई अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित तौर पर जमा करती है और 31 मार्च, 2022 को, कोई भी निर्विवाद देय राशि, देय होने की तारीख के बाद छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए गए उप खंड (क) के संबंध में ऐसे कोई विवादित वैधानिक देय नहीं हैं, जो जमा न कराए गए हों।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में कोई भी ऐसा लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है, जिसे वर्ष के दौरान सरेंडर या आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया हो।

(ix) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण और अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है और इसलिए यह खंड लागू नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड ix(ख), (ग), (घ), (ड.) और (च) की अपेक्षा लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं जारी नहीं किया है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित एडीटी–4 के रूप में लेखा परीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी को 'व्हिसिल ब्लोअर' से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, अधिनियम की यथा–प्रयोज्य धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, और प्रयोज्य लेखाकरण मानकों की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों आदि में इसके विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

(xiv) कंपनी को, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 में प्रदत्त मापदंड को पूरा नहीं करती है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी और कोर निवेश कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड xvi (क), (ख), (ग), (घ) की अपेक्षा लागू नहीं होती है।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष में नकद नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में 4.31 लाख रुपये की नकद हानि हुई थी।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी के आधार पर, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी यह राय है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है और कि कंपनी, बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा देनदारियों को, जब ऐसी देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं तो, पूरा करने में सक्षम है।

(xx) कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएनः 22081057ALCGEL1071
नई दिल्ली,
दिनांकः 14.06.2022

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेषों/उप–निदेषों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेषों/उप–निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएनः 22081057ALCGEL1071

नई दिल्ली,
दिनांकः 14.06.2022

कंपनी के स्वतंत्र भारतीय मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, **एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड ("कंपनी")** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में मार्गदर्षक टिप्पणी' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में स्थापित मानकों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उनका अनुपालन करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उनका अनुपालन करते रहना शामिल है जिनका प्रयोग कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रभावी रूप से अमल में लाया जा रहा था, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा–अपेक्षा कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों से बचना और उनका पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करना तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय से तैयार करना सम्मिलित है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना मत व्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी मार्गदर्शक टिप्पणी' (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') और लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है, जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर यथा–स्थिति प्रयोज्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे गए हैं, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी भी लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं, और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणियों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आचरण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने और इस बारे में यथोचित रूप से आश्वस्त होने के लिए योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें जिससे पता चल सके कि पर्याप्त आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की स्थापना और अनुपालन किया गया है या नहीं और कि क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी गंभीर कमजोरी की मौजूदगी के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट से किए गए हों या गलती से हो गए हों, के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे, इस कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा मत का आधार बनने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के बारे में यथोचित आश्वासन प्रदान किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और पद्धतियां शामिल होती हैं, जो (1) ऐसे अभिलेख तैयार किए जाने के बारे में होती हैं, जो उस कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रवृत्ति की परिशुद्ध और निष्पक्ष तस्वीर यथोचित विवरण के साथ प्रस्तुत करते हैंय (2) इस आशय का यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन विवरण यथावश्यक तरीके से इस प्रकार तैयार किया गया है, जिससे वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जा सके हैं, और कि कंपनी में प्राप्ति और व्यय, कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों को दिए गए प्राधिकार के अनुसरण में ही किया जा रहा है; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान, जिनका गंभीर प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ सकता था, से बचाव या इनका समय से पता लग जाने का यथोचित आश्वासन प्रदान करते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्भूत सीमाओं, जिसमें सांठ–गांठ अथवा कुप्रबंधन, नियंत्रणों की अनदेखी शामिल है, के कारण गलती या धोखाधड़ी से किए जाने वाले वस्तुगत मिथ्या कथन होने और इनका पता भी न चल पाने की स्थिति बन सकती है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आकलन भावी अवधियों पर आरोपित किए जाने में जोखिम यह हो सकता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में बदलाव के कारण या फिर नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ जाने से अपर्याप्त सिद्ध हो सकते हैं।

राय

हमारे मतानुसार कंपनी में, समग्र रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, 31 मार्च, 2022 तक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के मूलभूत तत्वों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएनः 22081057ALCGEL1071

नई दिल्ली,
दिनांकः 14.06.2022

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2022 का तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		–	–
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3	0.94	1.29
	(ग) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां		–	–
			0.94	**1.29**
2	**चालू आस्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	4		
	(i) व्यापार प्राप्य	4.1	–	–
	(ii) नकद एवं नकद समकक्ष	4.2	6.35	4.58
	(iii) ऊपर (ii) को छोड़कर बैंक शेष	4.3	71.00	91.00
	(iv) अन्य	4.4	17.76	0.13
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	1.77	0.16
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	6	0.85	0.31
			97.73	**96.18**
	कुल परिसंपत्तियां		**98.67**	**97.47**

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 081057
यूडीआईएनः 22081057ALCGEL1071
नई दिल्ली,
दिनांकः 14.06.2022

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
अध्यक्ष
डीआईएनः 06497700

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2022 का तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
II	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	7	100.00	100.00
	(ख) अन्य इक्विटी	8	(1.58)	(3.86)
			98.42	**96.14**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर–चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं		–	–
	(ख) प्रावधान		–	–
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं	9	0.15	1.28
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	10	0.10	0.05
	(ख) अन्य चालू देयताए		–	–
	(ग) अल्पावधि प्रावधान		**0.25**	**1.33**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**98.67**	**97.47**

सामान्य सूचना	1
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश	2
लेखाओं पर टिप्पणियां	3 से 30

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएनः 22081057ALCGEL1071
नई दिल्ली,
दिनांकः 14.06.2022

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
अध्यक्ष
डीआईएनः 06497700

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	6 अगस्त 2020 से 31 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	11	19.72	–
II	अन्य आय	12	4.59	2.20
III	**कुल राजस्व (I + II)**		**24.31**	**2.20**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	13	7.19	–
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		–	–
	अन्य व्यय	14	13.85	7.35
IV	**कुल व्यय (IV)**		**21.04**	**7.35**
V	**आपवादिक मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**3.27**	**(5.15)**
VI	आपवादिक मदें		–	–
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**3.27**	**(5.15)**
VIII	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर		0.64	–
	(2) पूर्व वर्ष कर		–	–
	(3) आस्थगित कर		0.35	(1.29)
IX	**चालू प्रचालनों से इस अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**2.28**	**(3.86)**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XI	बंद प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X-XI)		–	–
XIII	**इस अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX-XII)**		**2.28**	**(3.86)**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (I) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		–	–
	(II) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		–	–
	ख. (I) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		–	–
	(II) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		–	–
XV	**इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+ XIV) जिसमें इस अवधि का लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय शामिल है**		**2.28**	**(3.86)**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**	15		
	(1) मूल (₹ में) (फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपए)		2.28	(7.01)
	(2) विलयित (₹ में) (फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपए)		2.28	(7.01)

टिप्पणियां, इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएनः 22081057ALCGEL1071
नई दिल्ली,
दिनांकः 14.06.2022

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
अध्यक्ष
डीआईएनः 06497700

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	6 अगस्त 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
आपवादिक मदें एवं कर पूर्व हानि		3.27	(5.15)
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
मूल्यह्रास		–	–
ब्याज से आय		(4.59)	(2.20)
प्रचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**(1.32.)**	**(7.35)**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(18.15)	(0.31)
अन्य वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि		(1.13)	1.28
अन्य चालू देयता में (कमी)/वृद्धि		0.05	0.05
	(2)	(19.23)	1.02
प्रचालन से प्राप्त नकद	**(1+2)**	**(20.55)**	**(6.33)**
भुगतान किया गया आय कर/स्रोत पर काटा गया कर		(2.25)	(0.16)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल नकद		**(22.80)**	**(6.49)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
ब्याज से आय		4.57	2.07
अन्य बैंक जमा शेषों में कमी/(वृद्धि)		20.00	(91.00)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल प्रवाह		**24.57**	**(88.93)**
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयरों को जारी करने से हुई आय		–	100.00
वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद		–	**100.00**
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		1.77	4.58
प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		4.58	–
अंतिम नकद और नकद समतुल्य		**6.35**	**4.58**
अंतिम नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है			
बैंक में जमा शेषः			
–चालू खाते में		4.35	3.58
3 महीने या उससे कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		2.00	1.00
तुलन–पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य		**6.35**	**4.58**

टिप्पणियां:–

1. नकदी प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह विवरण संबंधी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक–7 में यथा–निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएनः 22081057ALCGEL1071
नई दिल्ली,
दिनांकः 14.06.2022

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
अध्यक्ष
डीआईएनः 06497700

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2022 को

(₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रेल, 2021 के अनुसार शेष	पूर्व अवधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	1	–	–	–	1
राशि	100	–	–	–	100

2. 31 मार्च, 2021 को

(₹ लाख में)

विवरण	06 अगस्त, 2020 के अनुसार शेष	पूर्व अवधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	1	–	–	–	1
राशि	100	–	–	–	100

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2022 को

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित अर्जन	
01 अप्रेल, 2021 के अनुसार शेष	–	–	**(3.86)**	**(3.86)**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	–	–	–	–
01 अप्रेल, 2021 को पुनर्कथित शेष	–	–	**(3.86)**	**(3.86)**
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	–		2.28	2.28
वर्ष की अन्य व्यापक आय (आय कर निवल)	–		–	–
वर्ष की कुल व्यापक आय	–	–	**(1.58)**	**(1.58)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		–	–	–
लाभांश का भुगतान		–	–	–
31 मार्च, 2022 को शेष	–	–	**(1.58)**	**(1.58)**

2. 31 मार्च, 2021 को (₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित अर्जन	
01 अप्रेल, 2020 के अनुसार शेष	–	–	–	–
लेखाकरण नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	–	–	–	–
01 अप्रेल, 2020 को पुनर्कथित शेष	–	–	–	–
वर्ष के दौरान हानि	–		(3.86)	(3.86)
वर्ष की अन्य व्यापक आय (आय कर निवल)	–		–	–
वर्ष की कुल व्यापक आय	–	–	**(3.86)**	**(3.86)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		–	–	–
लाभांश का भुगतान		–	–	–
31 मार्च, 2021 को शेष	–	–	**(3.86)**	**(3.86)**

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएन: 22081057ALCGEL1071
नई दिल्ली,
दिनांक: 14.06.2022

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन: 06497700

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. सामान्य जानकारी

भारत में अधिवासित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एनसीईआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड, [U60300DL2020GOI367547], का निगमीकरण 6 अगस्त 2020 को ट्रांजिट प्रणाली तथा उप–प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी भी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण के उद्देश्य से किया गया था।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023 पर स्थित है।

कंपनी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एक अलग स्वतंत्र विधिक इकाई है जिस पर मूल कंपनी का 100% स्वामित्व और नियंत्रण है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश

2.1 तैयार करने का आधार–अनुपालन विवरण

कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरण, लेखाकरण के उपार्जन आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू प्रावधानों एवं आमतौर पर भारत में स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांत के अंतर्गत, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा–संशोधित) के तहत यथा–अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) के अनुसार कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियां/घोषणाएं,जहां कहीं भी लागू की जानी उपयुक्त समझी गईं, कंपनी द्वारा निरंतर अपनाई गई। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान समान रूप से लेखांकन नीतियों को लागू किया है।

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 14.06.2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है।

2.2 मापन का आधार

भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण, कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं तथा परिभाषित हितलाभ योजना एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों, जिनका मापन प्रासंगिक भारतीय लेखाकरण मानकों की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है, को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत और उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं।

2.3 आकलनों और विवेक का उपयोग

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे विनिर्णय, आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग को और वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण के साथ–साथ संसूचित आय और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा समय–समय पर की जाती है। भविष्य के परिणाम इन आकलनों में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणाम एवं आकलनों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/वास्तव में घटित होते हैं।

भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूचना, लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग में अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णय, जिनका भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, नीचे दिए जा रहे हैं:

- **प्रावधान:** प्रावधानों का निर्धारण तुलन–पत्र की तारीख पर दायित्व के निपटान के आकलन के आधार पर किया जाता है।
- **आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां:** आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया जाता है, जिनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर की जाती है और प्रबंधन के तत्कालीन आकलन को प्रदर्शित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।
- **आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता:** आस्थगित कर परिसंपत्ति को भावी कर योग्य आय की संभाव्यता के आकलन के आधार पर मान्य किया जाता है, जिसके सापेक्ष आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।

2.4

समस्त वित्तीय सूचना भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई है और सभी मूल्यों को, अन्यथा वर्णित किए जाने की स्थिति को छोड़कर, निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है। कतिपय आंकड़ों जिनका प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है लेकिन जो पूर्णांकन के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं, का विवरण टिप्पणी 26 पर दिया गया है।

2.5 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की सूचना, अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके दी गई है, ऐसा करने से गैर–नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगनों या उपार्जनों के प्रभावों के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जा सकता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त–पोषण गतिविधियों से होने वाले नकद प्रवाह को, उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समतुल्यों में हाथ में रोकड़, बैंकों में रोकड़ शेष और बैंकों के पास मांग जमा, बकाया शुद्ध बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जो मांग पर चुकाने योग्य हैं और जिन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

2.6 राजस्व मान्यता

(क) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण किसी ऐसे मूल्य पर ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया गया हो, जो प्रतिफल के रूप में हो और जिसका अधिकार कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्राप्त होने की अपेक्षा हो।

सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्व को या तो कुछ समय में या एक निश्चित समय पर पूरे किए जाने वाले दायित्व के आधार पर मान्य जाता है।

यदि कुछ समय के दौरान कार्य निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है तो, राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवा के आधार पर प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में मान्यता दी जाती है। यह मान्यता, भौतिक प्रगति, प्रयासों, लेन–देन की कुल अनुमानित लागत की तुलना में अद्यतन तारीख तक खर्च की गई लागत, लगाए गए समय, प्रदत्त सेवा या किसी अन्य विधि जिसे प्रबंधन उचित मानता है, के आधार पर निर्धारित की जाती है।

अन्य मामलों में जहां निष्पादन दायित्व, किसी समयावधि में पूरा नहीं किया जाता है, राजस्व को एक निश्चित समय पर मान्य किया जाता है।

अनुबंधों के मामले में, जहां ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर निश्चित राशि का भुगतान करता है, यदि कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक हो जाती हैं, तो अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है। भुगतान यदि प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होता है, तो अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है।

मोबिलाइजेशन शुल्क को ग्राहक अग्रिम के रूप में तब तक मान्य किया जाता है जब तक कि उसे अनुबंध/कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार गतिविधियों/लेनदेनों के पूरा होने के चरण के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दे दी जाती है।

प्रतिपूर्ति योग्य राशि और आपूर्ति का लेखा–जोखा उपार्जन के आधार पर किया जाता है।

निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण अनुबंधों में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा, ग्राहक की स्वीकृति, यदि कोई हो, मिल जाने तक, निर्धारित किए गए प्रत्येक अनुबंध के किए गए कार्य/निर्मित लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में मान्य किया जाता है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

i. ब्याज आय को, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्य किया जाता है।

ii. लाभांश को तब मान्य किया जाएगा जब कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए, आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होने वाला हो और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

2.7 आय कर

(क) वर्तमान आयकर

आय पर कर का निर्धारण, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिगणित कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान कर आस्तियां और वर्तमान कर देयताएं तब बराबर हो जाती हैं जब मान्य की गई राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो और शुद्ध आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा हो।

(ख) आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक (भारतीय लेखाकरण मानक– 12) 'आय कर' के अनुसार –

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उन अस्थायी अंतरों के लिए किया जाता है जिनकी गणना रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।

ii. आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्य किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना बनती हो कि ऐसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके बदले में कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट एवं अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं तब ऑफसेट हो जाती हैं जब वर्तमान कर का निरूपण करने वाली देयताओं के लिए परिसंपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं आस्थगित कर देयताएं, आय पर समान नियामक कराधान कानूनों द्वारा लगाए गए करों से संबंधित होती हैं।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन, उन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें तुलन–पत्र की तारीख तक अधिनियमित कर दिया गया हो या काफी हद तक अधिनियमित कर दिया गया हो। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर, समूह द्वारा, गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्ति, यदि कोई हो, का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

v. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे उस सीमा तक घटा दिया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना न रह जाए कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों का उपयोग करने की गुंजाइश के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

2.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

(क) उन देयताओं के संबंध में प्रावधान मान्य किया जाता है जिन्हें केवल पर्याप्त सीमा तक आकलनों का उपयोग करके मापा जा सकता हो जबः

i. पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कंपनी की देयता बनती हो।

ii. दायित्वों के निपटान के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्गमन की आवश्यकता हो; तथा

iii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय तौर पर अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव काफी अधिक हो, वहां प्रावधान की राशि, दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य के बराबर होगी।

(ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित में से किसी भी मामले में किया जाता है:

i. पूर्व घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी; या

ii. वर्तमान दायित्व का विश्वसनीय आकलन न किया जा सकता होय या

iii. संभावित दायित्व बनता हो, जब तक कि संसाधन के बहिर्गमन की संभावना क्षीण न हो।

आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक आकस्मिक दायित्व एवं प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है।

2.9 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों पर संगत अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों पर संगत अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ या हानि और संगत अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन, समस्त डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए किया जाता है।

2.10 उचित मूल्य मापन

i. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कुछ वित्तीय लिखतों का मापन, उचित मूल्य पर करती है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो, किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा या मापन तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयता को हस्तांतरित करने के लिए लेनदेन या तो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में होगा, या
- किसी मुख्य बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में होगा।

मुख्य या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार, कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन, बाजार प्रतिभागियों द्वारा परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय संभावित रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले पूर्वानुमानों का प्रयोग करके किया जाता है, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित के अनुरूप कार्य करेंगे।

कंपनी, ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो संगत परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होता है, और ऐसा करते समय प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग तथा अवलोकन के अयोग्य इनपुट का कम से कम उपयोग किया जाता है।

2.11 वित्तीय लिखत:–

(i) प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब कंपनी, किसी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन आरंभ में उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लेनदेन लागतों को, वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गये उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

(ii) परवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखने का होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से ऐसे नकदी प्रवाह का सृजन विनिर्दिष्ट तिथियों पर होता हो जो पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो।

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित की जाती हैं जिसके उद्देश्य की पूर्ति, संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री – दोनों से होती हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से ऐसे नकदी प्रवाह का सृजन विनिर्दिष्ट तिथियों पर होता हो जो पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है

जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से न मापा गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में तुरंत मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को निम्नलिखित विधि से वर्गीकृत किया गया है:

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य देयों, प्रतिभूति जमाओं और प्रतिधारण राशि आदि द्वारा दर्शाई गई परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं का मापन शुरू में उचित मूल्य पर किया जाता है, और बाद में, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

(ख) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कंपनी ने लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर कोई वित्तीय देयता निर्दिष्ट नहीं की है।

(iii) अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के एक हिस्से या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का भाग) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं या कंपनी, वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित कर दे और काफी हद तक सभी जोखिम और संपत्ति के स्वामित्व के लाभ भी हस्तांतरित कर दे।

वित्तीय देयता

किसी वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन हो जाए या वह रद्द या समाप्त हो जाए। जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता का प्रतिस्थापन, उसी ऋणदाता से दूसरी देयता द्वारा, काफी हद तक भिन्न शर्तों पर कर दिया जाए, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित कर दिया जाए, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण के रूप में तथा एक नई देयता के मान्यकरण के रूप में मान्य किया जाता है; और संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

2.12 तुलन–पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाएं

तुलन–पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाओं को भारतीय लेखाकरण मानक 10 (तुलन–पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताओं और घटनाओं) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने में मान्य जाता है।

2.13 उन लेखाकरण नीतियों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। जब ऐसी लेखाकरण नीतियां प्रासंगिक हो जाएंगी, तो उनका प्रकटीकरण किया जाएगा।

टिप्पणी 3

आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. आस्थगित कर देयताएं		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	–	–
आस्थगित कर देयताओं का जोड़	–	–
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रारंभिक व्यय	0.54	0.89
अप्रयुक्त कर हानियां	0.40	0.40
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का जोड़	**0.94**	**1.29**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) निवल	**0.94**	**1.29**

3.1 : आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) में उतार–चढ़ाव (₹ लाख में)

विवरण	अप्रयुक्त कर हानियां	प्रारंभिक व्यय	कुल
01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	–	–	–
2020–21 के दौरान (प्रभारित)/आकलित			
लाभ और हानि के लिए	0.40	0.89	1.29
अन्य व्यापक आय के लिए	–	–	–
31 मार्च, 2021 को अंतिम शेष	**0.40**	**0.89**	**1.29**
लाभ और हानि के लिए	–	0.35	0.35
अन्य व्यापक आय के लिए	–	–	–
31 मार्च, 2022 को अंतिम शेष	**0.40**	**0.54**	**0.94**

3.2 : आय कर व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्तमान आय कर:		
वर्तमान आय कर प्रभार	0.64	–
पूर्व वर्ष कर	–	–
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	0.35	1.29
जोड़	**0.99**	**1.29**

3.3 : कर व्यय और लेखाकरण लाभ के बीच समाधान: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखाकरण लाभ/(हानि)	3.27	(5.15)
आय कर पूर्व लेखाकरण लाभ	3.27	(5.15)
भारत की 25.17% की वैधानिक आय कर दर पर,		
उन धनराशियों पर कर प्रभाव जो करयोग्य आय की गणना करते समय कटौतीयोग्य (करयोग्य) नहीं हैं	0.82	(1.29)
जोड़ें: पिछले वर्ष के संबंध में आरंभिक व्यय के लिए समायोजन	0.17	–
लाभ एवं हानि विवरण में संसूचित आयकर व्यय (जारी प्रचालनों से संबंधित)	**0.99**	**(1.29)**
प्रभावी आय कर दर पर	30.33 प्रतिशत	25.17 प्रतिशत

टिप्पणी 4 : वित्तीय परिसंपत्तियां– चालू

टिप्पणी 4.1

31 मार्च 2022 को और पिछले वित्तीय वर्ष में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है। तथापि, गैर–बिल प्राप्य राजस्व अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत दिखाया गया है (नोट संख्या 4.4 देखें)।

टिप्पणी 4.2

नकद और नकद समतुल्य (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
हाथ में नकदी	–	–
हस्तगत चौक/ड्राफ्ट	–	–
बैंकों में जमा शेष:		
–चालू खाते में	4.35	3.58
अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने या उससे कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	2.00	1.00
जोड़	**6.35**	**4.58**

टिप्पणी 4.3: नकद और नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने से अधिक परन्तु रिपोर्टिंग की तारीख से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	71.00	91.00
जोड़	**71.00**	**91.00**

टिप्पणी 4.4: अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	0.02	0.13
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (संबंधित पक्ष) से अनबिल्ड राजस्व	17.74	–
जोड़	**17.76**	**0.13**

टिप्पणी 5: चालू कर परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्राप्य टीडीएस	2.41	0.16
चालू कर के लिए प्रावधान	(0.64)	–
जोड़	**17.77**	**0.16**

टिप्पणी 6: अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अग्रिम		
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	0.60	0.16
पूर्व भुगतान व्यय	0.25	0.15
जोड़	**0.85**	**0.31**

टिप्पणी 7: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 ₹ प्रत्येक के 1,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000)	100.00	100.00
जारी/अभिदत्त तथा चुकता पूंजी		
100 ₹ प्रत्येक के 1,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000)	100.00	100.00
जोड़	100.00	100.00

टिप्पणी 7.1: इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के आरंभ में बकाया थी	1.00	100.00	–	–
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	1.00	100.00
जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के अंत में बकाया थी	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**

टिप्पणी 7.2: शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के पास एकल श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सम मूल्य ₹ 100 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक, उसके द्वारा धारित प्रति शेयर एक वोट का पात्र है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र हैं।

कंपनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरों के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और इसके 6 नामांकित	1,00,000	100.00%	1,00,000	100.00%
जोड़	**1,00,000**	**100.00%**	**1,00,000**	**100.00%**

प्रवर्तकों की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और इसके 6 नामांकित	1,00,000	100.00%	1,00,000	100.00%	**शून्य**

टिप्पणी 7.3: कंपनी की शुरुआत के बाद से बोनस के रूप में पूर्णतः चुकता के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या – शून्य

टिप्पणी 8: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिधारित अर्जन	(1.58)	(3.86)
जोड़	**(1.58)**	**(3.86)**

प्रतिधारित अर्जनों से तात्पर्य कंपनी के अवितरित लाभों और संचित हानियों से है।

टिप्पणी 8.1: प्रतिधारित अर्जन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रारंभिक शेष	(3.86)	–
जोड़ें: संगत अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण से हस्तांतरित लाभ/(हानि)	2.28	(3.86)
अंतिम शेष	**(1.58)**	**(3.86)**

टिप्पणी 9: वित्तीय देयताएं – अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (संबंधित पक्ष) को देय	–	0.31
व्यय के देनदार	0.15	0.97
जोड़	**0.15**	**1.28**

टिप्पणी 9.1 : व्यापार देय एजिंग समय–सारणी

31 मार्च, 2022 को और पिछले वित्तीय वर्ष में कोई व्यापार देय नहीं है। इसलिए, व्यापार देय की एजिंग लागू नहीं है।

टिप्पणी 10 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वैधानिक बकाया		
– टीडीएस देय	0.09	0.05
– आईजीएसटी आरसीएम	0.01	–
– जीएसटी टीडीएस देय (टिप्पणी–26)	–	–
जोड़	**0.10**	**0.05**

टिप्पणी 11 : प्रचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सेवाओं की बिक्री	19.72	–
जोड़	**19.72**	–

टिप्पणी 12 : अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	4.58	2.20
आय कर के रिफंड पर ब्याज	0.01	–
जोड़	**4.59**	**2.20**

टिप्पणी 13 : कर्मचारी अनुलाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	6.62	–
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	0.57	–
जोड़	**7.19**	–

टिप्पणी 14 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्राथमिक व्यय	–	3.55
मानदेय व्यय	8.71	2.79
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	2.43	0.51
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		0.15
– सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में	0.15	
बैंक प्रभार एवं कमीशन	0.01	–
परामर्श प्रभार	0.19	0.21
सॉफ्टवेयर व्यय	0.28	0.03
विविध व्यय	0.28	0.11
वाहन व्यय*	1.80	–
जोड़	**13.85**	**7.35**

*कार्यालयी प्रयोजन से किए गए वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति

टिप्पणी 15 : भारतीय लेखाकरण मानक 33 के संबंध में प्रकटीकरण – प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालनों से (रुपए में)	2.28	(7.01)
बंद प्रचालनों से	–	–
विलयित ईपीएस		
जारी प्रचालनों से (रुपए में)	**2.28**	**(7.01)**
बंद प्रचालनों से	–	–

15.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

मूल ईपीएस राशियों की गणना वर्ष के दौरान कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण वर्ष के लिए लाभ/(हानि) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्याः –

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कंपनी के इक्विटी धारकों को होन वाला लाभः		
जारी प्रचालनों से	2.28	(3.86)
बंद प्रचालनों से	–	–
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में प्रयुक्त अर्जन	**2.28**	**(3.86)**
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	0.55

15.2 प्रति शेयर विलयित अर्जन

प्रति शेयर विलयित अर्जन की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्याः– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	06 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाला लाभः		
जारी प्रचालनों से	2.28	(3.86)
बंद प्रचालनों से	–	–
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर विलयित अर्जन की गणना में प्रयुक्त अर्जन	2.28	(3.86)
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	0.55
विलयन का प्रभावः	–	–
प्रति शेयर विलयित अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	0.55

टिप्पणी 15.3

चूंकि कोई बंद प्रचालन नहीं है इसलिए बंद किए गए प्रचालनों के लिए प्रति शेयर अर्जन और विलयित अर्जन की गणना नहीं की गई है।

टिप्पणी 16 : पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य, अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की उनकी क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित किया जा सके ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिलाभ और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की अपेक्षाओं के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 17 : अनुपात विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	न्यूमिरेटर	डिनॉमिनेटर	वर्तमान अवधि	पूर्व अवधि	% अंतर	अंतर का कारण
क)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान आस्तियां	व्रर्तमान देयताएं	391	72	443%	वर्तमान देयता में कमी.
ख)	इक्विटी अनुपात पर लाभ	कर पश्चात निवल लाभ	शेयरधारक की औसत इक्विटी	2.34%	(3.94%)	160%	पिछले वित्तीय वर्ष में हानि हुई थी
ग)	पूंजी टर्नओवर निवल लाभ	राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.20	–	–	पिछले वर्ष के दौरान कोई टर्नओवर नहीं
घ)	लगाई गई पूंजी पर लाभ	ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन	लगाई गई पूंजी	3.32%	(5.36%)	162%	पिछले वित्तीय वर्ष में हानि हुई थी
ङ)	निवल लाभ अनुपात	कर पश्चात निवल लाभ	राजस्व	11.56%	–	–	पिछले वर्ष के दौरान कोई टर्नओवर नहीं

इस वर्ष, निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं हैं, इसलिए प्रकटीकरण नहीं किया गया

क. ऋण–इक्विटी अनुपात
ख. ऋण सेवा कवरेज अनुपात
ग. माल सूची टर्नओसर अनुपात
घ. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात
ङ. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात
च. निवेश पर लाभ

टिप्पणी 18 : उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत (₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
विवरण	**एफवीटीपीएल' / एफवीटीओसीआई****	**परिशोधित लागत**	**एफवीटीपीएल' / एफवीटीओसीआई****	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) प्रतिभूति जमा	–	–	–	–
(ii) नकद और नकद समतुल्य	–	6.35	–	4.58
(iii) नकद और नकद समतुल्य से इतर बैंक शेष	–	71.00	–	91.00
(iv) अन्य		17.76	–	0.13
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**95.11**	–	**95.71**
वित्तीय देयताएं	–			
(i) उधारी	–	–	–	–
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं		–	–	–
– गैर–तात्कालिक	–			
(iii) अन्य वित्तीय देयता – चालू	–	0.15	–	1.28
कुल वित्तीय देयताएं	–	**0.15**	–	**1.28**

*लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

क. नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्यों एवं अन्य देयों को, अल्पावधि प्रकृति का होने के कारण, उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

टिप्पणी 19 : आकलन और पूर्वानुमान

भविष्य के संबंध में प्रमुख पूर्वानुमान, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं जिनको लेकर, अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि में वस्तुगत समायोजन कराने में बड़ा जोखिम हो सकता है।

(क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों का मापन, डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह व्यावहारिक न हो, वहां उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए कुछ हद तक विवेकपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। इन विनिर्णयों में ऋणशोधन क्षमता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट को ध्यान में रखा जाना शामिल होता है। इन कारकों के बारे में पूर्वानुमान में परिवर्तन से, वित्तीय लिखत के संसूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

(ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना बनती हो कि ऐसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके बदले में हानियों का उपयोग किया जा सकता है। मान्य किए जाने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन विनिर्णय की आवश्यकता होती है जो कि भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ–साथ भावी कर योग्य लाभ के समय एवं स्तर पर आधारित होता है।

टिप्पणी 20 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी शामिल है। कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति के कारण इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों – क्रेडिट जोखिम और परिसमापन जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी ने अपने वित्तीय जोखिमों को सुरक्षित नहीं किया है। सभी जोखिम, अरक्षित जोखिम हैं।

ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम का आशय, कंपनी को होने वाले उस वित्तीय नुकसान के जोखिम से है जब कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। क्रेडिट जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास रखी नकदी से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव, वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर होता है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य, वित्तीय परिसंपत्तियों में होने वाली हानि को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षकारों की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन उनकी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए करती है।

परिसमापन जोखिम

परिसमापन जोखिम का आशय उस जोखिम से है कि कंपनी, देय होने पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। कंपनी, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करके अपने परिसमापन जोखिम का प्रबंधन करती है कि देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए उसके पास हमेशा पर्याप्त ऋणशोधन क्षमता होगी।

कंपनी ऋणशोधन क्षमता, वित्तपोषण के साथ–साथ निपटान प्रबंधन का भी ध्यान रखती है। इसके अलावा, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों की देखरेख वरिष्ठ प्रबंधन करता है।

टिप्पणी 21 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयता: कंपनी के समक्ष आज की तारीख में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

आकस्मिक परिसंपत्ति: कंपनी के पास आज की तारीख में कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

टिप्पणी 22 : संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

22.1 संबंधित संस्थाएं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड – होल्डिंग कंपनी

22.2 संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
श्री विनय कुमार सिंह	अध्यक्ष
श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक
श्री अनिल कुमार श्रंगार्या	निदेशक
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक
श्रीमति नमिता मेहरोत्रा	निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं संबंधित पक्ष के साथ किया गया लेनदेन (₹ लाख में)

नाम	संबंध	लेनदेन की प्रकृति	राशि
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	वर्ष के दौरान प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति	3.39
		वर्ष के दौरान सेवाओं की बिक्री	19.72
		वर्ष के अंत में अनबिल्ड प्राप्य	17.74

टिप्पणी 23

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमई अधिनियम) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है: – (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि और उस पर देय ब्याज: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूलधन राशि उपर्युक्त पर देय ब्याज	 – –	 0.55' –
2	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान, नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	–	–
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान तो किया गया है लेकिन नियत दिन से परे) लेकिन इसमें एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ा नहीं गया है	–	–
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अप्रदत्त रही ब्याज राशि	–	–
5	अनुवर्ती वर्षों में भी देय और ऐसी तारीख तक भुगतान योग्य बनी रही परवर्ती ब्याज की राशि, जिस तारीख तक एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के उद्देश्य हेतु उपर्युक्त ब्याज देय राशि का छोटे उद्यम को भुगतान वास्तव में किया गया हो	–	–

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 '(एमएसएमई अधिनियम) में निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर भुगतान कर दिया गया है।

टिप्पणी 24 : शेष राशि की अभिपुष्टि

कंपनी ने शेष राशि की अभिपुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र भेजे हैं। देनदारों और लेनदारों के अंतर्गत दर्शाई गई समस्त शेष राशियों की पुष्टि की जाती है।

टिप्पणी 25 : संविदात्मक प्रतिबद्धता

परियोजना के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का विवरण शून्य ₹ है।

टिप्पणी 26

वित्तीय विवरण लाख रुपए में प्रस्तुत किया गया है। उन मदों का विवरण नीचे दिया जा रहा है, जिनका प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है परंतु निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकन किए जाने के कारण जिनका प्रस्तुतीकरण वित्तीय विवरणों में नहीं किया जा सकता है–

तुलन पत्र मदें **(आंकड़े रुपए में)**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 को	31.03.2021 को
अन्य चालू देयताएं			
जीएसटी टीडीएस देय	10	265	–

टिप्पणी 27 : कोविड 19 प्रकटीकरण

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 महामारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्तमान आर्थिक स्थितियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर कंपनी को उम्मीद है कि अपने सामान्य काम–काज के दौरान आस्थगित करों, अन्य वित्तीय एवं गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों आदि सहित अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली कर ली जाएगी। प्रबंधन को समुचित रूप से भरोसा है कि कंपनी को एक कार्यशील संस्था के रूप में बनाए रखने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है।

टिप्पणी 28 : खंड रिपोर्टिंग भारतीय लेखाकरण मानक 108

कंपनी का प्रमुख व्यवसाय, ट्रांजिट प्रणालियों और उप–प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और अनुरक्षण का है। कंपनी भारत के भीतर काम करती है और भिन्न–भिन्न जोखिमों एवं प्रतिफलों के आर्थिक वातावरण में प्रचालन नहीं करती है। इसलिए, इसे एकल भौगोलिक खंड में प्रचालनरत माना गया है।

वर्तमान में नियत जमाओं पर ब्याज आय और सेवाओं से कंपनी को राजस्व प्राप्त होता है।

खंड रिपोर्ट

कंपनी के पास रिपोर्ट करने योग्य केवल एक प्रचालन खंड अर्थात् ट्रांजिट प्रणालियों और उप–प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधकन, प्रचालन तथा अनुरक्षण है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठन संरचना तथा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर कंपनी एकल प्रचालन खंड में प्रचालित है। तदनुसार, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियाँ, कंपनी के एकल प्रचालन खंड से संबंधित हैं।

टिप्पणी 29

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

1. **राजस्व मान्यता पर महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय :**

   अनुबंध राजस्व और संबंधित प्राप्तियों की मान्य राशि में, प्रत्येक अनुबंध के परिणाम और पूरा होने के चरण के संबंध में, प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाया गया है जो वास्तविक प्रगति, प्रयासों, लेनदेन की कुल अनुमानित लागत की तुलना में अद्यतन तारीख तक व्यय की गई लागत, लगाए गए समय, निष्पादित सेवा या प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके के आधार पर निर्धारित की जाती है।

2. कंपनी ने, ग्राहकों को माल या सेवाओं का नियंत्रण स्थानांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर या तो समयोपरिता या किसी निश्चित समय के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है। कंपनी द्वारा समय के आधार पर राजस्व को उस स्थिति में मान्य किया गया है यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है:

- ग्राहक द्वारा लाभ प्राप्त करने और उपभोग करने का काम साथ–साथ हो
- कंपनी के कार्य–निष्पादन से ऐसी संपत्ति का सृजन या बढ़ोतरी होती है, जिसे ग्राहक द्वारा, संपत्ति के सृजन या बढ़ोतरी के समय ही नियंत्रित किया जाता है
- कंपनी का कार्य–निष्पादन वैकल्पिक उपयोग से सृजित नहीं होता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण किए गए कार्य–निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

यदि, उपरोक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो कंपनी द्वारा किसी निश्चित समय के आधार पर राजस्व को मान्य किया जाता है।

3. **पृथक्करण राजस्व सूचना :**

   नीचे 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्त अलग–अलग राजस्व प्रस्तुत किया गया है। कंपनी का मानना है कि यह पृथक्करण हमारे राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता पर उद्योग, बाजार और अन्य आर्थिक कारक के प्रभाव को सर्वोत्तम तरीके से वर्णित करता है।

(₹ लाख में)

विवरण	सेवाओं की बिक्री	जोड़
2021–22	19.72	19.72
2020–21	–	–

4. प्राप्य राशियों/संविदा आस्तियों/संविदा देयताओं का शेष निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
संविदा परिसंपत्तियां (बिल न की गई प्राप्य राशियां)	17.74	–

5. कंपनी ने अनुबंध प्राप्त करने के लिए कोई लागत वहन नहीं की है।

टिप्पणी 30: हाल ही में की गई घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए"), समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधनों को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2022 को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2022 से लागू कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया है। इसका विवरण, नीचे दिया गया है:

(क) भारतीय लेखाकरण मानक 103 – संकल्पनात्मक ढांचे का संदर्भ

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को, अधिग्रहण की तारीख में भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानकों (संकल्पनात्मक ढांचे) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए, संकल्पनात्मक ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। इन परिवर्तनों से, भारतीय लेखाकरण मानक 103 की आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में, उक्त संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

(ख) भारतीय लेखाकरण मानक 16 – इच्छित उपयोग से पहले की आय

संशोधन मुख्य रूप से, किसी संस्था द्वारा, अपने इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति तैयार करते समय उत्पादित मदों की बिक्री से प्राप्त राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में से कटौती किए जाने से रोकते हैं। इसके बजाय, संस्थान, ऐसी बिक्री आय और संबंधित लागत को लाभ या हानि में मान्यता देगा। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि अपने वित्तीय विवरणों में अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को मान्य किए जाने में उक्त संशोधनों का कोई प्रभाव होगा।

(ग) भारतीय लेखाकरण मानक 37 – भारी अनुबंध – अनुबंध को पूरा करने की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि किसी अनुबंध को पूरा करने की लागत में वह लागत शामिल है जो सीधे अनुबंध से संबंधित है। किसी अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से धत है। उक्त संशोधन, मूलतः एक स्पष्टीकरण है और कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

(घ) भारतीय लेखाकरण मानक 109 – इंड एएस (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोई संस्था उस स्थिति में कौन सी फीस को शामिल करती है, जब यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय दायित्व को अमान्य करना है या नहीं, भारतीय लेखाकरण मानक 109 का '10 प्रतिशत' परीक्षण लागू किया जाता है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि उक्त संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.पी. बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
(वेद प्रकाश बत्रा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 081057
यूडीआईएन: 22081057ALCGEL1071
नई दिल्ली,
दिनांक: 14.06.2022

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन: 06497700

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

सत्यमेव जयते

संख्या/No. DGA/Infra/IHQ-I/27-96/21-22/191

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 17/8/22

सेवा मे,

अध्यक्ष,

एन सी.आर.टी.सी. एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड,

एन.सी.आर.टी.सी .गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए.

नई दिल्ली-110023

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक NCRTC Express Transit Limited के वार्षिक लेखों पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक NCRTC Express Transit Limited के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करता हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षको की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्नः टिप्पणियाँ

दीपक
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NCRTC EXPRESS TRANSIT LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of NCRTC EXPRESS TRANSIT LIMITED for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 14 June 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of NCRTC EXPRESS TRANSIT LIMITED for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Other Comments

The financial statements for the year ended 31 March 2021 and the related Independent Auditor's Report were signed on 16 June 2021. The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) issued comments on the financial statements of the company for the year ended 31 March 2021 under Section 143(6)(b) of Companies Act, 2013 on 20 July 2021.

The statutory auditor re-signed their Audit Report for the year ended 31 March 2021 on 06 September 2021. Subsequently, the Company held its Annual General Meeting on 13 September 2021 and adopted the re-signed Independent Auditor's Report and financial statement dated 06 September 2021 and comments of the C&AG on the original Audit Report dated 16 June 2021. This was in contravention of section 143(6)(b) of the

Companies Act, 2013 since the re-signed Audit Report was adopted in the Annual General Meeting without obtaining the comments of the C&AG.

In addition to above, the re-signed Audit Report was again revised by the statutory auditor on 07 October 2021 i.e. after the date of the Annual General Meeting, and the same was included in the Annual Report of the holding company (i.e. National Capital Region Transport Corporation Limited) for the year 2020-21.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Deepak Kapoor)
Director General of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 17 August 2022

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुपूरक/परिशिष्ट – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों का प्रबंधन द्वारा जवाब।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
ख. अन्य टिप्पणियाँ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण और संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर 16 जून 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत, 20 जुलाई 2021 को जारी कीं। सांविधिक लेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 06 सितंबर 2021 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर पुनः हस्ताक्षर किए। इसके बाद, कंपनी ने 13 सितंबर 2021 को अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित की और 06 सितंबर 2021 को पुनः हस्ताक्षरित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरण और मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 16 जून 2021 पर सीएजी की टिप्पणियां को अंगीकृत किया। यह प्रक्रिया, धारा 143(6)(बी) या कंपनी अधिनियम, 2013 के उल्लंघन में थी क्योंकि वार्षिक आम बैठक में पुनः हस्ताक्षरित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को, सीएजी की टिप्पणियां प्राप्त किए बिना अपनाया गया था। उपरोक्त के अलावा, 07 अक्टूबर 2021 को यानी वार्षिक आम बैठक की तारीख के बाद, सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा पुनः हस्ताक्षरित ऑडिट रिपोर्ट को फिर से संशोधित किया गया था, और इसे होल्डिंग कंपनी (यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड) की वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया।	1. कंपनी ने इस मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सलाह प्राप्त की है। संबंधित प्रावधानों का पालन करने के लिए कानूनी सलाहकार द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का कंपनी द्वारा पालन किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 2. उपरोक्त कानूनी सलाह के अनुसार, कंपनी ने 29 नवंबर 2021 को एक ईजीएम बुलाई जिसमें शेयरधारकों को तथ्यों से अवगत कराया गया और वित्तीय विवरणों पर फिर से हस्ताक्षर करने के लिए एजेंडा और स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया गया और शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसके बाद, इसे 17 जनवरी 2022 को ई–फॉर्म एमजीटी–14 में आरओसी में फाइल कर दिया गया। 3. इसके बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 के पूर्ण अनुपालन के संबंध में कंपनी ने 24 फरवरी 2022 के सीएजी पत्र के जवाब में एमसीए और एमओएचयूए को भी जवाब प्रस्तुत कर दिया है। 4. उपरोक्त जानकारी सीएजी को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान कर दी गई थी।

कृते एवं एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता /-
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन : 07916304

हस्ता /-
श्री अनिल कुमार श्रंगार्या
निदेशक
डीआईएन : 08507367

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 22 सितंबर, 2022

एनसीआरटीसी कार्यक्रमों की एक झलक

न्यू अर्बन इंडिया, लखनऊ में एनसीआरटीसी स्टाल पर माननीय प्रधानमंत्री

पहला सुदर्शन (टीबीएम) ड्राइव

SECI के साथ MoU पर हस्ताक्षर

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

राजभाषा पखवाड़ा

एनसीआरटीसी स्पोर्ट्स मीट

एनसीआरटीसी साइक्लोथॉन

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

हर घर तिरंगे के नीचे तिरंगा रौशनी

तिरंगा नक्शा निर्माण

ncrtc

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए, नई दिल्ली – 110023
फोनः +91 11 24666700, फैक्सः +91 11 24666723
CIN: U60200DL2013GOI256716
ई-मेलः contactus@ncrtc.in
www.ncrtc.in

Follow us: www.ncrtc.in/

www.silenttpartners.com